राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 02

मंगलवार

01 मार्च, 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। देखिए, मैंने आपके स्वागत के लिए कितनी बढ़िया फुलवारी की है। प्रश्न काल। डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल होने दीजिए।

प्रदेश में सड़कों का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं करने पर कार्यवाही

1. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं शास्ति लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 2011 से 2015 की अवधि में कार्यादेश जारी होने के उपरांत किन-किन सड़कों को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर किस-किस ठेकेदार पर कितनी-कितनी राशि की शास्ति लगाई गयी एवं किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(4) क्या सरकार सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने के दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध मानक अनुबंध के क्लाज 2 व 3 के तहत कार्यवाही करने एवं शास्ति लगाने का प्रावधान है। मानक अनुबंध की प्रति परिशिष्ट- '1' पर प्रस्तुत है।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 2011 से 2015 की अवधि में कार्यादेश जारी होने के उपरांत जिन सड़क कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया गया उनका विवरण परिशिष्ट- '2' पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त कार्यों में समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर गुणावदोष के आधार पर ठेकेदारों पर लगाई गयी शास्ति एवं की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट- '2' पर अंकित है।

(4) जी हां। सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर सम्बन्धित ठेकेदार पर शास्ति लगाये जाने का प्रावधान है। तदनुसार ही ठेकेदार के विरुद्ध शास्ति लगाने की कार्यवाही की गयी है। विवरण परिशिष्ट- '2' पर अंकित है। कार्यों में हुई देरी के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस तरीके से यह जो विधायक सदन के अन्दर बैठे हैं, उनको सदन से बाहर किया जाए और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सदन की नेता से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा मन रख कर, जिस तरीके से इनके विधायकों ने ...(व्यवधान) जिस तरीके से इनके विधायकों ने ...(व्यवधान) किया है। अगर, आपने राहुल गांधीजी के खिलाफ ...(व्यवधान) उनकी गरिमा, उस परिवार के मुखिया के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल हो जाने दें। (व्यवधान) मैं प्रश्न काल के बाद आपको सुनूंगा। (व्यवधान) मैं प्रश्न काल के बाद आपको सुनूंगा। (व्यवधान) पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार सड़कों को समय पर पूरा नहीं करते, उसके कारण से विलम्ब होता है। घटिया

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सड़कें बनती हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जयपुर जिले में पिछले पांच वर्ष में कितने ठेकेदारों को नोटिस दिया गया? और क्या सरकार अतिक्रमण के कारण से कितनी सड़कों को ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) यह कहा था कि यह गलत हुआ है। गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसमें सदन के अन्दर एक बड़ा मन रख कर सदन की नेता खेद प्रकट करें, हमारा यह निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस परिवार से जिसने देश की आजादी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी ताकत दी है, बलिदान दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस परिवार के प्रति, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। प्रतिपक्ष के नेता का वक्तव्य अंकित नहीं हो। केवल प्रश्न और उनके उत्तर अंकित हों।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पांच वर्ष में कितने अतिक्रमण थे, जिनके कारण से सड़कें रुकी रहीं और कितनी राशि का भुगतान रोका गया?

दूसरा, पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार सड़कों पर जो अतिक्रमण है, उनको हटाने का इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आराम से दीजिए जवाब, आराम से।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न में जो बातें पूछी हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 2011 से 2015 तक कुल कार्यादेश हमारे जयपुर में 359 दिये गये, उनमें कार्यादेश समय पर पूर्ण होने की संख्या 196 है तथा कार्य विलम्ब से पूर्ण होने में 98 लोगों को, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने ऐसे संवेदक हैं जिनके खिलाफ कार्यादेश पूरा समय पर नहीं होने पर, तो 98 लोगों को नोटिस दिया गया है।

और, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनमें हमने पैनल्टी लगायी है, ऐसे कार्य 44 हैं।

(श्री युनुस खान)

विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस तरीके की पैनल्टी की राशि कितनी है? तो इस तरीके की पैनल्टी की कुल राशि 2011 से लेकर 2015 तक 1 करोड़ 65 लाख 59 हजार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में कुल पांच लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, जिसमें 29 लाख 84 हजार पैनल्टी वसूल की गयी है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जहां अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए सख्त कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। आप पूरक प्रश्न पूछिए। आपका आ गया न जवाब?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोग घरों का पानी सड़क पर छोड़ते हैं तो सड़क टूट जाती है, पानी को रोक कर मिट्टी डालकर ऊंचा कर देते हैं और ढलान में मिट्टी आ जाती है तो इसको रोकने की क्या कार्य योजना है? यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो रूरल एरिया में हैं। उन पर माइनिंग के काम की वजह से वह सड़कें टूट जाती हैं या ग्रामीण क्षेत्र में वह सड़कें पानी के भराव व ठहराव की वजह से बिटुमिन खराब होकर टूट जाती हैं। ऐसी सड़कों को वापस ग्रामीण क्षेत्र में पूरा करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, जैसा कि आपको ध्यान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार घोषणा की थी कि हम ग्रामीण गौरव पथ बनाएंगे, उसी के लिए यह काम किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने के बाद इस क्षेत्र में

(श्री युनुस खान)

सीमेंटेड रोड बनने का काम बहुत तेज गति के साथ हुआ है और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इश्यु उठाया है, उसका हमने बाकायदा सर्वे करवाया है। पिछले विधान सभा सत्र के दौरान मैंने आपको आश्वस्त भी किया था कि इस तरीके की सड़कों का हम सर्वे करेंगे और हमने एक जांच कमेटी बैठाकर माननीय सदस्य के क्षेत्र में सड़कों का सर्वे करवाकर मंगवा लिया है। माननीय सदस्य की एक शिकायत थी कि अकाल और बाढ़ के तहत एक सड़क टूट गयी थी, उस सड़क में वहां के अधिकारियों ने डबल रोड का कार्यादेश करके भुगतान उठा लिया था एस.डी.एम. के स्तर पर, उनके खिलाफ भी 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही लम्बित है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। इसके बाद आपका। हां, हां, वह पूरक प्रश्न।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजनीति करते हुए कांग्रेस के राज में मेरे अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल होने दीजिए। प्रश्न काल होने दीजिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): जिनकी वर्ष 2011 में जनसंख्या थी 800 और उस गांव को पी.एम.जी.एस.वाई. से वंचित रख दिया गया चूंकि, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का गांव था। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं और मैंने कई बार लिखकर भी दे दिया कि जिन गांवों की 1991 और 2011 में जनसंख्या 800 की थी उसको पी.एम.जी.एस.वाई. से वंचित रख दिया गया, उस गांव में सड़क बनाने के लिए मुझे आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्धारित मानदंड हैं और 2001 की जनसंख्या को उसका आधार वर्ष माना गया है। उस समय अगर वह गांव उस जनसंख्या के मानदंड को पूरा करता होता तो वह प्रधान

(श्री युनुस खान)

मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ जाता। जो माननीय सदस्य ने गांव बताया है वह मैं व्यक्तिशः लेकर अगर, उस समय 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हुआ होगा तो हम ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ देंगे।

हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह भी निर्देश दे रखे हैं कि हम उन गांवों को चिन्हित करें, जिन गांवों की जनसंख्या 2001, 2011 की जनगणना में 500 से अधिक है, उनको जोड़ने का हमारी मुख्य मंत्रीजी का निर्देश है तो वह गांव अगर, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, इन दोनों श्रेणी में आएगा तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्यवाही करके, उस सड़क का निर्माण करेगी।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न-एक, श्री ज्ञानदेव आहूजा। पूरक प्रश्न, श्री ज्ञानदेव आहूजा, आप पूरक प्रश्न करने वाले हैं न?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या बोलना है? पूरक प्रश्न मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा, सिर्फ इनकी बात सुन रहा हूं। पूरक प्रश्न नहीं पूछा।

श्री अध्यक्षः आप खड़े हुए थे इसलिए कह रहा हूं। आप खड़े हुए थे न। हां, आपका पूरक प्रश्न। इसके बाद आपका।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चौमूं-महला सड़क थी, वह आपके प्रयास से रेनवाल से लेकर जोबनेर तक तो ठीक होना शुरू हो गयी लेकिन जिस फर्म को ठेका दिया गया था, उसने किसी दूसरे ठेकेदार को सबलैट किया था और रेनवाल से लेकर चौमूं तक की सड़क बनाने का ठेका जिस ठेकेदार के पास था, उसने अभी तक भी काम शुरू नहीं किया। मंत्री महोदय, कितने समय में उस सड़क का काम आप शुरू करवा देंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले कांग्रेस शासन में पी.पी.पी. माडल में चौमूं-महला सड़क को एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया गया जिसकी क्षमता नहीं थी, अक्षम था। उसने उस कार्य को शुरू किया तो बैंकर्स ने उनको लोन देने से मना कर दिया लेकिन माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में जो सरकार आई उसने इस इश्यू को टेक-अप किया, हमने 12 बैंकों के साथ बैठक करके इसका दो वर्षों में

(श्री युनुस खान)

निस्तारण किया है। जो संवेदक है, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज की है और उसके खिलाफ कानूनन जितनी कार्यवाही हो सकती है, उसको किया है।

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

पिछले माह ही उनको सब-लैट करके बैंकर्स के थ्रू उस सड़क का निर्माण हमने शुरू करवाया है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब समय पर आपका काम पूरा होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः तीसरा पूरक प्रश्न। नहीं, अब आपका नहीं। रामहेतजी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमारे अलवर जिले में अरावली माइनिंग जोन के कारण, इल्लीगल माइनिंग के कारण बहुत सारी ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं जो जर्जर हालत में हैं और जिनका टेण्डर नहीं होता है। वह टूट गयी हैं। क्या ऐसी सड़कें जो माइनिंग जोन के कारण, इल्लीगल माइनिंग के कारण टूट गयी हैं, उनका चिह्नीकरण करके जो मेजरमेंट है रिनुअल का, उसको चेंज करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो ऐसी सड़कें जो क्षतिग्रस्त हैं, उनका कब तक रिनुअल करा दिया जाएगा?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः प्रतिपक्ष के नेता महोदय, प्रश्नकाल के बाद आपको सुनूंगा।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि लगातार, यहां से पूर्व मुख्य मंत्रीजी चले गये, मैं नहीं कहना चाहता कि दस वर्षों तक वह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। काश, जो हमारे माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, उसी का जवाब है। उनका पूरक प्रश्न यह है कि जो ग्रामीण सड़कें खनन की वजह से टूट जाती हैं, 2003 से 2008 तक पी.एम.जी.एस.वाई. में माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें 28 हजार किलोमीटर रूरल एरिया में सड़कें बनी थीं। 2004 में जो सड़कें बनीं, उनका लाइफ सर्कल था 2011 में उनकी मेन्टीनेंस होनी थी,

(श्री युनुस खान)

2005 में बनीं उनकी 2012 में होनी थी, 2006 में बनीं उनकी 2013 में होनी थी। इन लोगों का शासन उस समय रहा। उस समय काश, इन ग्रामीण सड़कों का मेन्टीनेंस हो जाता तो आज प्रदेश की यह हालत नहीं होती और इनकी खुद की भी यह हालत नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण है कि चर्चा करते और जाते-जाते एक सदस्य कह गये हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि माननीय वसुन्धराजी के इस कार्यकाल में जो सड़कें हमने बनाई हैं, इनकी कोई भी कमेटी किसी भी स्तर की जांच कर लें, हमारी सड़कों की गुणवत्ता अच्छी है और उसको हम बिलकुल चैलेंज के साथ कहते हैं। जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सड़कों का निर्माण उनके समय ही खराब हो गया था।

श्री अध्यक्षः उनका जवाब दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जाते-जाते कह गये तो कहना तो पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः इतर मत जाइये। इनके प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो इतना ही कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस खुली बहस करती। मुख्य मंत्रीजी भी बजट ला रही हैं। पिछले दो सालों में सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है तीन स्थानों के निर्माण पर। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में, विश्व बैंक की सड़कों के निर्माण में और माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका तो यही है कि जो माइनिंग रोड है, पिछले गत बजट वर्ष में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 करोड़ रुपये माइनिंग रोड्स के लिये रखे थे, लेकिन अब हमने अलग से जहां-जहां इस तरीके की माइनिंग होती है, चाहे बजरी की हो, चाहे स्टोन क्रेशर लगे हुए हों, चाहे ईंट-भट्टे हों, उनको चिन्हित करके उन सड़कों का अलग से निर्माण करवायेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी के यह निर्देश हैं कि क्यों नहीं उनको सी.सी. पर बनाकर उन पर चलने वाले कामर्शियल व्हिकल से ही हम चार्जेज लें और बाकी लोगों को फ्री करके उस पर वाहन चलें। जो लोग निजी वाहन चला रहे हैं, उनको फ्री रखें और उस पर्टीकूलर क्षेत्र में बजरी ढोये, सीमेंट ढोये, चाहे और अन्य कोई कामर्शियल काम हो रहा हो खनन का, उसमें हम सीमेंटेड रोड बनायेंगे। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): प्रश्न संख्या 551

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 2 है यह। हां, ठीक है, 551 नम्बर उधर का नम्बर है।

जैसलमेर जिले के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

2. **श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर के विरुद्ध दिनांक 09 अगस्त, 2014 को जन-प्रतिनिधि द्वारा की गयी शिकायत की जांच रिपोर्ट एवं इस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति सम व जैसलमेर, जिला जैसलमेर में वर्ष 2008 से 2014 के मध्य सरपंचों के विरुद्ध की गयी शिकायतें व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों की इतने लम्बे समय तक जांच लम्बित रखने का क्या कारण रहा एवं अब कब तक इनका निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर के द्वारा अनियमितता किये जाने की शिकायत दिनांक 09.08.2014 को जन-प्रतिनिधि द्वारा की गयी है। शिकायत की जांच प्रगतिरत है।

(2) पंचायत समिति सम व जैसलमेर में वर्ष 2008 से 2014 के मध्य सरपंचों के विरुद्ध कुल 39 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 4 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। शेष 32 प्रकरण प्राथमिक जांच स्तर पर एवं 3 प्रकरण विस्तृत जांच स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं। प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति सम व जैसलमेर के सरपंचों के विरुद्ध जांच प्रकरण सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के यहां प्रगतिरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण की ए सी ई ओ के द्वारा स्वीकृति निकाली गयी थी। मंत्रीजी बतायें, 4-7-2014 को अलग-अलग पत्रों में 10 से करके 15 तक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस समय कांग्रेस के प्रमुख थे, माननीय उस समय जो स्वीकृतियां निकाली गयी थीं, उन स्वीकृतियों में भारी अनियमितताएं थीं। अलग-अलग पत्रों में, सिंगल अलग-अलग पेपर में पांच-पांच, दस-दस करके निकाली गयी थीं जनता को इसकी भावना का पता नहीं पड़े। जनता को यह पता नहीं पड़े कि यह स्वीकृतियां किस प्रकार से निकाली गयी हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्वीकृतियों के अन्दर भाई-भतीजावाद हुआ, गांव की तरफ से न जनसंख्या का अनुपात, न क्षेत्रफल का अनुपात, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा गया। विशेषकर ग्रामीण निर्देशिका, जो बी एस आर होती है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है मैंने यह क्वेश्चन पूछा है कि उस समय जो स्वीकृतियां ए सी ई ओ ने निकाली थीं, इसमें भारी भ्रष्टाचार किया है। पूर्व मंत्रीजी से भी मैंने प्रश्न संख्या 1511 के अन्दर जांच मांगी थी, लेकिन आज तक वह जांच पैंडिंग है। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब यह था 2008 से लेकर 2014 तक जो भी स्वीकृतियां चाहे वह निर्बन्ध में रही हों, चाहे एस एस टी चाहे एस एस बी, सभी में जो योजनाओं में स्वीकृतियां निकलीं, उनमें भारी अनियमितताएं थीं।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मेरा निवेदन यह है जो स्वीकृतियां निकालीं और जिस ग्राम पंचायत को दिया गया, उनमें पूर्व में भी एक-एक करोड़ की स्वीकृतियां निकली हुई थीं, फिर भी उनमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 15-15, 20-20 लाख की और व्यक्तिगत स्वीकृतियां दीं। मैंने उनकी जांच के बारे में कहा कि वह किस प्रकार से निकाली गयीं।

श्री अध्यक्ष: अब यह जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय मंत्रीजी मैं चाहता हूं कि उसकी जांच कब होगी?

श्री अध्यक्ष: बस यहीं खतम करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 9.8.2014 को ए.सी.ई.ओ. के खिलाफ

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

शिकायत दर्ज करवाई थी माननीय मंत्रीजी को। मेरा निवेदन यह है कि उस शिकायत की जांच चल रही है और जांच डेढ़ साल से चल रही है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जिस भी सी.ई.ओ. को जांच दी गयी और उसमें नैग्लीजेंसी बरती गयी है, उसकी जवाबदेही फिक्स करूंगा। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं और आश्वस्त करता हूं कि उससे जांच हटाकर मैं सम्भागीय आयुक्त जोधपुर से इसकी जांच कराऊंगा और जल्दी से जल्दी इसके निस्तारण की कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न है क्या, पर्याप्त जवाब आ गया।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मेरा एक निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप दूसरा और पूछ लीजिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्षजी, डेढ़-पौने दो साल हो गये हैं, इसकी जांच अभी भी प्रक्रियाधीन है। जबकि इसमें भारी अनियमितता बरती गयी है।

श्री अध्यक्ष: अब जल्दी करा देंगे। माननीय विधायक जवाब आ गया, अब बहुत तत्परता से करायेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराकर निस्तारण करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: सम और जैसलमेर से सम्बन्धित है। नहीं, नैक्स्ट, श्री जगदीश नारायणजी।

जमवारामगढ़ के फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या से ग्रस्त गांव

3. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या से कौन-कौन से गांव ग्रस्त हैं तथा इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण क्षेत्र का जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है जिसके कारण पानी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई एम आई एस) की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के 9 ग्रामों में उपलब्ध स्थानीय भूजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पेयजल में फ्लोराइड की निर्धारित मानक मात्रा से अधिक मात्रा वाले उक्त 9 ग्रामों में से 4 ग्रामों हेतु उचित पेयजल गुणवत्ता के नये जल स्रोत निर्मित किये जाकर इन ग्रामों में फ्लोराइड की निर्धारित मात्रा का पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है एवं एक ग्राम को क्षेत्रीय जल योजना से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। शेष रहे चार ग्रामों में से दो ग्रामों में और सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन संयंत्रों के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 19.02.2016 को कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा दो ग्रामों हेतु स्वीकृत आर.ओ. संयंत्र के निर्माण हेतु निविदा आमन्त्रित की जानी है।

फ्लोराइड समस्या से प्रभावित उक्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर निहित है।

(2) जी हां। भूजल स्तर नीचे गिरने की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के 17 ग्रामों को वर्ष 2016-17 के लिये चिह्नित किया गया है। इस कार्य को माह जून, 2016 तक पूर्ण किया जाना है। इन कार्यों के सम्पन्न होने पर भूजल का पुनर्भरण होगा तथा गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निर्धारित मानक मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 31 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि रुपये 9 करोड़ 12 लाख 73 हजार की स्वीकृति जारी की गई है। योजनावार वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि फ्लोराइडयुक्त गांवों की जो सूची परिशिष्ट 'अ' पर दिखायी गयी है उसमें दो गांव, क्रम

(श्री जगदीश नारायण)

संख्या एक पर बिरासना और क्रम संख्या सात पर सायपुर, उसमें अभी तक निविदा जारी की जानी है, यह बताया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह निविदाएं कब तक जारी होंगी? क्योंकि उन गांवों में फ्लोराइडयुक्त की समस्या है और वहां के गांवों के लोगों की हालत खराब हो चुकी है। पानी की विकट समस्या है।

दूसरा, परिशिष्ट 'ब' पर जो क्रम संख्या पांच, छह, सात, 26 और 31, जनता जल योजना के बारे में भी यह दिखाया गया है कि इनकी भी निविदा जारी की जानी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह निविदाएं कब तक जारी होंगी, कब तक कार्यादेश जारी हो जायेंगे और कब तक काम पूरा हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय का जवाब आ रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जी को कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा बिरासना और सायपुर, इन दोनों ही जगह पर जो आर.ओ. लगाना है, पूर्व में 820 हमारे आर.ओ. चालू हैं, 1066 आर.ओ. के हम वर्क आर्डर दे चुके हैं लेकिन उनमें यह दोनों गांव इन्क्लूड नहीं है। हम और नये 1000 आर.ओ. के टैण्डर कर रहे हैं, उसमें हम इनको ले लेंगे और मात्र महीने भर के अन्दर ही इस टैण्डर को भी हम लोग कर लेंगे। यह टैण्डर हो जायेगा तो आपके यह दोनों ही जो फ्लोराइडयुक्त गांव हैं उनको हम लोग निजात दे देंगे।

इसके अलावा डी.एफ.यू. के आलरेडी टैण्डर हो चुके हैं, वर्क आर्डर हो चुका है 19.02.2016 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हम लोगों ने 345 ऐसे सौर ऊर्जा के संयंत्र जो डी.एफ.यू. के हैं वो लगा रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छी बिजली की भी बचत होगी और डी-फ्लोरिडेशन यूनिट लगने से पानी में जो फ्लोराइड है उससे भी उन्हें निजात मिलेगी और साफ उन्हें साफ पानी मिलेगा।

वर्तमान सरकार शुद्ध पेयजल के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर इस बात का संकल्प किया है। पूरे राजस्थान को स्वच्छ पेयजल से जोड़ने के लिए योजना बन रही है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। आप उन्हीं का जवाब दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं उन्हीं का जवाब दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, इसका फैलाव मत कीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्यजी ने जो पूछा है, मैं उसी के बारे में कह रही हूं कि जिस तरीके से विस्तृत योजना बन रही है, माननीय मुख्य मंत्री ने स्वच्छ पेयजल के लिए जो कार्य हाथ में लिया है उसी के तहत यह आर.ओ. प्लांट्स लग रहे हैं, उसी के तहत यह डी.एफ.यू. प्लांट्स लग रहे हैं।

इसके अलावा जो इनके गांव हैं, जिसमें खवारानीजी, नयावास, पालेड़ा, नायला और राधागोबिंदपुरा, इन सब में भी जहां पर साफ पेयजल था, चाहे वो डेढ़ किलोमीटर दूर है लाली गांव के पास में, कहीं बरसाती नाला डेढ़ किलोमीटर दूर भी है तो भी हम लोगों ने वहां से पानी लाकर इनको जे.जे.वाई. के तहत यहां पर पहुंचाया है। कानोता डैम के नीचे हमने नायला गांव के अन्दर चार ट्यूबवैल्स करके पानी को लिया है और नायला को हमने मुख्य मंत्री जल स्वाबलम्बन के साथ भी जोड़ा है ताकि वहां का जल स्तर बढ़ सके।

आपने राधागोबिंदपुरा के बारे में कहा, राधागोबिंदपुरा में 2 करोड़ 91 लाख की योजना स्वीकृत कर दी है, माननीय अध्यक्षजी, स्वच्छ पेयजल के लिए वहां पर चार ट्यूबवैल हो गये हैं।

सी.डब्ल्यू.आर. जो बनना है उसके लिए कुछ विवाद था वहां पंचायत का जिसकी वजह से नहीं हो पाया लेकिन अब वो विवाद भी पूरा हो चुका है, ग्राम सभा में उन्होंने पास कर दिया है, तो अब वो काम भी शुरू हो जायेगा।

तो मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यजी ने जो पूछा है, यह नौं गांव इनके जो फ्लोराइडयुक्त हैं उनको किसी न किसी तरीके से सरफेस वाटर से जोड़ना या ट्यूबवैल्स ऐसी जगहों पर कराना जहां फ्लोराइड नहीं है वैसी जगहों पर ट्यूबवैल्स कराकर, वहां से दूर भी है तो भी वहां से हम लोग पानी लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें आश्वस्त कर रही हूं कि वो पूरे तरीके से सरकार पर विश्वास रखे और आर.ओ. हो, सोलर का डी.एफ.यू. हो, चाहे हमें दूर जाकर भी कहीं पर ट्यूबवैल कराकर साफ पानी लाना पड़ेगा तो लायेंगे। यह 9 गांव जो आई.एम.आई.एस. के अन्दर फ्लोराइडयुक्त चयनित हैं उनको साफ पानी देने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया। पर्याप्त जवाब आ गया, अब इसमें क्या है?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): एक पूरक प्रश्न तो पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: हां, वो तो है लेकिन क्या पूरक प्रश्न करोगे, जवाब पर्याप्त हो गया।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): एक क्वेश्चन और।

श्री अध्यक्ष: एक और कर लो, आपको अधिकार है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी का स्तर दिन-प्रतिदिन सब जगह नीचे जा रहा है, जमवारामगढ़ की कोई विशेष बात नहीं है लेकिन जमवारामगढ़ में अधिकांशतया हैण्डपम्प ड्राई हो चुके हैं, सिंगल फेस ट्यूबवैल ड्राई हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सिंगल फेस ट्यूबवैल या हैण्डपम्प्स ड्राई हो चुके हैं, क्या सरकार उनको गहरा कराना चाहती है या उनकी जगह नये पाइंट लगाकर के पानी की व्यवस्था करना चाहती है? क्योंकि अगर उनको गहरा करायें तो दो-दो, तीन-तीन पाइप लगाने के बाद वो गहरे हो सकते हैं और वहां फिर से पानी की व्यवस्था हो सकती है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय। यह जमवारामगढ़ का ही सीमित है, नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगी कि हमने सभी सदस्यों से सूची मांगी है, जहां कहीं पर भी ट्यूबवैल सूख गये हैं तो उन सूखे हुए ट्यूबवैल को अगर हम गहरा करा सकेंगे तो गहरा कराने का प्रयास करेंगे, नया ट्यूबवैल सैंक्शन होगा तो नया ट्यूबवैल सैंक्शन करेंगे। वो भी अपनी सूची दे दे, उस पर भी हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये, ठीक है। नैक्स्ट। श्री बाबू सिंह।

जोधपुर जिले में सम्बल योजना में स्वीकृत कार्य

4. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में विकास हेतु सम्बल ग्राम विकास योजना का संचालन

(श्री बाबू सिंह)

किया जा रहा है? यदि हां, तो योजना की पात्रता एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले के कुल कितने गांवों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किन-किन गांवों में, क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितने गांवों में कार्य स्वीकृत करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजना में स्वीकृत कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) जी हां। सम्बल ग्राम विकास योजना की पात्रता एवं शर्तों से सम्बन्धित दिशा-निर्देश परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) जोधपुर जिले में इस योजनान्तर्गत चार विधान सभा क्षेत्रों में 11 गांवों को लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित गांवों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गत वर्षों में नाथडाउ, रामनगर, उटाम्बरा व मण्डला कलां में कार्य स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है एवं शेष समस्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) जी हां।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सम्बल ग्राम विकास योजना में पूरे प्रदेश में 2015-16 के लिए कितना बजट का प्रावधान था? उसमें से कितना व्यय हो गया और कितना व्यय होना शेष है? शेष रहने के क्या कारण हैं?

साथ ही, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 2015-16 के लिए कौन से गांव चयनित थे और चयनित गांवों में से कौन-कौन से गांवों को लाभान्वित कर दिया और कौन से गांव लाभान्वित होने शेष हैं? जो गांव लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको कब तक करेंगे, यह बतायें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, 2015-16 में कुल 4110 सम्बल ग्राम थे इसमें 40.60 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया था। इसमें अभी तक कितना व्यय हुआ है, क्योंकि हमारा विभाग नोडल विभाग है और पंचायतों के माध्यम से पूरा करते हैं। इसकी विस्तृत सूचना मार्च तक पूरी आती है, कितना हमने एलोकेट किया, उसके बाद कितना व्यय हुआ और कितना उसका उपयोग कर पाये, यह सूचना अभी, इस समय पूरी संकलित नहीं है क्योंकि सारा एक बार आने के बाद ही हम उसकी सूचना दे पायेंगे।

जहां तक आपने शेरगढ़ के कौन-कौन से गांव थे, उसकी सूचना मैंने साथ में संलग्न की है। आपके शेरगढ़ क्षेत्र के जो स्वीकृत किये गये गांव हैं उसमें 12 कार्यों को स्वीकृत किया है जिसमें सेखाला, बालेसर, देचु, शेरगढ़, बालेसर, बालेसर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नाथडाउ, नाथडाउ।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नाथडाउ है। इसमें ग्राम तो है नाथडाउ, उटाम्बरा, मण्डला कलां, इसको मैंने जवाब में भी बोला है, रामनगर, नाथडाउ, नाथडाउ, नाथडाउ, नाथडाउ, इस तरह यह गांव हैं। इनमें कितनी-कितनी राशि हुई, किस-किस काम के लिए हुई है, जवाब में लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): नहीं, यही है। इसमें मैं यह पूछ रहा हूं कि 2015-16 में कौन-कौन से गांव चयनित थे? आपको विभाग ने पूरी जानकारी नहीं करायी है। कौन-कौन से गांव चयनित थे और चयनित गांवों को लाभान्वित किया कि नहीं किया? मैंने यह पूछा था।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2015-16 में, इसकी अभी मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि कौन से स्वीकृत थे।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यह योजना बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष: है तो वह आपको सूचना दे देंगे न।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अनुसूचित जाति के जो ग्राम हैं उनको विकास से जोड़ना है और पिछली बार भी निदेशालय ने राशि पुनः हस्तान्तरण

(श्री बाबू सिंह)

कर ली। पुनः हस्तान्तरण करने के कारण वो गांव लाभान्वित नहीं हो सके। पुनः हस्तान्तरण करने के क्या कारण रहे जिसकी वजह से वो गांव लाभान्वित नहीं हुए? और अभी भी यह हालात हैं कि 2015-16 आपका यह मार्च का पूरा हो रहा है, बजट सत्र चल रहा है और चयनित गांव कौन से हैं, वो भी जानकारी नहीं है। अभी तक चयनित गांवों को एक को भी लाभान्वित नहीं किया है, एक भी गांव में स्वीकृति जारी नहीं हुई है। तो यह सारे जो हालात हैं, हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि इन गांवों को आप कब तक लाभान्वित कर दोगे?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2015-16 के आपके जो स्वीकृत गांव हैं, 2015-16 में आपको नाथडाउ में इस बार स्वीकृत किया है, दो लाख रुपये आपके सामुदायिक शौचालय के लिए स्वीकृत किया है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 2014-15 का है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2015-16 का है। मेरे पास सूचना जो आपको दी है वो 2015-16 की है।

मैं फिर भी यदि आप कह रहे हैं कि सूचनाएं गलत हैं, तो मैं इसको चैक करके आपको सही सूचना और बता दूंगा। आपके नाडडाऊ, उटाम्बरा और मांडला कलां, 3 आपके गांव हैं जिनको 2015-16 में 2-2 लाख रुपये सामुदायिक शौचालयों के लिए स्वीकृत किये गये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आप इनको इसी वर्ष लाभान्वित करा देंगे क्या? यह पूछ रहा हूं बस। जो चयनित गांव हैं, उनको इसी वर्ष लाभान्वित करा देंगे?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसी वर्ष में करायेंगे। उनका भेज रखा है, इसी वर्ष में पूरा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: चौहटन के विधायक श्री तरुण राय कागा। पूरक प्रश्न।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्बल योजना है, यह अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए है लेकिन दुर्भाग्यवश मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में जो योजना थी, उसमें उस सरकार ने किस तरह से गडबड़-घोटाला करके, अहमद की टोपी महमूद के सिर पर और महमूद की टोपी अहमद के सिर पर की थी। उसकी

(श्री तरुण राय कागा)

मैंने शिकायत भी की थी पूरे प्रूफ के साथ में, लेकिन वह शिकायत भी वहीं रह गयी। 2014-15 और 2015-16 में इसी सम्बल योजना के तहत हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में किसी तरह का बजट इश्यु नहीं हुआ है। इस वजह से हमारे वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इससे महरूम रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग द्वारा हमारे इस इलाके को जो कि गरीब इलाका है, उसकी बहबूदी के लिए, जो योजना में हमारे वहां चिह्नित हैं, या चयनित हैं, उन गांवों को राहत प्रदान हो सकती है क्या?

श्री अध्यक्षः विराजें। विराजें। माननीय मंत्री महोदय। यह जनरल सवाल है, आप इसका जवाब दे दीजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनरल तो यह बात सही है कि 40 प्रतिशत जिनकी आबादी होती है, ऐसे 4110 गांवों को हमने सम्बल ग्राम माना हुआ है और उनके सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार 23.02.2015 को पहली बार इसके सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश निकले हैं। 1997-98 में निकले थे और उसके बाद में कभी दिशा-निर्देश नहीं निकले। इनको रिवाइज करते हुए दिशा-निर्देश निकाले हैं। उनके ही हिसाब से हम कामों को स्वीकृत कर रहे हैं। जहां तक आपके क्षेत्र चौहटन का विषय है, उसके सम्बन्ध में अभी तक चूंकि सूचना मेरे पास नहीं है, केवल जोधपुर जिले की सूचना थी। आपने जो सूचना मांगी है, वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्षः चलो। नैक्स्ट। बैठिये कागा साहब। हो गया, आपका जवाब आ गया। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाने की कार्य योजना

5. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने समय पश्चात नवीन राशन कार्ड बनाये गये हैं तथा इस हेतु क्या कार्य योजना बनायी गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाये जाने से पूर्व कुल कितने राशन कार्ड धारक परिवार थे? जिले एवं उपखण्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(3) प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाये जाने के उपरान्त प्रत्येक पंचायत समिति/उपखण्ड में कितने-कितने परिवार पूर्व की तुलना में बढ़े हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनने के पश्चात बढ़े हुए राशन कार्ड धारकों को किस प्रकार राशन वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रदेश में पूर्व में वर्ष 2001 में एक साथ राशन कार्ड बनाये गये थे। उसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर निरन्तर राशन कार्ड बनाये जाते रहे हैं। राशन कार्ड अभियान, 2012 के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ नवीन डिजीटाइज्ड राशन कार्ड वर्ष 2012 से बनाये जा रहे हैं। नवीन डिजीटाइज्ड राशन कार्ड बनाये जाने हेतु कार्य योजना का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाये जाने से पूर्व कुल 1,62,98,249 राशन कार्ड धारक परिवार थे। जिलेवार/उपखण्डवार/क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाये जाने से पूर्व में बने राशन कार्डों एवं नवीन राशन कार्डों का तुलनात्मक विवरण (कमी/वृद्धि) परिशिष्ट-2 में सम्मिलित है।

(4) राशन कार्ड धारकों को वर्तमान में निम्नानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है:-

क्र. सं.	**राशन सामग्री**	**विवरण**
1.	गेहूं	खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति माह/प्रति राशन कार्ड एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

क्र. सं.	राशन सामग्री	विवरण
2.	चीनी	बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को 650 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	केरोसीन	बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को 04 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह 17.50 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पिछले बजट सैशन में भी सम्पूर्ण राशन कार्ड बांटने के लिए कहा गया था कि थोड़े समय में ही बंट जायेंगे। लेकिन अभी तक सम्पूर्ण राशन कार्ड बंटे नहीं हैं। कुछ पंचायतें मेरे क्षेत्र में और कुछ जिले में ही ऐसी हैं जहां राशन कार्ड नहीं बंटे हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो पूरक प्रश्न, इन राशन कार्डों में पुरुष की बजाय स्त्री का नाम और स्त्री की बजाय पुरुष का नाम है, ऐसी विसंगतियां पायी गयी हैं, इनको कब तक दुरुस्त करेंगे।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, राशन कार्ड बनने की व्यवस्था पिछली सरकार के समय अक्टूबर, 2012 में एमओयू हुआ था और इनको बनाने की सीमा फरवरी, 2013 तक थी। इसमें 11 फर्मों को एमओयू हुआ, लेकिन दिसम्बर, 2013 में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तक मात्र 20 परसेंट ही राशन कार्ड वितरित हुए थे। उसके बाद हमने उप मंत्रिमंडलीय समिति से निर्णय लेकर के 30 सितम्बर, 2014 तक राशन कार्ड वितरण की व्यवस्था की और उसमें जिस बाइंडर की कमियां पायीं उस पर एल.डी. लगाने का काम भी किया। उसके पश्चात् विभाग द्वारा 30 मार्च, 2015 तक राशन कार्ड बनने की व्यवस्था हुई तो 1 अप्रैल, 2015 से मेरी जानकारी के अनुसार समस्त राजस्थान में नवीन

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

डिजीटल राशन कार्ड वितरित हो चुके हैं और उन्हीं से राशन सामग्री वितरित की जा रही है। माननीय रामगढ़ से आने वाले विधायक ने जो मंशा जाहिर की है कि इनके यहां कई राशन कार्ड वितरित नहीं हुए हैं, तो राशन कार्ड बनने की सतत् प्रक्रिया है। हमारे यहां पर जिला रसद अधिकारी को आवेदन करें। नगरपालिकाओं में ई.ओ. के पास आवेदन करें। नगर परिषद में कमिश्नर, आयुक्त को करें। पंचायतों में बी.डी.ओ. के पास आवेदन करें। उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है तो ई-मित्र के माध्यम से निश्चित राशि जमा कराकर के राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। किसी राशन कार्ड में त्रुटि हुई है, वल्दियत में, उम्र में, उसका संशोधन भी ई-मित्र के माध्यम से जारी है।

श्री अध्यक्ष: ज्ञानदेव जी, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है आपने कहा कि गेहूं, मिट्टी का तेल ...।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न कीजिये। निवेदन मत कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हां, पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि जो-जो राशन की दुकान पर बंटता है, गेहूं, मिट्टी का तेल, चीनी इत्यादि तो क्या मंत्री महोदय स्वयं ने, डीएसओ ने या रसद विभाग के किसी छोटे-बड़े अधिकारी ने जाकर के, प्रोपर टाइम पर डीलर को यह चैक किया है क्या कि वह पूरा राशन बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? बहुत सारे डीलर ऐसे हैं कि जो राशन में से 50 परसेंट भी नहीं बांटते हैं और वह हरियाणा बोर्डर को पार होकर के ब्लैक में बिक रहा है। इसको चैक करने के लिए माननीय खाद्य मंत्रीजी क्या करेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैंने स्वयं ने भी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, डीएसओ ने भी, हमारी कमेटी बनी हुई है उन्होंने भी, जब-जब भी जहां भी शिकायत मिलती है, चूंकि यह प्रश्न तो राशन कार्ड से सम्बन्धित है, लेकिन मैं इस पर भी जवाब दे देना चाहता हूं कि जहां-जहां भी हमको जानकारी मिलती है, निश्चित रूप से उस डीलर के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। मैंने स्वयं ने भी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

कितनी ही दुकानों पर की है। अन्नपूर्णा भंडार के उद्‌घाटन के अवसर पर भी हमने कितनी ही दुकानों की जांच की है। आप कहीं भी बतायें, किसी भी दुकान पर अनियमितता पायी जाती है तो हम उसको सस्पैंड भी करते हैं, उनको निरस्त करने का भी काम करते हैं। अगर आप और कोई जानकारी देंगे तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, इन नये राशन कार्डों में कार्ड धारकों के नाम आदि में जो त्रुटियां हुई हैं उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? ऐसे कई राशन कार्ड धारक हैं, जिनके राशन कार्ड की त्रुटियों में सुधार नहीं हो पाया है। क्या राज्य सरकार राशन कार्ड में इन त्रुटियों को सुधारने के लिए शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अभी तक क्यों नहीं लगाये गये और कब तक लगा दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कोटा से आने वाले विधायक की जो बात है, उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। अलग-अलग माध्यमों से राशन कार्डों में दुरुस्ती का कार्य जारी है। निर्धारित फीस से ई-मित्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसके बावजूद भी कहीं इस तरह की जानकारी मिले कि उस तहसील में, उस मंडल में बहुत सारे राशन कार्ड वितरित नहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से वहां हम कैम्प लगाकर के भी दुरुस्त कराने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी, पूरक प्रश्न।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह राशन कार्ड कैसे बनेंगे, हमें यह तरीका नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता को राशन कार्ड चाहिए। वह जो कम्प्यूटरों में पड़े हैं, वह जनता के पास कब तक पहुंच जायेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हम तो वितरण कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कहीं कम्प्यूटरों में पड़े बता रहे हैं तो आप लिखकर के दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह। तीन हो गये हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा प्रश्न।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक ही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, शंकर सिंह। आप। आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं, आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मेरा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: अब आज आप इनको कर लेने दो। कल आपको मौका दे देंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि यह जो राशन कार्ड वाला विषय संवेदनशील है। समाज कल्याण और आपका फूड एंड सप्लाई, यह दोनों एकदम अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं, पिछली सरकार के समय जो आनन-फानन में निविदा राशन कार्ड बनाने के लिए गुजरात की किसी कम्पनी को दे दी थी, अब आपको कहा कि उनमें त्रुटि हो गई लेकिन उस निविदा के पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच क्यों नहीं करवाई, जांच आपको करवानी चाहिए, जिसके कारण से प्रदेश की जनता दो वर्ष तक, जिस गरीब जनता को राशन समय पर मिलना चाहिए, जिस गरीब जनता को पेंशन समय पर मिलनी चाहिए, जिस बीपीएल परिवार को सुविधा समय पर मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली तो वह दो वर्ष तक जनता घाटे में रही है तो इसलिए पिछली सरकार के कारनामों की आपने जांच क्यों नहीं करवाई, इसकी जांच कब करवाएंगे, यह आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जिन कम्पनियों के नाम इन्होंने बताएं हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 11 कम्पनियों से पिछली सरकार ने एमओयू किया था अक्टूबर 2012 में और जब समय सीमा पर उन्होंने नहीं बनाये उसके बावजूद, जिस-जिस कम्पनी के खिलाफ इस तरह की बात है, मेरे पास पूरे प्रदेश की जानकारी है जिन कम्पनियों पर हमने पैनल्टी लगायी है, जुर्माना लगायी है बाकायदा।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री रामपाल। श्री रामपाल।

बारां जिले में प्राइवेट सहकारी समितियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

6. **श्री रामपाल** (बारां-अटरू): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्रदेश में कितनी प्राइवेट समितियां पंजीकृत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इनके कार्यों पर निगरानी रखती है?

(3) क्या विगत पांच वर्षों में बारां जिले की उक्त समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की जांच किसके द्वारा करवाई गई है तथा जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जांच में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत सहकारी सोसायटियों का पंजीयन किया जाता है। उक्त अधिनियम में 'प्राइवेट समिति' के नाम से कोई पृथक समिति परिभाषित नहीं है।

(2) उक्तानुसार।

(3) उक्तानुसार।

(4) उक्तानुसार।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल पूछा है उससे सम्बन्धित ही था मेरा। जितनी भी निजी समितियां हैं, उनकी निगरानी कौन करते हैं और उनकी निगरानी अभी तक हुई तो उनकी जांच क्या हुई और उनके बारे में क्या कार्यवाही हुई जो दोषी थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था तो मेरा उत्तर यह है कि प्राइवेट समिति जो हमारी राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम है इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट समितियां नहीं आती हैं। आपका जो आशय है उसके बारे में

(श्री अजय सिंह)

मैं बता सकता हूं कि एक एक्ट है 'द राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958' आपका निश्चित रूप से इसके सम्बन्ध में हैं तो मैं इसके सम्बन्ध में आपको बता दूं कि प्रदेश में 172906 संस्थाएं पंजीकृत हैं और आपके जिले में 2467 इस तरह की समितियां पंजीकृत हैं। पंजीकरण जिले के अन्दर होता है जो भी डीआर होते हैं वह करते हैं पंजीकरण। आपने निगरानी के बारे में पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस एक्ट में क्षेत्राधिकार के बारे में भी स्पष्ट नहीं है और जिस प्रकार एक समिति एक जिले में पंजीयन कराती है तो यह मानकर चलते हैं कि वह पूरा उस जिले में ही कार्य कर रही है। यदि दो पक्षों के बीच में या किसी भी तरह से कोई विवाद होता है या कोई जांच का विषय उठाया जाता है तो इसके लिए भी रजिस्ट्रार और डीआर अधिकृत नहीं है। इसके लिए सक्षम सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आप जाते और वहीं से आपको अनुतोष मिल सकता है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न करेंगे दूसरा?

श्री रामपाल (बारां-अटरू): जी।

श्री अध्यक्षः कीजिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बारां जिले में सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार पद पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, किसी न किसी बहाने से हमेशा-हमेशा उसको जयपुर ही लगाये रखा है। इससे वहां की जनता को परेशानी आती है और कार्य करने में भी विलम्ब होता है।

श्री अध्यक्षः बैठिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, यह जानकारी में लाएं हैं, इसको आज ही देख लेंगे और नहीं है तो तुरन्त ही वापस लगा देंगे।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न नहीं पूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। सुबह से देख रहा हूं, आप इस फूल बंगले में विराजमान हो रहे हैं, इसमें कब तक रहेंगे?

श्री अध्यक्षः आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है...

श्री अध्यक्षः मेरा इस फूल बंगले में बैठना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पहले इसका जवाब दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी तीन स्थिति होती है। पहली स्थिति से आप ऊपर उठ गये, हनीमून के टाइम पर बनता है, उससे आप ऊपर आ गये।

श्री अध्यक्ष: ये कोई खुरापाती जवाब दिये बिना नहीं रहेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसके बाद साधु-संत बनते हैं, वह बैठते हैं और उसके बाद जो स्थिति है उसमें मूर्ति लगती है, वह होती है।

श्री अध्यक्ष: वह भी नहीं है। अच्छा पूरक प्रश्न करो। (व्यवधान) मानिकचन्दजी, आप पूरक प्रश्न करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): शुभकामनाएं मानें इसको आपकी। अंतिम बात जो आपने कही उसको शुभकामनाएं मानें आपकी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इससे बड़ी और क्या शुभकामनाएं हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, इसी से सम्बन्धित।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पूरक प्रश्न ही है, फूल बंगले वाला प्रश्न नहीं है, दूसरा है।

श्री अध्यक्ष: इससे सम्बन्धित है न, सहकारी सोसायटीज से सम्बन्धित ही या अलग से है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसमें जो रिटर्न भरने की आवश्यकता एक्ट में लिखी हुई है, उसकी कितनी पर्सेण्ट पालना हो रही है और मंत्री महोदय ने भी कभी इस बात को देखने का प्रयत्न किया है कि सोसायटीज हैं वह एक्ट के अनुसार रिटर्न भरे ओर यदि रिटर्न नहीं भरी जा रही है तो क्या कभी कोई परिपत्र उनको गया है कि आपने रिटर्न नहीं भरी, आप फाल्ट कर रहे हैं, इस पर बताएं आप, स्थिति से अवगत कराएं सदन को।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य, 1958 के एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप, राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो आज लागू है उसी पर बोल रहा हूं।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): दोनों चीजें अलग-अलग हैं। एक है, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसी का मैंने सवाल पूछा है, आपने उसी के बारे में कहा है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): आपने जो पूछा है 1958 के प्राइवेट संस्थाओं के बारे में।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं। सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्राइवेट लोगों की संस्थाएं ही रजिस्टीकृत होती हैं। सहकारी समितियां नहीं होती हैं, यह सब बातें हमारे ध्यान में है। आप तो यह बताइए कि एनुअल रिटर्न जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, कितने परसेंट सोसायटीज की रिटर्न आपको एक्ट के अनुसार आ रही है?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं आपको यह बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी, इसके बारे में लगातार आप जो बता रहे हैं, वह बात सही है कि ये बार-बार आडिट नहीं करा रहे हैं और किसी तरह का रिकार्ड भी हमें नहीं दे रहे हैं। जिस तरह की गृह निर्माण सहकारी समितियां और जो आप बता रहे हैं, उसके बारे में रिकार्ड भी नहीं मिल रहा है लेकिन अभी 48 परसेंट के करीब आडिट इनका हो गया है और सही तरीके से हुआ है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री रामहेत सिंह।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: फिर यह लम्बा हो जाएगा प्रश्न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, प्रश्न को इवेड कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय प्रश्न को इवेड कर रहे हैं। रिटर्न भरना जरूरी है और इस पर आपका डिपार्टमेंट और जो अधिकारी हैं वह रिटर्न की परवाह ही नहीं करते और नहीं परवाह करते इसीलिए सोसायटीज में महा घोटाला है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैं इसके सम्बन्ध में आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के

(श्री अजय सिंह)

सम्बन्ध में आडिट का प्रावधान है। इनमें रिटर्न का और इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सहकारी समितियों में आडिट का प्रावधान है, वही मैंने आपको बताया है अभी कि 48 परसेंट के करीब आडिट सभी समितियों का करवा लिया गया है और हमारा प्रयास है कि पूरा हण्डरेड परसेंट आडिट हो जाए। रिटर्न का और कोई इस तरह का प्रावधान इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह आडिट की जो बात कह रहे हैं, वह आडिट कब तक का कर दिया गया है और ऐसी कितनी राजस्थान में संस्थाएं हैं जिनका आडिट बाकी है, क्या समयबद्ध उसको आडिट करवाएंगे? मान लो 15-15, 20-20 साल आडिट नहीं करेंगे तो वह संस्था ही चली जाएगी। वह तो आएंगी और घोटाला करके जाने वाली हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, घोटाला कर लिया, ऐसी संस्थाओं का कब तक आडिट करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने जैसा अभी बताया कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, उस समय आडिट की बहुत स्थिति खराब थी, अभी हमने 48 परसेंट से अधिक की आडिट करवा ली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2016-17 में शत प्रतिशत, जो भी सहकारी समितियां हैं उनका आडिट करवा लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री देवेन्द्र कटारा। श्री देवेन्द्र कटारा, पूरक प्रश्न।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): जो यह सहकारी सोसायटीज के साथ लैम्प्स भी है, अब लैम्प्स भी वास्तव में जिस तरह से व्यवस्था है पूरी तरह से सुचारु रूप से नहीं चल रही है। जब शिकायत की जाती है तो न इसकी प्रोपर जांच होती है और न ही ये जांच में सहयोग करते हैं। इनके लिए क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि लैम्प्स की भी विधिवत जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंचे, ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई रूल्स बताएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो लैम्प्स की बात कही। आदिवासी क्षेत्र में उसको लैम्प्स कहते हैं और

(श्री अजय सिंह)

मेरा जब यह बोलने का तात्पर्य था तो पैक्स ग्राम सेवा सहकारी समिति, पैक्स ओर लैम्प्स, दोनों के लिए था। इनका आडिट का प्रावधान है, मैं आपको यह भी बता दूं कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। जो भी समिति है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और उसका जो संचालक मंडल है उसके अधीन जो व्यवस्थापक होते हैं वह उसकी नियुक्ति करते हैं और वह ही वहां पर कार्य करते हैं। अगर फिर भी आपका इस तरह का हो तो सोसायटी एक्ट अधिनियम के तहत धारा 55 के तहत जांच करा ली जाएगी, फाइनेंशियल या किसी भी तरह की आप बताएंगे तो जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, श्री बंशीधर।

खण्डेला में क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय की स्थापना

7. **श्री बंशीधर** (खण्डेला): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले के खण्डेला एवं श्रीमाधोपुर पंचायत समिति/विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने हैक्टेयर वन क्षेत्र हैं?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में खण्डेला और श्रीमाधोपुर का एक ही क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, श्रीमाधोपुर में स्थित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार खण्डेला में वन क्षेत्र की अधिकता को देखते हुए श्रीमाधोपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय को खण्डेला में स्थानांतरित करने अथवा खण्डेला में नया क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री राज कुमार रिणवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) हमारे प्रदेश में 364 रेंज कार्यालय हैं, इसकी सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(2) सीकर जिले की पंचायत समिति श्रीमाधोपुर में 1671.80 हैक्टेयर तथा पंचायत समिति खण्डेला में 5605.35 हैक्टेयर वन क्षेत्र है।

(श्री राज कुमार रिणवां)

(3) जी हां। वर्तमान में खण्डेला व श्रीमाधोपुर के लिए एक ही क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय श्रीमाधोपुर में वर्ष 1980 से कार्यरत है।

(4) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से उचित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ऐसी कितनी पंचायत समितियां राजस्थान के अन्दर हैं जिनमें क्षेत्रफल ज्यादा है और दूसरी पंचायत समिति के अधीन हैं। यह भी बताएं कि जिन पंचायत समितियों में 10 परसेंट या 30 परसेंट क्षेत्र में वन क्षेत्र है और दूसरी जिनके अधीन है वहां 70 परसेंट ज्यादा है, तो क्या उस दृष्टिकोण से उसकी देखरेख हो जाएगी?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 पंचायत समितियां हैं जिनमें से 177 में हमारे रेंज कार्यालय हैं, 118 में नहीं है। इसमें इस तरह का नोर्म्स नहीं कि कितनी जनसंख्या या कितना वन क्षेत्र है। उसके लिए हम लोगों ने सिस्टम कर रखा है कि जहां उचित है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां वन ज्यादा हैं, कहीं पर कम है। जहां तक इनके यहां खण्डेला में 1980 में रेंज आफिस की स्थापना हुई थी उसके बाद में इनके खुद के यहां खण्डेला में नाका लगा रखा है, उसमें एक वनपाल है, एक सहायक वनपाल है, चार वनरक्षक हैं, 5 वृक्षपालक हैं। जो और पंचायत समितियां आप बता रहे हैं उनमें 118 के करीब वंचित हैं। उसके लिए हम लेवल के हिसाब से सर्वे कराकर अगर बजट की उपलब्धता होती है और आवश्यकता अगर है, स्टाफ की व्यवस्था है तो उसमें कराने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न सैकिण्ड।

श्री बंशीधर (खण्डेला): खण्ड 4 में आपने बताया है कि न ही प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। नया खोलना प्रशासनिक दृष्टि से उचित कैसे नहीं है? जिनमें ज्यादा क्षेत्र आया हुआ है, पंचायत समिति में बहुत ज्यादा क्षेत्र है, जैसे खण्डेला में ज्यादा है, यह प्रशासनिक दृष्टि से उचित कैसे नहीं है, खण्ड 4 में आपने बताया है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अभी कहीं भी कोई इस

(श्री राज कुमार रिणवां)

तरह का प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है कि जो भी पंचायत समिति नयी है या जहां पर ज्यादा क्षेत्रफल, पेड़ों का घनत्व ज्यादा है वहां नया रेंज आफिस खोला जाय। इस तरह का प्रस्ताव नहीं आने से हमने उचित नहीं समझा। अब इनका प्रस्ताव आया है तो हम उसका आकलन कराएंगे, सर्वे कराएंगे। अगर लगेगा कि वास्तव में उचित है और हमारे पास बजट व स्टाफ की अगर उपलब्धता होगी तो हम निश्चित रूप से नये खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: शैतान सिंहजी, यह प्रश्न तो श्रीमाधोपुर-खण्डेला का है, आप क्या पूरक प्रश्न करेंगे? नहीं। नैक्स्ट। श्रीमती शकुन्तला रावत।

प्रश्न संख्या-8

श्रीमती शकुन्तला रावत

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

वल्लभनगर के सड़क से वंचित नवीन राजस्व गांव

9. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक आबादी के नवीन राजस्व गांवों एवं ढाणियों तथा अनुसचित क्षेत्र के 250 से अधिक की आबादी के नवीन राजस्व गांवों एवं ढाणियों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) वल्लभनगर तहसील के 500 से अधिक आबादी के कितने नवीन राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़ने से वंचित हैं? उक्त गांवों को किस योजना के तहत कब तक डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी नहीं। सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक आबादी के नवीन राजस्व गांवों तथा 250 से अधिक आबादी के नवीन राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ना वर्तमान में किसी योजना में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में विभाग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 व इससे अधिक आबादी के राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर (पेयजल विभाग का हैबीटेशन सर्वे 2003) सामान्य क्षेत्र

(श्री युनुस खान)

में 500 व उससे अधिक तथा मरु व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की मजरे/ढाणियों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है।

(2) वल्लभनगर तहसील के 500 से अधिक आबादी के 8 नये राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़ने से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। वर्तमान में नये राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। इन गांवों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, कुछ नये घोषित राजस्व गांवों के लिए सरकार ने कोई नीति बनायी है क्या? अभी जो नये राजस्व गांव घोषित हुए हैं उनके लिए कोई रोड वगैरह बनाने के लिए?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना में, जैसा कि मैंने पहले भी अभी एक क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि उनके मानदण्ड हैं, उनके अनुसार गांवों को जोड़ने का काम अब तक चरणबद्ध तरीके से पूरा हो गया, 250 तक मरुस्थलीय क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र को जोड़ दिया गया, 500 से अधिक की आबादी सामान्य में जोड़ दी गयी। चूंकि 2001 और 2011 के बाद में लगभग उस समय 2001 में 39853 राजस्व गांव थे और अब राजस्व गांव कुल 46 हजार हो गये। भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि 500 से अधिक की आबादी के गांवों को, जो नये राजस्व गांव घोषित हुए हैं क्या उनको सरकार जोड़ने का विचार रखती है? निश्चित रूप से हम इस पर प्रोग्राम बना रहे हैं और इस बजट के बाद में हमारी योजना है कि इस तरीके के गांवों को जिनकी जनसंख्या ज्यादा हो गयी, मूलत: वे पहले बड़े गांवों के साथ थे, फिर छोटे गांव उनसे निकलकर अलग हो गये, अगर वे कनेक्टेड नहीं हैं, उनका सर्वे हम कर रहे हैं, उनकी कितनी संख्या आती है, उसके आधार पर ही प्लान करके इस कार्यवाही को करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न संख्या-2

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): जनजाति क्षेत्र की तो 250 से

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

500 तक की आबादी की आपने स्कीम बना दी, लेकिन जो जनरल लोग हैं, जो जनजाति क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया टीएसपी एरिया वालों से मिलता-जुलता है उनके लिए कोई स्कीम आपने बनायी, क्योंकि उनकी भी वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी कि ट्राइबल एरिया की हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य और जनजाति के वैसे ही परिभाषित किये हुए हैं। चूंकि उसी क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह हैं जो सामान्य हैं, उनके लिए मैंने निवेदन किया कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव जो अब तक सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं उनका हम सर्वे कर रहे हैं और उनकी योजना निश्चित रूप से बनाएंगे?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री प्रहलाद गुंजल। सम्बन्धित है?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सम्बन्धित ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में 500 से 1000 की आबादी के ऐसे कितने गांव शेष हैं जो वन विभाग की आपत्ति के कारण सड़क से जुड़ने से वंचित रह गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के 4 गांव ऐसे हैं जहां 2003-04 में ग्रेवल सड़क बन गयी और वन विभाग की आपत्ति के बाद डामरीकरण आज भी शेष है। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय का क्या कहना है?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एनजीटी के आदेश के बाद इस तरीके के कार्य या तो प्रगतिरत थे या नई स्वीकृतियां हुईं वे कार्य अवरुद्ध हो गये, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने उन पर रोक लगा दी। कोटा (उत्तर) से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह कोटा में चार गांवों का विवरण दिया है उसी तरह से राजस्थान में जो वन क्षेत्र में आते हैं उनमें हमें अनापत्ति पत्र नहीं मिला, उस वजह से वे कार्य रुके हुए हैं। चार आपके हैं, इसी तरीके से अभी 23 गांव आपके पड़ौस में वन क्षेत्र में आने की वजह से बारां में भी हैं। इस तरीके के राजस्थान में सैकड़ों गांव हैं जो रुके हुए हैं। लेकिन हमने अभी योजनाबद्ध तरीके से फोरेस्ट से क्लीयरेंस लेने के लिए एक साथ ही सभी विभागों की समन्वित बैठक करके उनका निस्तारण करने का कार्यक्रम बनाया है। उसमें शीघ्र ही निस्तारण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम। पूरक प्रश्न। (व्यवधान) आप माननीय विधायक, इन सबको छोड़ आये हो?

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 250 की आबादी वाले मरुस्थलीय क्षेत्र जिनके प्रस्तावित तो हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं वे 250 की आबादी वाली ढाणियां और मजरे कब तक जोड़ दिये जाएंगे, यह मेरा प्रश्न है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, बीच में प्रधानमंत्री सड़क योजना में जैसा कि मैंने कहा कि गांव तो जोड़ दिये गये, लेकिन हैबिटेशन का एक क्लस्टर बनाकर माननीय सदस्य के भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे कुल 1481 क्लस्टर के गांव, ढाणियां हैं जिनको जोड़कर भारत सरकार से हमने सैद्धांतिक सहमति ले ली है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वर्ष यानी 31 मार्च से पहले हमें वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी और माननीय सदस्य ने जिन गांव-ढाणियों के बारे में पूछा है उनकी स्वीकृतियां भी जल्द ही कुछ संशोधनों के साथ में, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी, 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी, ये चेंजेज हुए हैं। राजस्थान सरकार ने 40 प्रतिशत राशि देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार को दे दी है। इसलिए एम्पावर्ड कमेटी ने उन सबको क्लीयर कर दिया है। इसी 24 तारीख को अंतिम जांच हुई उस परीक्षण में वे सारे हैबिटेशंस सही पाये गये। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मार्च महीने में ही सारी स्वीकृतियां जारी हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री ललित कुमार। 5 सैकिण्ड रह गये हैं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): प्रश्न संख्या-10

(12.00 बजे)

किशनगंज पंचायत समिति में कराये गये कार्य

10. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले की किशनगंज पंचायत समिति में गत दो वर्षों में क्या-क्या कार्य, कौन-कौन सी जगह, कितनी-कितनी लागत से करवाये गये? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति किशनगंज द्वारा गत दो वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, कौन से प्रगति पर व कौन-कौन से अपूर्ण हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) बारां जिले की किशनगंज पंचायत समिति में गत दो वर्षों में करवाये गये कार्यों का स्थानवार, लागतवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति किशनगंज द्वारा गत दो वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों में से पूर्ण, प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में कालम संख्या-10 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। विराजो आप।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. किरोड़ीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कुपोषण के कारण हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से जापानी होण्डा मोटरसाइकिल कम्पनी के अलवर टपूकड़ा में स्थित उपक्रम में श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण व अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जापानी होण्डा मोटरसाइकिल कम्पनी के अलवर टपूकड़ा में स्थित उपक्रम में श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण व अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रमेश (सपोटरा) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील मण्डरायल के समीप राजघाट पर चम्बल नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल नागर (सांगोद) सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों

(श्री अध्यक्ष)

की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु फैंसिंग वायर (तारबंदी) को मनरेगा योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की किशनगढ़ बास-कोटकासिम-गढ़ी-बोलनी सड़क के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल (निवाई) सदस्य की ओर से प्रदेश में राज्य कर्मचारी के तीसरी संतान होने पर उसे दंडित किये जाने के निर्णय को तुरन्त प्रभाव से हटाकर राष्ट्रव्यापी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को सफल बनाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रीराम भींचर (मकराना) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण कार्य के गलत भुगतान की जांच कराने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सीवर लाइन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री संजीव कुमार (भादरा) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में अलग विद्युत उपखण्ड स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रामसिंहपुर व 365 हैड में स्थापित मण्डियों को कृषि मण्डी का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(9) डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) सदस्य की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में यूजीसी के अनुरूप पदनाम घोषित करने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सैटेलाइट अस्पतालों व औषधालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) सदस्य की ओर से कोटा में बीमार उद्योगों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जाने तथा नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के गांवों में आभारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने व पानी की समस्या का समाधान करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 40 पर्चियां प्राप्त हुई जिसमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्रीमती अमृता मेघवाल, जालौर शहर के आवासीय हाउसिंग बोर्ड कालोनी विकसित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मेवाराम जैन, बाड़मेर शहर में अचानक बढ़ रहे भू-जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती अलका सिंह, बांदीकुई पंचायत हैडक्वार्टर में एक भी राजकीय अथवा प्राइवेट सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री शैतान सिंह, पोकरण विधान सभा क्षेत्र में गोवंश का कत्ल कर जल स्रोतों में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

अनुपस्थिति अनुमति

बी. एल. कुशवाह, श्री, सदस्य को 29.02.2016 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बी. एल. कुशवाह, सदस्य, विधान सभा ने धौलपुर कारागार में निरुद्ध होने के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2016 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 01 मार्च को अनुमति प्रदान की गई।

श्री रमेश, आपका प्रक्रिया के नियम 295 का है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले आप बोलेंगे या मानिकजी? आप दोनों में वरिष्ठ कौन हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, मुझे परमिट किया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आश्वस्त किया था। आपने कहा था कि हम जीरो आवर में अन्दर आपको सुनेंगे। यह आपने उस वक्त कहा था जब क्वेश्चन आवर था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप बैठिये मानिकजी। पहले मानिकजी को सुन लें फिर प्रद्युम्न सिंहजी। अच्छा, पहले आप बोलिये। मानिकजी, विराजिये। प्रतिपक्ष के नेता।

अनुरोध एवं मांग

कांग्रेस दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बारे में सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा की गयी टिप्पणियों पर कार्यवाही की मांग

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गम्भीर मामले को उठाना चाह रहा हूं। (व्यवधान) तुम्हें क्या है कि सुनाई देता नहीं है। आपको तो सुनाई देता है न? आप सत्ता के मद में चूर हो, सत्ता के मद में चूर हो तो आपको सुनाई देता ही नहीं है। मैं बहुत ही गम्भीर मामले के अन्दर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा जो टिप्पणियां की गईं, अपमानजनक टिप्पणियां की गईं उससे हमारे पूरे कांग्रेसजन आहत हैं। जो टिप्पणी की गई, माननीय विधायकों की तरफ से यह कहा गया कि इनको शूट कर देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस परिवार ने, जिस परिवार के वो सदस्य हैं, इस देश की एकता और अखण्डता के लिए, इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी शहादत दी है, उन्होंने बलिदान दिया है। उस माननीय परिवार के सदस्य को जिस तरीके से माननीय विधायक के द्वारा जो शूट करने की बात कही, अपमानजनक टिप्पणी की है, इसमें आपराधिक मामला बनता है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अध्यक्ष महोदय, हम यह मांग करते हैं। दूसरी तरफ, माननीय विधायक ने यह कहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये कौन से नियमों में बोल रहे हैं? अगर इनमें, प्रतिपक्ष में हिम्मत है तो नोटिस दें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही कहना चाह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये नियम और प्रक्रियाओं में आएं। यह राजस्थान की विधान सभा नियमों में चलेगी। अध्यक्ष महोदय, ये नियम आपने बनाये हैं। ये कोई सब्जी मण्डी नहीं है जो खड़े होकर भाषण देना चालू कर दिया। ये किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और ये फालतू, अनर्गल बातें कर रहे हैं। नेता, प्रतिपक्ष को आपने परमिट किया है। नेता, प्रतिपक्ष को माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परमिट किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये नियमों में आयें, हम जवाब देंगे। हम जवाब देंगे, ये नियमों में आयें। नियमों में आयें और बहस कराइये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप अध्यक्ष को चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सब माहौल पैदा करने के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप प्रधान मंत्री को मौत का सौदागर कहें और...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परमिट किया है नेता महोदय को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था? (व्यवधान) चुनावों में आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था? नरेन्द्र मोदी मौत का सौदागर है? पहले उन पर मुकदमा चलाओ, पहले उन पर मुकदमा चलाओ। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आपकी भी मिलीभगत है। यह सब आपकी मिलीभगत है। (व्यवधान) आप जनता की आवाज से भागना चाहते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, कोई अच्छा मंत्रालय नहीं देगा? नेता महोदय को अध्यक्षजी ने परमिट किया है, अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है और उस अनुमति के बाद में बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सब आपकी मिलीभगत है। (व्यवधान) और आपकी मिलीभगत से यह जो गम्भीर मामला है, आपका ही पैदा किया हुआ है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डिस्टर्ब करना आप ही चाहते हो क्या? हम नहीं जानते क्या? (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलोगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप राजस्थान की जनता की आवाज से भागना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चलाओ उन पर मुकदमा, चलाओ मुकदमा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय को आपने परमिट किया है, आप हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं नेता, प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप बाहर तो गले मिलते हैं और सदन में हंगामा करते हैं। बाहर तो आप गले मिलते हैं। नेता, प्रतिपक्ष खुद बाहर गले मिलते हैं और सदन में हंगामा करते हैं, यह बात ठीक नहीं है। (व्यवधान) यह हमने देखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बधाई देते हो उनको। आपने उनको बधाई दी। आप रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के गले मिलकर उनके वक्तव्यों पर बधाई देते हो बाहर तो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): बिलकुल दी है आपने बाहर मिलकर, सदन के अन्दर आप हंगामा करते हो, यह बात ठीक नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। ये केवल सदन में हंगामा करके इस प्रकार समय बर्बाद मत करो। बाहर गले मिलते हो और उनको शाबासी देते हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): असत्य बोलना इनकी फितरत में है। मैंने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): बाहर आप उनको शाबासी देते हो, बाहर आपने कहा, बाहर आपने बधाई दी कि आपने ठीक काम किया और अन्दर आप हंगामा करते हो यह बात ठीक नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। यहां पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए। फालतू की बातें सुनने के लिए यह सदन नहीं है। आप किस प्रकार की बातें करते हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आपकी सहमति है, आपकी सहमति है। क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हां, अखबारों में छपा है फोटो और बाहर आपने बधाई दी। आप चाहो तो माननीय सदस्य से मैं कहला सकता हूं कि आप उनसे गले मिले हैं। बाहर आप गले मिलते हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपका ही रचा हुआ काम है। आपकी रची हुई योजना है और उसी योजना के तहत... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...और सदन का समय बर्बाद करते हो, यह बात ठीक नहीं है। आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जब आसन पैरों पर था, अध्यक्ष महोदय, जब आसन पैरों पर था, तब ये अन्दर आये और हमने इनको सावधान किया, उसके बावजूद भी ये नहीं रूके... (व्यवधान) इनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये समय बर्बाद कर रहे हैं सदन का। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ रहे हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सदन में जो बात करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ रहे हैं ना।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जो बात करना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: वह तो आप कह चुके।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने समय दिया है ना।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं, ये बात आज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बाहर आप गले मिले थे कि नहीं, यह बता दो आप। बाहर आप इनसे गले मिले थे कि नहीं? यह आप सदन के सामने कह दो। (व्यवधान) और कैसे गले मिले थे आप। बाहर तो आप कहते हो और आपने उनको शाबासी दी कि ठीक किया। यह बात आपको शोभा देती है? यहां हंगामा करते हो। थोड़ा विचार कीजिए इस पर। (व्यवधान) आप नेता प्रतिपक्ष हैं। जवाबदारी निभाइये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों असत्य बोल रहे हो आप? क्यों असत्य बोल रहे हो आप। (व्यवधान) आपके विधायकों के कृत्य को छिपाने के लिए यहां असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अखबारों में छपा है फोटो। अखबारों में छपा है फोटो। (व्यवधान) आप उनको शाबासी देते हो। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपने माननीय सदस्य को गले मिलकर बधाई दी कि आपने जो कहा, वह देश के हित में था और आप अब सदन के अन्दर शोर मचा रहे हैं। आपने माननीय सदस्य को बधाई दी इस बात की कि आपने जो बात कही, वह इस देश की जरूरत नहीं, इस देश की मांग है। (व्यवधान) आपने माननीय सदस्य से यह बात कही।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप यहां पर खड़े होकर कुछ भी कह दें, यह अच्छी बात है क्या? (व्यवधान) सदन की गरिमा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान) लोकतंत्र पर यह कुठाराघात है। यह सदन की मर्यादा नहीं रही। (व्यवधान) यह सदन की मर्यादा नहीं रही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। आन द पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन। (व्यवधान) ये स्पष्टीकरण देना चाहते हैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यहां सदन की मर्यादा नहीं रही। (व्यवधान) आपको खेद प्रकट करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप कल मिले, आज भंवर लालजी शर्मा भी मिले हैं। यह तो व्यक्तिगत है। आपने कहा मुझे। अच्छा वक्तव्य दिया और भंवर लालजी शर्मा भी आज मिले हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान) असत्य बोल रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): भंवर लाल जी शर्मा भी मिले हैं। इसमें क्या बात है। आप मिले तो व्यक्तिगत रूप से मिले। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। (व्यवधान) हम आसन की गरिमा का ध्यान रखते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अब क्या बाकी रह गया है। जब माननीय सदस्य खुद यह बात कर रहे हैं और हमने देखा है, यहां सदन के माननीय सदस्यों ने, सबने देखा है। अखबारों में छपा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) इस प्रकार से क्यों माहौल करते हो? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनना ही पसन्द नहीं करते हो। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ये गले मिले हैं पहले भी। अब मिल गये तो क्या मुसीबत हो गयी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आहूजाजी की मूंछे काली थीं, आज इन्होंने +++ (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ये सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। (व्यवधान) आप क्यों हंगामा कर रहे हो फालतू में यहां। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप गले मिले तो क्या मुसीबत हो गयी। (व्यवधान) भंवर लालजी शर्मा भी मिले। यह सुर और असुरों की लड़ाई है। (व्यवधान) राक्षस और दैवी शक्ति की लड़ाई है। (व्यवधान) इनसे पहले भी मिले हैं। आज मिले तो क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...और इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने जेएनयू में बयान दिया है... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें हमारी बात कहने के लिए आपने समय दिया है। ये सुनने को माद्दा तो रखें। (व्यवधान) इनमें सुनने का माद्दा ही नहीं है। ये सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसमें शर्म की कोई बात नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने दिन आहूजाजी की केवल मूंछ काली थी, आज इन्होंने +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, आहूजाजी की मूंछे काली थीं इतने दिन, आज इन्होंने +++ इसके लिए, +++ करवाने के लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): डोटासराजी, आप नहीं मिलते क्या मुझसे गले? आप मिलते हो या नहीं मिलते हो, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ इतने दिन केवल मूंछे काली थीं, आज आपने +++ असत्य बोल-बोलकर के, असत्य बोल-बोल करके, आपराधिक बोल-बोल करके... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ये क्या कर रहो। वह तो है, तुम भी रखो। तुमको किसने मना किया मूंछे रखने के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये कैसी बातें कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे विपक्ष को। (व्यवधान) सदन के अन्दर इस प्रकार के शब्द आप प्रयोग कर रहे हो डोटासराजी, यह ठीक बात नहीं है। (व्यवधान) माननीय डोटासराजी ने जिस प्रकार के घटिया शब्द का प्रयोग किया है। सचेतक जो कांग्रेस के हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, इस तरह बोलने से आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहे हैं। (व्यवधान) अभी नेता प्रतिपक्ष आपको नहीं बनाया जा रहा है डोटासराजी, आप बैठ जाइये। आपको नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने वाला नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): गहलोत साहब भी मिलते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सदन का दुरुपयोग मत करो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मिल लिये तो ऐसा क्या हो गया। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इन्होंने खुद ने वक्तव्य दिलवाया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। (व्यवधान) उसके प्रूफ हैं, तथ्य हैं। मेरे पास तथ्य हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष महोदय को परमिट किया है। नेता महोदय को बोलने के लिए आपने परमिट किया है। ये अव्यवस्था फैला करके, पूरी जनता के मुद्दे गायब करना चाहते हैं। इनकी सोची-समझी चाल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहूजाजी की इतने दिन तो मूंछे काली थीं, आज इन्होंने +++

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप सब मिलते हो, उसमें क्या है? आप सब मिले, मेरे से गले मिले, सदन के सदस्य हैं। मुझे भी जनता ने चुना है, आपको भी जनता ने चुना है। बात सिर्फ सिद्धान्तों की है। सुर और असुरों की लड़ाई है। राक्षस और दैवी शक्ति की लड़ाई है। इसमें कहां है, क्या बात है। (व्यवधान) आप मिलते हो। आप मिलते हो कि नहीं? आप मुझसे मिलते हो कि नहीं? अलवर मिले कि नहीं कमेटी में? आप यहां मिलते हो कि नहीं? आप गले मिलते हो कि नहीं। बात करते हो। क्यों इतना बवण्डर कर रहे हो आप। काहे के लिए बवण्डर कर रहे हो आप? (व्यवधान) आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बात कहूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज्ञा दी है तो मैं कुछ यहां पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यहां पर...(व्यवधान) अगर आपने ही ठेका ले लिया है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य बोलने का लिया है इन्होंने ठेका।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हंसी-मजाक का विषय नहीं, बड़ा गम्भीर मामला है। यहां दो बड़े वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं माननीय कटारियाजी, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़। जो कुछ कैलाशजी चौधरी, माननीय सदस्य ने कहा, क्या उसको आप उचित मानते हैं? मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, क्या आप उसको उचित मानते हैं? ऐसी अमर्यादित भाषा... (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। देखिये, मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं भी हल्की बात करना जानता हूं। मेरा भी लम्बा अनुभव है, जमाना देखा है, क्या इसको उचित मानते हैं उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है? तो आप कह दें खड़े होकर कि हम इसको उचित मानते हैं। कम से कम जनता में तो मैसेज जाए। राजस्थान की जनता में, देश की जनता के सामने यह मैसेज तो जाए कि हम इसको उचित मानते हैं। अगर आप अनुचित मानते हैं। (व्यवधान) एक मिनट राजेन्द्रजी, जो हमने अखबारों में पढ़ा। आपकी पार्टी मीटिंग में यह मामला आया। माननीय कटारियाजी ने कहा था, अख़बार में आया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आपके अध्यक्षजी ने कहा तो यहां कहने में कौनसी इनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, कोई इनकी बात नहीं गिर जाएगी। कोई इनकी बात नहीं गिर जाएगी। कह दें हमको खेद है कि हमारे एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा। अगर आप नहीं कहते तो इसका यह अभिप्राय है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री उस अभद्र भाषा को समर्थन दे रहे हैं, यह मैं मानकर चलता हूं।

मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी, क्या कांग्रेस... (व्यवधान) मैं आपसे ही कह रहा हूं। आपकी मार्फत ही कह रहा हूं। आपसे पूछने का नहीं है, सरकार से पूछ रहा हूं। विधान सभा के अन्दर हम माननीय सदस्य आपस में मिलते-जुलते हैं, बात करते हैं, हंसी-मजाक भी होती है। अब मान लीजिए, ये मिल लिए, सामने आ गये। मुझसे भी मिलते हैं लोग। मुझे सम्मान भी देते हैं तो क्या हमारे विचारों को अच्छे वातावरण के अन्दर नहीं कह सकते हैं? हम आपके पास भी जाते हैं। आपसे भी अपनी बात कहते हैं। मंत्रियों से भी मिलते हैं। उनसे भी अपनी बात कहते हैं। हम भी सरकार में थे। बीजेपी के सदस्य हमसे भी मिलते थे। अपनी बात कहते थे तो इसमें क्या अनुचित हो गया? अगर मान लीजिए, नेता प्रतिपक्ष ज्ञानदेवजी आहूजा से मिल लिए और आपने राजेन्द्रजी राठौड़ ने बुलवाया कि आप कहें कि आपने मेरी बात का समर्थन किया, कितनी अनुचित बात है यह। (व्यवधान) कितनी अनुचित बात है यह।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको टोकना नहीं चाहता। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं। यदि यह गले मिले। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट सुनो। अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्य को टोकना नहीं चाहता। मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन कृपया वह यह तो सुन लें कि क्या बातें हुई थीं बाहर। माननीय सदस्य बता दें कि क्या बातें हुई थीं, यह तो कृपया सुन लो। (व्यवधान) यह कृपया सुन लीजिए। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। (व्यवधान) मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन कृपया यह सुन लें कि क्या बातें की थीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप छोड़िये। मैं आपसे एक बात कहता हूं। मैं इस मामले में सरकार के दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि आप उसको उचित मानते हैं? एक मिनट साहब, एक मिनट साहब।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सदन में तो हंगामा करते हैं। बाहर क्या बातें हुई थीं, वह भी तो सुन लें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बाहर इन्होंने माफी मांगी थी कि मैंने गलत शब्द काम में लिए हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): वह आप उनके मुंह से सुन लो एक बार। आप सुन लो उनसे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, इस मामले के अन्दर दोनों मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, गृह मंत्रीजी, इनकी भी जिम्मेदारी है लॉ एण्ड आर्डर की और दूसरे राजेन्द्रजी राठौड़ बैठे हैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, इसको आप उचित मानते हैं? अगर आप उचित नहीं मानते हैं तो आपका बड़प्पन ही दिखेगा। यहां पर सदन में अगर आप खेद प्रकट कर देंगे, कोई आपकी इससे तौहीन होने वाली नहीं है, कोई आपकी नाक नहीं कट जाएगी इससे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ...यह कहां तक उचित है, तब तो आपको गुस्सा नहीं आता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट आप बैठो। अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बात कही। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं में है कि विधान सभा के अन्दर जो बात हम कहें, संयमित भाषा में कहें, सारगर्भित अपनी बात कहें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ बात हुई, जो टीका-टिप्पणी हुई, जो बयान छपे, वह सदन के बाहर छपे। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर तो 2012 में गुजरात के चुनावों में यह भी छपा था, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि तत्कालीन गुजरात के मुख्य मंत्री मौत के सौदागर हैं।

अगर सदन से बाहर की गयी टीका-टिप्पणी पर यहां चर्चा होने लग जाए, अध्यक्ष महोदय, यह किताब आपने दी है। आर्टिकल 208 (1) के अन्दर, इस किताब के अन्दर नियम और प्रक्रिया रखे हैं उसके बाद भी अगर इन्हें इस विषय पर बहस करनी हो तो नोटिस दें, सरकार की तरफ से हम जवाब दे देंगे। मतलब चाय के प्याले में बिना कारण तूफान खड़ा करे। ये बंटा हुआ प्रतिपक्ष है अध्यक्ष महोदय, इनको दिल्ली में नम्बर बढ़ाने हैं। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर जब बात चली, यहां हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय बैठे हैं। प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने जो कुछ सदन के बाद वक्तव्यों के बारे में स्पष्टीकरण पूछना था माननीय सदस्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका एम.एल.ए. आपराधिक कृत्य कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार हो, आप बच सकते हो क्या इससे? एक एम.एल.ए. गोली मारने की बात कहता है, आप बच सकते हो क्या? आप सरकार चला रहे हो, अगर मैं आपके लिए कल को यह कह दूं कि मैं गोली मारुं तो मैं बच सकता हूं क्या? क्या बात कर रहे हो? आप इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, हम आठवीं क्लास के बच्चे नहीं हैं। आपकी ही तरह हम चुनाव जीत कर आए हैं, आपराधिक कृत्य किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियम-53 के अन्तर्गत भी दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है ''सदन में ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती जो किसी आयोग या न्यायालय में विचाराधीन है।'' अब हमारे कैलाशजी चौधरी, माननीय सदस्य हैं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-22 के अन्दर इस्तगासा दायर हो गया। काग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अमेठी के अन्दर एक मामला दर्ज हो गया, ये दोनों मामले आज कोर्ट के अन्दर हैं इस पर हम यहां सदन में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चर्चा हमारे नियमों के अनुसार ही नहीं कर सकते। इसलिए बिना मतलब सदन में इस प्रकार की कोई बात उठाकर ये दिल्ली के अपने आला नेताओं को दिखाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमा लें क्या इस विषय पर चर्चा सदन में हो सकती है। सीधी बात लिखी हुई है इसके अन्दर, आप मुलाहिजा फरमा दें नियम-53 पढ़ लें अध्यक्ष महोदय और उसके बाद भी चर्चा पर बात कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के नियम पढ़कर के आये हैं और उसके बाद बात करते तो समझ में आती।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय संसदीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, कल सदन था, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो स्पीच था उसमें आपके माननीय विधायकजी ने वहां ताइद की थी ज्ञानदेव आहूजाजी ने और यह बात दुबारा दोहराई थी तब यह सदन था या कहीं बाहर था। इन्होंने दोहराई है, कल यहां इन्होंने दोहराई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस पर बहस करा लें अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह विषय अब समाप्त किया जाता है। कृपया इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। अब आप बैठिये, मैंने समय दे दिया है, पर्याप्त समय दिया है। उनको भी दे दिया है, नहीं अब आप बैठिये, कृपया बैठिये। अब यह विषय मैं समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों बैठे हम? हम हमारी बात नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात सुनी है ना, आपकी बात सुन ली।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये क्या इनकी दादागीरी है? ये क्या जोर-जबरदस्ती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) यह विषय ताइद नहीं किया जा सकता। अगर प्रतिपक्ष के नेता ये मानते हैं अनलिमिटेड समय दूंगा, मैं नहीं दूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन की पालना करनी पड़ेगी आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब इस मामले में एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। एक भी शब्द नहीं नोट किया जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता ज्यादती कर रहे हैं। इनको

(श्री अध्यक्ष)

मैंने समय दिया है लेकिन अनलिमिटेड समय आप नहीं ले सकते। आप बोले, उसके बाद में मैंने प्रद्युम्न सिंहजी को उठाया, उन्होंने बोल दिया। उसके बाद आप अनलिमिटेड इस विषय को चलाना चाहते हैं, नहीं चलेगा यह, कोई शब्द इस बारे में नहीं जाएगा। कृपया आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है, नहीं बोलने का सवाल नहीं है, बोलने की सीमाएं होती हैं उन सीमाओं के अन्दर रहकर बोलना पड़ेगा। अध्यक्ष के अनुशासन को मानना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्षः हां जाना चाहो जाओ, हां खड़े हो जाओ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो, एक शब्द भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः श्री रमेश। श्री रमेश बोलेंगे अपने 295 पर? मैं अगला नाम ले रहा हूं, आप नहीं बोलना चाहे तो कहिए। मैं अगला नाम ले रहा हूं श्री हीरालाल नागर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रदेश में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु फैंसिंग वायर (तारबंदी) को मनरेगा योजना में शामिल करना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम-

(श्री हीरालाल नागर)

295 के तहत लोक महत्व के इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में किसान बुआई के समय केसीसी एवं महंगे ब्याज पर पैसे उधार लेकर अपनी फसल को खेत में बुआई करता है। तीन माह तक लगातार समय-समय पर पानी, खाद आदि देकर दिन-रात खेत में रहकर अपने बच्चों की तरह परवरिश करता है एवं सोचता है कि जब यह फसल मेरे घर जाएगी तो मेरा पुराना कर्ज चुका पाऊंगा परन्तु किसान के साथ उलटा होता है। पहले तो किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है। इसमें से थोड़ी बहुत बचती है तो जंगली जानवरों द्वारा खेतों में घुसकर फ़सलों को नष्ट कर दिया जाता है एवं जब किसान जंगली सूअरों एवं जंगली जानवरों को खेत से बाहर निकालने का प्रयास करता है तो जंगली जानवरों के आतंकी हमले के कारण या तो घायल हो जाता है या फिर काल का ग्रास बन जाता है। ऐसी घटनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगोद सहित कई इलाक़ों में घटित हो चुकी हैं। परंतु सरकार द्वारा अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर प्रदेश सरकार द्वारा फैंसिंग वायर (ताराबंदी) को महानरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ की योजना में शामिल करते हुए योजना में शामिल कर लिया जाए तो किसान खुद अपने खेतों की सुरक्षा कर सकेगा एवं फसल को सुरक्षित रूप से अपने घर तक ले जा सकेगा।

अत: प्रक्रिया के नियम-295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों के हित में किसानों की पीड़ा समझते हुए किसानों की फ़सलों को जंगली जानवरों के हमले से बचाने के लिए फैंसिंग (तारबंदी) को महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामग्री मद में शामिल करते हुए किसानों के खेतों में फैंसिंग वायर (तारबंदी) करवाने का प्रावधान करें ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

किशनगढ़ बास-कोटकासिम-गढ़ी-बोलनी सड़क के अपूर्ण कार्य

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अन्तर्गत

(श्री रामहेत सिंह यादव)

किशनगढ़ बास-कोटकासिम-गढ़ी-बोलनी (हरियाणा सीमा तक) (एमडीआर 61ए) सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है...

श्री अध्यक्ष: इनके बाद में आपका पाइंट आफ आर्डर लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जैसा आप चाहें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): इस सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 33.00 किलोमीटर है। इस सड़क मार्ग की 9.00 किलोमीटर लम्बाई का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्व में केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत 766 लाख की स्वीकृति के अन्तर्गत एवं 21.00 किलोमीटर लम्बाई का चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य अन्तरराज्यीय सड़क कनेक्टिविटी योजनान्तर्गत राशि रुपये 1534.36 लाख की संशोधित स्वीकृति के अन्तर्गत क्रमश: जुलाई, 2013 एवं फरवरी, 2014 में पूर्ण किया जा चुका है। सड़क मार्ग की शेष लम्बाई 3.00 किलोमीटर (9/0 से 12/0 तक) का कार्य अभी पूर्ण किया जाना शेष है। इस शेष लम्बाई का कार्य पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण, स्वीकृति के विलम्ब से जारी करने के कारण, कार्य की बीएसआर दरों एवं निविदा दरों में वृद्धि के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। साथ ही समय से शेष कार्य हेतु वांछित स्वीकृति जारी नहीं की गई। चूंकि यह सड़क मार्ग स्टेट हाइवे-14, स्टेट हाइवे-25 एवं एमडीआर-25 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के भारी यातायात को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर डायवर्ट करता है।

साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड़, शाहजहांपुर एवं हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा व बावल को आपस में जोड़ने के लिए मुख्य एवं कम दूरी का मार्ग है। अलवर जिले को हरियाणा राज्य एवं दिल्ली से जोड़ने वाला एक मात्र कम दूरी वाला सड़क मार्ग भी है। पूर्व में बनी सड़क पर भी ग्राम नया गांव, पहाड़वास, बीबीरानी, पुर, घीघाका, कोटकासिम एवं आलमपुर में भी पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण नहीं करवाने एवं घटिया सड़क निर्माण के कारण उक्त बनी सड़क भी काफी स्थानों पर पूर्णतया

(श्री रामहेत सिंह यादव)

क्षतिग्रस्त हो गयी है। अत: क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुरूप इस सड़क मार्ग से पूर्ण फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही खर्च की गई राजकीय राशि का सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा है।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस अधूरे 3 किलोमीटर सड़क मार्ग का चौड़ाईकरण मय सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य कराने एवं आबादी क्षेत्र में नालियों का निर्माण कार्य कराने व उक्त निर्मित सड़क की जांच करवाकर क्षतिग्रस्त सड़क को सही कराने से जनता में सरकार के प्रति अच्छा संदेश जाएगा एवं क्षेत्र की जनता हमेशा आभारी रहेगी। राज्य के लिए पर्यावरण व आर्थिक विकास की दृष्टि से यह निर्माण कार्य काफी हितकर होगा।

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आफ आर्डर किस विषय पर है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो ध्यान ही होगा कि आपने मुझे बोलने की परमीशन दी।

श्री अध्यक्ष: हां दी थी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ... और उसके बाद हाउस में जो भी रिलेवेंट, इर्रिलेवेंट इंटरवेंशन हुआ वो भी आपके ध्यान में है। जो इस सदन में बिना आपकी अनुमति के बोलते हैं वो तो बोलते ही चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: कोई नहीं बोलता है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...और हम जो नम्रता से आपके आदेश की पालना के अनुसार...

श्री अध्यक्ष: माननीय मानिकजी, कोई नहीं बोल सकता मेरी अनुमति के बिना, जो बोले हैं वो रिकार्ड पर नहीं आया है। यह आप जो आरोप लगा रहे हैं यह गलत है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है। मेरा आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं बिना अनुमति के किसी को नहीं बोलने देता और जो बोलेगा वो रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, वो ठीक है अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है अब मैं आपकी अनुमति के आधार पर अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैंने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया कि काटली नदी जो झुंझुनूं में है जिसका जलप्रवाह...

श्री अध्यक्ष: यह किस विषय में आता है? नहीं, ये 294 में नहीं हो सकता है। आपने नोटिस दिया है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): दिया है न नोटिस। यह नोटिस है न इसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष: हां, तो वो मैंने भेजा है जानकारी आ जाएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, आपने भेजा है, आपकी परम्परा यह रही है, मैं आपकी परम्परा का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जानकारी आ जाएगी उसमें। माननीय मानिकजी, बिराजिये। नहीं यह नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप हमेशा दो मिनट बोलने की इजाजत देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये एक मिनट। मैं कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं तो बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप वरिष्ठ मैम्बर हैं। मैं परम्परा याद दिला रहा हूं न आपको। मैं आपको विनम्रतापूर्वक परम्परा याद दिला रहा हूं। इसी सदन में मैं भी पांच बार आया हूं, जो विषय आता है, यह मेरा डिस्क्रिशन है मैंने उसमें सरकार से जानकारी मांग ली और सरकार से जानकारी आने के बाद ही उस पर मेरा निर्णय होगा। यह आप भी जानते हैं बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन अब आप जानकारी आये बिना ही बोलना चाहते हैं मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: यह आब्जेक्शन आपका ठीक है। मैं जल्दी मंगवा लूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाना

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कार्मिक विभाग के विभिन्न आदेशों/नियमों के कारण राष्ट्रव्यापी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान में आ रही बाधा को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा राज्यकर्मियों के 1 जून, 2002 के पश्चात तीसरी संतान होने पर उनको पांच भर्ती वर्षों तक पदोन्नति नहीं देने, अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं वित्त विभाग द्वारा ए.सी.पी. भी पांच वर्ष पश्चात देने के निर्णय लिये गये थे जिनसे प्रदेश में लिंगानुपात में विगत वर्षों में गिरावट दर्ज हुई है।

उक्त आदेशों की पालना में ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति से भी वंचित किया जा रहा है और ए.सी.पी. का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जिन कार्मिकों के खिलाफ भी उक्त प्रकार की कार्यवाही की गयी है उनमें अधिकांश (संभवतया सभी) ऐसे कार्मिक हैं जिनके एक से अधिक कन्या संतान है। सरकार चाहे तो इस बात की जानकारी भी कर सकती है।

एक तरफ तो प्रदेश में भ्रूण हत्या, नवजात कन्याओं को लावारिस छोड़ना एवं लिंग परीक्षण आदि की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जिन राज्यकर्मियों के दो से अधिक संतान हैं और उनमें भी कन्या संतान अधिक हैं उनको भी इस प्रकार के प्रावधानों के माध्यम से दंडित किया जा रहा है जिससे उन्हें भयंकर आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान दिया जा रहा है। साथ ही उनको आर्थिक दण्ड दिये जा रहे हैं जिससे वो अपनी कन्या संतानों को पढ़ा नहीं सके। इस प्रकार के अव्यावहारिक प्रावधान हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा देश में चलाये जा रहे 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को असफल बनाने की साजिश का हिस्सा है।

एक तरफ तो पूरे देश में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के आयोजन, योजनाएं बनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इन आदेशों को आज तक नहीं हटाया गया है। इस सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में अनेक जन

(श्री हीरालाल)

प्रतिनिधियों तथा संस्थाओं, संगठनों द्वारा भी राज्य सरकार को पत्र/ज्ञापन दिये गये हैं लेकिन सरकार में बैठे उच्चाधिकारी गलत तथ्य पेश कर इन नियमों को नहीं हटा रहे हैं।

अतः उक्त नियम 295 के प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय कार्मिक मंत्रीजी (जो कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं हैं) का ध्यानाकर्षित कर मांग करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्रीजी के 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को सफल बनाने के लिए और कन्याओं को बचाने वाले राज्यकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग एवं अन्य विभागों के इस प्रकार के प्रावधानों को तुरन्त प्रभाव से हटाकर एक से अधिक कन्या संतान वाले कार्मिकों को कन्याओं की बेहतर पढ़ाई हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः श्री श्रीराम भींचर।

मनरेगा के तहत सड़क निर्माण कार्य में गलत भुगतान

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया मनरेगा योजना में सामग्री बिलों के गलत भुगतान के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, पंचायत समिति मकराना की ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया मनरेगा योजना में वर्ष 2009-10 में नान्दोली मेड़तिया से धान्धोली, नान्दोली मेड़तिया से बडू सरहद तक ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। निर्माण सामग्री सप्लाई करने हेतु ग्राम पंचायत ने मैसर्स कड़वा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नान्दोली मेड़तिया को आदेश दिया था, जिस पर कड़वा कंस्ट्रक्शन ने मैटेरियल सप्लाई कर बिल वाउचर ग्राम पंचायत में पेश कर दिये। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने बिल वाउचर पंचायत समिति मकराना में भुगतान प्राप्त करने हेतु मांग की जिस पर विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत नान्दोली मेड़तिया को राशि रुपये 8,83,697/- का भुगतान कर दिया परन्तु तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक ने कड़वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी नान्दोली मेडतिया को भुगतान नहीं कर मैसर्स मेड़तिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी सिरसू को गलत भुगतान कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा गलत भुगतान करने पर मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत की गयी जिस पर जांच अधिकारी ने ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्स

(श्री श्रीराम भींचर)

मेड़तिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी को किये गये भुगतान को गलत माना परन्तु सम्बन्धित अधिकारी ने आज तक मैसर्स कड़वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी नान्दोली मेड़तिया को भुगतान नहीं किया है।

अत: माननीय मंत्री महोदयजी से जानना चाहता हूं कि कड़वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी नान्दोली मेड़तिया को किये जाने वाले भुगतान में किस अधिकारी की लापरवाही रही, उस अधिकारी के खिलाफ में क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक कड़वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी नान्दोली मेड़तिया को भुगतान कर दिया जायेगा?

सधन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (अनुपस्थित) श्री संजीव कुमार।

भादरा में विद्युत उपखण्ड की स्वीकृति की मांग

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। भादरा विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित विद्युत उपखण्ड गोगामेड़ी में भादरा तहसील के गांवों का भादरा विद्युत उपखण्ड में विलय कर दूसरा उपखण्ड बनाने बाबत।

महोदय, भादरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में दो उपखण्ड क्रमश: गोगामेड़ी एवं भादरा कार्यरत हैं। भादरा उपखण्ड में घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी व पीएचईडी के करीब 40,000 उपभोक्ता हैं एवं गोगामेड़ी उपखण्ड में करीब 30,000 उपभोक्ता हैं। महोदय, नवसृजित गोगामेड़ी उपखण्ड से भादरा तहसील के दूरस्थ गांव जो पहले भादरा उपखण्ड से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब नये उपखण्ड से 40-45 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। गोगामेड़ी पहुंचने के लिए उपभोक्ताओं को भादरा होकर ही जाना पड़ता है क्योंकि अन्य कोई भी सीधा व सुगम रास्ता नहीं है।

इसके साथ ही गोगामेड़ी में बैंक सुविधा नहीं होने के कारण राजस्व जमा करवाने व अन्य कार्य भादरा जाकर ही करने पडते हैं व कनेक्शन के आवेदन जमा कराने में जरूरत के दस्तावेज भी गोगामेड़ी में उपलब्ध नहीं है और अन्य रोजमर्रा की समस्याओं हेतु भादरा जाना पड़ता है जिससे इन उपभोक्ताओं की पहले से भी ज्यादा परेशानी बढ़ गयी है। अत: निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने के लिये यदि भादरा तहसील में एक अन्य उपखण्ड

(श्री संजीव कुमार)

स्वीकृत कर दिया जावे तो इन उपभोक्ताओं को पूरी राहत मिलेगी क्योंकि भादरा उपखण्ड के 40,000 उपभोक्ता एवं भादरा क्षेत्र के 15,000 उपभोक्ता गोगामेडी में जो विलय किये गए थे उन सब को मिलाकर 55,000 उपभोक्ता हो जाते हैं। अत: भादरा में जो उपखण्ड क्रमश: एक भादरा शहर व एक भादरा ग्रामीण के नाम से स्वीकृत करवाने की कृपा करें जिससे आमजन को राहत मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

अनूपगढ़ स्थित मंडियों को कृषि मण्डी का दर्जा

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र में अनूपगढ़ की रामसिंहपुर व 365 हैड को कृषि मण्डी का दर्जा देने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 के तहत बोलने का मौका दिया इसलिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ के अन्तर्गत रावला, घड़साना, अनूपगढ़, 365 हैड व रामसिंहपुर में कृषि मण्डी स्थापित है परन्तु 365 हैड व रामसिंहपुर को कृषि मण्डी का दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि इनमें काफी जगह मण्डी को आबंटित की जा चुकी है। रामसिंहपुर तो इनमें सबसे पुरानी मण्डी है। अत: इन मण्डियों को कृषि मण्डी का दर्जा दिया जाये ताकि किसानों व व्यापारियों को लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समिति के कुल बजट का केवल 24 प्रतिशत बजट ही किसानों की डामर सड़कों के निर्माण के लिये खर्च किया जाता है। अत: बजट के अभाव में कई गांवों की सड़कें डामरीकरण से शेष रह जाती हैं और किसानों को अपनी फसल मण्डी तक लाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृषि मण्डी क्षेत्रों में शेड व पिंड निर्माण हो चुके हैं। जिन मण्डियों में जरूरत नहीं है उन मण्डियों में कृषि मण्डी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण में 24 प्रतिशत बजट को बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत बजट सड़क निर्माण के लिये दिया जावे ताकि किसानों की सड़कें पक्की बन सकें और आसानी से फसल बेचने के लिये मण्डी ला सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में यू.जी.सी. के अनुरूप पदनाम घोषित करना

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश का उच्च शिक्षा में विशेष स्थान है तथा वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थाओं का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से काफी अच्छा तथा सीकर, झुन्झुनूं जिलों का तो देश के 10 जिलों में स्थान है। उच्च शिक्षा के नीति नियामक निकायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसके द्वारा निर्धारित मापदण्डों तथा निर्देशों से देश के उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित होते हैं। राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को मानकर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षकों को वेतनमान भी दिये हैं तथा अन्य सिफारिशों में से प्रमुख सभी सिफारिशों को माना है।

(12.44 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वर्ष 2006 में यूजीसी वेतनमानों की सिफारिशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश शिक्षकों के पदनाम के बनने में की है तथा केवल तीन ही पद रखने की सिफारिश की है, आचार्य, सहआचार्य एवं सहायक आचार्य। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि विभागों के अधिकारियों के विशेषकर वित्त विभाग में बैठे अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उपाधियों एवं गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। यूजीसी की सिफारिश अनुरूप पदनाम वाले शिक्षकों के अभाव में राष्ट्रीय स्तर पर उपाधियां गुणवत्ता रहित घोषित की जा सकती हैं जैसा पूर्व में आन्तरिक मूल्यांकन के कारण कई उच्च शिक्षण संस्थाओं ने राजस्थान से निकलने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना कर दिया था।

समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री तथा सरकारी स्तर पर से शिक्षक संगठनों के मध्य यूजीसी अनुरूप पदनाम घोषित करने की घोषणा की थी परन्तु वित्त भार का अवास्तविक मनगढ़ंत बहाना बनाकर 10 वर्ष बाद भी निर्धारित पदनाम नहीं दिया गया है जबकि सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में यूजीसी पदनाम दिये हुए हैं। यह संवैधानिक रूप से भेदभाव पूर्ण है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उच्च शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों, शिक्षा जगत तथा प्रदेश के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित एवं राष्ट्रीय स्तर पर समान मान्यता के लिये शीघ्र यूजीसी अनुरूप पदनाम घोषित किये जाएं। राज्य एवं जनहित में यूजीसी की अनुशंसा को लागू किया जावे।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर के सैटेलाइट चिकित्सालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत सूरसागर विधान सभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के क्रम में निवेदन करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थिति सुधारने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

1. राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, प्रताप नगर को सैटेलाइट दर्जा मिले तीन वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी भी हालात औषधालय जैसे हैं। केवल तीन चिकित्सकों के भरोसे औसतन 1000 रोगियों का आउटडोर संचालित हो रहा है। जांच सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त अस्पताल में सैटेलाइट स्तर के अनुरूप पद सृजन, पदस्थापन, जांच सुविधाओं हेतु डिजिटल एक्स-रे, आटो एनेलाइजर आदि उपकरण और तकनीशियनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। उक्त भवन बहुत पुराना है, अतः मरम्मत हेतु भी राशि स्वीकृत की जावे।

2. राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सवा दो करोड रुपये की लागत से नया भवन बन चुका है परन्तु 24 घंटे अस्पताल चलाने लायक स्टाफ, जांच उपकरण आदि नहीं है। अतः उक्त अस्पताल में सैटेलाइट स्तर अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें ताकि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड संलग्न क्षेत्र की सघन जनसंख्या की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति उक्त अस्पताल में ही कर मुख्य अस्पतालों से दवाब कम किया जा सके।

3. मसुरिया, शोभावतों की ढाणी और चांदणा भाखर क्षेत्र में नवीन औषधालय हेतु भूमि आबंटन के मामले में प्रशासनिक शिथिलता आडे आ रही

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है। उक्त तीनों पीएचसी हेतु प्राथमिकता से भूमि आबंटन करवाकर स्वीकृत 75 लाख रुपये की राशि से नवीन भवन निर्माण करवाये जावें।

4. सूरसागर खनन क्षेत्र के सिटी डिस्पेंसरी सूरसागर में विशाल भवन उपलब्ध है परन्तु स्टाफ नहीं होने से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण निर्धन खनन श्रमिकों को बहुत परेशानी हो रही है। अत: मेरा निवेदन है कि उक्त अस्पताल में तत्काल पद सृजन कर पदस्थापन किया जावे और इसे सैटेलाइट दर्जा दिया जावे।

5. सिटी डिस्पेंसरी, चांदपोल में पूर्व में मातृ एवं शिशु केन्द्र संचालित होता था परन्तु अब इसे बंद कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उक्त केन्द्र पुन: संचालित किया जावे।

मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के क्षेत्रीय सैटेलाइट अस्पतालों और औषधालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ताकि क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रों पर ही अधिकतम सुविधाओं का लाभ मिलने से मुख्य अस्पतालों से दवाब कम किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, जवाब दिलावें, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में बीमार उद्योगों को संरक्षण व नये उद्योग

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 में विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहर के अविलम्ब और जनहित से जुडे हुए एक मुद्दे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जो कभी 1960 के दशक से लेकर 1990 तक पूरे भारत में औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी विशेष पहचान रखता था परन्तु पिछले कुछ दशकों में कोटा में कई उद्योग एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं। ये कल कारखाने और उद्योग जो कोटा के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, इनके बंद हो जाने से कोटा और प्रदेश के आर्थिक विकास में गिरावट आयी है वहीं इन उद्योगों से जुडे हुए हजारों की संख्या में कर्मचारी, व्यापारी आज बेरोजगारी और तंगहाली से जूझ रहे हैं।

(श्री संदीप शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में पिछले कुछ वर्षों में जे.के. सिन्थेटिक, सेमकार क्लास जैसे नामचीन उद्योग बंद हुए हैं वहीं भारत सरकार का उपक्रम के इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड आज गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो केवल बड़े उद्योग हैं इसके साथ ही न जाने कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं और कई आर्थिक संकट से जूझ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ये एक बड़ी विडम्बना है कि चम्बल नदी के किनारे स्थित कोटा में जहां पानी, बिजली और परिवहन की उत्तम सुविधाएं हैं, नये उद्योगों के लिए सभी सम्भावनाएं हैं वहां पर उद्योगों का लगातार बंद होना एक विचारणीय बिन्दु है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के इन उद्योगों का संरक्षण कर हमें इन्हें पुनर्जीवित तो नहीं कर पाये हैं, लेकिन इन उद्योगों के स्थान पर कोटा में नए उद्योग लगाने की दिशा में कोई सार्थक पहल भी नहीं कर पाये हैं।

कोटा में जहां उद्योगों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, वहां पर नये उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। कोटा में टैक्सटाइल्स, आटोमोबाइल, फार्मा सहित कई क्षेत्रों के उद्योग लगाने की सम्भावनाएं हैं। कोटा में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कोई लैन्ड बैंक नहीं है, जिससे उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि हेतु कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कोटा में निर्मित कोटा डोरिया पूरे देश में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। कोटा डोरिया से निर्मित हैण्डलूम उत्पादों की भारत के साथ-साथ विदेशों में भी काफी मांग है। प्रतिवर्ष 25 करोड़ के कोटा डोरिया उत्पादों का निर्माण कोटा में किया जा रहा है, जबकि कोटा डोरिया के नाम से 250 करोड़ के हैण्डलूम उत्पाद बिक रहे हैं अर्थात् कोटा डोरिया का लेबल लगाकर कई कम्पनियां अपने उत्पाद बेच रही हैं, जिससे कोटा डोरिया उद्योग को नुकसान हो रहा है। कोटा डोरिया को अन्तर्राष्ट्रीय G.I. मार्क मिला हुआ है, लेकिन कोटा डोरिया उपेक्षा का शिकार है। कोटा डोरिया के बुनकरों के लिए अलग से कोई मार्केट नहीं होने के कारण उन्हें ओने-पौने दामों पर अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं। महोदय, कोटा डोरिया निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की भी जरूरत है, जिसमें युवाओं को कोटा डोरिया का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

(श्री संदीप शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोटा में स्थित बीमार उद्योगों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जाएं तथा नये उद्योगों की सम्भावना को देखते हुए कोटा में नये उद्योग लगाये जावें । धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री फूलसिंह मीणा ।

उदयपुर के गांवों में आधारभूत सुविधाओं एवं पानी की समस्या

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख - विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण में यूआईटी द्वारा पैराफेरी गांवों में विकास सम्बन्धी।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 130 गांवों को यूआईटी के पैराफेरी में ले रखा है। उसमें यूआईटी द्वारा कालोनियां काटी गईं व एसडीओ द्वारा भी कन्वर्ट प्लान में अनेक कालोनियां बनी हुई हैं, मगर उनमें साफ-सफाई, रोड व नाली व पानी की सुविधा भी नहीं है तथा पंचायत द्वारा न पट्टे देने की छूट है, न पंचायत के पास बजट है, जिससे उन गांवों का विकास किया जा सके। यूआईटी की अनुमति बिना कोई मकान भी नहीं बना सकता जबकि उस एरिया में वर्षों से आदिवासी समाज व अन्य समाज भी बसा हुआ है, मगर उनको भी कोई ऋण व विकास कार्यों के लिए यूआईटी के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस एरिया में 2003 से 2008 के मध्य जो सरकार थी, उसने विकास के लिए लाखों रुपये दिए थे, मगर 2008 से अभी तक किसी भी सरकार ने कोई विकास के लिए संसाधन की व्यवस्था नहीं की। ऐसी परिस्थिति में सरकार इन गांवों को नगर निगम, उदयपुर में सम्मिलित करने की घोषणा कर गांव वालों को विकास से जोड़ते हुए विकास करवाने की कृपा करावें या समुचित गावों को यूआईटी द्वारा आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए सम्पूर्ण विकास कराने का आदेश फरमावें, ताकि उन गांवों का विकास हो सके, क्योंकि इन गांवों में पानी की भारी समस्या होने की वजह से गर्मी में स्थानीय जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। तुरन्त प्रभाव से उनको पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु इस बजट में विशेष प्रावधान रखकर समस्या का समाधान करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती अमृता मेघवाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जालौर में हाउसिंग बोर्ड कालोनी का निर्माण

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा जालौर में हाउसिंग बोर्ड कालोनी के लिए भूमि आबंटित की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि जालौर जिला मुख्यालय है, जहां कई वर्षों से निम्न वर्ग के लोग हाउसिंग बोर्ड की कालोनी से वंचित रहे हैं तथा सरकार द्वारा जालौर के हाउसिंग बोर्ड की कालोनी के लिए जमीन भी अधिग्रहित कर ली है तथा खातेदारों को जमीन के बदले अनुदान की राशि भी स्वीकृत कर ली है, लेकिन कुछ खातेदारों के अलावा अन्य खातेदारों ने अनुदान की राशि लेने से इनकार कर दिया है तो मजबूरी में सरकार ने उन खातेदारों की राशि न्यायालय में जमा करवा दी और कुछ खातेदारों, जिनको भूमि भी अधिग्रहण की थी वो न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आ गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह कहना चाहती हूं कि अब भी कुछ खसरों को छोड़कर शेष बची हुई भूमि पर जल्दी ही कार्यवाही कर कालोनी बसाई जा सकती है, क्योंकि अब इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी आज तक हाउसिंग बोर्ड का आफिस नहीं खुला और न ही किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने इस काम में रुचि ली। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि पास का जिला सिरोही है, वहां पर चार-चार आवासीय कालोनी बसी हुई हैं, जबकि जालौर जनसंख्या में उससे कई गुना बड़ा है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, परन्तु पूरे जिले में एक भी हाउसिंग बोर्ड की कालोनी नहीं है और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि ये प्रोसेस बहुत लम्बे समय से चल रहा है हाउसिंग बोर्ड का । आप जल्दी से जल्दी हाउसिंग बोर्ड की कालोनी को शुरू करवाने के आदेश प्रदान करावें ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजें। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, Are we very serious and deliberating and discussing issues here or you want that the House should confirm and converse of themselves? I will not allow this indiscipline of conversation among yourselves. Once in a while

(श्री उपाध्यक्ष)

it is alright but don't make it a habit. Let it be very clear to every one. मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जालौर में लैण्ड एक्वीजिशन 2006 में शुरू हुआ। सैक्शन 27 का नोटिफिकेशन भी 2006 में निकला, सैक्शन 6(1) का नोटिफिकेशन भी 2011 में निकला और वैरियस सेक्शंस के तहत वैरियस नोटिफिकेशंस से नोटिफाई होने के बाद 14.08.2013 को अवार्ड भी घोषित हो गया, लेकिन अवार्ड के जो चैक काश्तगारों को दिये गये, वो काश्तगारों ने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन में ऐसी पहले व्यवस्था हुई है कि पान खा सकते हैं और पान पराग भी खा सकते हैं और पान पराग बारातियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन पान पराग खाकर सदन में जवाब नहीं दे सकते। कुल्ला करावो इनसे आप।

श्री बंशीधर (खण्डेला): यह सही बात है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आज आपने सदन की गरिमा रखने के लिए बहुत कड़ाई से हमको निर्देश दे दिए हैं कन्वर्शेसन के तो थोड़ी सी कड़ाई इधर भी हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह सब लोगों को सूचित हो जाए कि पान खाना, पान यहां बैठकर खाना निषेध है। इसका विश्लेषीकरण ना करें तो सब के लिए हितकारी होगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो मैंने पान पराग खाया है, न पान खाया है, मैंने तो रजनीगंधा खाया है। इसमें पान का दूर-दूर तक नाम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रजनीगंधा दिन में खा ही नहीं सकते, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने खाया था, अभी नहीं खाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो भी उपाध्यक्ष महोदय, निर्देश हो जाए कि रजनीगंधा रात को खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मंत्री महोदय, इस प्रकार सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रात को खाना और भी खतरनाक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 28.4.2015 को हाउसिंग बोर्ड ने सारे के सारे चैक काश्तकारों के कोर्ट में जमा करा दिए लेकिन इसमें दस केसेज ऐसे हैं, दस खातेदार विभिन्न केसेज में अभी भी कोर्ट में गये हुए हैं। एक खसरा चूंकि सरकार का है, जो एक हैक्टेयर से ज्यादा का है और एक हैक्टेयर की जमीन के अन्दर कोई भी कालोनी हाउसिंग बोर्ड की विकसित करने की स्थिति नहीं होती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो दस काश्तकार कोर्ट में गये हैं, कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है इसलिए जमीन हाउसिंग बोर्ड में वेस्ट करती है, उसका भौतिक कब्जा जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। श्रीमती अलका सिंह।

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल के मानदण्ड

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किये हैं और ऐतिहासिक काम यह थे कि आफ्टर 20 ईयर्स प्रमोशन हुए थे। स्कूलों का एकीकरण हुआ है, समानीकरण हुआ है लेकिन जैसी कि हमारी सरकार की योजना थी कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोला जाएगा। आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तत्कालीन बी.ई.ओ. थे, उन्होंने गलत रिपोर्टिंग करके मेरे पंचायत हैडक्वार्टर्स थे पर स्कूल होने की पुष्टि की थी। स्कूल के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं राजस्थान में भी ऐसी बहुत-सी जगह होंगी जहां पर पड़ौस की पंचायत में सीनियर सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं और ब्रांचेज के नाम पर अवैध रूप से कुछ पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल की ब्रांचेज खोल दी गई हैं और सरकार को यह सूचना दी गई है कि वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल है। इसकी वजह से उस पंचायत के लोग, बहुत पैसा इनसे वसूला जाता है, उस पंचायत के लोग, जो सरकार के द्वारा योजना है सबको सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने की उससे वंचित रह जाते हैं।

इसके अलावा कई पंचायतों में इस तरह के सैकण्डरी प्राइवेट स्कूल हैं जो पड़ौस के स्कूलों से अटेचमेंट ले लेते हैं। मतलब बच्चों का नामांकन होता

(श्रीमती अलका सिंह)

है उस पास की पंचायतों के प्राइवेट स्कूलों में। दूसरी पंचायत जो वंचित रख दी गई है वहां के बच्चों का नामांकन वहां होता है, एग्जाम देने वहां जाते हैं लेकिन सरकारी स्कूल वहां क्रमोन्नत होने से इस तरह की बाधा उत्पन्न करके रोक दिये गए हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के जो प्रकरण हैं उनकी जांच की जाए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सरकार का सबको सुलभ शिक्षा देने का वादा है उसके अनुरूप उन पंचायत हैडक्वार्टस में, इस तरह की भावना की वजह से, इस तरह के अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती की वजह से क्रमोन्नत होने से रह गये स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आईं माननीय विधायिका ने जो विषय रखा है, उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीनियर हायर सैकण्डरी खोलने का निर्णय किया। उसके तहत आपने जो बांदीकुई पंचायत हैडक्वार्टर कहा, बांदीकुई ग्राम पंचायत मुख्यालय ना होकर पंचायत समिति मुख्यालय है जो नगरपालिका क्षेत्र है और इस नगरपालिका क्षेत्र में.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्री जी, विधायिका का अर्थ इस विधान सभा से है। विधायिका इनको नहीं कहते हैं। यह विधान सभा नहीं हैं, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या। शिक्षा मंत्री हो तो शिक्षाप्रद बात करो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह विधायक हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां यह विधायक, माननीय विधायक बांदीकुई से आने वाली।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय मंत्रीजी, मैं ग्राम पंचायतों के बारे में बात कर रही थी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप मेरा पूरा उत्तर सुन लें। एक-एक बिन्दु का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कभी भी अध्यक्ष में और विधायक में लिंग भेद नहीं होता।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आ गया ध्यान में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ गया न ध्यान में, ठीक है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बांदीकुई ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं होकर के पंचायत समिति मुख्यालय है जो नगरपालिका क्षेत्र है। वर्तमान में बांदीकुई मुख्यालय में बी.एन. जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। हमने कम से कम एक ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की, उसके तहत आजादी के बाद प्रदेश भर में केवल साढ़े चार हजार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल थे। नये पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके तहत हमने हर ग्राम पंचायत में आज की तारीख में एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला है। जिन ग्राम पंचायतों में प्राइवेट सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल थे, वहां हमने नहीं खोला है। लेकिन उसमें जो नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है उन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से हम सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं। आपके बांदीकुई पंचायत समिति में कुल 46 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें केवल तीन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां न प्राइवेट है और न सरकारी है, जिनमें द्वारपुरा, केसरीसिंहपुरा, अनंतवाड़ा है। इन तीन में भी इस वर्ष हम चरणबद्ध रूप से सीनियर हायर सैकण्डरी खोलेंगे। चरणबद्ध का तात्पर्य यदि वहां आज प्राइमरी है तो उसे इस बार मिडिल करेंगे, मिडिल है तो उसे सैकण्डरी करेंगे और सैकण्डरी है तो हम सीनियर हायर सैकण्डरी खोलेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि पुंदरपाडा में भी एक पंचायत है जो बिलकुल रिमोट एरिया है। वहां कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मंत्रीजी, प्लीज आप थोड़ा-सा सुन लें। दो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और उन्होंने पड़ौस के स्कूलों से विद्यार्थियों का एक तरह से अटैचमेंट ले रखा है। अवैध रूप से वहां दिखाया जा रहा है कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल है। एक तो पुंदरपाड़ा है और यही केस पिचुपाड़ा खुर्द का है। इन दोनों पंचायतों का आप चाहे तो आपको मैं रिकार्ड बता दूंगी। प्राइमरी स्कूल के नाम बता दूंगी, उन्होंने अटैचमेंट ले रखा है। पड़ौस की पंचायतों के छात्रों का नामांकन कर रखा है और सीनियर सैकण्डरी स्कूल बताया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: Let him react to your this.

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): Ok. Thank you.

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर नियमों के विरुद्ध वहां पर कोई ब्रांच आफिस ने खोल रखी है तो निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे और आपको राहत देंगे। नियमों के तहत यदि वहां प्राइवेट स्कूल है तो इस बार सरकारी नीति के अनुसार उन ग्राम पंचायतों में हम नहीं खोलेंगे, सरकार का सोच है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बारहवीं के पढ़ने की एक बार व्यवस्था हो जाए फिर धीरे-धीरे चरणबद्ध हम इसका विस्तार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शैतानसिंह।

गोकशी की बढ़ती घटनाएं

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र पोकरण है। पोकरण भारत का शक्ति स्थल है और वह सीमांत क्षेत्र है। भारत की सीमा पर, पाकिस्तान से सटी हुई सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कल वृहत् हिन्दू सम्मेलन, विश्व हिन्दू परिषद के तत्वाधान में और बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित हुआ। वह क्यों आयोजित हुआ, यह विषय बहुत जटिल विषय है। हिन्दू संस्कृति में जीवन के 16 संस्कार होते हैं और सभी संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त गाय माता का द्रव्य उपयोग में लिया जाता है। जिसमें दूध, घी, दही, गो-मूत्र, गोबर हैं। अगर गो-माता पर संकट आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय कोई और नहीं हो सकता।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन घटनाएं घटी हैं। पहली घटना फरवरी, 2013 में घटित हुई थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद वहां गो-माता का कत्ल किया गया जिसके पूरे प्रमाण सरकार को दिये गये फिर भी फार्मेलिटी के रूप में जांच करके उसकी इतिश्री कर दी गयी। उसके बाद रामदेवरा के पास पंचबीबली स्थान है जहां कंटीले तारों से सींग बांधना, पैर बांधना, गुप्तांगों को बांधकर, लगभग चार-पांच गो-वंश की हत्या हो गई, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई है। पिछली 17 तारीख को पोकरण गांव के पास थाठ ग्राम पंचायत है कैलावा ग्राम पंचायत में, उसमें जल स्रोत में बछड़ों को काटकर उसका मांस उपयोग में लिया गया और जो अवशेष बचे, सींग, पैर, खाल एक कट्टे में पैक करके पवित्र जल स्रोत में डाल दिये गये। उस पानी का सेवन सभी समाज ने किया है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हिन्दू संस्कृति में, हिन्दू धर्म में तीन ऋण हैं, मातृ ऋण, भारत माता का ऋण और गो माता का ऋण। इस गाय को बचाने के लिए इस संस्कृति में असंख्य-असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।

(श्री शैतानसिंह)

पन्नराजजी ने, वीर शिरोमणि पाबूजी ने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ गाय को बचाने के लिये न्यौछावर किया है। औरंगजेब के टाइम में जो घटनाएं घटित हो रही थीं, आज ये घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। कल सिर्फ और सिर्फ इसके विरोध में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा हजारों लोगों की संख्या में पोकरण में शक्ति प्रदर्शन हुआ है। कोई अनहोनी घटनाएं नहीं घटें, मेरा सरकार से निवेदन है कि उन तथ्यों की गहराई से जांच करे और जिन्होंने यह कृत्य किया है उनको दण्डित करे कि जल स्रोतों में ऐसा कृत्य कर दिया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बारीकी से जांच करा लें। वर्ग विशेष के गो-वंश में आपको नर गो-वंश नहीं मिलेगा, क्या वजह है। इतना बड़ा दुर्भाग्य, आज भारत में इस लोकतंत्र में गाय के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो इससे और ज्यादा क्या है। आज हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं। सभी की गाय जीवन रेखा है, गाय जीवन के उपयोग के लिये है। हर, बच्चे से लेकर बड़े के लिये दूध की आवश्यकता होती है। जब अपन गो-माता का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। मैं सभी, इस पूरे पवित्र सदन में, यह राजस्थान के विश्वास का केन्द्र है, राजस्थान के न्याय का मन्दिर है। इससे पवित्र कोई स्थान राजस्थान में नहीं है। उस मन्दिर में मैं आपको पूर्ण होश-हवास से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस तरफ आगाह करें कि ऐसे कृत्य घटित नहीं हों। ताकि जन सैलाब को किसी भी ऐसी परिणति में आने का मौका मिले। मेरा आपसे यही निवेदन है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो विषय पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, मैं स्वयं भी इसको बहुत गम्भीर मानता हूं। दोनों घटनाएं वास्तव में, एक 08 तारीख को हुई, एक 17 तारीख को हुई। 08 तारीख की घटना रामदेवरा के पास तालाब में, इस प्रकार के गो-वंश के पैरों को बांध करके डाला हुआ था। दोनों का पोस्टमार्टम हुआ। एक मरा हुआ था, एक घायल अवस्था में था। मुकदमा संख्या 09/16 दर्ज हुआ और एक 17 तारीख को फिर घटना हुई इसी प्रकार की। मैं आपकी भावना का पूरा सम्मान करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 08 तारीख की घटना और 17 तारीख की घटना के बाद भी अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गये हैं, यह सच है। मैं अलग से टीम बनाकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इन दोनों केसों के लिये यहां से भेजूंगा निश्चित रूप से। भेजूंगा ही नहीं, जिनको इसकी कार्यवाही करनी थी, जो इस कार्यवाही को नहीं कर पाये, अगर, मेरी टीम ने कोई पोजिटिव रिजल्ट दिया तो जिनको काम करना था, उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपालसिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 71 एवं आबकारी विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या:एफ.12(100)वित्त/कर/09पार्ट-87 दिनांक 9.9.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या:एफ.12(43)वित्त/कर/05पार्ट-88 दिनांक 24.9.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-36 दिनांक 24.8.2007 के अधिक्रमण में विशेष आर्थिक क्षेत्र में संकर्म संविदा में अन्तर्वलित माल के हस्तान्तरण पर संदेय कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है ;
3. अधिसूचना संख्या:एफ.12(34)वित्त/कर/2015-93 दिनांक 01.10.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर पवन शक्ति से केप्टिव उपयोग के लिये विद्युत जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ऊर्जा के उपभोग पर देय विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
4. अधिसूचना संख्या:एफ.24(16)वित्त/कर/2015-94 दिनांक 7.10.2015 जिसके द्वारा फिक्की महिला संगठन द्वारा राजमंदिर सिनेमा हाल, जयपुर में हिन्दी फिल्म बजरंगी भाईजान के दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 को एकल प्रदर्शन पर संदेय मनोरंजन कर पर छूट प्रदान की गई है ;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

5. अधिसूचना संख्या:एफ.2(15)वित्त/कर/2010-पार्ट-95 दिनांक 14.10.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 8.10.2014 को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014 के अन्तर्गत कतिपय उद्यमों हेतु स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
6. अधिसूचना संख्या:एफ.12(21)वित्त/कर/2012-99 दिनांक 10.11.2015 जिसके द्वारा मैसर्स पर्टो इण्डिया लिमिटेड द्वारा संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर लगने वाले प्रवेश कर में सशर्त छूट
7. अधिसूचना संख्या:एफ.12(101)वित्त/कर/2011-100 दिनांक 17.11.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया ;
8. अधिसूचना संख्या:एफ.12(93)वित्त/कर/2012-102 दिनांक 20.11.2015 जिसके द्वारा अर्थ मूविंग एण्ड माइनिंग मशीनरी को राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कर में
9. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014-103 दिनांक 2.12.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
10. अधिसूचना संख्या:एफ.24(19)वित्त/कर/2015-104 दिनांक 9.12.2015 जिसके द्वारा टाइम्स आफ इंडिया-एनआईई, जयपुर द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में चलचित्रों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;
11. अधिसूचना संख्या:एफ.2(102)वित्त/कर/2010 पार्ट-107 दिनांक 31.12.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या:एफ.12(72)वित्त/कर/2013-108 दिनांक 5.1.2016 जिसके द्वारा राज्य के विधिक माप विज्ञान द्वारा आयातित मोबाइल स्टैण्डर्ड वे किट पर राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

13. अधिसूचना संख्या:एफ.12(72)वित्त/कर/2013-109 दिनांक 5.1.2016 जिसके द्वारा राज्य के विधिक माप विज्ञान द्वारा आयातित मोबाइल स्टैण्डर्ड वे किट पर राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
14. अधिसूचना संख्या:एफ.12(129)वित्त/कर/2011पार्ट-110 दिनांक 5.1.2016 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्लास्टिक से इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड़ टैक्सटाइल फैब्रिक्स आदि के विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर घटाकर एक प्रतिशत की गई है ;
15. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014-111 दिनांक 8.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
16. अधिसूचना संख्या:एफ.2(6)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 12.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या-14) की धारा-9-क के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर देय राशि में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
17. अधिसूचना संख्या:एफ.24(2)वित्त/कर/2016-114 दिनांक 14.1.2016 जिसके द्वारा फिल्म चाक एण्ड डस्टर को दिनांक 15 जनवरी, 2016 से 14 जनवरी, 2017 तक मनोरंजन कर पर सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
18. अधिसूचना संख्या:एफ.12(147)वित्त/कर/2011-115 दिनांक 14.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है ;
19. अधिसूचना संख्या:एफ.12(16)वित्त/कर/2009-116 दिनांक 21.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-51क के अन्तर्गत एमनेस्टी स्कीम, 2016 जारी की गई है ;
20. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-1-122 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
21. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-123 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

22. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-124 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या :एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-126 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या :एफ.12(33)वित्त/कर/08-80 दिनांक 10.11.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-127 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-128 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
27. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-129 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-138 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-130 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-139 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-131 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 11.10.2011 में संशोधन किया गया है;
30. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-132 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/12-118 दिनांक 26.3.2012 में संशोधन किया गया है;
31. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-133 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

32. अधिसूचना संख्या:एफ.12(42)वित्त/कर/2010-134 दिनांक 1.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(75)वित्त/कर/2015-60 दिनांक 21.7.2015 में संशोधन किया गया है;
33. अधिसूचना संख्या:एफ.24(1)वित्त/कर/2016-135 दिनांक 2.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-47 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
34. अधिसूचना संख्या:एफ.4(25)वित्त/कर/2003-136 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
35. अधिसूचना संख्या:एफ.4(25)वित्त/कर/2003-137 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत अक्षय पात्र फाउण्डेशन, जयपुर को विक्रय किये जाने वाले पैक्ड पीने के पानी को सशर्त वैट से छूट प्रदान की गई है;
36. अधिसूचना संख्या:एफ.12(113)वित्त/कर/2015-138 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010पार्ट-III-192 दिनांक 24.2.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
37. अधिसूचना संख्या:एफ.12(113)वित्त/कर/2015-139 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा मैसर्स सीकेएस मेडिकेयर प्रा. लि. को कस्टमाइज्ड पैकेज के सम्बन्ध में विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है;
38. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-142 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-11 दिनांक 15.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
39. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-143 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
40. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-144 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-61 दिनांक 9.6.2006 में संशोधन किया गया है;
41. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-145 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/05-123 दिनांक 8.1.2007 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

42. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-146 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008 पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
43. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-147 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
44. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-148 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-12 दिनांक 8.7.2009 में संशोधन किया गया है;
45. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-149 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
46. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-150 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)वित्त/कर/10-74 दिनांक 8.9.2010 में संशोधन किया गया है;
47. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-151 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/10-78 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
48. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-152 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-135 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
49. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-153 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-137 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
50. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-154 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-138 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;
51. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-155 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-163 दिनांक 15.3.2011 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

52. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-156 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2011-41 दिनांक 1.9.2011 में संशोधन किया गया है;
53. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-157 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(25)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 30.9.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
54. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-158 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(40)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 11.10.2011 में संशोधन किया गया है;
55. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-159 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(16)वित्त/कर/2010-71 दिनांक 23.11.2011 में संशोधन किया गया है;
56. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-160 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/12-4 दिनांक 5.4.2012 में संशोधन किया गया है;
57. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-161 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/12-8 दिनांक 23.04.2012 में संशोधन किया गया है;
58. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-162 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/12-118 दिनांक 26.03.2012 में संशोधन किया गया है;
59. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-163 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(31)वित्त/कर/2012-41 दिनांक 18.07.2012 में संशोधन किया गया है;
60. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-164 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(26)वित्त/कर/2012-46 दिनांक 18.07.2012 में संशोधन किया गया है;
61. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-165 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-1-37 दिनांक 4.07.2013 में संशोधन किया गया है;
62. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-166 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 2.06.2014 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

63. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-167 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(89)वित्त/कर/2012-185 दिनांक 5.02.2015 में संशोधन किया गया है;

64. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-168 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 9.03.2015 में संशोधन किया गया है;

65. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014पार्ट-1-169 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(177)वित्त/कर/06-16 दिनांक 5.05.2015 में संशोधन किया गया है;

66. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-170 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारी को केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट को बिक्री पर कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

67. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-171 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(63)वित्त/कर/2005-7 दिनांक 13.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को विखण्डित किया गया है;

68. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-172 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा किये जाने वाले विक्रय पर 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक कर के भुगतान पर सशर्त छूट प्रदान की गई है;

69. अधिसूचना संख्या:एफ.4(33)वित्त/कर/87पार्ट-II-173 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा राज्य में मिलिट्री इकाइयों से सम्बद्ध रेजिमेन्टल अथवा इकाई द्वारा चालित केन्टिनों को सशर्त कर मुक्त किया गया है;

70. अधिसूचना संख्या:एफ.24(17)वित्त/कर/2015-174 दिनांक 8.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये हैं; एवं

71. अधिसूचना संख्या:एफ.2(88)वित्त/कर/2010-179 दिनांक 16.2.2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा जारी किये गये शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आबकारी विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(41)वित्त/आब/2001 दिनांक 18.1.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(14)वित्त/आब/2014 दिनांक 12.2.2016, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.6(262)परि/कर/मु./2007/29916 दिनांक 12.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

पंचायती राज विभाग

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)एएम/रूल/लीगल/पीआर/2014/678 दिनांक 15.10.2015, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किये गये हैं ; एवं

2- अधिसूचना संख्या:एफ.4()ट्यूरिज्म रूल/लीगल/पीआर/2015/13 दिनांक 11.1.2016, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (पर्यटन इकाइयों के लिये पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि का आबंटन, भूमि के उपयोग का परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 2015 के अन्तर्गत कतिपय अधिकारियों को पर्यटन इकाइयों के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम।

राजस्व विभाग

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या:एफ.1(51)राज-6/2014/31 दिनांक 28.8.2015, जिसके द्वारा एसडीओ को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले कलक्टरों के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/32 दिनांक 16.9.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-20 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा राजस्थान संवर्ग के प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सहायक कलक्टर नियुक्त किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.9(27)राज-6/2015/33 दिनांक 28.9.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम-13 द्वारा श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन, निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आबंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/34 दिनांक 29.9.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/35 दिनांक 6.11.2015, जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/36 दिनांक 1.12.2015, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा-5 द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्या:एफ.9(133)राज-6/2015/1 दिनांक 4.1.2016, जिसके द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सदर मुन्सरिम द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला बारां के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/02 दिनांक 12.1.2016, जिसके द्वारा नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;

(श्री अमराराम)

9- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/2005/03 दिनांक 12.1.2016, जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ; एवं

10- अधिसूचना संख्या : एफ.11(4)राज-6/14-पार्ट/04 दिनांक 29.1.2016, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ।

श्री उपाध्यक्षः वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना सदन पटल पर रखते समय कारण भी बताये जाने चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत बड़ा और मैं समझता हूं कि संसदीय परम्पराओं और ज्ञान को समझने वाले आप हमारे भाग्य से आसन पर विराजमान हैं। सदन में यह जो अधिसूचनाएं रखी जाती हैं, अभी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने रखीं, माननीय परिवहन मंत्रीजी ने रखीं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पहले आब्जेक्शन करना था, मैंने किया नहीं। बजट एक मात्र प्रावधान राजस्थान की विधान सभा का है। बजट के बाद में वित्त विभाग की जितनी अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी गयी हैं, और अधिसूचनाओं का अगर जोड़ लगाते हैं तो बजट रखने का और बजट की सैंक्टिटी जो विधान सभा की है, वह समाप्त हो जाती है। विधान सभा के बजट से ज्यादा छूट और बजट से ज्यादा टैक्स लगाने की व्यवस्था, इन अधिसूचनाओं के माध्यम से होती है तो इन अधिसूचनाओं को केवल रखकर हम संतुष्टि पा लें, तो यह भी इसलिये रखी गयी हैं कि हम जो संशोधन कर रहे हैं वह विधायकों को ध्यान में आ जाए। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आज नहीं, कल-परसों, कभी भी आप विचार करके एक व्यवस्था दें कि अधिसूचनाएं रखते समय कारण भी बताएं कि अधिसूचनाएं, इतनी बड़ी-बड़ी, एक साथ, 72-72, 100-100 अधिसूचनाएं, इतनी आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। बजट बनाते समय, इतनी बड़ी मशीनरी है, उसने ध्यान क्यों नहीं रखा। यह छोटी-छोटी बातों पर इतनी बड़ी बात होती है। जब बजट का समय आयेगा, मैं बताऊंगा कि जितना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बजट विधान सभा ने स्वीकृत किया था, उससे अधिक का टैक्स हमने इन अधिसूचनाओं के माध्यम से लगा दिया। तो एक तरह से यह विधायिका का जो दायित्व है, जो भार है, जो कर्तव्य है, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र के बाहर चली जाती हैं। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि एक आप इसको पढ़कर, एक बार सरकार को निर्देश दें कि निश्चित रूप से अधिसूचनाओं का कारण और उन अधिसूचनाओं में जो उसकी कीमत होती है, उसको पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष: जो सम्माननीय सदस्य ने फरमाया, आसन इस बात पर विचार करेगा और विचार करने के उपरान्त अगर आसन इस बात से संतुष्ट होगा तो आगे सरकार को कुछ कार्यवाही करने के लिये कहेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मेरा निवेदन है। आप व्यवस्था तो देंगे ही। बेसिकली, जो बजट हम पेश करते हैं विधान सभा के सामने, वह बजट एस्टीमेट्स होते हैं। अब बजट एस्टीमेट के बाद जब अगली साल हम बजट पेश करते हैं तो बजट का रिवीजन बजट आता है। बजट पेश करने का मतलब न केवल उस साल के एस्टीमेट बजट के ऊपर डिबेट करना, बल्कि पिछले साल के रिवाइज्ड बजट, जो प्रजेण्ट किया जाता है हाउस में, उस पर भी डिबेट करना। तो, बजट एस्टीमेट के बीच में और रिवाइज्ड बजट के बीच में जो गैप है, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन का हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपंडीचर का हो, वह डिबेटेबल है। उस पर डिबेट होती है। इसलिये, उसमें जब डिबेट होती है तो उसके कारणों के बारे में चर्चा विस्तृत रूप से की जा सकती है, की जाती रही है। उसके तीन पार्ट हैं। बजट एस्टीमेट्स, बजट रिवाइज्ड और तीसरे साल में आयेगा एक्चुअल। तो एक्चुअल में, तीनों में वेरिएशन है। एस्टीमेट अलग है, रिवीजन अलग है और उसके बाद एक्चुअल अलग है। तीनों स्टेज के ऊपर, एक बजट के ऊपर लगातार तीन साल तक आपके पास कारण होता है, जिसके ऊपर सरकार के बजट के रेवेन्यू एक्सपंडीचर्स के बारे में, रेवेन्यू इन्कम के बारे में और अन्य डाइमेंशंस के बारे में पूरी विस्तृत और काम्प्रेहेंसिव चर्चा हो सकती है। इतना ही मेरा निवेदन था। आपकी व्यवस्था से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा आपको निवेदन करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्षः वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014; एवं

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14

2. मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा–28 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014.

श्री उपाध्यक्षः श्री राजपालसिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015;

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(1) (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015; एवं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का छठा प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

1. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015; एवं

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015 ।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 21)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2016 को मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म

(श्री कालू लाल गुर्जर)

(चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 01 मार्च, 2016 से 08 मार्च, 2016 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2016 बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2016 गुरुवार, दिनांक 03 मार्च, 2016	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे राज्य सरकार की ओर से उत्तर
शनिवार, दिनांक 05 मार्च, 2016 रविवार, दिनांक 06 मार्च, 2016 सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2016	बैठक नहीं होगी।
मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2016	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 का उपस्थापन

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री सुरेन्द्र गोयल

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: साईं तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016, श्री कालीचरण सराफ।

साईं तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से साईं तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि साईं तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से साईं तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016, श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 को पुर:स्थपित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का आबंटन

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

क्रम संख्या	पार्टी/दल का नाम	आबंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी	12 घंटे 45 मिनट
2.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	1 घंटा 56 मिनट
3.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	20 मिनट
4.	बहुजन समाज पार्टी	15 मिनट
5.	नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
6.	निर्दलीय	34 मिनट
	कुल समय	**16 घंटे**

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने सीमा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो आप किसी न किसी अपने सहयोगी (colleague) का समय ले लेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मोहनजी को कह दें, साहब। मोहनजी के लिए लागू थोड़े ही होगा?

श्री उपाध्यक्ष: वैसे समय सब पर लागू है। आप उसका कितना सदुपयोग करें और कितना दूसरे के समय का दुरुपयोग करें, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समय की सीमा सारे, सबके लिए रखी हुई है। नहीं, समय की सीमा भगवान ने सबके लिए तय की हुई है। राज की सीमा भी, जीवन की सीमा भी और बोलने की सीमा, सब की तय है और घमंड में आकर कोई न माने तो उसकी मर्जी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): और विधान सभा में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने तय कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, अगर समय पर आदमी अपने समय की सीमा का समाधान कर ले तो सब के लिए हितकारी होता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हितकारी होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सही उपदेश दे रहे हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही उपदेश दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलालजी गुप्ता।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए– 'इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।'

राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से अपनी सरकार का विवरण पेश किया है जनता के सम्मुख, वास्तव में वह बहुत सराहनीय है और एक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कीर्तिमान स्थापित करता है। कीर्तिमान स्थापित जो उन्होंने किया, वह हम लोगों को तो मालूम है लेकिन अगर सामने लोग मौजूद होते आज अभी, तो कुछ जरा मजा और ही होता।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ना पक्ष में बैठे सुन रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मुझे आशा है कि वह सब लोग ना पक्ष की लाबी में टी.वी. पर अपनी बात सुन रहे होंगे, मेरी बात को और सुनकर विचार करके, मंथन करके, अखबारों में जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, वह न देंगे और सरकार की जो योजनाएं हमने लागू की हैं, उनका स्वागत और समर्थन भी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का चिंतन, विचार और बातें माननीय राज्यपाल महोदय ने सदन में कही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे इरादों को दृढ़ कर दिया।

'उठकर चल दिये अब तो इरादों के कारवां, ये तो मंजिल पर ही रुकेंगे, रास्तों की परवाह तो कमजोर करते हैं।'

रास्तों की परवाह कमजोर करते हैं, हम तो चल दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह आप नहीं आ रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++

श्री उपाध्यक्ष: जो वक्तव्य आसन की बगैर अनुमति से दिया गया है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसके बाद या पहले ही?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य, कई बार कह चुका हूं कि आसन इतना फोटोजनिक नहीं है लेकिन आप इधर ही मुखातिब होकर अपना वक्तव्य दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बहुत अच्छे हैं। बहुत विद्वान हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी तो सुसज्जित हो रखा है आपका आसन।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और इतना बढ़िया आपका आसन है।

श्री उपाध्यक्ष: यह मैं आसन की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आसन पर जो बैठा हुआ है, वह इतना फोटोजनिक नहीं है लेकिन अब आपकी मजबूरी है कि आसन की तरफ मुखातिब होकर ही आपको अपना वक्तव्य देना होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं आपकी तरफ ही मुखातिब हो रहा हूं लेकिन यह जरा कुछ लोग डिस्टर्ब कर देते हैं न।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप 180 डिग्री पर जाइये ही मत।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कांग्रेस के लोग जो टी.वी. पर भाषण सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि सदन में यदि वह उपस्थित होते और गरीबों की योजनाओं को सुनते, उनके ऊपर विचार-विमर्श करते तो गरीबों के लिये वह भी अपने क्षेत्रों में जाकर कुछ कर सकते थे। उनको भी कुछ पैसा मिला है, उनको भी कुछ योजनाएं मिली हैं, उनको भी कुछ प्लानिंग के लिये काम करने का मौका मिला है। लेकिन वह चाहते नहीं हैं कि गरीबों की बात सुनी जाये, आगे बढ़ाई जाये, जनता तक पहुंचाई जाये। वह तो केवल पार्टी लाइन पर ही चलना चाहते हैं। मैं उनके लिये दो शब्द कहना चाहूंगा-

मित्रों, मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना,
हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के लिये।

वह गरीबों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा रहे हैं, अमीरों की पैरवी करने के लिये खड़े हुए हैं। वहां पर बैठे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी संस्कृति, सोच, विचार वह हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, सोच और विचार से अलग है। उन्होंने जिस प्रकार से देश पर राज किया, वर्षों तक राज किया इंदिरा जी ने, जवाहरलाल जी ने, राजीव जी ने, मनमोहन सिंहजी ने, वी.पी. सिंहजी ने....

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका आप नाम नहीं लेंगे, उनके पदनाम से आप कह सकते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पूर्व प्रधान मंत्री, जो कांग्रेस के बने हैं, उन्होंने जो विचारधारा देश को दी है, उस विचारधारा के कारण आज

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

हमारा देश गरीबी की दिशा में है। उस विचारधारा के कारण हम लोग विकास नहीं कर सके। उस विचारधारा के कारण हम देश को विश्व गुरु के स्थान पर नहीं पहुंचा सके। वह विचारधारा ही बेसिकली इन कांग्रेस के मित्रों को विकास की ओर ले जाने के लिये पीछे करती है। अवधारणा ठीक रहती है कि किस प्रकार से बजट को और रुपयों को लुटाकर देश का विकास किया जाये। देश समाजवाद की ओर जाये या देश राष्ट्रवाद की ओर जाये, बेसिक चिन्तन को समझना पड़ेगा। देश समाजवाद और साम्यवाद के समर्थकों की ओर से कितना आगे ले जाया गया, राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद के समर्थकों की ओर से कितना आगे ले जाया गया, यदि इस सोच को वह परिलक्षित कर लेते अपनी योजनाओं में, जैसा कि मोदी जी अब कर रहे हैं तो शायद देश की दिशा और दशा कुछ अलग ही होती। मुख्य अन्तर यह है कि हमारे समाज की सोच क्या है? हमारे इस समाज की सोच है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्‌भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखण्ड हो और गऊ हत्या बंद हो। उनकी सोच क्या है? अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विषभावना और विद्वेष भावना हो, विश्व सदैव लड़ता रहे, भारत खंडित-खंडित होता रहे, गऊ माता की हत्या भी होती रहे। यदि हमारी सोच के आधार पर, भारतीय संस्कृति की सोच के आधार पर, एकात्म मानववाद के आधार पर वह चलते, राष्ट्रवादी शक्तियों की सोच के आधार पर चलते तो देश की दिशा और दशा कुछ अलग होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो का मतलब किसी सम्प्रदाय की जय हो का मतलब नहीं है। धर्म का मतलब रूल आफ लॉ, to abide by rule of law न कोई सम्प्रदाय है, उन्होंने धर्म और सम्प्रदाय को एक कर दिया और उस आधार पर धर्मनिरपेक्षता की नयी परिभाषा चालू कर दी। धर्म-निरपेक्ष कोई समाज हो ही नहीं सकता, कोई देश हो ही नहीं सकता है। सम्प्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। रूल आफ लॉ को एस्टेब्लिश करना इंडियन कांस्टीट्‌यूशन को एस्टेब्लिश करना, कांस्टीट्‌यूशन के आधार पर जो रूल्स बने हुए हैं उनका पालन करना, धर्म की जय है। वह धर्म की जय नहीं करते। वह अधर्म पर विश्वास रखते हैं। इंडियन कांस्टीट्‌यूशन पर विश्वास नहीं रखते, कानूनों पर विश्वास नहीं रखते। वह वहां जाते हैं जहां भारत को खण्ड-खण्ड करने वाले लोग नारे लगाते हैं। अफजल हम शर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं। इस प्रकार के नारे लगाते हैं। उनका समर्थन करने के लिये, उनके आका

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

लोग जाते हैं। वह देशभक्त हैं क्या? और फिर हमसे कहते हैं सदन में माफी मांगो। कहते हैं अधर्म की जय हो। अफजल को फांसी तो इंडियन कांस्टीट्यूशन के तहत जुडिशियरी ने लगायी थी। उसको फांसी भारतीय कानून के तहत लगी थी। उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था। राष्ट्रपति जी ने उसकी दया की याचिका को भी स्वीकार किया था और बहुत सालों तक पेंडिंग रखा था। बार-बार सुनवाई का मौका दिया जाने के बाद उसे फांसी दी गयी थी। ऐसे तत्वों का समर्थन करने के लिये यह लोग पहुंच गये वहां पर, शर्म आनी चाहिये। सारा देश थू-थू कर रहा है। अगर इस प्रकार से देश को खण्डित करने वाले लोगों के लिये वह वहां जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी संसद सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, देश की एकता और अखण्डता की शपथ ली है। यहां बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी शपथ ली है।

मैं कहना चाहूंगा अफजल के लिये आप गये हैं तो कल कसाब के लिये भी जाएंगे। जे.एन.यू. में राष्ट्रद्रोही नारे लगेंगे तो क्या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, यह बात है। इसका खुला दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। अगर पुलिस उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनाती है तो वामपंथी दल और कांग्रेस के लोग पूरे देश भर में बवाल मचाते हैं। क्या बवाल है यह? राष्ट्रभक्ति अगर सीखनी हो तो जापान से भी सीख लो, फ्रांस से भी सीख लो। जब आतंकवादी हमला हुआ स्टेडियम पर, वहां हाहाकार मच जाता, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रगान को उन लोगों ने चालू कर दिया और उस आधार पर एकता को बनाये रखा और वहां आंतकवादी हमले के कारण बहुत बड़ी बात नहीं हो सकी।

बन्धुओं, और भी कई जगह आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनको भी फांसी लगती है। क्या वहां का मीडिया, वहां के लोग, वहां पर विपक्ष के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं? यह लोकतंत्र का दुरुपयोग है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म की जय का मतलब यह है कि हम abide by rule of law, यहां न कोई भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, न कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। राज है रूल आफ लॉ का, कानून का शासन है। इस कानून के शासन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को रहना होगा।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

प्रत्येक व्यक्ति को भारत माता जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगे, शर्म की बात है। यह तो जुडिशियरी की हत्या है।

मैं समझता हूं कि कांग्रेस के मित्र इस राष्ट्रवाद की बात पर ही यदि आगे आ जाएं तो देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है। प्राणियों में सद्‌भावना हो, यह हम कहते हैं। यह क्या कहते हैं, प्राणियों में सद्‌भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। जीतेंगे, हारेंगे, जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जातिवादी दंगे फैलाते हैं। जातिवाद के दंगे फैलाने के साथ-साथ सम्प्रदायवाद फैलाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, जाट को गैर-जाट से, ब्राह्मण को क्षत्रिय से। अगड़ी-पिछड़ी जाति का भारत का ऐसा एक पूरे देश में वातावरण बना दिया कि पूरा देश एक नहीं है, कि यह तो कई जातियों में बंटा हुआ है, भाषाओं में बंटा हुआ है। हम कहते हैं, अलग-अलग भाषा, अलग-अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हमारा एक देश है। दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यह बात हम कहते हैं। वो कहते हैं क्या? कश्मीर जाते हैं कुछ अलग बात करते हैं, आसाम में जाते हैं तो कुछ अलग बात करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो एक अलग बात करते हैं। अगड़ी जातियों में जायेंगे तो कुछ अलग बात करेंगे, पिछड़ी जातियों में जायेंगे तो अलग बात करेंगे। राष्ट्रवादी सोच, कोई हमारा ही ठेका नहीं है, सब भारतीयों का एक मिशन होना चाहिए कि हम इस देश को आगे बढ़ायेंगे, आगे ले जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की घटनाएं देश में चल रही हैं उससे तो यह लगता है कि कांग्रेस के लोग देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, केवल राज करना चाहते हैं, देश को विभक्त कर के राज करें। जिस गांधी जी ने कांग्रेस बनायी थी उस गांधी जी को यह भूल गये। गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना, नैतिकता ग्राम स्वराज, योग, व्यायाम, प्राणायाम की बात की थी। गांधी जी ने खादी की बात की थी1 कहां है यह? राम राज की बात करते हैं तो कि यह साम्प्रदायिकता की बात करते हैं। राम इनके लिए साम्प्रदायिक हो गया। गंगा की बात करते हैं तो साम्प्रदायिकता की बात होती है।

तो जिस प्रकार का सोच इन कांग्रेस के मित्रों का बन गया है, दोष इनका नहीं है। यह वामपंथी और पश्चिमी विचारधारा के लोग, यह

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग जिस प्रकार की सोच रखते हैं उसके कारण से इन्होंने पूरे विश्व को तो तबाह कर ही दिया। रूस में जो क्रांति हुई थी, लाखों लोग मर गये, चीन में क्रांति हुई थी, करोड़ों लोग मर गये इनकी विचारधाराओं के आधार पर। पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने नक्सलवादियों को बढ़ावा दिया था और आज भी यह नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लड़ाई-झगड़े करवा रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं। आप किसी नक्सली से मिलेंगे तो उसके मन में व्यवस्था के प्रति कितना विद्रोह है। व्यवस्था को बदलने की बात, प्रजातंत्र में व्यवस्था बदलती है, वोटों के जरिये व्यवस्था बदलती है, हिंसा के जरिये कभी व्यवस्था नहीं बदली जाती है। यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। लेकिन हमारे यह लोग हैं जो व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं हिंसात्मक रूप से, आतंकवाद के द्वारा, लड़ाई-झगड़ों के द्वारा। जिस प्रकार से देश और विश्व को चलाना चाहते हैं उससे देश और विश्व चलेगा नहीं। उसके लिए गांधी को लाना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति के आधार पर देश को चलाना पड़ेगा।

आज जिस प्रकार से हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश का उनमें कांफिडेंस है कि मोदी जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो। हम कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, दो राज्यों के हारे भी हैं लेकिन देश की जनता में उनके प्रति अश्रद्धा की भावना नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार का बजट दिया है, इस प्रकार के बजट हमारी राष्ट्रवादी सोच के प्रतीक हैं। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को यदि आप डवलप करेंगे, गांव को डवलप करेंगे, किसानों को डवलप करेंगे तो लोग शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। गांव में आज तक बेसिक सुविधाएं नहीं मिलीं। किसानों को आज तक बेसिक सुविधाएं नहीं मिलीं। उनका हित चिंतक, शुभ चिंतक बनने वाले लोग, वोटों के लालची लोग उनको जाकर कुछ-कुछ दे आते हैं।

एक माननीय सदस्य: वो सुनने वाले नहीं हैं आज तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सुन रहे हैं टीवी पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी आवाज पूरे इंडिया में जा रही है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, टीवी तो चालू करवा दो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं वो चालू हैं, अपने वाला चालू नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अपने वाले चालू नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह स्क्रीन स्वचालित है, अपने आप चालू हो जायेगी जब सही बात आयेगी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं तो आपके द्वारा चलित हूं, परिचालित हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अगर आप धर्म पर चल रहे हो न तो चालू हो जायेगा। धर्म पर चल रहे हो तब तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देशभर में जिस प्रकार से समाजवाद, साम्यवाद के नाम पर विकास का ढांचा खड़ा किया गया वो ढांचा ही ऐसा है कि जिसमें देश का विकास नहीं हो सकता । गांव का व्यक्ति गरीब ही रहेगा, गांव का किसान गरीब ही रहेगा। गांव में यदि 50-60 सालों में सड़क हो जाती, बिजली पहुंच जाती, ई-गवर्नेंस हो जाती तो मैं समझता हूं कि गांव का व्यक्ति शहरों की ओर पलायन नहीं करता। लेकिन आज का जो परिवेश है, कल जो बजट आया है, कल संसद का जो बजट आया है उस बजट के बाद और अब तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस के शासन में विदेशों में चले गये थे वो वापस आ रहे हैं और जो शहरों में चले गये थे कल के बजट के बाद वापस गांव में जायेंगे, गांव का इस प्रकार का विकास होगा। शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौमूं के लोगों को जयपुर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। (व्यवधान) सामोद के लोगों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शाहपुरा के लोगों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां इतनी सुविधाएं होंगी।

श्री उपाध्यक्ष: सदस्य महोदय, इतना अच्छा वक्तव्य आपने पहले कभी सुना?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बस आपका ऐसा आशीर्वाद चाहिए।

तो लोगों को आने की जरूरत नहीं होगी, वहीं पर सब सुविधाएं होंगी। सभी प्रकार की सुविधाएं, यदि आज गांव का किसान अपनी फसल को शहर में लाना चाहता है ...(व्यवधान) आइये, वैलकम।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मोहन लाल जी, वहां असेम्बली नहीं होगी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको तो विधान सभा आना ही पड़ेगा न, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। मैंने चौमूं के एम.एल.ए. की बात नहीं कही है, मैंने सामोद के एम.एल.ए. की बात नहीं कही, शाहपुरा के एम.एल.ए. की बात नहीं कही है, मैंने बात कही है आम आदमी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं मेरी जनता को कह दूंगा कि मोहन लाल जी ने प्रतिबंध लगा दिया, कल से जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): प्रतिबंध नहीं है, स्वेच्छा से होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपको आपस में वाद-विवाद करने की अनुमति किसने दी?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): विपक्ष नहीं है तो कोई तो कुछ काम करे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो इनका वो काटा जाए।

एक माननीय सदस्य: समय।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इनका वो काटा जाए जो वह कह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: संवाद आपने भी उनसे स्थापित किया, फिर आपका भी काटा जाए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, मैंने आपकी तरफ बोल कर, आपकी तरफ मुखारविंद होकर के, ऐसा नहीं है, मैं इनकी तरफ मुखारविंद नहीं हुआ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: समय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुखातिब है, मुखारविन्द नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मुखातिब होकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह ठीक कर रहे हैं तो ठीक कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सामान्य ज्ञान की बात है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सामान्य ज्ञान की।

जो इनको ज्यादा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव के आदमी को गांव में ही रोजगार मिले। गांव के आदमी को गांव में

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

ही 24 घंटे बिजली मिले। गांव के आदमी को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले और गांव के आसपास ही उसके भण्डारण के स्रोत हों और वहां उसके खरीददार भी हों। वहां स्कूल भी हों, कालेज हों, टैक्निक ऐसी आ गयी कि डाक्टर्स भी वहां मौजूद हो जायें तो फिर आदमी शहर में क्यों आयेगा? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमें कहते थे कि आप शहरी लोग हो, आप शहर को डवलप करना चाहते हो। कल का बजट देख लो, गांव के लिए कितना पैसा दिया है। सर्वांगीण विकास देश का हो, उसके लिए सड़कों का बजट दिया है। बिजली के लिए बजट दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो सोच दिया है, जो काम किया है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि गांव के व्यक्ति को, गांव की महिला को, यही नहीं प्रत्येक महिला को सशक्त करने का प्रयास किया है। भामाशाह कार्ड के माध्यम से वह महिला अब परिवार की मुखिया होगी। परिवार की मुखिया होने के साथ-साथ जिस प्रकार से भामाशाह योजना हमारे राजस्थान में लागू की गयी है, 1 करोड़ 9 लाख परिवारों के 3 करोड़ 78 लाख व्यक्तियों का नामांकन हो चुका है। हमारी महिला मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं। देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में लोग चिंता व्यक्त करते हैं इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया। उनको फैमिली का हैड बनाया। उनको भामाशाह योजना के तहत जितनी भी पेंशंस, सब्सिडीज हैं उनका ट्रांसफर भी आनलाइन करवाया। 1100 करोड़ रुपये का लाभार्थियों को सीधा लाभ दिया। 58 लाख लोगों को पेंशन दी और 1 करोड़ 64 लाख ट्रांजेक्शन इसके माध्यम से हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले गांव का आदमी आता था तो चक्कर खाता था। दूर-दूर से महिलाएं आती थीं तो परेशान होती थीं। अब उनको जरूरत नहीं है। भामाशाह कार्ड बन गया। हास्पिटल में जाइए उनका मुफ्त इलाज होगा। प्राइवेट हास्पिटल में जाइए उनका मुफ्त इलाज होगा। आजकल तो बड़े-बड़े प्राइवेट हास्पिटल्स भी विज्ञापन निकाल रहे हैं कि हम भामाशाह कार्ड से जुड़ गये। भामाशाह योजना से जुड़ गये हैं। हमारे यहां आइए और इलाज करवाइये। वह कह रहे हैं। जाइये, सरकार आपके लिए प्राइवेट इलाज करने को तैयार है।

आरोग्य राजस्थान, जिसके माध्यम से 1 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और 1 करोड़ 32 लाख लोगों की डाटा एंट्री की गयी। उनके हैल्थ

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कार्ड बनाये गये। यह हैल्थ कार्ड, डाटा एंट्री सब चीजें हम सुनते थे, सब चीजें कहीं बाहर ही होती थीं, कहीं विदेशों में। अब तो कोई भी रोगी डाक्टर के पास जायेगा और उसको अपना हैल्थ कार्ड दिखाएगा तो मालूम चल जायेगा कि उसकी पिछली हिस्ट्री क्या है। उसको क्या-क्या दवाइयां दी गयी थीं। उसके डाइबिटीज है, हाइपर टेंशन है, टेंशन है।

एक माननीय सदस्य: टेंशन काहे की?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): टेंशन सत्ता की है कि गैर सत्ता की है। मंत्री बनने की है कि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह सारा उस हैल्थ कार्ड में अंकित है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ कार्ड में सब कुछ आयेगा और डाक्टर उसका इलाज निश्चित रूप से कर देगा। उसको वापिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भामाशाह कार्ड ले जाओ और मंत्री बन जाओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह टेंशन बहुत लोगों को है। मुझे नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में भाजपा ने जब सरकार छोड़ी थी और कांग्रेस सरकार आयी थी तो उस समय 8 परसेंट की ग्रोथ रेट थी। 2013 में कांग्रेस ने हमको दी है 5.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट...। बहुत देर से आये आप। बहुत देर से आये।

एक माननीय सदस्य: दगाबाजी हो गयी, दगाबाजी। कालीचरण जी करते हैं धोखेबाजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपका सारगर्भित भाषण सुन रहा था मेरे चैम्बर में।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आपकी यहां सारगर्भित मुद्रा भी होनी चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): भाजपा सरकार ने 8 प्रतिशत ग्रोथ रेट राजस्थान को दी थी और 2013 में इन्होंने ग्रोथ रेट क्या ला दी 5.2 परसेंट। विकास की जगह विनाश। यह ग्रोथ रेट है? भाजपा शासन में फिस्कल डेफिसिट 1.75 परसेंट रहा और कांग्रेस शासन में 2.48 बजट का रहा। मैं बता देना चाहता हूं कि ...।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कितनी बार निवेदन किया है आसन ने कि आप इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): या तो मैं बोलूं फिर फिस्कल डेफिसिट के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को कौन जान सकता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सही कह रहे हैं आप। गहलोत साहब की भी सरकार आई थी, 156 उनके थे। बड़ा उन्होंने स्वागत कराया, समारोह कराये कि भारतीय जनता पार्टी को हमने हरा दिया। अब वह हार गये, हमारे 163 आये। अब कब हमारी सरकार और उनके मंत्रियों ने स्वागत समारोह कराये। इतना बड़ा बहुमत प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। स्वागत समारोह में नहीं जाना, जनता को काम करके दिखाना है। मुख्य मंत्रीजी स्वागत समारोह में नहीं गयीं। मंत्री भी स्वागत समारोह में नहीं गये। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गये, जनता के दु:ख और तकलीफों को समझा। क्या कभी ऐसा हुआ है? कांग्रेस राज में हमने कभी सुना नहीं कि मुख्य मंत्री भी गांव में गये हों। कैबीनेट मंत्री गांव में जाकर के रात में रुके हों। मैं एक फोटो माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूं। आपकी आज्ञा हो तो।

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो दिखा दी, उसके बाद आप आज्ञा क्यों ले रहे हैं?

(14.00 बजे)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह फोटो है हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी की, ...(व्यवधान) एक गांव की ढाणी में चूल्हे के पास, ग्रामीण महिला के साथ में बैठकर खाना खाने की, ...(व्यवधान) गरम-गरम रोटी खाने की। (व्यवधान) अब कहते हैं कि आपकी मुख्य मंत्री तो महारानी हैं, मैं यह कहना चाहूंगा बंधुओं, मुझे यह देखकर बड़ा अच्छा लगा, एक बार मेरे क्षेत्र में भी आईं थीं, अक्षय कलेवा का खाना था, अक्षय पात्र का खाना था, जिन लोगों को हम खाना देते हैं, उन सभी लोगों के साथ में बैठकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खाना लिया, ...(व्यवधान) यह हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं, गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाली मुख्य मंत्री हैं। मैं चार लाइन बोलना चाहता हूं इस फोटो के बारे में,

स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है,
जितनी कि किसी गरीब की झोंपड़ी में । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसका लिखा हुआ है?

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): किसी का हो, बोल मोहनलालजी रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय से पूछकर बोलिये आप।

एक और फोटो है, जब मैं स्वागत समारोह की बात करता हूं, दायित्व बोध की बात करता हूं तो मुख्य मंत्रीजी स्वागत समारोह में ही नहीं गयीं, मंत्री भी स्वागत समारोहों में नहीं गये, गांव-गांव ढाणी-ढाणी में गये, गांव की औरत के साथ में बैठकर खाना खाया। वह पका रही थी, वह खा रही थीं और गांव के स्कूल में अक्षय पात्र का जो खाना मिलता है उसको भी खा कर देखा, चैक किया। (व्यवधान) यह जो और फोटो के बारे में बात कर रहे हैं वह और किसी वृद्ध आदमी से बात करते हुए की है जिसमें वह अपनी समस्याएं बता रहा है।

यह कुछ फोटो मैंने कलेक्ट की हैं। एक फोटो और बड़ी अच्छी है, वृद्ध महिला, उनके सिर पर आशीर्वाद रख रही है, पुनः पुनः मुख्य मंत्री बनती जाओ, राजस्थान का विकास करो, देश का विकास करो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कितना ही करो गुणगान पर मंत्री का नम्बर नहीं आएगा। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कालीचरणजी जगह छोड़ें तो आप बनें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नम्बर आने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं। हम आपात काल में जेल में थे, सत्ता के लिए जेल में नहीं थे। उस वक्त यह मालूम नहीं था सत्ता हमारी आएगी कि नहीं आएगी, हम आपात काल में जेलों में थे। तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, हम जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, यह भी पता नहीं था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कहां थे? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कलकत्ता थे। (व्यवधान) तो हम मंत्री बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव कार्यकर्ता रहेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। हमारा कार्यकर्ता सदैव भारत मां की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करता रहेगा, डेडिकेटेड रूप से काम करता रहेगा। जनता की सेवा के लिए ...(व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): बनाएंगे, फिर भी नहीं बनेंगे। यह कह दो आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हम संगठन के आदमी हैं, जो संगठन कहेगा वही करेंगे। (व्यवधान) जो कांग्रेस के लोग हैं, ...(व्यवधान) सुन रहे हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है वह सदैव यही है, चाय की दुकान पर, अखबारों में, टिकट मिले, नहीं मिले, इसकी ऐसी-तैसी करनी है, उसकी ऐसी-तैसी करनी है, सकारात्मक विचार उनके हैं ही नहीं। 15-16 लोग हैं, फिर भी तीन-तीन गुट हैं उनके, हमारे यहां एक ही गुट है, वह भारतीय जनता पार्टी का गुट, एक ही नेता है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश को गरीब भारत और अमीर भारत के बीच में बांट दिया, हम चाहते हैं कि गरीब भारत, अमीर भारत बने, पैसों से नहीं, पैसे भी चाहिए, सम्पूर्ण व्यक्ति बने, और यदि सम्पूर्ण विकसित व्यक्ति बने, ...(व्यवधान)

अब मैं आपको बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति कहती है कि सम्पूर्ण परिवार, सम्पूर्ण व्यक्ति, सम्पूर्ण देश कैसा होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा। (व्यवधान) धर्मार्थ काम और मोक्ष। धर्म पहले होगा, रूल आफ लॉ पहले होगा, मोक्ष की प्राप्ति अंत में होगी। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशी का भारत, रात को सही ढंग से नींद आ जाए, गरीब आदमी को नींद आती है लेकिन अमीर आदमी को नींद नहीं आती है वह सदैव सोचता रहता है, ...(व्यवधान) आज लाख है, कल करोड़ों, करोड़ों का अरब हो, अरब का खरब हो, इस प्रकार की बातें सोचता रहता है। एक गरीब आदमी को हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर यदि जोड़ा जाए तो इन्होंने कभी हैप्पीनेस इंडेक्स की कभी बात ही नहीं की। भारत का व्यक्ति कितना संतुष्ट है, क्या संतुष्टि चाहिए उसे, किस प्रकार से उसके दिल और दिमाग में खुशी हो सकती है, केवल पैसों के आधार पर दिल और दिमाग में खुशी नहीं हो सकती है, उसके

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

हैप्पीनेस इंडेक्स के कुछ और पैमाने हैं जिन्हें एकात्म मानववाद के रूप में हम देख सकते हैं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चुनाव हुए। केन्द्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, कांग्रेस का हाल क्या हुआ है? नगर निगमों में, नगरपालिकाओं में, पंचायतों में, प्रधानों में, पंचों में, सरपंचों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। मैं चाहता हूं कि वे आत्म चिंतन करें, आत्म चिंतन करके सोच कर देखें कि आखिर हमारी दुर्दशा इस प्रकार से कैसे हुई? राजस्थान में हुई, देश में कैसे हुई, आज विपक्षी दल के नेता का उनको रिकोग्निशन ही नहीं मिला। इस प्रकार की दशा क्यों हुई? क्योंकि वह देश की जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन का समर्थन किया, संघर्ष किया वह पीढ़ी चली गयी, उसके बाद जो लोग थे वह तो सत्ता वाले लोग थे।

केवल सत्ता। उन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नहीं कहा। गरीब व्यक्ति भूखा रहे, राशन की दुकान पर जाता रहे, सड़क उसे मिले नहीं, मांग लेकर आये तो जरा सी सड़क बना दी, अगले चुनाव में फिर आना, बिजली का पोल लगे नहीं, अगले चुनाव में फिर आना, पोल लगा दिया तो लाइट नहीं लगे, अगले चुनाव में फिर आना। भीख मांगने वाला समाज बना दिया। हमारा समाज कभी भीख मांगने वाला नहीं था। हमारे यहां ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था थी। गांव में व्यक्ति रहता था, भीख नहीं मांगता था, एक-दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते थे। किसी को भीख मांगने की इजाजत भी नहीं थी और भीख मांगता भी नहीं था। स्वावलम्बी गांव थे हमारे। इस पश्चिमी सभ्यता के औद्योगिकीकरण के कारण यह भारत देश गरीब भारत और अमीर भारत के बीच में बंट गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब, माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी की मैं बात कर रहा था। उनकी जब सरकार आयी थी, इतने भारी बहुमत से आयी थी, खजाना खाली छोड़ गये, खजाना खाली छोड़ गये, नारा लगाया था। हमारे पास खजाना नहीं है, खजाना नहीं है। उन्होंने क्या किया? जब छोड़कर गये तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा छोड़कर गये हैं। बिजली कम्पनीज का कर्जा छोड़कर गये हैं। वसुन्धरा जी ने कभी नहीं कहा। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कभी नहीं कहा, कभी सार्वजनिक वक्तव्य नहीं

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति यह कहेगा, जो सरकार यह कहेगी, जो व्यापारिक संस्था यह कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो उसे कोई पैसा देगा भी नहीं। हमारे मुखिया का एक प्रकार का दृढ़ निश्चय है, वे पैसा जरूर लाएंगी, टैक्स का कलेक्शन करेंगी, राजस्थान के विकास को नये आयाम देंगी, और दिये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2015-16 के मूल अनुमानों में 556.82 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहेगा। 2015-16 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 2.99 परसेंट है। राजस्व प्राप्तियां 1,11,361 करोड़ 66 लाख रुपया है। राजस्व व्यय 1,10,804.84 करोड़ रुपया है। राजस्व आधिक्य 556 करोड़ रुपया है। पूंजी खाते में प्राप्तियां 26,526.03 करोड़ रुपया है। पूंजी खाते में व्यय 26908.54 करोड़ रुपया है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो हमारा कैपिटल रेवेन्यू है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तब्दील नहीं किया, यह कांग्रेस सरकार करती है। कैपिटल रेवेन्यू है, आप इसके लिए कैपिटल जनरेट करें।

आप यदि पिछली कांग्रेस सरकार के आंकड़े देखें तो उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं में इतना पैसा बर्बाद कर दिया कि कैपिटल योजनाओं के लिए पैसा बचा ही नहीं। वो भी लास्ट समय में जाते-जाते, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने दो-तीन साल में कुछ नहीं किया और हमने दो-तीन साल में सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। जाते-जाते देश की जनता का धन लुटा गये वोटों के लालच में, लेकिन वोट नहीं मिला, वे स्वयं सत्ताच्युत हो गये।

दो वर्ष में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय कांग्रेस के शासन में 2009-10, 2010-11 में कुल मिलाकर 41696 खुले थे। भाजपा का 2013-14, 2014-15 के शासन में 53760 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय खुले हैं। यह हमारी दो साल की उपलब्धि है।

ऊर्जा के क्षेत्र में 5 वर्ष के शासन में 2003 से 2008 के बीच 1556 मेगावाट बिजली पैदा की। कांग्रेस के शासन में, दो वर्ष के कांग्रेस के शासन में 2293 मेगावाट बिजली पैदा हुई। हमारे शासन में 2013 से 2015 तक 4282 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। दो सालों में दुगुनी हुई है। क्या किया? हम पूछना चाहते हैं कि दो साल में उन्होंने क्या किया? आज हमसे जवाब मांगते हैं कि

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

ऊर्जा क्षेत्र में आपने क्या किया। गांव के किसान को बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? हम कह रहे हैं गांव के किसान को बिजली मिल रही है, 8 घण्टे बिजली मिल रही है। हमने ऊर्जा के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय भैरोंसिंह जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में 13400 किलोमीटर सड़कें बनी थीं, गांव जोड़े थे 3920, फिर गहलोत साहब आये तो उन्होंने 9507 किलोमीटर सड़कें जोड़ीं 13400 के अगेंस्ट में। गांव जोड़े 1537, माननीय वसुन्धरा जी आयीं, उन्होंने 40 हजार किलोमीटर की सड़कें जोड़ीं। फिर गहलोत जी आये तो उन्होंने केवल 9 हजार किलोमीटर सड़कें जोड़ी हैं। हमारे पिछले शासनकाल में 40 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं। गहलोत जी ने पिछली बार जब छोड़कर गये तो केवल मात्र 9 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं। हमारे दो साल के कार्यकाल में 11043 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। उनके 5 साल में 9 हजार। कुल 2503 गांवों को सड़कों से जोड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब महंगाई की स्थिति देखें। यदि महंगाई की स्थिति देखेंगे तो गहलोत जी के शासनकाल में 40 रुपये किलो चीनी थी, अभी 35 रुपये किलो है। चावल 32 रुपये थे, अभी 28 रुपये हैं। गेहूं 19 रुपये था, अभी 18 रुपये है। पेट्रोल 73 रुपये था, आज 58 रुपया हो गया। डीजल 65 था, 50 हो गया। सोना 32200 था, आज 29 हजार रुपया हो गया। चांदी 50500 थी, अभी 36 हजार रुपया है। मूंग का मोगर 115 रुपये किलो था, आज 70 रुपये किलो है। चने की दाल 75 रुपये किलो थी, आज 65 रुपये किलो है। प्याज उनके राज में 40 रुपये किलो था, आज 20 रुपये किलो है। मूंगफली का तेल 140 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो है। तिल्ली का तेल 120 रुपये किलो था, आज 80 रुपये किलो है। बिल्डिंग मैटेरियल, लोहा 38 रुपये किलो पहुंच गया, हमारे राज में आज 28 रुपये किलो है। सीमेंट 330 रुपये का कट्टा था, आज 250 रुपये है। महंगाई का स्तर हमारे यहां गिरा है। आम जनता को रिलीफ दिया है। आज गरीब व्यक्ति के लिए मकान सुलभ हो गया है। बिल्डर्स के एडवरटाइजमेंट देखिए, आओ, मकान लेओ, कुछ भी देओ, लेकिन मकान में रहो। इस प्रकार की स्थिति हो गयी। प्रत्येक व्यक्ति को मकान देने का जो हमारा सपना है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

नियुक्तियों की बात करते हैं, रोजगार की। कहते हैं आपने 15 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था, क्या किया? अभी दो साल में हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया तो मैं दो साल के आंकड़े भी बता देना चाहता हूं। राजकीय क्षेत्र में 75954 नियुक्तियों और 4511 अनुकम्पात्मक नियुक्तियों सहित 80465 नियुक्तियां दे दी हैं तथा एक लाख पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को एक-एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि एक एम्प्लायज प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन है जिसने यह बताया है कि दो वर्षों में 4 लाख 74 हजार 514 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। 4 लाख 74 हजार 514 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और ये आंकड़े कह रहे हैं एम्प्लायज प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन के। हमने कहा है कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो सरकारी और गैर सरकारी, सब उसमें शामिल हैं। इस प्रकार आज हमारा आंकड़ा दो साल में पहुंच गया है, 6 लाख 3 हजार 486 लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया है।

दो साल में ही हमसे पूछ रहे हो जबकि हमने कहा था कि 5 साल में हम 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। वो हम कौशल विकास के माध्यम से करायेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, उद्योग-धंधे लगायेंगे। अभी तो हुआ क्या है, अभी तो रिसर्जेंट राजस्थान के एमओयू ही हुए हैं। जिस दिन ये एमओयूज एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो लाखों लोगों को रोजगार देने के अवसर फिर पैदा हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार रिसर्जेंट राजस्थान में जितने एमओयू हुए उन सभी एमओयूज को कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करने दिया कि ये बीजेपी की सरकार के एमओयू हैं, वसुन्धरा जी की सरकार के एमओयू हैं ये। अगर कोई उपलब्धि है, कोई व्यक्ति आया है तो वो एमओयू हमारी सरकार के समय हुए थे, कांग्रेस की सरकार के समय नहीं हुए। बीज हमने डाला था, फल आपने खाये हैं, कोई बात नहीं पर राजस्थान का विकास तो हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान में जो लोग आये थे उनके विचार मैं आपको सुनाना चाहता हूं। श्री अनिल अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता ग्रुप – 'जयपुर को इतना सुन्दर मैंने कभी नहीं देखा। राजस्थान दूसरा आस्ट्रेलिया और कनाडा है। यह दूसरा इंग्लैण्ड भी बन सकता है।' यह अनिल

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता ग्रुप ने कहा है। साइरस मिस्त्री, चेयरमैन, टाटा ग्रुप – 'हमें यह यकीन है कि रिसर्जेंट राजस्थान का यह मिशन निश्चित रूप से सफल होगा।' भारत में जापान के राजदूत श्री ताकेशी यागी भी वहां आये थे – 'नीमराना में स्थापित जापानी जोन में जापानी कम्पनियों को मिल रहा प्रोत्साहन उल्लेखनीय है।' कई लोग चले गये, मैं उनको सुनाना चाहता था और वो टी.वी. पर सुन रहे हैं। क्या कहा गौतम अडानी ने, अनिल अग्रवाल ने, साइरस मिस्त्री ने, ताकेशी यागी ने? जे सी बी लिमिटेड ने – 'राजस्थान में हो रहा विकास प्रशंसा के योग्य है' – श्री जोसेफ बम्फोर्ट। चेयरमैन, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड – 'रिसर्जेंट राजस्थान की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। इसके आयोजन में मुख्य मंत्री के नेतृत्व की क्षमता की झलक दिखाई दे रही है।' और जलो आप लोग, कह गये वो तो। जलते रहो, जलने वाले जलते रहेंगे। वो तो कह गये – रिसर्जेंट राजस्थान की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है और इसके आयोजन में मुख्य मंत्री के नेतृत्व की क्षमता की झलक दिखाई दे रही है। मैं तो राजस्थान का ही हूं, राजस्थान – पधारो म्हारे देश। अनिल अम्बानी जी क्या कहते हैं? 'ईज आफ डुईंग बिजनैस के लिए किये जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिल रहा है।' ईज आफ डुईंग में हमारा राजस्थान बहुत अग्रणीय है, बहुत अग्रणीय है। सिंगापुर के कानून मंत्री जी ने कहा – 'पिछले एक साल के प्रयासों से राजस्थान बेहतर गति से आगे बढ़ रहा है।' साउथ आस्ट्रेलिया के श्री मार्टिन हेमिल्टन स्मिथ ने क्या कहा है, काका हैं क्या, उन्होंने कहा है – 'जिस तरह से आस्ट्रेलिया के विकास में साउथ आस्ट्रेलिया का योगदान है उसी तरह भारत के विकास में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है।' आस्ट्रेलिया के विकास में साउथ आस्ट्रेलिया का जो योगदान है उसको याद करते हैं तो भारत के विकास में राजस्थान को भी निश्चित रूप से याद किया जायेगा, यह उन्होंने कहा है। कुमार मंगलम बिड़ला – 'इसमें शक नहीं कि राजस्थान निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा।'

ये जो एमओयूज हुए हैं उनमें कृषि के क्षेत्र में 10, शिक्षा के क्षेत्र में 8, इन्फ्रास्ट्रक्चर में 35, मैन्युफैक्चरिंग में 40, पर्यटन के क्षेत्र में 122, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 136, पैट्रोलियम एवं खान के क्षेत्र में 25, सड़क एवं उच्च मार्ग में 5, ऊर्जा में 9, कौशल विकास में 9 हुए हैं। रोजगार कृषि के क्षेत्र में मिलेगा 5317, शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा 12 हजार, इन्फ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

46975, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में 56698, पर्यटन के क्षेत्र में 18617, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 81605, पैट्रोलियम एवं खान के क्षेत्र में 18472 लोगों को रोजगार मिलेगा।

पिछला जो रिसर्जेंट राजस्थान किया था वो हमने लास्ट में लिया था लेकिन जो अभी रिसर्जेंट राजस्थान हुआ है उसके लिए पहले साल मुख्य मंत्री जी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गयीं, लोगों की जन समस्याओं को सुना और राजस्थान को खड़ा करने के लिए एक साल तक जो प्रयास किया उसमें विभिन्न शहरों में मेले लगाये, देश और विदेश में हमारे मंत्रियों को भेजा, अधिकारियों को भेजा, इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए भेजा और वो यहां आये तथा इस प्रकार की बातें कही। ये कोई कम बात है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान कलेवा योजना, अक्षय पात्र योजना, ये सब योजनाएं हमारे गरीबों के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए की गयी हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। पहले जब कांग्रेस के शासन में जयपुर विकास प्राधिकरण छोड़कर गये थे तो घाटे का सौदा था, कर्जा था, तनख्वाह नहीं थी। कहां से काम करें, क्या करें, रिंग रोड कैसे बनायें, पृथ्वीराज नगर को डवलप कैसे करें, ये समस्याएं थीं। पर हमारे ऊर्जावान, विद्वान एडमिनिस्ट्रेटर राजपाल सिंह जी के आने के बाद जेडीए की दिशा, दशा बदल गई और आज रिंग रोड भी बन रही है। जेडीए आज कैश सरप्लस में है और विभिन्न प्रकार के डवलपमेंट के काम करा दिये। हमारे चौमूं वालों पर तो बहुत मेहरबानी कर दी राजपाल जी ने।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, माननीय सदस्य? मैं तो आपकी टक्कर में भी नहीं हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत मेहरबानी कर दी और इनके धार्मिक क्षेत्र को डवलप करने के लिए पैसा दे दिया, चौमूं के विकास के लिए पैसा दे दिया। हर जगह पैसा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इनका धार्मिक क्षेत्र कौनसा है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राव साहब का है वो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राव साहब का है, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: सब का है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, सब का है, चलिये। इनके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पैसा दिया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इनके कहीं रतीभर भी टक्कर में नहीं हूं तो ये बार-बार मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैं अब आपसे सुरक्षा चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दुर्गापुरा का एलिवेटेड रोड, अजमेर रोड पर बीआरटीएस का निर्माण हो चुका और पृथ्वीराज नगर में 20780 पट्टे जारी कर चुके। जयपुर नगर निगम भी पीछे नहीं रहा। जयपुर नगर निगम में एलईडी लाइट लगा दी। दो लाख पाइंट्स पर एलईडी लाइट लगाई जा चुकी हैं। स्मार्ट सिटी ...(व्यवधान) दुर्गापुरा रोड तो मैंने बोल दी जिसका बहुत दिनों से काम पैण्डिंग था। घर-घर से कचरा उठाने के काम का टेंडर हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय, स्मार्ट सिटी का हिन्दी अनुवाद क्या है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा सिटी। तकनीकी रूप से विकसित सिटी।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, इतनी बड़ी इसकी परिभाषा है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तकनीकी, विकसित सिटी, शहर। स्मार्ट सिटी की योजना हमारे मोदीजी लाये हैं और उसके तहत जयपुर शहर में काफी पैसा आ रहा है। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने भी, ताली बजायेंगे, मूक-बधिर लोगों के लिए क्लासेज खोलीं। स्कूल में जगह दी है। इन्होंने मूक-बधिरों के लिए बहुत बड़ा सोशल वर्क किया है। अच्छा काम किया है। मैं कहता हूं कि इन्होंने स्कूल-कालेज तो खोले ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे काम शिक्षा के क्षेत्र में किये हैं जिनको निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। पर्सेन्टाइल कर दिया। राजस्थान के लोगों को चांस मिलेगा। आर बी एस ई के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी पर्सेन्टाइल सिस्टम के आधार पर। शिक्षकों की भर्ती में राजस्थान का एक पाठ्यक्रम जोड़ दिया ताकि राजस्थान के लोगों को चांस मिल सके।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): गुरुजी समय पर स्कूल जायेंगे क्योंकि थम्ब सिस्टम चालू कर दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 74 लाख एल ई डी बल्ब वितरित कर चुके हैं और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं। (व्यवधान) वे उच्च

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद की प्रखर भावना शिक्षा के क्षेत्र में जगाई है। अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप महान हैं। यह बात लोगों को पढ़ा रहे हैं। अकबर महान नहीं हैं, महाराणा प्रताप महान हैं और राजस्थान के लोगों को यह कहना पड़ता है कि अकबर महान है। कभी महाराष्ट्र के लोग कहते हैं। उनका आदर्श है शिवाजी। हमारा आदर्श है महाराणा प्रताप। हमारे बच्चे पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की कहानियों को और महाराणा प्रताप जैसे वीर बनेंगे। हेमू कालानी, वीर सावरकर, इनकी शिक्षाओं को पढ़ेंगे। शहीद भगतसिंह को, जो क्रांतिकारी थे, उनको देशद्रोही बताया गया। सुभाष चन्द्र बोस की अब जो बातें खुल रही हैं। कांग्रेस ने वह सारी फाइलें दबाकर रखी थीं, अब खुल गई। पश्चिम बंगाल में अब उनको मालूम चल जाएगा, किस प्रकार से सुभाष चन्द्र बोस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। केवल गांधीजी और नेहरूजी के नेतृत्व में ही काम नहीं हुआ था, लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। सुभाष चन्द्र बोस ने भी उसमें अहम् भूमिका निभाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्रीजी बोलेंगे, मेरे बारे में नहीं बोला। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बारे में मैंने पहले बोल दिया था। आप वहां थे उधर। आरोग्य राजस्थान, भामाशाह कार्ड और मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मैं यह सब बोल गया। दुबारा बोलूं क्या? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 3,07,373 परिवेदनाएं आईं। इनमें से 3,05,996 परिवेदनाओं का निस्तारण कर दिया, यानी 99 प्रतिशत। आप कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार यह कर रही है। हमारे कई बड़े-बड़े मित्र कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है? सरकार यह कर रही है। 3,07,000 में 3,05,000 परिवेदनाओं का निस्तारण कर दिया घर-घर जाकर। सरकार आपके द्वार, मैं भी विधायक आपके द्वार जाता हूं, घर-घर जाता हूं। लोगों से सम्पर्क करता हूं। वह कार्यक्रम मेरा चालू है। तो सरकार आपके द्वार से मैंने प्रेरणा ली है। माननीय मंत्री महोदय, आप भी जाइये। देख क्यों रहे हो? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपको क्या पता, मैं जाता हूं या नहीं जाता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): विधायक आपके द्वार कार्यक्रम जारी रखिये। जनता से सम्पर्क बनाये रखिये। आप तो सीनियर मोस्ट हैं। (व्यवधान) आपका कभी अख़बार में आता नहीं। न्याय आपके द्वार, आज

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

इतना बड़ा काम हुआ है सरकार में दो साल में ही। पहले किसान खातेदारी के लिए, सीमा ज्ञान के लिए, उत्तराधिकार के लिए, पटवारी तहसीलदार, कलक्टर, प्रधान, पंच के यहां चक्कर ही खाता रहता था। सीमा ज्ञान करा दो मेरा। उसके पिताजी की डैथ हो गई, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र ला दो। हमारा नामांतरण करा दो। चक्कर ही खाता रहता था। न्याय आपके द्वार किया और 21 लाख प्रकरणों का निस्तारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वसुन्धराजी की सरकार ने किया। इसका मतलब इतने सारे पेंडिंग थे ना? इतने सारे पेंडिंग थे। अब वे काम करते तो यह इतने सारे पेंडिंग रहते ही नहीं और आज हम काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी की एक सोच है। उन्होंने कलक्टर्स को आदेश दिया है कि भई, अगर बाड़मेर का व्यक्ति,...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जैसलमेर का व्यक्ति, किसी भी जिले का व्यक्ति जयपुर आता है, इसका मतलब कलक्टर इनएफिशिएंट है। जयपुर नहीं आना चाहिए। आप उसका निस्तारण वहीं कीजिये। उसका खर्चा नहीं लगना चाहिए। (व्यवधान) घूमने आओ ना। समस्या सरकार को बताने नहीं आना चाहिए। कलक्टर हैड आफ द मालिक है वहां, जिले का मालिक है। सभी विभागों के लोगों को बुलाकर, समस्याओं का निस्तारण करे। इस बात के लिए कहा है तो निश्चित रूप से कलक्टर्स को जब जिम्मेदार बता दिया तो यहां भी भीड़ कम होने लग गयी। आपका जिला आपकी सरकार। हमने तीन कार्यक्रम अच्छे किये हैं। सरकार आपके द्वार, न्याय आपके द्वार, विधायक आपके द्वार, आपका जिला आपकी सरकार। हमारे सवाई माधोपुर, बाड़मेर, नागौर में मंत्री गये, मुख्य मंत्री गयीं, अधिकारी गये और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी गये। (व्यवधान) संगठन के आदेशों पर चल रही है सरकार। (व्यवधान) संगठन बड़ा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वसुन्धराजी हमारी नेता हैं। लेकिन हम सब संगठन के रूप में एकजुट होकर जनता को लाभ पहुंचाने के लिये, जनता के दु:ख-दर्द को दूर करने के लिये आये हैं। सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आये हैं। इसलिए यह सुख नहीं भोगा। गांव-गांव गये हैं। आपका जिला आपकी सरकार, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, नागौर का औचक निरीक्षण किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं जो मैं इसके माध्यम से बताना चाहता था। जयपुर में जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री रहती हैं

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अधिकारियों की मीटिंग लेती हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। यह जो मदिरा की दुकान, दारू की दुकान है। आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं। एक पालिसी डिसीजन सरकार ने लिया है, अख़बार में भी आया है। गांव में या वार्ड में 20 प्रतिशत लोग यदि मांग करते हैं कि मदिरा की दुकान यहां नहीं होनी चाहिए तो वहां मतदान होगा। 20 प्रतिशत लोगों के मांग करने पर मतदान होगा और 51 प्रतिशत लोग यदि इसके पक्ष में हो गये कि मदिरा की दुकान वहां नहीं खुले तो दुकान नहीं खुलेगी। इतना बड़ा डिसीजन हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लिया है।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा। ई-गवर्नेंस, वाई-फाई हाट स्पाट। मैं सेंट्रल पार्क जाता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं आपकी नालेज के लिए। कई जगह वाई-फाई हाट स्पाट खुले हैं। सचिवालय में, अन्य दूसरे भवनों में...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आसन का ज्ञान बढ़ा रहे हैं ये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): शांत रहो प्लीज। सेंट्रल पार्क, सचिवालय भवन व अन्य जगहों पर वाई-फाई के कनेक्शन लग गये। वहां मैं बच्चों को बैठे हुए देखता हूं। बच्चों के झुंड के झुंड, स्टूडेंट्स के झुंड के झुंड वहां बैठे मिलते हैं। मैंने देखा क्या बात है, ये घूम तो रहे नहीं हैं। ये टेलीफोन पर क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा तो कहते हैं, हम यहां एप्स डाउनलोड कर रहे हैं और एप्स को डाउनलोड करने का जो पैसा हमको मिलता है, उससे हम अपने फोन को रिचार्ज करवा लेते हैं। बड़ी विचित्र बात बतायी। मैंने कहा, भैया, तुम्हारा आने-जाने का खर्चा भी लगता होगा ना, सेन्ट्रल पार्क में आ रहे हो, सचिवालय में आ रहे हो, किसी ऐसी जगह पर आ रहे हो जहां वाई-फाई कनेक्शन लग रहे हैं तो वे कहते हैं साहब, चार रुपया जाने का, चार रुपया आने का और 35 रुपये का रिचार्ज मिल जाता है वाई-फाई के द्वारा, इतनी बड़ी बात हो गयी। कम बात है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग चालू हो गयी, साढ़े सात हजार पंचायतों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ दिया। कलक्टर भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत की मीटिंगों को देख सकता है, वहां के लोगों की समस्याओं को सुन सकता है। मुख्य मंत्री सुन रहे हैं कलक्टरों को, कलक्टर भी पंचायत समिति वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम पहुंच सकता है, समस्याओं का समाधान

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कर सकता है। 35 हजार ई-मित्र कियोस्क हैं उनके माध्यम से बहुत बड़ी सेवाएं हो रही हैं। हमारे पास जो व्यक्ति आता है मैं कहता हूं कि ई-मित्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करायें, भामाशाह का रजिस्ट्रेशन करायें, मुफ्त इलाज मिलेगा, पेंशन मिल जाएगी। ई-मित्र पर चले जाओ, सब काम हो जाएंगे। मैं सभी विधायक बंधुओं से कहना चाहूंगा कि सभी ई-मित्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

अब मैं कहना चाहता हूं कि यह सुगम पोर्टल और सम्पर्क पोर्टल एक बहुत अच्छा पोर्टल है। फोलो करती है सरकार, हम सरकार को फोलो करते हैं। बिजली की समस्या निपटा दो, पानी की मिटा दो, सड़क की मिटा दो, सफाई करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। आप सीधे सम्पर्क पोर्टल पर जाइए और अपनी समस्याएं लिखवाइए, चैन से सो जाइए, वो अपने आप आपको पूछते रहेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो करके देंगे कि यह आपकी समस्या का समाधान हो गया और नहीं तो पेंडिंग बोलती रहेगी।

ई-गवर्नेंस, मैंने पिछली बार जब नगरीय मंत्री महोदय की डिमाण्ड थी तब यह कहा था कि तीन दिन में फाइल क्लियर कराओ। इन्होंने आर्डर भी निकाल दिये। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो फाइल्स आनलाइन चलेगी। एक-एक डिपार्टमेंट को लेते जा रहे हैं और पूरा ई-गवर्नेंस कर रहे हैं। फाइल के लिए आपको क्लर्क के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही देख सकते हैं कि फाइल पर क्या लिखा हुआ है और किस अधिकारी के पास फाइल पेंडिंग हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटी के लिए हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया बात की है। सरकार बेटी के जन्म दिवस पर 2.84 लाख लोगों को बधाई पत्र दे चुकी है। बेटियों के जन्म पर सी.एम. की फोटो सहित उनको बधाई दे चुकीं। एक गरीब व्यक्ति के घर पर जब बेटी पैदा होती है तो दुख भी होता है कि कैसे पालूंगा या पालूंगी? लेकिन जब सी.एम. की चिट्ठी पहुंच जाती है तो वह परिवार भी समझता है कि वास्तव में सरकार हमारे साथ है, वसुन्धरा जी हमारे साथ में हैं। बेटी बचाओ अभियान हमने यूं ही नहीं किया है, हम चाहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और वसुन्धरा जी उसके साथ में है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर ऊर्जा पर जो हमने अचीवमेंट किये वो मैंने बताये थे आपको। लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं ऊर्जा को, बिजली को तो बुरा मत मानिये बल्कि गर्व कीजिए। क्योंकि मोमबत्ती तभी याद आती है जब अंधकार होता है। अंधकार में ही बिजली की याद आती है। अंधेरे गांव नहीं रहेंगे, अंधेरी ढाणियां नहीं रहेंगी और गांव में उजाला पहुंचे, पूरे देशभर में उजाला पहुंचे। इसके लिए कल ही मोदीजी ने घोषणा भी की है, जेटली जी ने घोषणा की है। सन् 2018 तक कोई भी गांव, ढाणी बिजली से वंचित नहीं रहेगा। राजस्थान में तो बहुत अच्छी स्थिति है लेकिन देश के अन्य स्थानों पर स्थिति खराब भी है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे राज्यपाल के अभिभाषण में जिस प्रकार का चित्रण प्रदेश का किया गया है और कल अरूण जेटली जी ने देश का जो चित्रण किया था उसके आधार पर हम सब लोग राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करते हैं, जेटली जी के बजट का स्वागत करते हैं और अंत में यही कहना चाहूंगा:-

एक आदमी के बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे
कमल खिलेंगे सदा, मोदी और वसुन्धरा मुस्कराएंगे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

सूचना

जोधपुर में गौ वध की घटना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जोधपुर से इतिला आयी है मेरे पास कि कोई असामाजिक तत्वों ने सेक्टर-12, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अन्दर गाय का कत्ल कर दिया। गाय का गला काटकर के गौ-माता को अलग कर दिया है और वहां पर स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। वहां कोई दुर्घटना नहीं हो जाए इसलिए मैं मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): निश्चित तौर पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी लेकर के माननीय सदस्या को अवगत करा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कल सदन में अभिभाषण पढ़ा गया, मैं महामहिम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने विद्वान सदस्य के बाद मुझे बोलने के लिए खड़ा कर दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ बोलूं या इस सद्‌भाव के प्रति संसदीय कार्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण सदन की परम्परा है और जिस अभिभाषण को पढ़ने के बाद माननीय सदस्यों को पढ़ने और सदन में अपनी बात रखने के लिए दिया जाता है यह एक सामान्य दस्तावेज नहीं है। यह सरकार की उपलब्धियां और आने वाले भविष्य की योजनाओं का प्रतिबिम्ब है। अगर हम ईमानदारी से इसको पढ़ेंगे तो पिछले दो साल में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं, इसका जिक्र इस अभिभाषण में हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर हम ठीक से इसे पढ़ेंगे तो हमारा सबका साक्षात्कार उनके साथ होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल दो महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस का राज था और ऐसा लगता था कि प्रदेश में शासन में एक जर्जर ढांचा है। पूरे राज्य में दिशाहीनता थी, अहसास ही नहीं था कि कोई सरकार है। कोई प्रबंध नहीं, अराजकता का आलम, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और अनियोजित तरीके से जनता के धन की बर्बादी सरकार का चरित्र बन गया। मदांध सत्ताधीशों को इस बात की अनुभूति नहीं रही कि उनके कारनामों से प्रदेश त्रस्त है और अगर मैं कारनामों की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा कर रहा हूं तो मैं बहुत लम्बी चर्चा में तो नहीं जाना चाहता लेकिन उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि राजस्थान न केवल त्रस्त था, अपमानित था, मंत्रियों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के कारनामे ने पूरे राजस्थान को लज्जित कर दिया था। केवल भ्रष्टाचार, अहंकार, दम्भ नहीं, महिपाल जी मदेरणा, बाबूलाल जी नागर, रामलाल जी, इन विधायकों के चरित्र पर राजस्थान की जनता अपने फैसले पर अपमानित महसूस करती रही और बहुत लालित्य भाव से जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो एक ऐतिहासिक बहुमत हमको दिया, लालित्य भाव से। विरासत में एक जर्जर ढांचा मिला।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन की नेता और राज्य की मुख्य मंत्री को जिन्होंने अपने आपको इस चुनौतीपूर्ण कसौटी पर खरा उतारते हुए अहसास कराया जनता को कि आपकी सरकार है, आपका शासन है। लम्बे समय बाद पांच साल के कुशासन से त्रस्त जनता को अहसास हुआ कि मेरा अपना राज आया है। मुख्यमंत्री जन-धन योजना से सारे प्रदेश को जोड़ा गया। भामाशाह बीमा योजना केवल एक स्कीम नहीं है। सरकार के उस भामाशाह चरित्र को दिखाती है कि जिस भामाशाह ने संकट काल में इस देश की जनता के लिए मेवाड़ वंश की परम्पराओं का सम्मान करते हुए समर्पण किया। सरकार समर्पित है जनता के लिए। मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहता। भामाशाह के व्यक्तित्व के अनुरूप काम हाथ में लिया। एक ऐसी योजना आम आदमी की रखी जिससे गरीब आदमी में आत्मसुरक्षा का भाव आया।

मुझे याद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह बीमा योजना से राजस्थान का गरीब आदमी बड़े अस्पतालों की चौखट पर नजर आने लगा है। पिछले राज के मुख्य मंत्रीजी जब किसी प्राइवेट अस्पताल के उद्‌घाटन पर टिप्पणी कर रहे थे तब कहा था कि प्राइवेट अस्पताल लूट के अड्डे बन गये हैं। गरीब इनकी तरफ झांक नहीं सकता है, इलाज नहीं करा सकता। राजस्थान की जनता ने निन्दा की। राज्य के मुख्य मंत्री को कानून बनाकर राजस्थान की जनता के साथ लूट-खसोट करने वाली किसी भी संस्था पर अंकुश और प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। केवल राजनीतिक लफ़्फ़ाज़ी करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज वसुन्धरा जी ने भामाशाह बीमा योजना में इस प्रदेश के बड़े से बड़े निजी अस्पताल तक गरीब आदमी की अप्रोच को खड़ा कर दिया और इतना ही नहीं अभी जिक्र कर रहे थे किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य 'सरकार आपके द्वार' 'आपका जिला आपकी सरकार' का।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दूसरी बार इस सदन में आया हूं। चौदहवीं विधान सभा का गठन हुआ है। आप भी जानते हैं, यह सदन जानता है सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं लेकिन जनता का अहसास नहीं बदलता। अहसास बदलने के लिये उसके साथ पटवारी, तहसीलदार, थानेदार का व्यवहार बदलना आवश्यक है। राजधानी में बैठकर उस व्यवहार को बदलने की मानीटरिंग नहीं, बीकानेर, जैसलमेर में जाकर कहा छोटे तबके के कर्मचारी के आचरण से गरीब जनता त्रस्त है, हम अंकुश लगायें। पहली बार फीलिंग हुई राजस्थान की जनता को कि कोई सरकार आयी है। नीचे तक जाकर आम आदमी के बारे में चिन्ता करने का विचार जिसने संजोया है। लोगों ने मजाक उड़ाया कि सरकार जा रही है। राजधानी में बैठकर भी कुछ किया जा सकता था।

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चौदहवीं सरकार है। गरीब आदमी की अनुभूति नहीं बदलती। उसकी अनुभूति तब बदलती है जब तहसीलदार का व्यवहार उसके साथ बदले, थानेदार का व्यवहार उसके साथ बदले, पटवारी और पुलिस के सिपाही का व्यवहार उसके साथ बदले। जहां-जहां राजस्थान की मुख्यमंत्री 'सरकार आपके द्वार' 'आपका जिला आपकी सरकार' में गयी, अधिकारी थर्राने लगे। कोई आवेदक मुख्य मंत्री के सामने नयी शिकायत लेकर जाएगा तो आम आदमी की हाज़िरी में खड़ी हो गई सारी की सारी निचली प्रशासनिक लाबी। यह अहसास लोकतंत्र की स्थापना के बाद पहली बार राजस्थान को हुआ। मजाक उड़ाया कांग्रेस ने। मुझे आंकड़ों में नहीं जाना, अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 3 लाख 7 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं और 3 लाख 5 हजार का डिस्पोजल हुआ। यह मुख्य मंत्री की सोच है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुगम पोर्टल, मैं दूसरी बार विधायक हूं। विधायक कोई शिकायत लिखकर दे दे तो 4, 6, 10 दिन, महीना, दो महीने में समाधान होगा लेकिन साधारण व्यक्ति भी अगर सुगम पोर्टल मुख्य मंत्री पर शिकायत लिखकर डाल दे तो 110 परसेंट उसका समाधान होगा। निश्चित रूप से सारी प्रशासनिक मशीनरी इस बात के लिए पाबंद है, यह व्यवस्था कर दी। यह लोकतंत्र है, यह सच्चा दर्शन है। यह जनादेश का सम्मान है। जनादेश का सम्मान एक चुनौती बन गया था पिछले राज के कारनामों के कारण और अभी हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक साल के लिए नहीं आये हैं, दो साल के लिए नहीं आये हैं। एक साल, दो साल नहीं पांच साल के लिए आये हैं। पांच साल के बाद भी आना होगा। अभी तो जर्जर ढांचा ठीक किया है। मुझे याद है सदन में 2013 में जब वसुन्धरा राजे जी ने सरकार सम्भाली तो राज्य की वितीय स्थिति किस भयानक दौर में खड़ी थी यह मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, मैं तो गांव से आने वाला व्यक्ति हूं। आज भी आपने कुछ लैसन दिया तो मैंने संकेत किया कि सिर के ऊपर से निकल गया है। किस वितीय स्थिति से राजस्थान को उबारा है। ढांचा ठीक किया है, दिशा दी है, अहसास दिया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार की दूरदृष्टि से आने वाले समय में राजस्थान विकास की रफ्तार पकड़ेगा, पर मुझे अफसोस है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पिछली बार सदन में नहीं था आप तो थे। पांच साल सरकार में रहकर भी प्रतिपक्ष के लोगों ने शासन के बारे में कुछ नहीं सीखा और विपक्ष में रहकर भी पढ़ना नहीं सीखा। उन्हें इस जिम्मेदारी का अहसास नहीं कि सदन में जिम्मेदारी का व्यवहार करें। प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो नीतिगत बात करे। मुद्दों पर बात करे पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दे ही नहीं हैं। मुद्दे हों तो चर्चा करें।

मुद्दाविहीन कांग्रेस हंगामा खड़ा करना चाहती है और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि मुद्दों के अकाल से त्रस्त कांग्रेस घबराहट में है और यह स्थिति केवल राजस्थान में ही नहीं, कांग्रेस की दिल्ली तक यह स्थिति है। पूरे देश में कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गयी है और मुद्दों की तलाश कांग्रेस के युवराज को जेएनयू के दरवाजे तक ले गयी। मुद्दों की तलाश में कांग्रेस का युवराज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के दरवाजे तक चला गया। मुद्दाविहीन कांग्रेस का इससे बड़ा आचरण कोई दूसरा नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के युवराज उन लोगों के पैरोकार बने जो देश के खिलाफ नारे लगायें और सारी की सारी कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की पैरोकारी करने वाले अपने युवराज के समर्थन पर, उसके आचरण पर पर्दा डालने के लिए खड़ी हो जाए। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं। सदन उनका सम्मान करता है। हम बहुत छोटे हैं वो खड़े होते हैं तो हम चुप रहकर सुनते हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(15.00 बजे)

कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने खड़े होकर कहा, गृह मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, केवल आप इतना बता दें कि सरकार अपने विधायकों की अभद्र भाषा का समर्थन करती है। उपाध्यक्ष महोदय, जेएनयू में हिन्दुस्तान विरोधी लगाये, हिन्दुस्तान के टुकडे होंगे, अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दें, उसकी शहादत की बरसी मनायें और उन लोगों के समर्थन में जाकर कांग्रेस के युवराज खड़े हो जायें, क्या कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इस आचरण को सही बताती है, इस बात का जवाब आज पूरा हिन्दुस्तान कांग्रेस से मांग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मजाक नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन का बायकाट कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान को लोग आज याद करते हैं। मैं कांग्रेस के योगदान को नजरंदाज करने की बात नहीं करता। मुझे अचम्भा है, नेहरू, गांधी की कांग्रेस देश के खिलाफ नारा लगाने वालों का कवच बन जायेगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर लोकतंत्र का मखौल उड़ायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं है। कांग्रेस को समझना चाहिये कि हम किनका समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों का, जिनके आतंकवादियों के साथ तार रहे हो। भारत की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पार्लियामेंट में घुसकर जिन्होंने चुनौती देने का प्रयास किया, इस आतंकवाद के दंश को कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता है। दो-दो प्रधानमंत्रियों की शहादत देने के बाद, बलिदान के बाद आज कांग्रेस का आचरण यह बन जाये कि जो भारत की डेमोक्रेसी को चुनौती दें, भारत के लोकतंत्र को चुनौती दें, भारत की पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें घुसकर हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की चूलें हिलाने का दुस्साहस करें और उनकी पैरवी आज कांग्रेस पार्टी करे। मैं आज कांग्रेस के लोगों को नसीहत देना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ उनको यह सनद रहनी चाहिये कि भारत का लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं और जिन लोगों की पैरवी वो कह रहे हैं उनको भी, यह खैरात में मिली हुई कोई वस्तु नहीं है, कोई खिलौना नहीं जिसको खेल-खेल में कोई बच्चा तोड़ दे। उनको सनद रहना चाहिये सदियों की तपस्या और हमारे पुरखों की कुर्बानियों के अस्थि पंजरों के बने हुए वज्र के अस्त्र के प्रयोग से यह महान तंत्र और व्यवस्था हमने कायम की है जिसको लोकतंत्र कहते हैं। इसकी बुनियाद में भगत सिंह की शहादत है। इसकी बुनियाद में राजगुरू,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अशफाक खान, सुखदेव, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत है। इसकी बुनियाद में न जाने कितने लाखों लोगों की शहादत है। सुभाष का अद्वितीय योगदान है। लोकतंत्र को कोई चुनौती दे दे और कांग्रेस के लोग सदन में हंगामा करके उस पर पर्दा डालने का प्रयास करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है कवि गौरव चौहान की यह पंक्तियां कि आज खतरा किससे है, 'खतरे का उद् घोष बजा है रण भूमि तैयार करो, देश को तैयार होना पडेगा। यह समझने के लिये कि कौन देश के बारे में सोचता है, कौन हिन्दुस्तान के खिलाफ सोचता है, कौन विदेशी ताकतों से, भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर इस राष्ट्र की अस्मत के साथ खेलना चाहते हैं, यह आज भारत को तय करना पडेगा। 'खतरे का उद् घोष बजा है रण भूमि तैयार करो, सही वक्त है चुन चुन कर गद्दारों पर वार करो। गौरव चौहान की पंक्तियां है। 'सरहद पर कांटे हैं लेकिन घर के भीतर नागफनी, घर में कौन नाग फन फैलाकर बैठा है हमें उस घर को संवारने, सजाने के लिये आज सारे भारत को जगाना पड़ेगा। इस भारत की राजनीति के गंदे चरित्र ने हमारी लोकतंत्र की चूलों पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। यह लोकतंत्र किसी ने उपहार में नहीं दिया, लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान पर, न जाने कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितनी लाखों बहनें जिंदगीभर राखी की उदासी में डूब कर थक गयीं। इतनी बड़ी बुनियाद पर खड़े लोकतंत्र को चुनौती दे नागफनी की तरह। जिनके हाथों मशालें सौंपी, 'सरहद पर कांटे हैं लेकिन घर के भीतर नागफनी, जिसके हाथों मशोलें सौंपी वह करते हैं आगजनी। यह भारत की बर्बादी के कैसे कथानक लगते हैं, सच तो यह है दहशतगर्दों से अधिक भयानक लगते हैं। 'संविधान ने सौंप दिये अस्त्र शस्त्र आजादी के, शिक्षा के परिसर में नारे भारत की बर्बादी के। अफजल पर छाती फटती देख बहुतेरों की, मगर शहादत भूल गये सियाचीन के शेरों की'। शहीदों की चिंता नहीं है। अफजल की फांसी राजनीतिक इश्यू बनना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं अफजल की फांसी पर दो मत हो सकते हैं, फांसी होनी चाहिये, नहीं होनी चाहिये। खुला राजनीतिक विचार हो सकता है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अफजल गुरु की फांसी की बरसी आयोजित करें, भारत की बर्बादी के नारे लगाये, भारत तेरे टुकड़े होंगे, संसद के हमले के दोषी का महिमा मंडन करे, ऐसा वीडियो आये, देश इसे बर्दाश्त नहीं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कर सकता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसने भी बर्दाश्त किया देश उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की इस घटिया राजनीति ने जिस तरीके से देश को गंदे खेल में दखेल दिया है, ऐसा लगने लगा है, कोई इश्यू नहीं है। सरकार को घेरो और केवल इसलिए कि जो देश विरोधी काम कर रहे थे, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत एक विद्यार्थी संगठन ने उनका विरोध कर दिया, देवयोग से वह हमारी विचारधारा के विद्यार्थी थे और इसलिए हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल विश्वविद्यालय तक विद्यार्थी परिषद के लोगों के उस राष्ट्रव्यापी कदम को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करके मोदी जी पर हमला करने की साजिशें रची जा रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी पर। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां न भारत के हित में हैं, न भारत के आम आदमी के हित में हैं। मैं इस पर और बहुत अधिक लम्बा नहीं बोलना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोचने का विषय है। कांग्रेस के लोग आज जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री इन सारी चीजों की परवाह किये बगैर लगातार आगे बढते चले जा रहे हैं। कल एक बजट आया है, वित्त मंत्रीजी ने रखा है और जो प्रधान मंत्रीजी ने बजट दिया है, अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आजादी के बाद का यह पहला बजट है जिसमें हिन्दुस्तान के किसान को तवज्जोह दी गयी है, जिसमें गरीब आदमी को तवज्जोह दी गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किन शब्दों में भारत के प्रधान मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूं राजस्थान पिछले दो साल से प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है। कई बार इस सदन में चर्चा होती है, फसल बीमा योजना में बदलाव होना चाहिये, जिले की जगह तहसील और तहसील की जगह पंचायत यूनिट होनी चाहिये। भारत के प्रधान मंत्रीजी ने पिछले दिनों नयी बीमा पालिसी लागू करके कह दिया कि अब किसान का इंडिविजुअल खेत आधार होगा चाहे जाड़ा पड़े, चाहे आग लगे, चाहे गर्मी पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे कम फसल हो, जितनी फसल का बीमा होगा किसी भी कारण को आधार बनाया जाये, किसान को पूरा का पूरा भुगतान होगा। पहली बार हुआ है, यह हमारी सोच है, यह हमारी परम्परा है कि शीर्ष पर बैठकर नीचे के आदमी के कल्याण की बात करें। सारे हिन्दुस्तान ने देखा है कि आजादी के बाद पहली बार जब हमारे विचार के प्रधान मंत्री वाजपेयी जी बने,....

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका लम्बा राजनीतिक जीवन है। पानी,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई जैसी छह बुनियादी चीजों के लिए हिन्दुस्तान पचासों सालों से झोली फैलाकर भीख मांगता था। मेरे गांव में सड़क चाहिए और राजनीतिक आधार पर, वोटों के बंटवारे के आधार पर सरकारें सड़कों का फैसला किया करती थीं। इस हिन्दुस्तान की सल्तनत पर आजादी के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री आया, जिसने हिन्दुस्तान की जनता को यह विश्वास दिया अब नेताओं में अविश्वास प्रकट करने की जरूरत नहीं, अब नेताओं के भरोसे पर नहीं, नीतिगत तरीके से हिन्दुस्तान के एक-एक गांव में सड़क पहुंचेगी। तय कर दिया था 31 दिसम्बर, 2007 पांच सौ की आबादी तक सड़क लगभग पहुंच गयी, अगर सरकार 2012 तक में रिपीट होती तो हिन्दुस्तान के नक्शे पर साढ़े पांच लाख गांव, 75 हजार से अधिक ढाणियां कोई बचती नहीं जो पेवर सड़क से नहीं जोड़ दी जातीं, यह हमारी कल्पना है।

दुर्भाग्य है इस हिन्दुस्तान का एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्याचारियों, आतंकवादियों की पैरवी करने वालों की पैरवी करते हो। यूपीए के दस साल में साढ़े नौ लाख करोड़ रुपए के 73 घोटाले हुए, कांग्रेस इसका जवाब देना चाहती है? आज डेढ़ साल से देश में नरेन्द्र मोदी जी का राज है, यह पहला अवसर है जब हिन्दुस्तान में किसी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य की तरफ अंगुली नहीं उठी और वाजपेयी जी ने देश के आम गांव को सड़क देने की पहल की। कल वित्त मंत्रीजी ने कह दिया – 'सारे हिंदुस्तान को 1 मई, 2018 तक बिजली दे देंगे' पचास सालों का सपना कि देश में डैमोक्रेसी आयी है, कोई कल्याणकारी शासन आयेगा, मेरे गांव में सड़क और बिजली लेकर आएगा।

इस 67-68 साल में कमोबेश 55-58 साल राज करने वाली कांग्रेस ने इस सपने को सपना बनाकर रख दिया, लोगों के विश्वास को तोड़ दिया और इसीलिए अटल जी और मोदी जी कहते हैं ये विश्वास जिस पर लोकतंत्र खड़ा हुआ है, ये रेशम से बारीक धागा है, वादों झांसो और बेईमानीपूर्वक आचरण से अब इसे थामकर नहीं रखा जाता, इसे काम के आधार पर रोकेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना और सम्पूर्ण देश का विद्युतीकरण यह उसी में से प्रकट हुआ है। आम आदमी के बारे में हमारा सोच है और ऐसा सोच लेकर मैं समझता हूं कि पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा में गम्भीर प्रयास हुए हैं। कल फिर कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गयी। क्या बोलें? मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखा। यह कहने में शर्म आ रही है कि हिन्दुस्तान में पहली बार निचले वर्ग और किसान का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ध्यान रखा। डरी हुई कांग्रेस किसान और गरीब के बारे में मोदी जी के नजरिया का विरोध करती है तो हिन्दुस्तान का किसान और गरीब जो आंशिक रूप से भी अगर कोई भरोसा रखता है तो वो भी छिटक जाएगा। उसकी उम्मीदों को पंख लगा है।

पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने भारत के आम बजट में गरीब किसान की सोची है और मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि किस-किस मद पर कितना-कितना फंड रखा है। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उस पर लिख दिया कई अर्थशास्त्रियों ने। आज हमने अख़बार में पढ़ा है। अर्थशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्रियों का विजन पढ़कर ही यह विषय समझ में आता है कि आखिर भारत किस-दिशा में जा रहा है। रफ्तार पकड़ी है और वो भारत ने रफ्तार नहीं, जिसमें गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ गई। भारत ने वो रफ्तार पकड़ी है कल के बजट के बाद जिसमें गरीबी और अमीरी की खाई कम होगी और भारत का एक-एक आदमी विकास के अवसर प्राप्त करके आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाने के लिए खड़ा होगा। प्रधान मंत्रीजी ने एक विजन और एक सपना दिया है कि हम 2020 तक इस हिन्दुस्तान में ऐसी व्यवस्था देंगे, जिसमें किसान की आय दोगुनी हो जाए। कभी किसी ने कल्पना नहीं की, कभी किसी ने विचार ही नहीं किया कि भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जाड़ा पड़े तो गर्मी पड़े तो, खेत में खड़ा रहता है। अपना खून पसीना बहाता है, धरती का सीना फाड़ता है, पसीने की बूंदें डालकर अन्न-धन पैदा करके इस हिन्दुस्तान को पालता है। हिन्दुस्तान के पालनहार के बारे में अब तक उपेक्षा का जो नजरिया रहा, पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने उस नजरिये में बदलाव करके उसे अहसास कराया है इस भारत में मेरे बारे में भी कोई चिंतन है। उस दिल्ली तख्त, उस सल्तनत में मेरे बारे में भी कोई नजरिया है और यह नजरिया वाजपेयी जी के समय चला। हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। सरकार चली गयी, नदियां जोड़ेंगे। अकाल से लोग राजस्थान में मरते हैं, बाढ़ से बिहार में। अकाल को अवसर में बदलेंगे। बाढ़ को अकाल में लाकर छोड़ देंगे। अब धीरे-धीरे मैं समझता हूं कि किसानों के बारे में जो कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी प्रारम्भ करेंगे उससे किसान आत्मनिर्भर होगा। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अहसास बदल गया देश का। मोदी जी ने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक नारा दे दिया सरकार बनते ही पहले, '2 अक्टूबर, 2022 तक हम भारत को सम्पूर्ण स्वच्छ कर देंगे' सम्पूर्ण स्वच्छता का सपना, गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करने का संकल्प धारण किया और देश में एक माहौल बन गया । 2 अक्टूबर, 2014 को भारत के प्रधान मंत्रीजी झाड़ू हाथ में लेकर सड़क पर निकले। मोदी जी भी जानते हैं, सारा देश जानता है प्रधानमंत्री का काम झाड़ू हाथ में लेकर सड़क पर निकलना नहीं, समाज को यह संदेश देना मेरे गांव में, मेरे मौहल्ले में, मेरे कस्बे में, मेरे शहर में एक स्वच्छता का वातावरण होना चाहिए और स्वच्छता मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह अहसास बदल गया देश का। आज आम आदमी सोचने लगा है, मेरा गांव, मेरा वार्ड, मेरा शहर, मेरा देश स्वच्छ होना चाहिए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारा छोटा है लक्ष्य बड़ा है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने एक विजन, एक सपना दिया, स्वच्छता का नारा नहीं, स्वच्छता में स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य में कार्यक्षमता है। जिन दुनिया के देशों में स्वच्छता और स्वच्छ स्वास्थ्य है, उनकी कार्य क्षमता बेहतर है। भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं सौभाग्य से हम दुनिया के सबसे नौजवान देश हैं, दुनिया के सबसे नौजवान देश की कार्य क्षमता दुनिया के तमाम देशों से बेहतर कैसे बने ? इसके लिए भारत का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य रहेगा, भारत की कार्य क्षमता बढ़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौशल प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट में। देश के कौने-कौने में यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दीं कौशल प्रशिक्षण की। देश के तमाम अनुभवी एन.जी.ओ. लग रहे हैं और इसके पीछे प्रधान मंत्रीजी का विजन। हमने देखा दस साल यूपीए की सरकार थी, कई बार भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते थे 'गरीबी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है' तब हिन्दुस्तान का 60-65 करोड़ नौजवान भारत के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मानसिक अवसाद में आ जाता था और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया कि इस देश में नौजवान, बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या नहीं होगी। हम इस देश के नौजवान को ऐसा कुशल प्रशिक्षित बनाएंगे कि वो भारत का भविष्य होगा और भारत का भविष्य नहीं, वो पूरी दुनिया की तकदीर लिखने वाला अपने हाथ के हुनर के आधार पर बन जाए, एक कुशल आदमी। एक आंदोलन चला दिया देश में। कौशल प्रशिक्षण, एक एजिटेशन। मोबोलाइजेशन हो गया सारे शहर का, सारे देश

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का। मोबोलाइजेशन एक-एक व्यक्ति में आत्मनिर्भरता कैसे आए। अपना रोजगार, अपनी आत्मनिर्भरता, अपने काम का हुनर, अपनी मुट्ठी में कैसे बंद रहे कि मेरा भविष्य, मेरा कैरियर मुट्ठी में है। इस दिशा में समूचे हिन्दुस्तान के नौजवान को खड़ा करने के लिए भारत के प्रधान मंत्रीजी ने एक आंदोलन चलाया है और मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को इस कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आर.एस.आर.एल.डी.सी. कन्वर्जेंस आधारित कौशल प्रशिक्षण माडल को केन्द्र सरकार ने सराहा है तथा पंद्रह राज्यों के अधिकारियों के इस आर.एस.आर.एल.डी.सी. के प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण किया और राजस्थान को इसमें नम्बर एक दिया।

प्रधान मंत्रीजी के सपनों के अनुसार राजस्थान कैसे सुदृढ़ हो। यह हमारी सरकार का एजेंडा बन गया, हमारी सरकार का महत्वाकांक्षी कदम बन गया और इस दिशा में लगातार, मैं छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद् घाटन करने गया । मैंने परिवार में जो महसूस किया, किसी ने कल्पना नहीं की होगी, भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी इस दिशा में सोचेंगे। एक एन.जी.ओ. ने कहा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, मुख्य मंत्रीजी की योजना है, आपकी कांस्टीट्यूएंसी में चला रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं किस प्रकार का कार्यक्रम होगा। मैं जब वहां गया तो दसवीं-बारहवीं के पढ़े-लिखे बेरोजगार लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे।

मैंने कहा आप इनको क्या प्रशिक्षण देना चाहते हो। उनको प्रशिक्षण वार्ड बाय का, घरेलू पेशेंट को कैसे एंटरटेन किया जाता है, कैसे उसको ठीक तरीके से सजाया संवारा जाता है, तब मुझे याद आ गया मेरे घर का माहौल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मां लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं, बैड पर रहती हैं। अपनी व्यवस्ताओं के कारण मैं उसको समय नहीं दे पाता, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय दूं । पश्चिम बंगाल की गरीब महिला 24 घंटे उसकी सेवा के लिए रखी है, उसका रोजगार चल रहा है। भारत के प्रधान मंत्री जी ने उस व्यक्ति को जो एजुकेशन में हार गया, निराश हो गया, स्कूल-कालेज का दरवाजा पार करके आगे नहीं बढ़ा, उसको भी एक हाथ का हुनर कि कैसे उसको रोजगार मिल जाए, सम्पन्न घर में, यह माइनर सोच एक कैलीबर को दिखाता है, राष्ट्रीय चिंतन को दर्शाता है। बेसिक थीम, जिसमें देश का एक-एक आदमी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कहां, कैसे, किस प्रकार के रोजगार के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अवसर उसके सामने जनरेट करें, सरकारी सेवाएं उसके लिए कोई पर्याप्त नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी काम कर रही हैं, प्रधान मंत्रीजी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का दर्शन आजकल का दर्शन नहीं है। राजस्थान और भारत सरकार का एक लम्बा दर्शन है, भारत का एक-एक नौजवान आत्मनिर्भर कैसे बने, भारत का एक-एक नौजवान अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में बंद करना कैसे सीखे, इसके लिए पिछले विधान सभा सत्र में अप्रेन्टिस एक्ट माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी लेकर आए थे तब मैंने उनका साधुवाद व्यक्त करते हुए कहा टैक्नीशियन कुशल कामगार, मजबूत, हर क्षेत्र का व्यक्ति खड़ा करने का आपने जो कानून बना दिया है, यह राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा कि आदमी अपने आप सैल्फ डिपेंड, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहा है मैं समझता हूं कि देश में इससे सुन्दर काम और दूसरा नहीं हो सकता।

और भी कई सारे काम मुख्य मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी कर रहे हैं। कभी हम विश्वगुरु होते थे। कांग्रेस के लोगों को लग रहा है, कार्टून बना है। मोदी जी कहां है, विदेश में ढूंढो। आज हम आत्म सम्मान के साथ कह सकते हैं भारत ग्लोबल लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनियां हमारा लोहा मान रही है। हमारे प्रधानमंत्री के कृतित्व और व्यक्तित्व का समर्थन सारी दुनियां कर रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा प्रधानमंत्री देश की साख दुनिया के सामने बढ़ा रहा है। बात सच है, हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करें, वह अफजल गुरु के साथ अन्याय की बात करें, यह चरित्र देश देख रहा है दोनों दलों का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के विकास के लिए चिन्तित है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्धित है। अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य एक-एक उद्योगपति का बयान पढ़ रहे थे। मैं तो बयान नहीं लाया, फोटो भी नहीं लाया लेकिन मैं भी जानता हूं, सारा राजस्थान जानता है तीन लाख करोड़ से ज्यादा के रिसर्जेंट राजस्थान में एमओयू किए हैं, 3.21 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं। रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): 3 लाख 21 हजार करोड़।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 3 लाख 21 हजार करोड़ । मैं पहले

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तीन लाख करोड़ ही बोला हूं। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगपति आ रहे हैं, माहौल बन रहा है। मुक्त कर्ण से तारीफ कर रहे हैं। किशनपोल से आने वाल माननीय सदस्य ने तारीफ पढ़कर सुना दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अब वह समय नहीं, जब देश आजाद हुआ था तो टाटा और बिरला दो उद्योगपति हुआ करते थे। देश की जिम्मेदारी लोग सरकारों पर समझते थे। अब पानी, बिजली, सड़क विविध क्षेत्र में देश में निवेश के लिए हजारों उद्योगपति खड़े हो गये हैं। पूरी दुनियां में एक कन्सेप्ट बन गया है पीपीपी मोड पर विकास करने का, निवेश बढ़ाने का, सारे विश्व में एक वातावरण बना है। विश्व की तमाम सरकारें, देश की तमाम प्रान्तों की सरकारें इस दिशा में अपने यहां रोजगार के अवसर जनरेट करने के लिए अपने-अपने प्रदेशों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इस दिशा में क्रांतिकारी पहल कर रही हैं। मैं दावे एवं फख्र के साथ कह सकता हूं कि दो साल के प्रयासों में राजस्थान हिन्दुस्तान के तमाम प्रदेशों को लीड कर रहा है। मैं इस बात के लिए राज्य की मुख्य मंत्रीजी को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में राज सम्भाला है। विरासत में बिखरा हुआ ढांचा मिला है। इन सब परिस्थितियों में से मुख्य मंत्रीजी के भागीरथी प्रयास राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं महामहिम के अभिभाषण में तो एक झलक है, एक मामूली विजन है, मुख्य मंत्रीजी इससे ज्यादा प्रदेश के बारे में चिंतित हैं। उनकी चिंता प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की है, प्रदेश की सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता की है। प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में आकर खड़ा हो, इसकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश बढ़ेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का भरोसा मजबूत होगा। कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनके मुख्य मंत्रीजी, क्या किया सरकार ने, यह भाषण और बयान देने से पहले 2013 की वित्तीय स्थिति का श्वेत पत्र जारी कर जाते तो शायद बोल नहीं पाते। 2013 के वित्तीय विकट हालातों से राजस्थान को बाहर निकाला है, आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से राजस्थान समृद्ध होगा। सरकार की योजनाएं आम व्यक्ति के जन-जीवन में सुधार लाएगी और कांग्रेस की जो हालत है वह ठीक वैसी बनी रहेगी ना सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तीन-तीन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे और राजस्थान की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, इस बढ़ती हुई रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गये अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा महामहिम राज्यपाल महोदय ने फर्माया कि राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ प्रदेश के सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास हेतु सभी वर्गों, सभी समुदाय और सभी समाजों को साथ में लेकर उनके विकास हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। उसके परिणाम भी हर क्षेत्र में और हर स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही आशातीत प्रगति से पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही राजस्थान विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की वार्षिक योजना 2015-16 में 71405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को प्रदान की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकास का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, सभी क्षेत्रों में, माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है उसमें हमारी सरकार ने जो विजन, जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वह प्रदेश की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। पेयजल की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 27 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम सड़कों के क्षेत्र में बात करें तो राज्य में पहली बार वर्ष 2015-16 में 1559 किलोमीटर लम्बाई के 6 नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये। राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो भामाशाह योजना में करीब एक करोड़ से अधिक परिवारों द्वारा लाभ उठाया जा चुका है।

स्वास्थ्य बीमा योजना में 1715 बीमारियों को कवर किया गया है और मुफ्त दवा योजना के तहत दिसम्बर, 2015 तक 6.85 करोड़ रुपये और

(डा. मंजू बाघमार)

मुफ्त जांच योजना में 2.10 करोड़ लोगों ने फायदा उठाया है। आरोग्य राजस्थान, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, नवाचार से राजस्थान स्वस्थ प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। देश में पहली बार राजस्थान में 67 प्रतिशत पापूलेशन को, तीन-चौथाई जनरेशन को हैल्थ इंश्योरेंस से कवर किया गया। डाक्टर्स की कमी को दूर करने के लिये सात नये मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी और छह मेडिकल कालेजेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण फार्म में प्रत्येक व्यक्ति का ई-हैल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। जिससे हैल्थ इंफार्मेशन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कैडेवर आरगन ट्रांसप्लाण्ट का कार्य किया जा रहा है।

21 जून को माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा घोषित अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को 192 राष्ट्रों ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। यदि हम रोजगार के क्षेत्र में बात करें तो राज्य को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में निवेश का वातावरण बनाने के लिये रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट 2015 का आयोजन किया गया। रिसर्जेण्ट राजस्थान के तहत 295 एम.ओ.यू. किये गये, जिसमें 3.21 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। नये उद्यमी, जिनके पास अभिनव विचार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी 2015 जारी की गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई आमूलचूल और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आठ नये कालेज स्थापित किये गये और कालेजों में करीब 25 हजार सीटें बढ़ायी गयीं। आनलाइन, चाहे व एडमिशन का कार्य हो, बायोमैट्रिक सिस्टम प्रणाली, लागू की गयी। इसके अलावा 80 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गयी हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो राजस्थान को सर्वाधिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना करने की पहल की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम किसानों के लिये बात करें तो राज्य में सोइल हैल्थ कार्ड, 2 लाख 71 हजार काश्तकारों को प्रदान किये गये हैं। राज्य में ज़ैतून के बगीचों की स्थापना एक नवाचार के रूप में करवायी जा रही है। किसान कलेवा योजना, 2014 में मंडी में कार्यरत मजदूरों और कृषकों को पांच रुपये में कलेवा उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में जो भीषण अकाल पड़ा था फरवरी और अप्रैल, 2015 में, उसमें 50 प्रतिशत

(डा. मंजू बाघमार)

से अधिक नुकसान पर मुआवजा देने की सीमा को घटा कर 33 प्रतिशत मुआवजा प्रदान कर कृषकों को लाभान्वित किया गया। इसमें 29 लाख किसानों के खाते में अब तक 2471 करोड़ रुपये कृषि अनुदान के रूप में दिये जा रहे हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो स्वयं एक महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, महिलाओं को शक्ति एवं शिक्षा, दोनों प्रदान करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिये नि:शुल्क चिकित्सा, पुलिस, विधि परामर्श एवं आश्रय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अपराजिता केन्द्र की स्थापना की गयी है। महिलाओं के अत्याचारों को रोकने के लिये थानों में सी.एल.जी. गठन में 10 प्रतिशत महिला सदस्यों को रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा प्रदेशवासियों की लम्बित समस्याओं का समाधान करने के लिये कई अभिनव पहल और कार्यक्रम किये गये हैं। जैसे, न्याय आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, आपका जिला आपकी सरकार, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल। श्रम कानूनों में भी संशोधन करने के साथ-साथ 248 अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने की अनूठी पहल की गयी है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिसम्बर, 2015 तक 15 लाख 25 हजार टायलेट्स का निर्माण किया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम कानून और व्यवस्था के बारे में बात करें तो आई.पी.सी. के अधीन दर्ज मुकदमों में 2014 की तुलना में 2015 में 5.86 प्रतिशत की कमी आई है। महिलाओं के प्रति अत्याचारों में 9.8 प्रतिशत की कमी आयी है। अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचारों में 12 प्रतिशत की कमी आयी है। अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचारों में 16 प्रतिशत की कमी आयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब उपलब्धियां न केवल राजस्थान के गौरव को बढ़ाने वाली हैं, बल्कि विकास के अच्छे संकेत भी दे रही हैं। यह कदम राजस्थान को अग्रणी राज्यों की स्पर्धा में तेजी से स्थापित करेगा। राजस्थान प्रदेश तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होगा और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब वह समय गया जब जनता को विकास के झूठे सपने दिखाकर दिग्भ्रमित किया जाता था। अब स्वयं जनता भी समझदार हो गयी है। संवेदनशील हो गयी है और जागरुक हो

(डा. मंजू बाघमार)

गयी है। 'काम करो और राज करो' लोकतंत्र में जनता की जागरुकता का सशक्त उदाहरण है। जनता ने अपनी जागरुकता का परिचय दिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गयी हैं उन्हें विपक्ष द्वारा झुठलाया नहीं जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगी, 'सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से'। एक बार पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कल्याणसिंहजी द्वारा चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्टम सत्र में दिये गये अभिभाषण के समर्थन में मैं यहां खड़ी हुई हूं।

दो साल सरकार के पूरे हुए हैं। केन्द्र सरकार का एक साल से ऊपर हो गया है। देश में जिस प्रकार की प्रगति और जनता में विश्वास का जो वातावरण बनना चाहिये, उस प्रकार का वातावरण बन रहा है। निश्चित रूप से इस बात का दुःख अवश्य होता है कि इस देश को आजाद करने में हमारे देश ने कितनी कुर्बानियां दीं और इस देश को आजाद कराया। देश आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी परेशानियों का सामना किया। कितने प्रतिवादों का उन्होंने ध्यान करके और एक-एक प्रान्त को साथ जोड़कर इस भारत देश का निर्माण किया। भारत देश का निर्माण करने के बाद आज आजादी के इतने सालों के बाद, अगर किसी शिक्षण संस्थान के अन्दर, और वह भी दिल्ली के अन्दर, देश को बांटने की बात हो, देश को टुकड़े करने की बात हो तो मैं समझती हूं कि हमारे लिये बहुत शर्म की बात है और वे लोग जो ऐसे नारों को केवल राजनीतिवश समर्थन देने के लिये धरने पर जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द इस बात का नहीं निकलता कि जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश को खत्म करने की बात कर रहे हैं उन लोगों के समर्थन में कैसे जाएंगे, जिनके लिये पूर्वजों ने इतनी तपस्या की, इतना संघर्ष किया, अपना खून दिया, बलिदान दिया। आज हमारा देश, भारत, जिसके ऊपर हम सब गर्व करते हैं, पूरे भारतवर्ष का नाम लेकर हम सब अब छाती

(श्रीमती अनीता)

फुलाकर इस बात को कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है, उसके शिक्षा मन्दिर के अन्दर ऐसी कोई बात होती है और कांग्रेस के लोग वहां जाकर उनका समर्थन करते हैं, मैं आज इस सदन के माध्यम से उस पर निन्दा प्रस्ताव रखना चाहती हूं कि यह एक बहुत निन्दनीय कृत्य था, जिसके लिये उनको माफी मांगनी चाहिए कि हम लोगों को, देश को तोड़ने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों के पक्ष में नहीं जाना चाहिए था।

(15.38 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

आज देश जिस रूप से तरक्की कर रहा है। अभी केन्द्र का कल बजट रखा, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी, जैसा जनता उनके बारे में जानती थी और जिस विश्वास के साथ पूरे देश ने उनको वोट किया, उस विश्वास पर वे बजट में पूरा खरा उतरे। उन्होंने किसानों के लिये जो बात कही, वो पूरी करने के लिये आज बजट के अन्दर रखा भी है और उसको करने का एक इरादा उन्होंने देशवासियों को दिखा दिया। आज किसान की अगर हम बात करते हैं तो जब से चुनाव शुरू हुए, तब से अब तक हर एम.एल.ए., एम.पी., जो चुनाव के मैदान में, जब फील्ड के अन्दर जाता है तो एक ही बात कहता है कि मैं किसानों के लिये काम करूंगा, मैं आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिये काम करूंगा। मैं किसानों की जो जमीनें हैं, किसानों की जो फसलें हैं, उनके रक्षण और संरक्षण की बात करूंगा। लेकिन बहुत साल होने के बाद भी इस दिशा में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जो आशा थी, वह आज तक नहीं हुई।

लेकिन अब वह समय है जब किसान के लिए सोचा जाने लगा है। आज मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने भी किसान के लिए बात की। किसानों के लिये, गांव के लिये, तरक्की के लिये बात की और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो उनके द्वारा लायी गयी, आज पूरे देश के गांवों में, राजस्थान के गांवों में हम जाएंगे तो छोटे से छोटा गांव भी सड़क से जुड़ा हुआ है और सड़क से जुड़ने का मतलब यह है कि तरक्की का रास्ता जो गांव के लिए खुलना चाहिए, वह हमारे अटलजी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया।

(श्रीमती अनीता)

आज नरेन्द्र मोदीजी भी उसी राह पर चल रहे हैं और जिस प्रकार से किसानों की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कदम फसल बीमा का उन्होंने रखा है जिसके लिए किसान हमेशा बात करता था कि कभी ओला गिर जाए, कभी बरसात हो जाए, कभी कोई महामारी फैल जाए तो किसान के हाथ में इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल का वह हिस्सा जिसके लिए वह मेहनत करता था, वह हिस्सा नहीं आता था, उसके मन के अन्दर हमेशा यह पीड़ा रहती थी कि कभी कोई सरकार ऐसी भी आएगी जो मेरे लिए और जो मेरी इस फसल के लिए सोचेगी।

हम लोग भी बहुत चर्चा किया करते थे कि बीमा तो होता है, फसल बीमा तो है, जिसने क्रेडिट कार्ड लिया उसका बीमा है। जिसने खाद ले लिया उसका बीमा होना चाहिए, उसमें सब पैसे कटते हैं लेकिन उसके बाद भी किसान को बीमा की राशि नहीं मिल पाती थी। पहली बार है जब फसल बीमा के नाम पर यह तय किया गया है कि रबी की फसल में कितना होगा, खरीफ की फसल में कितना होगा और कोई भी फसल हमारे देश में जो पैदा होती है, उस फसल पर उन्होंने फसल बीमा तय किया है। सबकी रेट अलग-अलग तय की है और यह भी तय किया कि प्रदेश उसमें कितना इंवेस्ट करेगा, केन्द्र उसमें कितना इंवेस्ट करेगा और इस प्रकार किसान को उन्होंने सम्बल देने की कोशिश की है कि हम इस प्रकार का सहारा देना चाहते हैं कि जब अगर ईश्वर के यहां भी उसको अगर नहीं मिलेगी कोई बात तो निश्चित रूप से सरकार ही उसकी मदद करेगी और उसको बीमा की राशि निश्चित रूप से मिलेगी, एक बहुत बड़ी योजना फसल बीमा की चल रही है।

एक और योजना जो उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने बीमा योजना की एक्सीडेंटल 12 रुपये की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारे सारे विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में बीमा करवाएंगे तो उसमें हम भी जुटे और हमने भी अपने क्षेत्र में बहुत लोगों का बीमा करवाया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि अभी एक महीने पहले मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चार जाटव समाज के लोगों की डैथ हो गयी और उनकी उम्र भी 30-40 के करीब थी। किसी शादी-विवाह में वह जा रहे थे तो आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। जब चौथे-पांचवें दिन मैं सांत्वना देने उनके यहां पर पहुंची तो सब परिवार और गांव के लोग इकट्ठा हो गये और उन्होंने इस बात का

(श्रीमती अनीता)

शुक्रिया अदा किया कि हमारे साथ तो जो अनहोनी होनी थी, वह तो हो गयी लेकिन आपने जो बीमा हमारा करवाया 12-12 रुपये का, उन सब लोगों को 2-2 लाख रुपये का, उनका बीमा क्लेम का, कागज पहुंचाने के लिए पूरी सरकार, वहां पर एस.डी.एम. ने जाकर किया तो यह एक बहुत अच्छी योजना हर व्यक्ति के पास पहुंची और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि पहले हमेशा इस बात को कह देते थे कि यश-अपयश, लाभ-हानि, जीवन-मरण सब विधि के हाथ है।

यह निश्चित है कि सब विधि के हाथ है लेकिन उसके बाद भी इंसान जो धरती पर आया है उसको तो अपना कर्म करना चाहिए। इन सब चीजों से बचने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए। आज अगर हम प्रयास करेंगे तो इन सब चीजों में हमें जो नुकसान होने वाला है, उसका ध्यान करें तो देखिए राजस्थान के अन्दर पिछले दो साल से बरसात बहुत कम हो रही है और बरसात कम होने की वजह से फसल का बहुत नुकसान है और फसल का नुकसान है तो बाजार का भी सीधे-सीधे नुकसान होता है। अर्थव्यवस्था जो चलती है, गांव से वह शहर में भी जाकर दस्तक देती है, वहां पर भी उसकी खराबी आती है। फसल की वजह से सारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की और हमारे राजस्थान की भी बिगड़ती है और हम एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं।

राजस्थान में वैसे भी पानी की मात्रा बहुत कम है, उसके क्षेत्रफल को देखते हुए लेकिन, एक बहुत अभिनव पहल हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने की है, 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना', यह एक ऐसी योजना है, अगर इसको सही तरीके से हमने अपने प्रदेश में लागू कर दिया, हर गांव में इसका काम कर दिया तो निश्चित रूप से बरसात का एक-एक बूंद, जो बरसात ईश्वर ऊपर से देगा, उस बूंद का संचयन होगा और संचयन होगा तो निश्चित रूप से हमारी धरती के अन्दर पानी जाएगा। धरती में अगर पानी जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे आम लोगों को पीने के पानी की जो परेशानी है, उससे हम लोगों को बहुत सांत्वना मिलेगी।

हम भरतपुर के रहने वाले हैं, हमारे भरतपुर में तो वैसे ही पीने का पानी हमेशा उधार ही आता है। गुड़गांव केनाल से पानी लेंगे तो हरियाणा से आएगा, रूपारेल से पानी लेंगे तो अलवर से आएगा और गंभीरी नदी से अगर

(श्रीमती अनीता)

पानी लेना होगा तो हमको पांचना बांध से, सवाईमाधोपुर की तरफ देखना पड़ेगा, तब जाकर कोई पानी वहां पर आएगा। हमारे यहां पर शुरू से पोखरों का एक बहुत बड़ा काम किया हुआ था जिसमें हम संचयन करते थे और यह इस बात का गवाह है कि जहां पर पानी का संचयन किया गया है आज तक, उसके आस-पास के क्षेत्र में हमेशा पीने का पानी हम लोगों को मिला है इसलिए यह जो योजना है, यह अपने आप में एक बहुत अभिनव योजना है। यह लागू होगी तो हमारे प्रदेश में पीने के पानी की जो परेशानी है, निश्चित रूप से उसका हल होगा और ईश्वर भी इस बार ध्यान रखेगा क्योंकि यह विश्वास की बात है।

बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने सारे पोखर खुदाई कर रहे हैं, इतने नाले बनवा रहे है, ईश्वर बरसात करेगा तो जब होगी बरसात लेकिन उसमें मैं एक बात कहना चाहती हूं कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और विश्वास के साथ ही अगर आदमी काम करता है, आगे बढ़ता है तो ही काम होता है। एक छोटे से बच्चे को जो अभी दो-चार महीने का ही होता है, उसके पिता या चाचा या मामा, उसको गोद में उठाकर ऊपर की तरफ फेंकते हैं लेकिन वह रोता नहीं है जबकि उसको रोना चाहिए कि मुझको फेंक दिया, मेरा क्या होगा? वह ऊपर जाकर बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसता है क्योंकि उसको पता है कि उसको जो ऊपर उछाल रहे हैं, वह उसको नीचे आने पर पकड़ लेंगे और उसको एक अलग ही अनुभूति का आनंद देंगे। ऐसे एक विश्वास के साथ कि हमारे क्षेत्र में अच्छी बरसात होगी, राजस्थान में हम जो जल स्वावलम्बन के अन्दर, हर गांव के अन्दर काम कर रहे हैं, उन सबमें पानी आएगा और हम सब लोगों का जीवन बहुत अच्छा होगा, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानती हूं।

एक बहुत बड़ी योजना 'भामाशाह योजना' शुरू की है। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इसकी एक शुरूआत की थी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पूरे पांच साल इस योजना को दबा कर रखा। आज यह योजना दो साल में ही इस प्रकार बनकर आ गयी है कि हम जब गांव में जाते हैं तो वहां की महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और वह इसकी हमसे चर्चा करती हैं कि बहनजी, मेरे खाते में तो 2 हजार रुपये आ गये। दूसरी कह रही है कि मेरे भी खाते में आ गये तो हर महिला को सम्बल प्रदान किया है। हर महिला के खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर करके आन-लाइन

(श्रीमती अनीता)

बैंक के द्वारा तो आप ही देखिए कि कितना बड़ा काम किया है, जिसकी ओर हम यह समझ रहे हैं कि हम गरीब व्यक्ति को, गरीब महिला को कैसे टच करेंगे, कैसे उसका उत्थान करेंगे तो इस योजना के द्वारा किया।

'भामाशाह कार्ड', जिनका बन गया, उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जोड़ा है। यह एक ऐसी योजना है, मैं समझती हूं कि हम क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। हम किसानों की ज्यादा बात करते हैं कि किसानों में सबसे ज्यादा परेशानी जो अनुभव करते थे वह यह करते थे कि अगर घर में कोई बीमार हो गया, घर में कोई महामारी आ गयी तो वह किसान कर्जे में डूब जाता था। हास्पिटल में जाना है, दवाई लानी है, अस्पताल दिखाना है, एडमिट करना है तो उसके लिए कर्जे की परेशानी आ जाती थी और वह कर्जा लेकर भी अपने परिवारजन को दिखाता था और उसकी वजह से वह खुद कर्जे में डूब जाता था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति, खराब हो जाती थी, उस स्थिति को देखते हुए आज यह जो 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना' की शुरूआत की गयी है, जिसमें कहा गया है कि 30 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर भी अगर अपने परिजन को, परिवार को दिखाने ले जाएगा तो सिर्फ कार्ड दिखाएगा, कार्ड में उसका रजिस्ट्रेशन अंकित कर लेंगे और वह इलाज करवाकर अपने घर चला जाएगा। सरकार बिल पेश करने पर उसका भुगतान कर देगी। यह एक बहुत बड़ी योजना, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, गरीब व्यक्ति को सम्बल देने के लिए है कि किस प्रकार से उसका उत्थान कैसे कर सकते हैं। क्योंकि, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो गरीब को गणेश मानकर राजनीति करती है। केवल सत्ता के लिए नहीं करती है।

एक यह 'नवाचार योजना' है, नयी योजना है। जिस योजना से आम आदमी को लाभ मिल रहा है और हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि मेरे लिये, मेरे व्यक्तिगत काम के लिए इतनी सारी योजनाएं सोच रहे हैं। यह कौन लोग हैं जो मेरी परेशानी, मेरी पीड़ा को इतनी अच्छी तरह से समझ गये। वसुन्धराजी को वहां पर घर बैठे-बैठे उस बात को कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को लागू किया है जिससे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी बन रही है। अब बड़े-बड़े शहरों में जब जाते हैं, हमारे गांव के लोग जब जयपुर आ गये तो यहां की सड़कें देखकर उनका मन हमेशा यह रहता था कि कितनी अच्छी सड़कें हैं, कितनी सजावट है। कहीं कुछ नहीं है, कीचड़-पानी कुछ नहीं

(श्रीमती अनीता)

है। उनके मन में विचार रहता था कि क्या कभी ऐसी सड़कें मेरे गांव में भी बनेंगी। उस विचार को, उस सपने को आज साकार किया है गौरव पथ के द्वारा। आज गौरव पथ वह नींव का पत्थर है गांव के विकास के लिये, जो एक एक पंचायत हैड-क्वार्टर पर बन रहा है। गांव वाले इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम उनके क्षेत्र में हुआ। मेरे ख्याल से जो पंचायत हैड क्वार्टर हैं, पहले एक-एक किलोमीटर की जो सी.सी. सड़क पी.डब्ल्यू.डी. से बन रही है, ऐसी अच्छी सड़कें गांव में अन्दर आबादी क्षेत्र में आज तक कभी नहीं बनीं। यह एक नई योजना है और इस योजना के लिये मैं कहना चाहती हूं, सभापति महोदय, कि जिस गांव में यह योजना बन गयी है उस गांव में आपके 90 प्रतिशत से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के बन गये। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, वह भी खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि ऐसी सड़क बनाने के लिये सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जो आज ऐसी सरकार बनी है। मंत्रीजी ताली बजा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप और ज्यादा बढ़ाओ। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दीदी, यह तो यह मंत्रीजी थे तब गौरव पथ बने हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनके दो बढ़ गयी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनके दो बन गयी? अच्छा, दो बढ़ गयी।

श्रीमती अनीता (नगर): मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहती हूं मंत्रीजी, कि जिस प्रकार का पथ मिला है। गांव में जब हम जाते हैं तो गांव के लोग, जब हम उद्घाटन के समय गये तो सब लोगों के भाषण क्या थे? सबका भाषण यह था कि यह सड़क 15-20 साल कहीं नहीं जाएगी, यही मजबूत रहेगी। छोटी-छोटी सड़कें और कच्ची नालियों की वजह से हम परेशान रहते थे, वह आज मिट गये। बहुत सारे लोगों का कहना था, जिनके यहां कीचड़ रहा करता था, वही इस बात को कह रहे हैं कि हमारे यहां तो रिश्तेदारों ने आना-जाना छोड़ दिया था कि इतना गंदा गांव है, यहां तो घुटने-घुटने तक कीचड़ है, अब इतना अच्छा और साफ-सुथरा हो गया है। एक नया युग प्रारम्भ हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुन्धराजी के राज में, जिसमें गांव की कायापलट करने की कोशिश की जा रही है। गांव की कायापलट किस प्रकार हुई? गौरव पथ से हुई और उसके बाद बिजली भीअपने आपमें हर

(श्रीमती अनीता)

व्यक्ति की जरूरत बन गयी है। अच्छी बिजली मिले, सिंगल फेस की बिजली मिले, लेकिन उसके साथ-साथ गांव में थ्री फेस बिजली हर गांव में आबादी के हिसाब से जो दी गयी है, वह भी अपने आपमें एक अभिनव पहल है। अगर कोई आदमी छोटा बिजनैस करना चाहता है, रोजगार का काम करना चाहता है, कोई साइकिल की दुकान खोलना चाहता है, कोई चक्की लगाना चाहता है, छोटे-छोटे काम करना चाहता है तो थ्री फेस का कनेक्शन उसको गांव में नहीं मिलता था। उसको कस्बों की तरफ जाना पड़ता था, जनरेटर लगाने पड़ते थे। इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने हर गांव के अन्दर थ्री फेस कनेक्शन की व्यवस्था कर दी कि जिसको कोई रोजगार करना हो तो निश्चित रूप से उसी लेवल पर थ्री फेस कनेक्शन लेकर अपना छोटा-मोटा रोजगार वह कर सकता है। इस प्रकार से अब आसान काम हो गया।

हम अगर गांव का विकास करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश का विकास होता है। आज शिक्षण व्यवस्था पर भी अगर हम बात करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यशस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धराजी ने आदर्श विद्यालय की नींव हर पंचायत मुख्यालय पर इस तरीके से रखी है कि जो तीन पंचायत मुख्यालय आस-पास हैं, एक में सीनियर सैकण्डरी में आर्ट्स सब्जैक्ट कर दिया, एक में कामर्स कर दिया, एक में साइंस कर दिया जिससे पढ़ने वाले बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता।

सभापति महोदय, मैं इस बात को कह सकती हूं कि आज हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें कौन पढ़ रहा है? उनमें गरीब के गरीब बच्चे हैं, जो उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। उनकी योजना के लिये, उनके शिक्षण की अच्छी व्यवस्था हमारे प्रदेश में हो रही है, वह एक अभिनव पहल हो रही है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हर पंचायत पर एक से लेकर बारहवीं तक स्कूल होगा, अच्छा मिड-डे-मील भोजन उनको मिलेगा। पहले जो प्राइमरी स्कूल होते थे, वह दूर-दूर होते थे तो उनमें पता नहीं लगता था कि क्या खिला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो विद्यालय के प्रिंसीपल हैं, वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे मिड-डे-मील का भोजन मिलेगा, कैसे व्यवस्थाएं होंगी? एक डिसीप्लेन की स्थिति, पढ़ाई की स्थिति विद्यालयों में बनने लग गयी है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी अभिनव पहल हमारे प्रदेश में हर विद्यालय के लिये हो रही है। इन

(श्रीमती अनीता)

विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वह कुपोषित तो नहीं है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है। इसके लिये भी लगातार वहां पर टीम विजिट कर रही है कि हर बच्चे में क्या परेशानी है, क्या नहीं है। अभी एक जर्म स्किल डे था, पेट में जो कीड़े होते हैं, उसके लिये भी एक दिन बनाया। उसमें भी दवाई दी गयी कि बच्चों को परेशानी नहीं हो। लड़कियों को जो परेशानियां होती हैं, उनके लिये टीम खुद स्कूल में जा रही है। जानकारी कर रही है और उसमें काम आगे से आगे चल रहा है।

इसके साथ ही एक बहुत अभिनव काम हमारे हुआ है कि राजस्व लोक अदालत लगायी। बहुत सारे केसेज हमारे यहां थे जो बंटवारे के भाई-भाई के छोटे-मोटे विवादों के, आपसी जो मेड है, उसमें कोई झगड़ा हो गया, इतने सारे केसेज पड़े थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उनमें तारीख पर तारीख लगती जा रही थी। क्योंकि जनता परेशान थी इसके लिये राजस्व लोक अदालत लगाकर इतने सारे केसेज, मेरे ख्याल से 21 लाख 43 हजार 54 सौ केसेज हमारे प्रदेश में हल किये गये, जो बिना बात के केस थे, जिनका कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन वह कोर्ट में घिसट रहे थे और लोग परेशान हो रहे थे। इस तरह से सब अच्छा काम हो रहा है। सब लोगों में प्रेम बढ़ा है, भाई-भाई में प्रेम बढ़ा है। यह एक अच्छी पहल हमारे प्रदेश की रही।

इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जो हमारे देश को पूरे विश्व में प्रख्यात करने वाला है। अभी जो लोग विदेश घूमकर आते हैं, वह जैसे ही विदेश से देश में आते हैं तो हर जगह की बात करते हैं कि वह देश बहुत सुन्दर और साफ था तो हमारा देश भी उतना ही साफ और सुन्दर होना चाहिये। उसी प्रकार से नरेन्द्र मोदीजी ने और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से आह्वान करके पूरे प्रदेश में सफाई की जो पहल की है, वह अपने आपमें एक अनूठी पहल है। हर चौराहे पर, हर नगरपालिका के क्षेत्र में जो सुलभ काम्पलेक्स बनाये गये हैं, उससे भी आमजन को, जो शहर आता है, उसको एक बहुत सुविधा हो गयी। (व्यवधान) मेरे को आपकी पर्ची मिल गयी, मैं देख रही हूं। उसमें भी आमजन को बहुत राहत मिली है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूं कि कौशल विकास भी अपने आपमें एक अनूठी पहल है। कौशल विकास में अनूठी पहल इसलिये है कि हमारे देश में अब युवा बहुत हो गये और उनके लिये उतना ही रोजगार, सरकारी नौकरी हम सबको देने की सोचें तो सम्भव ही नहीं है। उन सबको रोजगार मिले, इसके लिये एक बहुत

(श्रीमती अनीता)

अच्छा प्रयास यह हो जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, वह सबसे पहले अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि बाहर से जो कोई इन्वेस्टर्स आएगा, तो उसको सबसे पहली चिन्ता इस बात की रहेगी कि आपके क्षेत्र में कानून और व्यवस्था कैसी है? आपके यहां पर लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था कैसी है? आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार की अराजकता थी और आज हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति है और उस स्थिति को देखकर देश-विदेश के सब लोग यहां इन्वेस्टमेंट के लिये आ रहे हैं। राजस्थान रिसर्जेण्ट का जो कार्यक्रम हुआ, वह अपने आपमें सफल कार्यक्रम है और उस सफल कार्यक्रम का परिणाम, अब शुरूआत हो गयी आने की, वह एक दो तीन सालों में आयेगा और मैं बिलकुल आशा करती हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा सीमित करें आप।

श्रीमती अनीता (नगर): लास्ट लाइन तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति: थोड़ा सीमित करें आप।

श्रीमती अनीता (नगर): मैं निश्चित रूप से आखिर में कहना चाहती हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने यह जो अभिभाषण में पढ़ा है, इसका एक एक अक्षर सत्य है और बहुत अच्छा यह अभिभाषण है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलालजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। साथ में राज्यपाल महोदय ने इस दस्तावेज के माध्यम से जो बात कही है, मैं इतना कह सकता हूं कि यह दस्तावेज बहुत सीमित है। पिछले दो सालों में प्रदेश की सरकार ने ऐसे अनेकों काम किये हैं, आम आदमी को केन्द्र बिन्दु में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन सभापति महोदय, भामाशाह योजना प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 2003 से 2008 तक जब सरकार थी, उस समय इस योजना की शुरूआत की थी। सभापति महोदय, यह एक पहचान पत्र ही नहीं है, आज पूरे देश के अन्दर डिजीटल

(श्री रामलाल शर्मा)

इंडिया की जब बात की जाती है तो राजस्थान की यह भामाशाह योजना देश

(16.00 बजे)

के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की उस योजना को साकार करने में एक कारगर कदम है और पूरे भारतवर्ष के अन्दर इस योजना को सराहा गया है। सभापति महोदय, आज भामाशाह योजना के अन्दर विभिन्न योजनाओं का समावेश किया गया, पेन्शन, नरेगा, छात्रवृति को जोड़ा गया। कई बार ऐसे उदाहरण हम सबके सामने आते थे कि समय पर पैसा नहीं मिलने की वजह से छात्र प्रवेश से वंचित रहते थे। कई बार पोस्ट आफिस के माध्यम से पेन्शन समय पर नहीं पहुंचती थी या समय पर पेन्शन इसलिए नहीं पहुंचती थी कि पोस्टमैन गांव के गरीब और सीधे-सादे व्यक्ति को यह कहता था कि इस महीने तो आपकी पेंशन आयी ही नहीं। कई ऐसी पेन्शनें भी बनी हुई हैं जो एक व्यक्ति दो जगह निवास करता है और उसने दो जगह पेन्शन बना रखी है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस भामाशाह कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि प्रदेश में ऐसे लोग चिह्नित होंगे जो इस देश को तोड़ने की गतिविधियों के अन्दर संलग्न रहते हैं और उन्होंने ऐसे कार्ड बना रखे हैं जो सरकार के सामने कभी आ ही नहीं पाये लेकिन इस योजना के बाद में वो सब चिह्नित होंगे और उन लोगों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगने का काम होगा।

सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में 66 लाख पेन्शनधारी व्यक्ति हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह 66 लाख पेन्शनधारी राजस्थान में सरकार के खजाने से पेन्शन ले रहे हैं, जब यह आनलाइन होंगे तो मेरे ख्याल से आठ से दस लाख ऐसी पेन्शनें फर्जी निकलेंगी जो लोग या तो फर्जी तरीके से पेन्शन उठा रहे हैं जो पात्र भी नहीं हैं या यह हो सकता है कि वो एक जगह से नहीं दो जगह से पेन्शन उठा रहे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले समय में सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेन्शन में लगभग दो से ढाई सौ करोड़ रुपये की बचत सरकार को होगी।

नरेगा के अन्दर कई लोग ऐसे हैं जिनका फर्जीवाड़ा आये दिन अख़बारों के अन्दर देखने को मिलता है लेकिन इस योजना के बाद में जिसने नरेगा में काम किया है उसी व्यक्ति को भुगतान होगा, जिस व्यक्ति ने नरेगा में काम नहीं किया ऐसे व्यक्ति को भुगतान नहीं होगा।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की अभिनव योजना आने वाले

(श्री रामलाल शर्मा)

समय के अन्दर सारी सरकारी योजनाओं को जोड़ने का काम करेगी। आज इस योजना का सबसे बड़ा लाभ जो हो रहा है, गांव से, अपने राजस्व गांव से चलकर व्यक्ति आठ से दस किलोमीटर दूर बिजली का, मोबाइल का, पानी का बिल जमा कराने के लिए जाता था, आज ग्राम पंचायत केन्द्र के ऊपर अटल सेवा केन्द्र के अन्दर वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ई-मित्र के द्वारा कर सकता है। राजस्थान में लगभग 26 हजार ई-मित्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से आज गांव का व्यक्ति गांव के अन्दर अपने सारे कामों को पूरा करता है। उसके समय और पैसे की भी बचत हो रही है।

सभापति महोदय, इस योजना से सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है वह खाद्य सुरक्षा के माध्यम से होगा। आज आये दिन इस सदन के अन्दर भी कई लोग चर्चा करते हैं, कई लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि राशन तो पूरा जाता है लेकिन आम आदमी को मिलना चाहिए, उस तक पहुंचता ही नहीं। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आम आदमी तक राशन पहुंचाने के लिए पोस मशीनों का उपयोग किया गया है, अब कोई भी व्यक्ति, जो हकदार है वह उस खाद्य से वंचित नहीं रह सकता। आधुनिकीकरण के इस दौर में आम आदमी तक सरकार की मंशा है कि योजना जिस व्यक्ति के लिए बनती है उस व्यक्ति तक वो योजना कारगर रूप से पहुंचे और मेरा मानना है कि इस एक योजना से आने वाले समय में गरीब को गणेश मानकर सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो आने वाले समय में सारी की सारी पहुंचेंगी।

सभापति महोदय, योजनाएं एक नहीं, अनेक हैं। एक योजना है 'नया सवेरा', मैं चिकित्सा विभाग के चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, 'नया सवेरा' एक ऐसी अभिनव योजना है कि जिस व्यक्ति में नशे की लत है, चाहे शुरू के अन्दर वो मजाक के तौर पर नशे की शुरूआत करता है लेकिन जब उसकी आदत बनती है तो वो आदत एक व्यक्ति को बर्बाद नहीं करती, पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम करती है और आपने देखा होगा कि कई अपराध ऐसे हैं जो नशे के अन्दर होते हैं। मैं सरकार और चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 'नया सवेरा' एक अभिनव योजना शुरू की और जिला मुख्यालय एवं उप-खण्ड स्तर पर कैम्प लगाकर ऐसे नशे के आदि जो व्यक्ति थे, मेडिसन के द्वारा नशा छोड़ने का उनका उपचार किया गया और आने वाले समय में कई परिवारों की खुशियां लौटाने का कार्य कार्य इस 'नया सवेरा' योजना के माध्यम से होगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्रीजी ने गांव के व्यक्ति को अपना केन्द्र का बजट समर्पित किया है, आज जिस तरीके से अभिनव योजना है, अभी माननीय विधायक साहिबा कह रही थीं कि जब 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' शुरू की गयी, 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना' शुरू की गयी, 'अटल पेन्शन योजना' शुरू की गयी तो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति और कांग्रेस के मित्र यह कहते थे, सभापति महोदय, कि 12 रुपये के अन्दर दो लाख रुपये मिलेंगे, यह तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे क्षेत्र के अन्दर भी दो महिला, एक जमना देवी वाइफ आफ मन्ना लाल, जो आलीसर की रहने वाली थी और एक सुनिता स्वामी वाइफ आफ राजेन्द्र स्वामी, इन दो महिलाओं की मौत हुई, एक की आकस्मिक मौत हुई और एक की दुर्घटना में मौत हुई, सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्रीजी ने एक गरीब आदमी को केन्द्र बिन्दु मानते हुए किया, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था 12 रुपये और 330 रुपये के अन्दर दो लाख रुपये की सहायता।

सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के अन्दर जब भी किसी परिवार के अन्दर कोई घटना घटती है तो संवेदनाएं प्रकट करने के लिए हम सब भी जाते हैं और पहले हम सब भी जाकर इतना ही कहकर आते थे कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, ईश्वर जो करता है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने उस प्राकृतिक घटना में क्षतिपूर्ति के तौर पर दो लाख रुपये की सहायता प्रदान की।

सभापति महोदय, कई बार हम सब यही देखते हैं एक व्यक्ति अपने परिवार का सपना संजोता है कि मैं मेरे बेटे को डाक्टर बनाऊंगा, मेरी बेटी को इन्जीनियर बनाऊंगा लेकिन जब उस परिवार के मुखिया की मौत होती है तो मौत के बाद परिवार के सारे सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं और 15 दिन गुजर जाने के बाद उस में परिवार का चाचा या ताऊ अपनी बच्ची को एक पर्ची देकर भेजता है और कहता है कि चाची को यह पर्ची देकर आ, उस क्रियाकलाप में मेरा इतने रुपये का खर्चा हुआ है। सभापति महोदय, डाक्टर और इन्जीनियर बनना तो दूर की बात हो गयी, उस परिवार की महिलाएं कहती हैं कि, बेटे, थोड़ा बड़ा हो जा, तुझे ही परिवार को चलाने का काम करना है। लेकिन,

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री की यह योजना उस परिवार के सपनों को साकार करने वाली योजना है। दो लाख रुपये उसके खाते में यदि आ गये तो उस परिवार की महिला यह कहेगी कि तुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, जाकर अपनी कालेज, अपने इंस्टीट्यूट के अन्दर इन्जीनियरिंग और डाक्टरी की पढ़ाई कर, बाकी घर का काम मैं देखती हूं। ऐसे गरीब आदमियों के सपनों को साकार करने वाली यह योजना है।

सभापति महोदय, वर्तमान का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दिया है, आज उन्होंने सपना देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बिजली मिले। 2018 तक सारे ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने का सपना संजोया है। ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं क्या हो सकती हैं, बिजली हो या पानी है या स्वास्थ्य है, उन सेवाओं को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है और पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का पैसा मिल नहीं रहा था, पूर्ववर्ती सरकारों ने उस योजना को बहुत संकुचित करने का काम किया था, आज करोड़ों रुपये का बजट ग्रामीण विकास के नाम पर उन योजनाओं में डाला गया है।

सभापति महोदय, जैसे अभी माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे कि 2008 से लेकर 2013 तक की पूर्ववर्ती सरकार यदि चिंता करती तो आज सड़कों के ऊपर जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं, उन सड़कों के ऊपर कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई व्यक्ति काल के ग्रास में नहीं जाता।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पिछले दो साल के अन्दर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने काम किया है और सिर्फ शहरों के अन्दर ही काम नहीं किया, जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें थीं, पहली बार स्वच्छता के लिए 50 लाख रुपये ग्राम पंचायतों के अन्दर दिये गये और पचास-पचास लाख रुपये से गांव के अन्दर स्वच्छता के नाम पर चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे नाली बनाना हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करनी हो, आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी विकास का स्वरूप दिखने लगा है।

सभापति महोदय, काम तो एक नहीं अनेकों हुए हैं। 'रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती, मानस, चून', राजस्थान में पानी की आज से नहीं कई वर्षों से गम्भीर समस्या रही है। पानी की

(श्री रामलाल शर्मा)

समस्या की वजह से अनेकों लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, लेकिन बरसात की एक-एक बूंद बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जल स्वावलम्बन योजना की शुरूआत की है। आने वाले समय में राजस्थान के लिए यह योजना कारगर और मील का पत्थर साबित होगी। प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता के आधार पर, जन प्रतिनिधियों की सहभागिता, अधिकारियों की सहभागिता, कर्मचारियों की सहभागिता, गांव के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनकी सहभागिता, समाज सेवियों की सहभागिता, सोशल वैलफेयर संस्थाओं की सहभागिता, एक पारिवारिक रूप से जामा पहनाकर के इस योजना की शुरूआत की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बरसात के पानी को रोककर, बरसात के अमृत को रोककर आदमी के जीवन को बचाने की जो मुहिम की शुरुआत की है, उसकी यह अनूठी योजना है।

सभापति महोदय, 2 साल के अन्दर काम इतने ही नहीं हुए हैं, विकास के अनेकों काम हुए हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम है जो कि आस्था के केन्द्र हैं। हजारों नहीं लाखों व्यक्ति वहां सिर नवाने जाते हैं। अगर वहां जाने पर व्यक्तियों को सुविधाएं नहीं मिले तो व्यक्ति परेशान होकर वापिस लौट जाते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदयाजी को कि उन्होंने राजस्थान का एक भी धार्मिक स्थल ऐसा नहीं छोड़ा, जहां पर लाखों लोग श्रद्धा के साथ जायें और उन्होंने उस क्षेत्र को विकसित करने का काम नहीं किया हो। हमारी प्राचीन विरासत में जो बावड़ियां थीं, आज उनके भी जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ है। आने वाले समय में उन प्राकृतिक जल के स्रोतों को पुनर्स्थापित करने का काम हो रहा है।

सभापति महोदय, एक मेरे मन की बात है, वह भी इस सदन के अन्दर मैं कहना चाहूंगा। संविधान के सभी प्रावधानों में मेरी आस्था है। संविधान के प्रावधानों के विपरीत ना तो मेरी सोच है और ना मेरी आस्था है। लेकिन देश की आजादी के 68 सालों के बाद कई परिवर्तन ऐसे हुए हैं, जो भौगोलिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए और आर्थिक परिवर्तन भी हुए।

सभापति महोदय, हम एक ऐसे पवित्र सदन में बैठे हुए हैं, जिस सदन के ऊपर प्रदेश की आवाम की आशाएं लगी हुई होती हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी यह सोचता है कि सदन मेरे बारे में भी विचार करेगा। गांव के

(श्री रामलाल शर्मा)

अन्दर पीड़ित व्यक्ति भी यह सोचता है कि कभी न कभी मेरे बारे में भी सरकार सोचेगी। सभापति महोदय, मेरी आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि इन 68 सालों के अन्दर हमने बहुत कुछ परिवर्तन देखे हैं, जो अर्श के ऊपर थे वह इन सालों में फर्श के ऊपर आये हैं और जो फर्श के ऊपर थे वह अर्श पर पहुंचे हैं।

सभापति महोदय, यदि आज मैं भौगोलिक परिवर्तन की बात करूं तो जयपुर जिले में एक रेनवाल कस्बा है जो कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आता है। आज से 20 साल पहले जौ की इतनी पैदावार वहां होती थी कि राजस्थान ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों के लोग भी वहां पर व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन पिछले 68 सालों के अन्दर एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो रेनवाल कस्बा जौ की प्रसिद्ध मंडी था, आज रेनवाल कस्बे के अन्दर पीने का पानी भी बीसलपुर से आया है। जब भौगोलिक परिवर्तन 68 सालों के अन्दर इतना हुआ है तो स्वाभाविक है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है।

सभापति महोदय, आज भी जब हम गांवों के अन्दर जाते हैं तो लोग यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास खाने के दाने भी नहीं हैं। अमुक व्यक्ति की आजीविका चलना भी मुश्किल है। अमुक व्यक्ति के लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर के कहता है कि इसका बीपीएल का कार्ड बनना चाहिए। सरकार की सहायता उसको मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि 50 साल पहले का बना हुआ उसका मकान उसके बीपीएल कार्ड धारक बनने में बाधक है। जिसके पास पक्का मकान बना हुआ है उसका बीपीएल कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन 50 साल पुराना मकान और 50 साल के अन्दर उस व्यक्ति में आया परिवर्तन, हो सकता है कि 50 साल पहले वह व्यक्ति सक्षम था, उसका परिवार सक्षम था, उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 50 साल के बाद में आज उस परिवार को सरकार की भी आवश्यकता है, सहायता की भी आवश्यकता है। लेकिन हम गांव के चाहते हुए भी उस परिवार की मदद नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा इस सदन से निवेदन है कि हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी विचार करें जो हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आने वाले समय में यह भामाशाह कार्ड ऐसा वरदान साबित होगा। किस

(श्री रामलाल शर्मा)

परिवार की क्या स्थिति है, किस परिवार के मुखिया की क्या इन्कम है, उसकी क्या सुविधाएं हैं, कौन-कौन व्यक्ति बेरोजगार हैं, किस व्यक्ति की कितनी संतान हैं, आने वाले समय में यह भामाशाह कार्ड एक आधार साबित होगा। आने वाले समय में इस भामाशाह कार्ड के सर्वे के आधार पर उन लोगों की मदद के लिए भी हम कोई योजनाएं बना सकते हैं जिनकी चाहकर के भी हम कोई मदद नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं पिछले 68 सालों के अन्दर कई परिवर्तन ऐसे हुए हैं, संविधान का प्रावधान जिस मूल भावना के आधार पर किया गया था, क्या उसकी समीक्षा की आज पुनः आवश्यकता नहीं है। पिछले 68 सालों के अन्दर जिन लोगों के हितों के लिए योजनाएं बनी थीं, इतने सालों के बाद में उन व्यक्तियों तक वह लाभ पहुंचा है या समाज की मुख्य धारा के अन्दर वह लोग आ पाये हैं? यदि वह लोग समाज की मुख्य धारा के अन्दर नहीं आ पाये तो उसके लिए गुनहगार कौन है? आने वाले 8-10 सालों में उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कौनसी कारगर योजनाएं हम बना सकते हैं? सभापति महोदय, जहां तक मेरा आकलन है, जिस भावनाओं के आधार पर, जिस उद्देश्य के साथ, जिन लोगों के लिए जो योजनाएं या प्रावधान किये गये थे, आज 20 से 25 परसेंट लोगों तक ही पहुंच पाये हैं। 68 सालों के अन्दर अगर हम 20 से 25 परसेंट लोगों तक हम पहुंच पाये तो क्या 200 सालों तक उन लोगों को लाभ देने का काम हम करेंगे।

सभापति महोदय, मेरी भावनाएं स्पष्ट हैं कि सरकार एक पिता की भूमिका में काम करती है। पिता अपने पुत्रों के साथ किसी भी प्रकार का ना अन्याय करता है और ना असंतोष पैदा करता है। आने वाले समय में हम सब उस मूल भावना के आधार पर काम कर सकें और यह सदन गरिमामय और पवित्रता के आधार पर बेसहारा व्यक्ति जो आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए हम योजनाएं बना सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके बारे में इतना जानता हूं कि गरीब आदमी की पीड़ा क्या होती है और गरीब आदमी का दर्द क्या होता है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। आज व्यक्ति के सिर में कोई विकार है, लेकिन वह इलाज कराने के लिए इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको

(श्री रामलाल शर्मा)

पता है कि मैं एक्सरे कराऊंगा तो पैसे लगेंगे, एमआरआई कराऊंगा तो 2 हजार रुपये लगेंगे, सीटी स्कैन कराऊंगा तो 2 हजार रुपये लगेंगे। वह अंत में यही कहता है कि मैं बिलकुल ठीक हूं। थोड़ा सा सिर दर्द है। अभी कोई सी हरी पत्ती की टेबलेट लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदया को कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना उस व्यक्ति के सपनों को साकार करने और उस परिवार को बचाने का काम करेगी। जिसके लिए 30 हजार रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये तक का खर्चा राजकीय हास्पिटलों के अन्दर और प्राइवेट हास्पिटलों के अन्दर वहन करेगी।

सभापति महोदय, आने वाला समय एक ऐसा समय है जिसमें हम सब मिलकर के इस पूरे प्रदेश को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी का भी विजन यही है कि एक परिवार के रूप में, एक टीम भावना के रूप में पूरा प्रदेश आगे बढ़े। आज से कई वर्षों पहले एक मरु प्रदेश के रूप में राजस्थान को जाना जाता था, आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में आधुनिकता और एक टेक्नोलाजी से भरा हुआ प्रदेश होगा, जो कि आने वाले समय में अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण बनेगा। मेरा मानना है कि इस प्रकार का प्रदेश राजस्थान बनेगा।

सभापति महोदय, अभी कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया था, वह बात बहुत पीड़ादायक है। यह बात स्पष्ट भी हो जानी चाहिए कि कौन इस हिन्दुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासरत हैं और कौन अफजल गुरु को गुरु बनाने के लिए हैं। अगर अफजल गुरु को गुरु बनाने वाले लोग उस विचार को आगे ले जाना चाहते हैं तो कम से कम इस देश के अन्दर रहते हुए इस तरह की हरकतें नहीं करें। इस देश को तोड़ने की बात जो करे, खुले आम नारे लगाने की बात करे, उनका चरित्र पूरे देश ने देखा है। दुनिया ने भी देखा है। जो इस देश का नहीं हो सकता है, वह किसी व्यक्ति का भी नहीं हो सकता है।

आज हो सकता है वह अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अपने आपको स्थापित करने के लिए या हो सकता है कि अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने का काम भी करें,

(श्री रामलाल शर्मा)

लेकिन प्रदेश की और देश की जनता उन सबके चरित्र को जानती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वही विचार पनपेगा जो इस देश के पक्ष में होगा, जो इस देश की बात करेगा, जो शहीदों की बात करेगा, जो स्वामी विवेकानन्द की बात करेगा, जो चन्द्रशेखर आजाद की बात करेगा। सभापति महोदय, आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राज्यपाल महोदय द्वारा रखे गये अभिभाषण पर चर्चा में मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने यहां पढ़ा, पूरे प्रदेश में दो साल में जिस तरह से इस सरकार ने विकास किया उसके एक दर्पण के रूप में कल यह दस्तावेज इस सदन में रखा गया। मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान का सच्चा चित्रण करके यहां अभिभाषण पढ़ा । आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर इस प्रदेश का किस तरह से विकास हो, ऐसी कल्पना ले करके काम कर रही है। सुराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए निश्चित रूप से सबका विकास, सबका साथ लेकर के सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए जो कार्य हैं, न्याय आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, हमारी सरकार और पूरी केबिनेट ने सम्भाग स्तर पर पूरे जिलों में मंत्रियों को भेजकर जिस तरह से जनता की समस्याओं और दुखदर्द में भागीदार बनकर उनकी पीड़ाओं को कम करने प्रयास किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, प्रदेशवासियों की वर्षों से लम्बित जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को दूर करने का इन योजनाओं के माध्यम से कार्य किया गया है, इस सरकार की जितना सराहना की जाए कम है।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की सोच को लेकर जो कार्य कर रही हैं उसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर है पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान। इस हेतु मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 27 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ किया। उनकी इस सोच से साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में पानी की जो कमी है अगर राजस्थान में पानी की पूर्ति हो जाए तो राजस्थान पूरे इंडिया को अनाज

(श्री केसाराम चौधरी)

पैदा करके दे सकता है। यहां की समतल और अच्छी जमीन होने के कारण से हमारी मुख्य मंत्रीजी यह जल स्वावलम्बन की योजना लेकर के आयी हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में जो जल स्तर गिर गया है उस जल स्तर को बढ़ाने की लम्बी सोच में यह मील का पत्थर साबित होगी और इससे राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

भामाशाह योजना में बैंकों में खाते खोलकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब योजना स्टार्ट की तो लोग कहते थे कि भामाशाह योजना क्या है और इससे क्या होगा? मगर राज्य के 1 करोड़ से अधिक परिवारों के 3 करोड़ 78 लाख व्यक्तियों का नामांकन करके इनमें से 60 लाख व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। इस योजना के प्रथम चरण में सरकार की मंशा थी कि योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, उस भ्रष्टाचार को रोकने का यह सार्थक और कारगर प्रयास किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, शौचालय निर्माण, इन सबका भुगतान सीधा खातों में जमा होगा। इससे पहले मनरेगा का जो भी भुगतान होता था उसमें कई तरह का भ्रष्टाचार होता था मगर अब जितनी भी मजदूरी हुई या जितना भी कोई कार्य किया है उसका सारा का सारा पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो जाता है जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना में चयनित परिवार की महिला मुखियाओं को 2000 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि का भुगतान भी इन खातों के माध्यम से किया जाता है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से कि प्रदेश में सड़कों का जिस तरह से बुरा हाल है, विगत कांग्रेस सरकार का मेरे पास यह प्रश्न का जवाब है, उसमें 1996 में जो सड़कें बनी हैं उनका भी अभी तक सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है। बीच में जब कांग्रेस सरकार रही, इनमें से एक भी सड़क का सुदढ़ीकरण कर दिया गया होता तो आज मेरे क्षेत्र की सड़कों का इस तरह से बुरा हाल नहीं होता। 1559 किलोमीटर लम्बाई के 6 नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं। यह भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्य जिला सड़कों को राज्य मार्गों में क्रमोन्नत करने की घोषणा के क्रम में इस वर्ष में 4168 किलोमीटर राज्य मार्गों को क्रमोन्नत किया गया है।

(श्री केसाराम चौधरी)

नाबार्ड की आरआईडीएफ 6 योजना के तहत इसी वर्ष 605 करोड़ रुपये की लागत से 694 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। केन्द्रीय सड़क निधि में चालू वर्ष में 1772 करोड़ रुपये की लागत से 56 कार्यों की स्वीकृति, इन कार्यों में 952 किलोमीटर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण, एक आरओबी व नौ पुलों का निर्माण भी सरकार ने इस अभिभाषण में बताया है। (व्यवधान) पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरजी को तो धन्यवाद देना ही है कि सड़कें ठीक नहीं होगी तो आने वाला समय बड़ा बुरा होगा। केवल सड़कें ही विकास का एक ऐसा माध्यम है जिससे हर क्षेत्र की दूरी कम हो जाती है इसलिये इन सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना में 250 तक की आबादी तक के गांवों को भी जोड़ने के लिए, 1481 ढाणियां और मजरों को जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है। निचली नीमड़ी, पूनमों का गुढा, गुढा, बरजालिया, ढेलड़ी, गुणगंगान को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने की मांग करता हूं।

इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में आपने 16 गौरव पथ बनाये, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और उन गौरव पथों की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी प्रशंसा की कि गौरव पथ अगर देखने हैं तो मारवाड़ जंक्शन जाकर देखो। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस बार आपने बजट में गौरव पथ में दुगना किया है और मेरी 75 पंचायतें हैं, 75 पंचायत के हिसाब से 25 सड़कें देनी थीं मगर आपने केवल 16 दी हैं। अबकी बार मेरे को पीछे रही जो पंचायतें हैं उसका वन थर्ड देने की मेहरबानी करें। इसी तरह से नागा की बेरी से मारवाड़ जंक्शन, खैरवा से खारची सड़क, बिटोड़ा कलां से कराड़ी सड़क, आपने तीन सड़कों का भी निर्माण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। घोतावास से आगावास चौधरियों का, सिंचाना से व्योपारी चौराहे तक मारवाड़ जंक्शन बाई पास सड़क, अक्खावास से सिला सड़क, यह आपने मिसिंग लिंक में दिये हैं इसलिए माननीय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र 125 किलोमीटर लम्बा है और 75 ग्राम पंचायतें वहां हैं, इस विधान सभा क्षेत्र में हमेशा बीजेपी का एमएलए जीतता आया है इसलिए इस क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने एक भी सड़क पांच साल के अन्दर नहीं दी, आपने एक प्रश्न के जवाब में मुझे उत्तर दिया है कि मेरे क्षेत्र की 36 सड़कें ऐसी हैं जो नोन पेचेबल हैं और उनकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है किंतु उनको रिपेयर नहीं किया गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री केसाराम चौधरी)

अब की बार जो सड़क रिनोवेशन किया जाए उसमें मारवाड़ जंक्शन को विशेष प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए।

मानीय मंत्रीजी की दूरदृष्टि के कारण इस वर्ष पीने के पानी में कोई समस्या नहीं रही, इसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। आपने समय रहते प्रदेश में 818 आर ओ प्लांट, 4717 नये नलकूप, 13837 नये हैंडपम्प, 474000 खराब हैंडपम्पों को सुधार कर पूरे प्रदेश में जो पानी की जो त्राहि त्राहि होती थी उसका अब की बार बड़ी मुस्तैदी से सामना किया है, इसके लिए पानी मैं मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरे क्षेत्र में कहीं भी टैंकर व्यवस्था नहीं होने दी और आपने जहां मांगे वहां ट्यूबवैल दिये, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। जवाई बांध के पानी के बिलकुल पास में बाली और रानी क्षेत्र पड़ता है उनके लिए जवाई जल परियोजना से कोई योजना आप बनाकर के डीपीआर बनवायें ताकि उन गांवों को जो बिलकुल जवाई बांध के पास हैं पानी की सप्लाई हो सके। मेरे क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 113 गांवों में जवाई का पानी करीबन 35 गांवों में पहुंच चुका है और करीबन 65 गांवों में और पहुंचने वाला है तथा शेष गांवों में 2016 में इसकी पूर्ति हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं।

विकास का सबसे अहम कोई मुद्दा है तो शिक्षा है। (व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी सिंधिया और वासुदेव देवनानीजी ने जिस तरह का परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से गांवों में दिखायी देने लगा है कि कोई न कोई शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर बारहवीं की स्कूल खोली है। कांग्रेस राज में कोई एक स्कूल खुलती थी तो ढोल-नगाड़ों से मंत्री को बुलाते थे, स्वागत करते थे, मगर आपने पूरे राजस्थान प्रदेश में पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर स्कूलें खोली हैं। उसके लिए पूरा राजस्थान आपका आभारी है, आपका तहेदिल से आभार व्यक्त करता है। आपने स्कूलें ही नहीं खोलीं, जो तालाबंदी होती थी उस तालाबंदी पर रोक लगाकर मास्टरों की व्यवस्था की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में मास्टरों की भर्ती की आपकी जो परिकल्पना है कि हर सीनियर स्कूल में बारहवीं तक 12 मास्टर, एक प्रिंसिपल लगाकर व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ ही कई स्कूलें ऐसी हैं जहां 54 बच्चे

(श्री केसाराम चौधरी)

हैं और 8 मास्टर लगे हुए हैं। उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको कैसा भी कदम उठाना पड़े, उठाया जाय और बच्चों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की व्यवस्था की जाय। इसके बनिस्पत पास वाली स्कूल में जहां पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल है उस सीनियर स्कूल में बच्चों को साधन लगाकर भी भेज देंगे तो भी वह सस्ता पड़ेगा उन मास्टरों की तनख्वाह से। इसलिए इस शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो परिवर्तन किया गया है उसमें सारी स्कूलों में करीब-करीब बच्चों के हिसाब से मास्टर लगने चाहिए, उसमें कमी है। उस कमी को इस सत्र में अब की बार नये मास्टरों की भर्ती करके बारहवीं स्कूल में 12 मास्टर लगाएं। स्कूलों के अन्दर 8 लाख नये बच्चों का नामांकन हुआ है। इससे गांव में लोगों में यह विश्वास जगा है कि सरकारी स्कूल में निश्चित रूप से अब की बार अच्छी पढ़ाई होने लगी है। जो तालाबंदी होती थी वह बंद हुई है और शिक्षा जगत में नयी क्रांति आयी है। इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने 50 हजार रुपये भेजे, स्कूलों में झाड़ू खरीदने या कहीं पानी की व्यवस्था करने के लिए एक पैसा नहीं होता था, मगर आपने 50 हजार रुपया रमसा के माध्यम से भेजकर वहां झाड़ू, सफाई व्यवस्था और स्कूलों की लिपाई, पुताई करके ऐसा लगता है कि यह कोई सरकारी बिल्डिंग है, आपने यह व्यवस्था की है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों में बायोमैट्रिक मशीन लगाकर उन बच्चों व अध्यापकों की हाजिरी लगायें। प्रिंसिपल को पीड़ा न हो और बटन दबाते ही उनकी हाजिरी लग जाय ताकि परिवार वालों को मालूम पड़ सकेगा कि मेरा बच्चा स्कूल पहुंच गया और मेरा बच्चा छुट्टी होते ही वापस स्कूल से रवाना हो गया, इसलिए हर स्कूल में बायोमैट्रिक मशीन लगायी जाय और उपस्थिति की व्यवस्था ठीक की जाय।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब जोधपुर पधारीं तो उस समय भी मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में महिला महाविद्यालय तथा रानी के अन्दर महाविद्यालय खोला जाय। मेरे क्षेत्र में दो महाविद्यालय खोलने का आपसे निवेदन करता हूं। एक माडल स्कूल मारवाड़ जंक्शन एसडीएम हैडक्वार्टर पर नहीं है, उसकी भी मैं मांग करता हूं।

इसके साथ-साथ मैं बिजली के लिए माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री केसाराम चौधरी)

देता हूं कि आपने 132 केवीए का नया जीएसएस दिया और 33 केवीए के 5 जीएसएस दिये। एक जीएसएस मेरे क्षेत्र में भोपारी व माण्डा के बीच में बनाया जाय। सोजत व मारवाड़ जंक्शन का एरिया पड़ता है उसके अन्दर वोल्टेज की बड़ी समस्या रहती है। यह 132 बनने से पूरे क्षेत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी।

आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप कुओं पर बिजली किसानों को साढ़े छह घण्टे देते हैं। किसानों के घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। आपकी एक रुपये वाली बिजली का उपयोग किसान करते हैं। खेती की बिजली आती है उसका उपयोग घर में करते हैं। इससे अच्छा यह होगा कि उन बेरों पर रहने वाले सभी किसानों को, जो कनेक्शन लेना चाहें उनको जल्दी से कनेक्शन दिया जाय ताकि बिजली के दुरुपयोग को भी रोका जाए और बोर्ड को फायदा भी होगा।

इसके साथ ही मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो मरीज उच्च संस्थान पर रैफर किये उनका प्राइवेट संस्थान में इलाज के लिए जिन संस्थानों का चयन किया गया वहां सम्पूर्ण इलाज नि:शुल्क होगा। आपने गांवों में कैम्प लगाकर जिस तरह से मरीजों का चयन करके उन्हें उपयुक्त स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है, वास्तव में आपने बहुत बड़ा गरीबों के लिये एक सराहनीय काम किया है, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। एनेमिक एवं गर्भवती महिलाओं को सीएचसी स्तर पर आयरन इंजेक्शन सप्ताह में एक बार नि:शुल्क लगाये जा रहे हैं तथा जहां महिला चिकित्सक कार्यरत नहीं है वहां पर एक माह में एक बार शुक्रवार को महिला डाक्टर भेजने की जो व्यवस्था की है उसके लिए भी लोगों ने आपकी तारीफ की है, यह एक अच्छा कदम उठाया है। (व्यवधान) सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसमें मांगने की आवश्यकता भी नहीं रहती, मगर जिस तरह से कांग्रेस ने खस्ताहाल में इस राजस्थान को छोड़ा, मैं मुख्य मंत्रीजी की सराहना करना चाह रहा हूं कि उन्होंने हिम्मत करके इस राजस्थान को प्रगति के पथ पर वापस लाकर जिस पटरी पर दौड़ने के लिए शुरू किया है निश्चित रूप से आने वाले तीन साल के अन्दर यह राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।

(श्री केसाराम चौधरी)

सिंचाई के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां धारिया बांध अपने ही राज में बना था और वह फूटा हुआ पड़ा है। उसके लिए बार-बार आपने डीपीआर भी बना दी, आपने मौके का निरीक्षण भी करा दिया। इस बजट के अन्दर उस धारिया बांध की घोषणा करें ताकि उस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। चवाड़िया एनिकट भी फूटा हुआ है उसकी भी मरम्मत कराने के लिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं। इन्होंने मेरे कहने पर वहां पर टीम भेजकर जो निरीक्षण कराया, मुझे आशा है कि धारिया बांध इस बार बनकर निश्चित रूप से खड़ा होगा। यह अपनी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, अपनी सरकार ने इसके लिए पैसे रखे थे, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में कांग्रेस राज आ गया, केवल थोथी घोषणा करके, 21 करोड़ की घोषणा करके धारिया बांध को बनाने की कहकर चले गये, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगायी। मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस क्षेत्र में जरूर विकास के आयाम तय करेंगे।

मेरा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है न्याय आपके द्वार कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जाय। राजस्व अभियान 18 मई, 2015 से 21 जुलाई, 2015 तक आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 21,43,054 प्रकरणों का रिकार्ड निस्तारण किया गया। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व में 188, 136 के जो दावे हैं जिनको हाथोंहाथ सुलझाया जा सकता है, गांवों के अन्दर जब ग्रामसभा लगती है और न्याय आपके द्वार होता है उसी वक्त जो फाइलें एसडीएम कोर्ट में होती हैं वहां ले जाकर उनका वहीं जनता के सामने निस्तारण किया जाय ताकि सही मायने में उसका पता लग जाय। रास्ता खुलवाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है जिन लोगों के बेरों पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिस जमीन में कोई जा नहीं सकता था, उसमें भी आपने रास्ते खुलवाने का जो सरलीकरण किया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ई-धरती योजना में आधुनिक उपकरणों से माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना, खिंवाड़ा एवं रानी में तहसील भवन, रानी में एसडीएम कोर्ट का निर्माण करके आपने मेरे क्षेत्र की जो मूलभूत कमियां थीं उनको पूरा किया है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि राजस्व बोर्ड में जिस तरह से कमी आयी है उस कमी को कैसे ठीक किया जाए। पहले कलक्टर लगते थे

(श्री केसाराम चौधरी)

रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर तो व्यवस्था ठीक थी मगर अब उस व्यवस्था पर मैं आपसे इशारे में ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार रेवेन्यू बोर्ड में हो रहा है उसके लिए इस बोर्ड को भंग ही कर दो। मैं उसका प्रूफ दे सकता हूं। मगर बहुत दुःख की बात है रेवेन्यू बोर्ड जो कि सीधा किसानों से लगता है, उसमें व्यक्तियों की उम्र निकल जाती है पर फैसले नहीं होते। इसके अलावा किसी भी तरह का कुछ भी लेकर जाओ, स्टे लेना है तो एक सैकिण्ड में स्टे लेकर आ जाओ और अपनी पूरी उम्र तक उसका स्टे खुलता नहीं है इसलिए उसमें कोई न कोई अपने को बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि किसान इससे बहुत पीड़ा में है, दुःख में है। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को सीमित करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं कि 1857 की क्रांति में अग्रणी रहने वाले आऊवा......

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, जो रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जुडिशियल मैटर है उस जुडिशियल मैटर को आप यहां डिस्कस नहीं करें तो ठीक रहेगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने तो पीड़ा को व्यक्त किया है। जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया है और उसमें सुधार करना है चाहे कैसे भी करना पड़े, क्यों नहीं वहां पर आई ए एस लगाना पड़े मगर इसमें सुधार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जनता इससे पीड़ा में है, दुःख में है इस बात से। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी कि आऊवा में सुगाली माता की हूबहू मूर्ति बनाकर उसमें 9 करोड़ रुपये लगाकर मंदिर बनाकर 1857 की क्रांति का उद्यान बनाकर सुगाली माता की मूर्ति को प्रतिस्थापित करेंगे तो वो मंदिर बन गया है और निश्चित रूप से मैडम के द्वारा की हुई घोषणा क्रियान्वित हुई है। इसी तरह से हुलाद के अन्दर हैरिटेज घोषित किया है। (व्यवधान) आप चिन्ता नहीं करें, यह 1857 नहीं.......

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को सीमित कर दें, समाप्त कर दें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और बधाई देता हूं। राजस्थान से जुड़ी हुई चुनौतियों और गरीब जनता का प्यार, प्रेम, जिस नौजवान युवा की आवाज को लेकर राजस्थान के अन्दर सरकार बनी, चाहे वो पंचायती राज से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो उन चुनौतियों को आज फैसले के रूप में, विकास के रूप में, कानून के रूप में हम राजस्थान की विधान सभा के अन्दर लाये हैं जो इस अभिभाषण के अन्दर दिया है।

(16.44 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरे से पहले के वक्ताओं ने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों के बारे में बात की और वाकई राजस्थान एक नई ऊंचाइयों के रूप में अपनी पहचान कैसे बनाये क्योंकि उन धराओं के ऊपर, उस गांव-ढाणी से जुड़ा हुआ मजदूर, गरीब व्यक्ति अपनी वोट की ताकत के पीछे एक सरकार के लिए आयाम स्थापित करता है। आज विपक्ष के लोग यहां सदन के अन्दर नहीं हैं, एक छोटे से मुद्दे को लेकर जो वाकई में कहीं न कहीं देश की अखण्डता और देश की हमारी मर्यादा को छिन्न-भिन्न करता है, को तूल देकर बड़ी बात बनाने का जो फैसला इस विधान सभा के माध्यम से होता है वो अनर्गल है। विशेषकर इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर जो बात युवाओं से जुड़ी है, जो योजनाओं से जुड़ी है और जो सरकार की बात है, वो होनी चाहिए। आज इतना बड़ा प्रचण्ड बहुमत है उस बहुमत के माध्यम से सरकार काम कर रही है। यहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू के बारे में बताना चाहूंगा जो जयपुर जिले का हिस्सा है। मेरा क्षेत्र आज पूरे राजस्थान के अन्दर विकास के नाम पर एक नम्बर का विधान सभा क्षेत्र बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में लो तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, मणिपाल विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में अपनी एक पहचान रखता है वो बगरू विधान सभा क्षेत्र में स्थित है। उद्योग के रूप में जेसीबी जैसे बड़े प्लांट आज बगरू विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं। धार्मिक स्थल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेडीए और यूडीएच के माध्यम से गोनेर जगदीश महाराज मंदिर का 150 करोड़ रुपये की लागत से

(श्री कैलाश वर्मा)

विकास करने का काम किया और वो आज पूरे जयपुर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अन्दर एक अपनी पहचान भी बना चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, विपक्ष के लोग हर बात के लिए और जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो या फिर हमारे जो राजस्थान सरकार के जुड़े हुए मंत्री हैं उनका कोई भाषण हो तो बीच में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान या अव्यवस्था के रूप में किसी भी बात को उठाकर विधान सभा की कार्यवाही बाधित करते हैं। मैं मेरी इस वाणी के माध्यम से वो हैं नहीं यहां पर, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): जो लोग यहां पर हैं, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो कहीं न कहीं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से जुड़ी हुई हैं वो योजनाएं गांव-ढाणी के अन्दर रहने वाले प्रत्येक युवा, गरीब वृद्धा के लिए हैं और इस प्रकार की योजनाओं को गांव-ढाणी तक पहुंचाना है, मगर वो लोग इस बात को नहीं समझते। यह बात सही भी है उपाध्यक्ष महोदय, यह चन्द लाइनें उनके लिए जाती हैं जो जनता के दर्द से जुड़ा हुआ यहां पर विधायक, मंत्री, या मुख्य मंत्री के रूप में हैं। जब सदन के अन्दर कोई बात उठती है उस बात को प्रदर्शित करने के लिए जनहित से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे वो राजस्थान सरकार का, वो कहीं न कहीं किसी न किसी जन-प्रतिनिधि से जरूर जुड़ा रहता है। आज यहां पर विपक्ष के लोग नहीं हैं, वो कार्य क्षेत्र के रूप में अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जाते हैं और काम की योजनाओं को जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को नहीं उठायेंगे विधान सभा के अन्दर तो फिर किस प्रकार के कार्य को लेकर

(श्री कैलाश वर्मा)

जनता के बीच में जाएंगे। उनकी जो पीड़ा थी, विशेषकर आज इस पूरे राजस्थान के अन्दर विकास के नाम के ऊपर नया आयाम स्थापित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुन्धराजी के में किया है। यह पहली दूरदर्शी सरकार है, पारदर्शी सरकार है जो विकास के नाम पर पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर अपना विजन बना चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व के अन्दर राजस्थान उद्योग, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर चुका है। पहली बार किसी गरीब की नब्ज को ढूंढकर उसमें विकास की रूपरेखा तैयार करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज विपक्ष के लोग हर बात को चाहे वो हिन्दुस्तान की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, आज हमारे हिन्दुस्तान में जो केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि राजस्थान के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय के अन्दर भारत माता का जयकारा लगना चाहिए, हमारा तिरंगा वहां पर लहराना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था और भारत की कूटनीति इतनी मजबूत है कि इन बातों की हमारे को जरूरत नहीं है, मगर अखण्डता के बीच में ऐसे व्यवधान डालना, कहीं न कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है। मैं आज इस विधान सभा के अन्दर इस बात का भी व्याख्यान करता हूं कि किसी न किसी प्रकार की कोई बात जो यहां से बाहर कहीं पर होती है, उसमें राजस्थान की विधान सभा की मर्यादा हो, चाहे हिन्दुस्तान की लोक सभा की मर्यादा हो, वह कहीं न कहीं विकास को जरूरत प्रदर्शित करती है।

आज राजस्थान से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसी प्रकार की युवाओं से जुड़ी हुई योजना हो, विशेषकर श्रम योजना के तहत या निर्माण कार्य के तहत आज जितने गांवों को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत जोड़ा गया, पहली बार राजस्थान के अन्दर ऐसा हुआ कि हम वर्षा के पानी को एकत्रित करके एक नया संदेश राजस्थान के लिए दें। आज जरूरत राजस्थान के प्रत्येक गांव को है, प्रत्येक ढाणी को है। आज 67 साल की आजादी के बाद में विपक्ष के जितने लोग यहां पर बैठते हैं, वह कहीं न कहीं, किसी न किसी बिन्दु को लेकर अपने वक्तव्य का यहां पर पुरजोर समर्थन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। आजादी के बाद में जब हमारे देश

(श्री कैलाश वर्मा)

के प्रधान मंत्री अटलजी हुआ करते थे प्रधानमंत्री सड़क योजना बड़े हाईवे के रूप में राजस्थान में और हिन्दुस्तान में लागू हुई थीं। उन योजनाओं को धरातल के ऊपर सबकी मेहनत से हमने उतारने का पूरा प्रयास किया। यहां जितने सदस्य मौजूद हैं इस विधान सभा के अन्दर, विपक्ष को किसी न किसी प्रकार विकास की योजनाओं के तहत हमारे को दबाना है, हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वह कागज के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से प्रत्येक गांव और ढाणी के व्यक्ति के पास में पहुंचनी चाहिए, जिनके वोट की ताकत से हम राजस्थान की विधान सभा के अन्दर उनका नेतृत्व करते हैं। आज ये विपक्ष के लोग बोलते हैं कि राजस्थान सरकार के प्रत्येक मंत्री, विधायक या मुख्य मंत्री, जो इस सरकार के विकास की एक नई रूपरेखा तय करते हैं, उनके नाक में नकेल डालकर हम विकास का पैसा निकालेंगे। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब 67 साल की आजादी में नकेल आपके पास थी तब आप लोगों ने क्या किया था?

विधान सभा क्षेत्र बगरू जो जौहरी बाजार, सांगानेर और कई विधान सभा क्षेत्रों से कटा हुआ क्षेत्र था, वह पिछली बार जब यहां नया विधान सभा क्षेत्र बना, विकास के नये आयाम यहां स्थापित हुए और विपक्ष के लोग यहां पर अभी मौजूद नहीं हैं, वह जनता के दर्द को लेकर, जनता के दु:ख को लेकर क्षेत्र में जायें, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। मोहन लालजी जब इस अभिभाषण का यहां पर पुरजोर समर्थन कर रहे थे तो मेरे मन में बैठे-बैठे एक पीड़ा भी जग रही थी कि विपक्ष के लोग योजनाओं को बताने की बजाय यहां पर अपने बीच में आकर इनका बखान उलटा करते हैं, जनता के दर्द को नहीं समझते हैं। यह बात सही भी है। जनता के लिए, उनके लिए भी लागू होती है कि

"जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे,
जो बहते-बहते रुक जाये, वह दरिया छोड़ दो,
एक फूल था जिसको तुमने कांटा बना दिया,
अब वह उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो।"

यह जनता के प्यार-प्रेम को, जनता की योजनाओं को यहां भी नहीं बताते और सरकार की योजनाओं को आगे तक भी नहीं लेकर जाते। मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं पूरे

(श्री कैलाश वर्मा)

मंत्रिमण्डल को कि वाकई में बगरू पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमें विकास के नाम पर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी, इस दो साल के अन्दर लगभग 2,000 करोड़ रुपये की योजनाएं बगरू के अन्दर स्थापित हुई हैं जो शिक्षा उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। कल ही सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 500 बैड के अस्पताल का शिलान्यास प्रताप नगर, जयपुर की राजधानी के अन्दर किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इतने बड़े आयाम यहां पर स्थापित हैं, फिर मुझे लगता है कि बगरू जैसे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इतना विकास हुआ है तो पूरे राजस्थान के अन्दर विकास की क्या रूपरेखा रही होगी।

यहां पर हमारी जल मंत्रीजी सम्माननीय किरणजी से मेरा एक ही इस बजट के माध्यम से निवेदन रहेगा कि राजस्थान के अन्दर बगरू एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जिसके बीच में से बीसलपुर की पाइप लाइन जाती है और ब्यावर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा तक बीसलपुर का पानी गया, लेकिन जहां पर इसकी रूपरेखा तैयार की गयी, वहां बीसलपुर का पानी नहीं मिला। मुख्य मंत्रीजी की बड़ी योजना सेज, स्पेशल इकोनोमिक जोन बगरू के अन्दर स्थित है। विधान सभा क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें रेवेन्यू रिकार्ड के लगभग 250 गांव हैं, उनको भी इस योजना से जोड़कर एक नई योजना आने वाले समय के अन्दर इस राजस्थान में बगरू विधान सभा की राजनीति के लिए बन सके, उसके लिए भी आप लोगों को काम करना है। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अंत में चार लाइनें सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी और पूरे हमारे मंत्रिमण्डल के लिए है,

''अंधेरों पर पार पाकर रहेंगे एक दिन,
रोशनी आंगन में लाकर रहेंगे एक दिन,
धूप को तुम चाहे कितना ही छिपाकर रख लो तिजोरी में,
हम आने वाले समय में वसुन्धराजी के नेतृत्व में नया राजस्थान बनाकर रहेंगे एक दिन''

बहुत-बहुत धन्यवाद, राम-राम साहब।

श्री उपाध्यक्षः श्री जयराम जाटव। एक मिनट सदस्यजी, एक मिनट।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा If you not serious about that then I will not continue with the House.

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बातें-बातें ही कर रहे हैं साहब ये।

श्री उपाध्यक्ष: और मंत्री महोदय, मंत्रिमण्डल के जितने सदस्य यहां बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जिस सदस्य को आसन इजाजत देता है, उसने क्या अभिव्यक्ति की, हो सकता है, आसन आपको उसकी अभिव्यक्ति के बाद में पूछ ले।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्षजी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझसे पहले इस सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सात माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, लोक सभा देश की 14वीं है और राजस्थान की विधान सभा भी 14वीं है। देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद हर आदमी यह सोच रहा था कि हिन्दुस्तान का नक्शा कैसा होगा और हिन्दुस्तान को कैसे नक्शे पर लाया जाये। जो भी सरकारें बनीं, जिसमें अधिकांश में, 14 लोक सभाओं में से 12 सरकारें केन्द्र में कांग्रेस की पार्टी की बनीं। जिन्होंने इस देश के मूलभूत ढांचे को सुधारने के लिए बार-बार देश में आजादी की बात कहते रहे और यह बार-बार कहते रहे कि हमने इस देश को सब कुछ दिया चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण का मामला था, किसानों की बात कहकर भारतीय संविधान में मानव और मौलिक अधिकार की बात थी, उसको हर बार गिनाते थे। यह बात भी ठीक है कि जो दल चुनाव के मैदान में जाता है, वह अपना चुनावी घोषणा-पत्र लेकर जाता है और जैसे-जैसे उसका पांच साल का कार्यकाल होता है तो हर सदन में आकर अपनी बात रखती है गवर्नमेंट कि हमने इन-इन बिन्दुओं को छूकर विकास कार्य करा दिये लेकिन आज भी 68-69 वर्ष के बाद हम एक-दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं। मैं परसों से देख रहा हूं कि उनका मकसद कुछ नहीं है। विरोधियों का मकसद कुछ नहीं है, विरोधियों का एक मकसद है, केवल आरोप। आम जनता जानती है इस देश की कि विरोधी पक्ष का मकसद क्या है कि कोई बात, किसी भी काम, किसी योजना का काम या जो सरकार कह रही है, उसमें अपनी मीनमेख निकालनी है। तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए, अगर उनके पास सबूत है तो बोलना चाहिए। यहां आते हैं और गैलरी

(श्री जयराम जाटव)

में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं यह कह रहा हूं कि इनकी बहुत चल गई। अब इनकी नहीं चलेगी। राजस्थान विधान सभा के चुनाव से पहले सुराज संकल्प यात्रा के रूप में जो प्रदेश की आज मुख्य मंत्री हैं श्रीमती वसुन्धराजी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थीं, सुराज संकल्प यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में दौरा किया।

(17.00 बजे)

एक-एक जिले में, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में, तहसील में जाकर देखा कहां कौनसी समस्या जनता के बीच में है। पानी की कहां आवश्यकता है, स्कूलों की कहां आवश्यकता है, रोडों की कहां आवश्यकता है और उसके बाद में एक खाका तैयार किया। अभी कल माननीय महामहिम ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसकी कापी सबके पास है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि जो काम नहीं हुए उनको जोड़ दिया हो। सरकार की दो साल की उपलब्धि जितने सात सदस्यों ने गिनाई, यह पता है विरोधी पक्ष वालों को भी। मैं दुबारा यहां विधान सभा में आया हूं। 2003 से 2008 तक विधान सभा में था और दुबारा मैं सदस्य बना हूं। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं और राजस्थान की आम जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि इन दो सालों में विकास कार्य हुआ है। गांवों में जब हम जाते थे तो लोग कहते थे कि हमको 12वीं के स्कूल, सीनियर सैकण्डरी के स्कूल चाहिए। माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय चाहिए और यहां आकर के हम कहते थे तो दो या तीन, चार विद्यालय माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हो जाते थे। 2003 से 2008 तक जब हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी थीं, मैं इनको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। इन्होंने हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर के ऊपर उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये थे उस समय और इस बार प्रथम बजट तो नहीं था, एक बजट छोटा हुआ लेकिन दूसरा जो बजट था उस बजट में राजस्थान में 5200 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये। गांव में जितने गरीब लोग रहते हैं चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, ये बहुत दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग कि हमने अनुसूचित जाति के लिए किया, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए किया। मैं निश्चित रूप से इन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के

(श्री जयराम जाटव)

माध्यम से झूठा लोभ में लेकर के इन्होंने उनके वोट लिए हैं और उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। गांव की बेटी, गरीब का बच्चा गांव में, शहर में जो प्राइवेट स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें प्रवेश शुल्क, उनका अध्ययन शुल्क और उनके आने-जाने के जो यातायात के साधन हैं उनमें वो पैसा दे नहीं पा रहे थे और उनका एडमिशन नहीं हो पार रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को गांव के गरीब आदमी को गणेश मानते हुए एक लाइन में उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी का।

अभी यहां सड़कों की बात हो रही थी। हम जब गांव में जाते हैं तो गांव वाले सड़कों की डिमाण्ड करते हैं। अभी बहन अनीताजी कह रही थीं कि गांव में ऐसी सड़कें बन रही हैं ग्रामीण गौरव पथ, जिसकी मोटाई 6 इंच के लगभग है और उसके दोनों तरफ नालियां हैं। ग्रामीण गौरव पथ के रूप में जो सड़कें बन रही हैं कभी गांव के लोगों ने सोचा नहीं था। इस देश में इस देश के सपूत पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से गांव की सुध ली या हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी ने सुध ली है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हर विधान सभा क्षेत्र में यह बन रही हैं इसलिए अगर गांव की सुध ली है तो श्रीमती वसुन्धरा जी ने ली है। इनको तकलीफ होती है। आज मैं निश्चित इस बात को कहने को तैयार हूं, इस प्रदेश की जो स्थिति थी चाहे वह शिक्षा की स्थिति कमजोर थी, चाहे वह सड़कों की स्थिति कमजोर थी या न्याय की स्थिति कमजोर थी। मैं ताज्जुब करता हूं और आम जनता ताज्जुब करती है इस प्रदेश की मुख्य मंत्री हर सम्भाग स्तर पर जाकर के गांव में एक चौपाल लगाकर के, सारा मंत्रिमण्डल जाकर के चौपाल लगाकर के उनके दु:ख दर्द सुनता है और जो कागज या जो प्रार्थना पत्र आते हैं उसमें डिपार्टमेंटवाइज भेजकर के निर्णय कराते हैं इससे ज्यादा पारदर्शी सरकार और क्या हो सकती है।

अभी भामाशाह योजना की बात चल रही थी। भामाशाह योजना से किसको लाभ है? आम गरीब आदमी को लाभ है। उस महिला को लाभ है, उस परिवार को लाभ है जिसको यह पता ही नहीं था। 2003 से 2008 तक जब हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी थीं इन्होंने इस भामाशाह योजना को लागू किया था। पांच साल जब कांग्रेस के लोग आये, इसको बंद कर दिया। इन लोगों को देखना चाहिए था जो आम जनता के हित की योजनाएं हैं, गरीब आदमी के हित की योजनाएं हैं उसको लागू कर देना

(श्री जयराम जाटव)

चाहिए। अभी स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह योजना के साथ जोड़ने की बात है। गरीब आदमी कोई दो लाख रुपया या तीन लाख रुपया उस बीमारी में खर्च होता है और उसके पास एक रुपया भी नहीं है या उसके पास कुछ नहीं है, इस तरह की योजना से उसकी बीमारी का इलाज हो जाए, कैंसर का या वाल्व खराब हो जाए उसका इलाज हो जाए तो इसमें बुरा कर दिया क्या? आज इस तरह की योजनाएं जो गांवों में लागू हो रही है, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे भामाशाह योजना हो, ग्रामीण गौरव पथ हो या शिक्षा का काम है।

जब सुराज संकल्प यात्रा हमारे अलवर जिले में गयी तो हमारे यहां मालाखेड़ा में एक मीटिंग हुई और अलवर जिले के लोगों ने अलवर यूनिवर्सिटी के लिए डिमाण्ड की। यूनिवर्सिटी की घोषणा जब 2003 से 2008 के बीच में हमारी सरकार थी, श्रीमती वसुन्धराजी ने की थी उसको भी डम्प कर दिया और जब वसुन्धराजी वहां गयीं, उस डिमाण्ड के आधार पर लोगों ने यह कहा कि श्रीमती वसुन्धराजी, आपकी सरकार आने वाली है आप इस यूनिवर्सिटी को खोलिये। पांच साल कांग्रेस वाले जमीन तक नहीं दे पाए और हमने जमीन दिलाई और मैं माननीय वसुन्धराजी को और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलवर में यूनिवर्सिटी खोली और उसमें 3 करोड़ 90 लाख रुपये के काम भी चालू किये।

आज इस तरह के बहुत सारे काम हैं। जहां हमारे पानी की किल्लत आ रही थी पूरे प्रदेश में, मान लीजिए पानी के लिए अगर डैम बना ले, छोटे-छोटे एनीकट बना लें, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन का जो इस तरह का अभियान चला रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है। पहले राजस्थान के गांव का आदमी चाहे किसान हो या मजदूर हो, एक बूंद पानी को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आज जो पानी बहकर जा रहा है, भगवान के यहां से तो बरसेगा तब ही मिलेगा। खून और पानी दो चीज कोई मशीन से तो बनने वाले हैं नहीं, ये तो शरीर में से और इन्द्र देवता बरसाएगा तब पानी मिलेगा। इस तरह का जो अभियान चलाया है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इस अभियान में सारे साधु संत, सारे भामाशाह, सारे उद्योगपति, सारे कर्मचारी, अधिकारी, सारे नेता ने मिलकर इस तरह का अलख जगाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं इस सदन में कि इन्द्र देवता भी निश्चित रूप से इस बार मेहरबान होगा, हमारे इस अभियान में जो एनीकट और बांधों का काम चल रहा है उनमें पानी आएगा और इसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा।

(श्री जयराम जाटव)

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो लेखा-जोखा दिया है इसमें कोई चीज ऐसी छुपी नहीं है चाहे वह किसी भी तरह की योजना हो, इसलिए मैं जितना धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को उतना कम है। आज मैं अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसमें दो साल की उपलब्धि है।

श्रम विभाग की बात मैं आपको कहना चाहता हूं। श्रम विभाग के हमारे माननीय सुरेन्द्रपाल टीटी राज्य मंत्री हैं, मैं उसका सदस्य हूं। श्रम विभाग की जो योजना है उसमें आम गरीब आदमी चाहे वह किसान हो, फैक्ट्री में नौकरी करने वाला बेलदार हो, चाहे गांव में तग़ारी ढोने वाला आदमी हो, चाहे चुनाई करने वाला आदमी हो या लोहे का, लकड़ी का काम करने वाला बेलदार हो, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। केवल ऐसा नहीं कि श्रम विभाग के कार्यालय में होगा। जो नरेगा में काम करने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके अलावा कोई भी लाइसेंस होल्डर जो ठेकेदार है उससे लाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उससे लाभ गरीब आदमी को यह मिला है कि अगर उसका कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें उसको आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर उसकी बेटी की शादी है तो पचपन हजार रुपये मिलेंगे। अगर वह मकान बनाता है तो डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मान लो दुर्घटना में, भगवान न करे, पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको नौ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे अच्छी योजना क्या है।

श्रम विभाग की योजना, भारत सरकार के हमारे नरेन्द्र भाई मोदीजी जो प्रधान मंत्रीजी हैं, तीन योजनाएं उन्होंने अपने यहां देश में लागू की। अटल पेन्शन योजना, दुर्घटना बीमा योजना और तीसरी गरीब आदमी की योजना लागू की है। अभी 6 महीने पहले कांग्रेस के लोगों ने कहना बंद कर दिया। ये कहते थे कि अच्छे दिन आ गये। अब कांग्रेस के लोग शांत हो गये। वे समझ गये कि निश्चित रूप से बीजेपी के अच्छे दिन आ गये और उनके बुरे दिन आ गये। आज वे हैं ही नहीं यहां कोई भी। लेना एक न देना दो। यह जरूर है कि वे कहीं न कहीं सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। आज हमारा दायित्व बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि जिस जनता ने हमको इस पवित्र सदन में चुन कर भेजा है जनता की सेवा के लिए, उनकी मूलभूत

(श्री जयराम जाटव)

सुविधाओं के लिए, भारतीय संविधान में मानव और मौलिक अधिकार के लिए भेजा है, उनके लिए हमको काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जो काम कर रही है सरकार, प्रतिपक्ष को भी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभानी चाहिए।

अब मैं ज्यादा बात तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कहेंगे कि हमारे पीछे से हमारे खिलाफ बोल रहे थे। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं ज्यादा लम्बा भाषण इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सवा पांच बजने वाले हैं। एक घंटे का टाइम दिया है अभी तो मुझे दस मिनट हुए हैं।

'न्याय आपके द्वार' में मैंने पहली बार देखा कि जब कोई मुकदमे होते हैं तो वकील तो मेरे ख्याल से बीस साल तक उनको सुलटने नहीं दे। हमारे केबिनेट मंत्री हेम सिंहजी भी वकील हैं। आप जानते हैं कि तारीख पर तारीख देते हैं और गांव का आदमी तारीख पर जा-जाकर चाहे मुन्सिफ कोर्ट में हो, चाहे एसीजेएम कोर्ट में हो, चाहे एडीजे कोर्ट में हो, परेशान हो लेते हैं। सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो बताते हैं तारीख मिल गयी। अगली पर जाते हैं तो पता चलता है कि तारीख मिल गयी। छोटे 191 के मामलों में सरकार ने उनके द्वार जाकर के, वहां मजिस्ट्रेट गये, वहां सारे कर्मचारी गये ...(व्यवधान) 'न्याय आपके द्वार के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। गरीब के लिए सोचा है। इस तरह की जो सरकार की मंशा है कि गांव का आदमी किसान, मजदूर, कोई भी है, कैसा ही मुकदमा है और उसमें अगर मान लो बैठकर समझौता हो जाता है तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बेटियों के लिए शिक्षा में 70 परसेंट से ज्यादा मार्क्स आने पर स्कूटी देने की योजना चलायी थी हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने। गांव में जो लड़की नवीं पास करती है उसको साइकिल वितरण किया गया। वो अपनी साइकिल से जाए और मेहनत करके पढ़े इसलिए निश्चित रूप से ये जो योजनाएं आयी हैं इस प्रदेश में और जो योजनाओं का लाभ मिला है गांव के आदमियों को वह पहली बार मिला है। श्रीमती वसुन्धराजी जो हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, जन-जन की प्रिय हैं, आम जनता की प्रिय हैं, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं कहता है मैं मेवात की बात भी कहना चाहता हूं। अलवर जिले के मेवात में मेव जाति

(श्री जयराम जाटव)

जो कांग्रेस के पक्ष में थी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका मानस बन रहा है।

प्रदेश में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कोई दंगा-फसाद नहीं हुए। यह पारदर्शी सरकार है, सबको साथ लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई-भाई। साथियों, पिछली कांग्रेस सरकार जो इस प्रदेश में थी, मैं किसी भी मंत्री का नाम नहीं लूंगा कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वह तो सबको पता है। इस तरह का जो...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात रह गयी है छोटी-सी उसको पूरा कर लूं उसके बाद में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं युवाओं की बात कह रहा था। हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ रही है।

एक आम आदमी में चिन्ता है कि चाहे बेटा बी.टैक कर रहा हो, चाहे पोलिटैक्निक कर रहा हो, यह करने के बाद उसको रोजगार कहां से मिलेगा। हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री का सोच है, स्किल इंडिया के नाम से अभी भिवाड़ी में वे उद्घाटन करके आयीं। कई कम्पनीज को इकट्ठा करके ट्रेनिंग सेन्टर शुरू करेंगे। उनका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो और वहां से फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्रीज वाले लेंगे। स्किल इंडिया के नाम से बहुत बड़ी योजना इस प्रदेश में आ रही है। जो इंडस्ट्रीज बाहर से आ रही हैं वे इस विश्वास से आ रही हैं कि राजस्थान प्रदेश की सरकार पारदर्शी हैं, सहयोगी हैं। यहां कोई आंदोलन करने वाला नहीं है इसलिए प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान) होंडा सिंटी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है उसमें हजारों लोगों रोजगार मिला है यह अच्छी बात है। रोजगार के लिए हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने बेरोजगारों के रोजगार की व्यवस्था स्किल इंडिया के नाम से की, उसमें प्रोग्राम देकर के फैक्ट्रियों के लिए तय कर दिया।

आज गांव-गांव में जो विद्यालय हैं और इंडस्ट्रीज को यह भी कह दिया कि जहां-जहां विद्यालय हैं उनमें शौचालय बनायें, कमरे बनायें। मैं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को, यहां की सरकार को और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के

(श्री जयराम जाटव)

समर्थन में खड़ा हूं। कोटि-कोटि माननीय मुख्य मंत्रीजी को आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। ये अभिभाषण भाषण नहीं है एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो साल में क्या अचीवमेंट किया उसका दस्तावेज है। बड़े दु:ख की बात है कि प्रतिपक्ष के लोग नहीं हैं, उनको ऐसे समय पर रहना चाहिए, अनुभवी सदस्यों का लाभ मिलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दो साल में जो अचीवमेंट है वह पूरी जनता जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। हमारा देश आजाद हुआ। आजादी ने जिन लोगों ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से बलिदान दिया, आजादी की जंग में महारानी लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई वो चिंगारी थी जिसने देश में आजादी की लहर पैदा की। लाल, बाल, पाल, गोखले, भगतसिंह और सभी ने इस देश की आजादी के लिए काम किया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुभाषचन्द्र बोस ने किया जिससे अंग्रेज़ डर गये और 1943 में उन्होंने कह दिया आजाद हिन्द फौज है। भारत आजाद 1947 में हुआ। मैं उस विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां से भारत आजाद होने के बाद पहले मुख्य मंत्री आदरणीय स्व. हीरालालजी शास्त्री निवाई के रहने वाले थे।

मैं उस विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां भगवान देवनारायण विराजमान हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के दो-दो विश्वविद्यालय हैं, एक विश्वविद्यालय है के.एन. मोदी और दूसरा वनस्थली विश्वविद्यालय जो एशिया में महिला शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सबका साथ, सबका विकास में दो वर्षों में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये, सुराज की परिकल्पना को साकार किया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल जैसे अभिनव कार्यक्रम लागू हुए। वर्षों से लम्बित समस्याओं का निस्तारण हुआ। सुराज संकल्प यात्रा के तहत हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने धूप, गर्मी और बरसात जैसे मौसम में भी घूमकर राजस्थान की जनता के हाल जाने। कांग्रेस के समय में जो राजस्थान की दुर्गति हुई उसके हालात जाने। हिन्दुस्तान आजाद हुए 69 साल हो गये, कुल

(श्री हीरालाल)

प्रतिपक्ष ने चाहे जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, मुश्किल से 9 साल का उनका कार्यकाल रहा है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं थे, वर्ना मैं उनसे पूछता कि 50 साल का हिसाब दो। बड़े शर्म की बात है कि एक विश्वविद्यालय में देश को बांटने के नारे लगते हैं और जो देश चलाने और आगे बढ़ने की बात करते हैं वह लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहां नारे लगते हैं हिन्दुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शर्म आनी चाहिये, शर्म आनी चाहिये इस तरह के नेताओं को जो ऐसी जगह जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी संस्थाओं को जहां देश विरोधी नारे लगते हैं, बंद कर देना चाहिये। ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिये। (व्यवधान) आप क्यों आये हो, आप भी तो उनमें ही हो। (व्यवधान) फिर क्यों खड़े होते हो, मत हुआ करो, आप बैठो, सुनो। आपमें सुनने की क्षमता है तो सुनिए ...(व्यवधान) हमारे राजस्थान में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान के लिये माननीय वसुन्धराजी ने जल स्वावलम्बन योजना 27 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ की। भामाशाह योजना से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला। राज्य की 2015-16 की वार्षिक योजना 71405 करोड़ जिसमें सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को प्राथमिकता दी गयी। महिला सशक्तिकरण सेवाओं में बेहतर विवरण 15 अगस्त, 2014 से भामाशाह योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 9 लाख परिवारों को जिसके विपरीत 3 करोड़ 78 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। इनमें 60 लाख व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड वितरित किये गये। केन्द्रीय सड़क निधि में माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कल्पना की हर पंचायत क्षेत्र सड़क से जुडे। उन्होंने चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह के फ्लाई ओवर बनाये जिससे गांव के लोग भी अच्छी सड़क पर चल सकें। उनकी एक योजना थी नदी से नदी जोड़ने की। अब माननीय मोदी जी के आने के बाद, माननीय वसुन्धराजी के आने के बाद जल की समस्या के स्थाई समाधान के लिये, लोगों को जल से जो जुझना पड़ रहा है उसके लिये नदी से नदी जोड़ने की योजना प्रारम्भ की जा रही है। केन्द्रीय सड़क निधि में चालू वर्ष 1762 करोड़ रुपये की लागत के 56 कार्यों की स्वीकृति तथा 952 किलो मीटर सड़कें, सुदृढ़ीकरण, चौडाईकरण एवं नवीनीकरण तथा एक आरओबी व 9 पुलों का निर्माण किया गया। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, जमीन में उर्वरक क्षमता है या नहीं है, इस तरह की कृषि विभाग की योजना और फसली बीमा, अब तो यह हो गया कि फसली बीमा कोई बैंक नहीं देगा, उसको 18 परसेंट

(श्री हीरालाल)

ब्याज भी देना पड़ेगा। कुछ योजनाएं हैं आप सुनो, सुनते रहिए चुपचाप। (व्यवधान) आप कुछ तो शर्म करो, आप माननीय सदस्य हो, आपको शर्म आनी चाहिये, बीच में क्यों टोक रहे हो, बैठ जाइए ...(व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिये बीच में टोक रहे हो। आप सुनिए, बाद में बोलना ...(व्यवधान) क्या बोलोगे बाद में, सदन खाली है, पूरा राजस्थान आपकी करतूतों को जानता है। आपके पास कुछ है नहीं, 50 साल में देश को बर्बाद कर दिया, विरोध करने के लिये वैल में आने के अलावा कोई काम नहीं है। जनता जानती है, यह मुंगेरी लाल के सपने बंद करो। माननीय वसुन्धराजी की यह सोच रही, गौरव पथ ऐसी योजना है, कभी सुनी है, कांग्रेस के लोगों ने सुनी है क्या ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः सम्माननीय सदस्य, आप उधर नहीं देखेंगे, आप सीधा देखो यहां।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 साल तक वह सड़क नहीं टूटेगी। कांग्रेस के समय में सड़कें बनीं वह आज बनी कल टूट गयीं। सड़कें बनाई ही नहीं और बिल उठ गये, ऐसे ऐसे काम हुए हैं। अब आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि इतना विकास हो रहा है फिर हम क्या करेंगे, इसलिए आपको तकलीफ है।

सरकार द्वारा 2958 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन के रूप में 818 आरओ प्लांट लगाने की योजना है। ग्रामीण जनता को स्वच्छ पानी मिले। अशोक गहलोत साहब जब 1998 में सत्ता में थे तब सांगानेर में एक पत्थर लगा दिया कि हम आपको बीसलपुर का पानी देंगे। बीसलपुर का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, माननीय वसुन्धराजी की सरकार आने के बाद अजमेर को, नसीराबाद को, दूदू को, टोंक को, चाकसू को और अब जो बाकी बचे गांव हैं उनको देने की योजना है। हमारी माननीय पीएचईडी मंत्रीजी की योजना है अप्रैल, मई तक जो बचे गांव हैं उनको भी देंगे और जो बचे हुए हैं उनको आगे अक्टूबर तक देंगे। वर्ष 2014-15 एवं 16 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में 5 लाख 35 हजार अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिलें, लैपटोप वितरण किये गये। उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मैं कहूंगा कि मेरे पीपलू खण्ड में कालेज नहीं है, वैसे सब जगह उपखण्ड में कालेज की योजना है, कृपया पीपलू में राजकीय महाविद्यालय खोलें। 2 अक्टूबर, 2015 से 7 जिलो में 3 लाख 50

(श्री हीरालाल)

हजार किशोरियों को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन दिये जायेंगे। माननीय मोदीजी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद जनधन योजना लागू की। जीरो बैलेंस पर ग्रामीण लोगों का खाता खुलाना, उन्होंने देश के सारे बैंकों को यह कहा कि नरेन्द्र मोदी इसके लिये आपको जमानत देता है, दी और जीरो बैलेंस पर खाते खुलाये। थी ऐसी कोई योजना? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जब हम स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ होंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को भी कहूंगा कि मेरी सड़कों पर भी विचार करना। निवाई विधान सभा क्षेत्र में राजस्व लोक अदालत में राजस्थान में पहले निवाई, दूसरे नम्बर पर कामां और तीसरे नम्बर पर पीपलू उपखण्ड रहा, आप क्या बात कर रहे हो।

मैंने आपको निवेदन किया। मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जहां से हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद पहले मुख्य मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने। जहां हमारा देवनारायण भगवान विराजमान हैं जोधपुरिया में। पर्ची आ गई मुझे आपने समय दिया। मैं इनको और कुछ कहता, पर नहीं कहता हूं। मैं महामहिम साहब के भाषण का पुरज़ोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधरजी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है। अपनी करतूतों से सामने की बैंच खाली पड़ी है। पिछले पांच साल में जो करतूत की वो आज दिख रही है। यह करतूत नहीं करते तो आज क्या मालूम इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती। विपक्ष को माद्दा रखना चाहिए सुनने के लिए हमने क्या करतूत की। उन करतूतों को सुनने के लिए विपक्ष में माद्दा होना चाहिए, वो माद्दा भी नहीं है कि हमने जो कार्य किये हैं वो सुने या नहीं सुने। यह उनकी घटिया सोच है जो वाक आउट करके चले जाते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है उनकी भी। एक परिवार सरकार चलाता है उनकी, पार्टी चलाता है। तो जैसे ऊपर से आकाओं का आदेश होता है वैसे अपना वाक आउट करते हैं, वैसे चिल्लाते हैं फिर चले जाते हैं। खैर, उनकी करनी उनके काम आयेगी। पूर्व सरकार कांग्रेस की केन्द्र में इस कदर दुरुपयोग करती थी सरकारी तंत्र का किसी व्यक्ति को टार्चर करने के लिए सी.बी.आई. का बहुत बुरी तरह दुरुपयोग किया करती थी। आज उन्हीं करतूतों से वे विपक्ष में प्रतिपक्ष का नेता बनने की स्थिति में भी नहीं रहे।

(श्री बंशीधर)

जो उनकी करतूत सेंटर में दिख रही है वही करतूत आज हमारी राजस्थान की विधान सभा में भी दिख रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, आज फेल्योर का कारण वो जाने लेकिन हमारे हिसाब से एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गयी, एक व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं। किसी दूसरे को अध्यक्ष बना दे तो मालूम नहीं, पार्टी है तो छोटी-सी, लेकिन उसके कितने टुकड़े हो जाए, इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। यह कांग्रेस की करतूतें आपको दिख रही हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार केन्द्र में आयी। दो साल पहले लगातार दस साल कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। दस साल तक माननीय महमोहन सिंहजी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कभी किसी का कुछ किया नहीं। उनका मुंह बंद था, हाथ बंधे हुए थे और यह कह दिया जितना लूटो उतना लूट लो यूपीए । अरबों-करोड़ों रुपए के लूटने का आप पेपरों में हमेशा पढ़ते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये केन्द्र में आदरणीय मोदीजी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक रुपये का भी कहीं घोटाला आपके सामने आया क्या। आज कांग्रेस वाले अपने हाथ मल रहे हैं, हमने तो बहुत बुरा कर दिया। अरे आपने बुरा किया उसी का तो नतीजा आप देख रहे हो। कथनी और करनी में फर्क है।

आदरणीय मोदीजी आज की सोच नहीं रखते हैं। आदरणीय मोदीजी आने वाले दस साल की सोच को आगे देख के काम कर रहे हैं और निश्चित है ऐसा काम करते रहेंगे आने वाले दस साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चलती रहेगी। कांग्रेस वाले इसमें कुछ नहीं कह सकते, उसका कारण यही है कि उन्होंने अब तक जो किया उनका भरण हो रहा है। आज कई जेल में बैठे हैं, कई के केस चल रहे अरबों-करोड़ों के घोटालों के। यह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की देन है। बी.जे.पी. सरकार के अन्दर मंत्रियों का तो दूर रहिये पदाधिकारी या उनसे समर्थित कोई आदमी कहीं पर भी भ्रष्टाचार की बू आती है आदरणीय मोदीजी उसको खेंच देते हैं। कोई सोच नहीं सकता कि मैं यह कोशिश करूं दो रुपए इधर-उधर कर दूं। एक दफा कहीं पढ़ने को मिला था केन्द्र में एक मंत्री जी टी-शर्ट और पैंट में एरोप्लेन से उतर कर आ रहे थे। उनके पास सूचना पहुंच गयी। उन्होंने कहा यह आपका ड्रेस कोड नहीं है केन्द्र में मंत्री हो, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने टी-शर्ट पहनना बंद

(श्री बंशीधर)

कर दिया। एक प्रधानमंत्री का जो कर्त्तव्य है, ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीजों पर ही यदि आप अंकुश लगायेंगे तो कहीं पार्टी में या सरकार में कोई गलत काम करने की सोचेगा भी नहीं। आज हमें बड़े दुख के साथ सुनना पड़ रहा है देख रहे हैं जे.एन.यू. में अफजल गुरु के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस सरकार उसके लिए आंदोलित हो रही है। कांग्रेसी पार्टी उसके लिए सारी की सारी आंदोलन करने पर तुली हुई कि उसके पक्ष में हम रहें। आप उसके पक्ष में हो तभी तो आज यह हालत हो रही है आपकी।

मैं राजस्थान की बात करना चाहूंगा राजस्थान में बहुत बड़ा भू-भाग है राजस्थान के अन्दर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए पानी कहीं विदेश से नहीं आ सकता और यहीं कहीं आस-पास से व्यवस्था करना हमारा कर्त्तव्य बनता है। दुरुपयोग रोका जाए पानी का।

हमारी आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की सोच बहुत अच्छी सोच थी, उन्होंने 'खेत का पानी खेत में, अपना पानी अपने पास' जल स्वालम्बन अभियान के अन्दर जो कार्य करके दिया है, कांग्रेस वालों को पसंद नहीं है वो बात। वो कहते हैं आप तो जन सहयोग से काम कर रहे हैं। क्या मालूम कांग्रेस को कि जन सहयोग से जिसका पैसा सौ रुपये लगे, दस रुपये लगे पांच हजार लगो, अपनत्व आता है उस काम में, काम में अपनत्व आने से काम ज्यादा बढ़िया बनता है और उसकी निगरानी रखते हैं। (व्यवधान) हां मिलता उसी को है। सही बात है उन डाकुओं को कहां से कौन जन सहयोग देगा। यह आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की जनता के प्रति सोच है और जो दानदाता उस काम में पैसा दे रहे हैं गांव का साधारण आदमी भी, गांव का बड़ा आदमी भी अपने गांव के लिए यह पैसा देकर योजना को अच्छी बना रहे हैं।

मैं तो हमारे वन मंत्री बैठे हैं, उनसे यह भी कहूंगा यदि कहीं पहाड़ी क्षेत्र में आपके वन एरिया में भी कोई दानदाता या अपन जो पानी बहकर जाता है, उसको एक तालाब टाइप पुल बनाकर, पत्थर ले जाने मत दीजिए, जिससे दुरुपयोग हो जाता है, उसकी मोरम या मलबा कोई आदमी ले के जाता है तो ले जाओ आप, लेकिन ये गड्ढा खोदकर पानी को तो रोक लो। उस पानी से आपके वन्यजीव के लिए आस-पास के क्षेत्र में पानी का रिचार्ज हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में यह योजना बहुत अच्छी है। मैदानी क्षेत्र में तो इतना पानी भी

(श्री बंशीधर)

नहीं होता और वहां ऊपर दो सौ फुट तक पहुंचता भी नहीं है, लेकिन यह योजना पहाड़ी क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगी। पठारी क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगी। इसमें पानी को इकट्ठा करने से गांव में पीने का पानी और काश्तकारों को खेती के पानी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता मिलेगी हमें। कांग्रेस वाले इसको नकारात्मक ले रहे हैं। आपका आइडिया ही तो नकारात्मक है तभी तो आप इस स्थिति में बैठे हो आज। अपनी-अपनी सोच अपने-अपने काम में आती है।

केन्द्र ने जो बजट प्रस्तुत किया है अच्छा बजट है और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आदरणीय मोदीजी ने, हमारे वित्त मंत्रीजी ने किसानों के लिए, गांव के लिए, खेतिहर के लिए जो पैसा दिया है, आज पूरा देश वाहवाही कर रहा है और वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं, दिया। आपने तो कुछ दिया ही नहीं, हमने कुछ तो दिया है। हमने कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिया है। गांव वालों की स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छा जीवनयापन करेंगे। आदरणीय मोदीजी नीचे के तबके से उठकर ऊपर तक पहुंचे हैं। अपनी कार्यशैली और पार्टी के सहयोग से पहुंचे हैं। आदरणीय मोदी जी ने किसान के दुख-दर्द देखते हुए पहले पचास प्रतिशत खराबा होता था तो काश्तकार को पैसा मिलता था और वो भी जिले को यूनिट मानकर मिलता था, लेकिन जिसके पड़ती है उसको मालूम चलता है कितना दर्द होता है। उनको नहीं मालूम कांग्रेस सरकार के मुखिया बनकर बैठे थे पहले, लाल मिर्च महंगी क्यों मिलती है, हरी सस्ती क्यों बिकती है, लाल ही क्यों नहीं बोते आप। ऐसी सोच वाले क्या किसान की सोच कर सकते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि मिर्च पेड़ में लगती है या जड़ में लगती है। मिर्च हरी होती है या लाल होती है पैदा होते टाइम। ऐसे आदमी कभी भी सरकार में रहेंगे तो किसान की दुर्दशा होगी। आदरणीय मोदीजी ने किसान को ध्यान में देते आज बीमा खराबा 33 परसेंट कर दिया। यह किसान के लिए एक वरदान सिद्ध है और बीमा जितनी फसल का आंकड़ा होगा, उसके हिसाब से उसका बीमा होगा। किसान की जो आत्महत्या करने की मजबूरी होती थी वो मजबूरी आज किसान की नहीं रहेगी। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान में न्यायालय, न्याय आपके द्वार जाकर हर पंचायत हैडक्वार्टर में कैम्प लगाया और समझौते से या वैसे, कैसे भी करके किसानों का भला काम किया उसमें 21 लाख 34 हजार 54 प्रकरणों का

(श्री बंशीधर)

निस्तारण किया गया। किसान, गांव के गरीब आदमी का बहुत पैसा, समय बचा है। एक छोटी सी सोच कांग्रेस के जेहन में नहीं आयी। वह कहते हैं यह योजना तो अच्छी थी, तो आपको किसने मना किया था, आप भी करते। मैं तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि यही योजना दुबारा लागू की जाए जिससे काम हो और यह योजना गांव में ही नहीं शहर में भी लागू की जाए, नगरपालिकाओं में भी समाधान किये जाए जिससे उनके पट्टे वगैरह का निस्तारण हो जाएं। न्यायालय में जो लम्बे प्रकरण हैं वह भी इसके अन्दर सही हो जाए। हमारे मुख्य मंत्रीजी की अच्छी सोच है। आपके चाहे कितनी भी संख्या में पुण्य हो, द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक या उनकी विधवाएं हैं, उनको पेंशन के रूप में पूर्ववर्ती सरकार मात्र तीन हजार रुपये देती थी। आज हमारी सरकार ने चार हजार रुपये किये हैं। इस बात से भी साबित होता है कि पूर्व सरकार की सोच और कथनी, करनी क्या थी। आज पूर्व सरकार के मंत्री, विधायक अपने कुकृत्यों से जेल में बैठे हुए हैं। उनकी सोच ही ऐसी थी। पार्टी की सोच ऐसी थी उसके कारण उस पार्टी के नुमाइंदे आज वहां बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी में ऐसी कोई गंदगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सोच है विकास, सबकी सहायता करें, सबकी भलाई करें।

माननीय उपाध्यक्ष, रोजगार के अवसर लगाने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने सफलतापूर्ण रिसर्जेंट राजस्थान के लिए जो कैम्पेनिंग की, आयोजन 2015 में आयोजित किया गया इसके अन्दर कम से कम 3 लाख 21 हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। उसमें अभी धीरे-धीरे फाइनल स्टेज पर आना चालू हो गया है। इससे हमारे प्रदेश के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। युवकों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में आने वाले समय में जो फैक्ट्रियां लगेंगी उसके द्वारा सरकार की आय में इजाफा होगा। जितने साल की छूट देते हैं उस छूट के बाद इजाफा जरूर होगा। अभी विश्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से हमारे राजस्थान का बिजनेस के अन्दर छठा स्थान है। पहले नहीं था, पहले बहुत ऊंची लिस्ट में था। 2015 के सर्वे के अनुसार उभरते हुए विनिवेश के लिए जयपुर को दूसरा स्थान दिया गया है, इससे प्रदेश में आने वाले निवेशकों का रूझान बढ़ रहा है, यही कारण है कि आज राजस्थान उन्नति के पथ पर जा रहा है। आज राजस्थान देश का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान को पुरस्कृत किया गया

(श्री बंशीधर)

है। पहले कभी पुरस्कृत नहीं हुआ, यह सोच का फर्क है । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में हमारे पास कोई फर्क नहीं है, इसलिए यह काम किया जा रहा है।

कौशल भारत कार्यक्रम के तहत आज से 10, 15 या 20 साल पहले शिक्षा के लिए, डाक्टर व इंजीनियर बनने के लिए, आईआईटी के लिए दूसरे प्रान्तों में जाना पड़ रहा था। उन प्रान्तों में फीस की इनकम हो रही थी। उनको रोजगार मिल रहा था। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले टाइम में, सोच अच्छी थी, जगह-जगह प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, राज्य सरकार द्वारा खोले गये। आज इसी कारण आईआईटी के अन्दर राजस्थान पूरे इंडिया के अन्दर पहला प्रदेश है कि सबसे ज्यादा आईआईटी यहां राजस्थान में प्राइवेट खुली हुई हैं। इसलिए हर पढ़ने वाले लड़के को गवर्नमेंट सर्वेंट बनना जरूरी नहीं है, अपने हाथ में हुनर सीखेगा तो कम से कम अपने परिवार का पालन तो कर लेगा। उसमें काम करने के लिए हुनर होना चाहिए। हुनर के लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे लिए यह द्वार खोल रखे हैं। अभी भी आईआईटी खोल रहे हैं। निजी कालेज खोल रहे हैं। (व्यवधान) हां आईटीआई। आज डाक्टर्स की कमी के कारण हमारे राजस्थान में सात मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश में डाक्टर्स की जो कमियां हैं वह पूरी होगीं। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण के अन्दर बहुत अच्छा ध्यान दिया है। 15 अगस्त, 2014 में भामाशाह योजना के लिए 1 करोड 9 लाख परिवारों को, 3 करोड़ 78 व्यक्तियों का नामांकन किया गया है । इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में उनको लाभ मिलता रहेगा।

हमारे यहां पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी बैठे हैं। केन्द्र सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी भी पहले यहां आये थे। इन्होंने 20 हजार करोड़ की योजना बनाकर दी। उन्होंने कहा और बनाओ, तो इन्होंने 10 हजार करोड़ की और दी, 30 हजार करोड़ उन्होंने यहां सैंक्शन किये। उन्होंने कहा और बनाओ, आपको दस हजार करोड़ और देंगे, तो 40 हजार करोड़ रुपये राजस्थान को देने के लिए, और इनकी लेने की क्षमता थी इन्होंने लिए हैं, तो ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में चाहे नेशनल हाइवे हो, चाहे हमारे जिला से दूसरी सड़कें जुड़ने वाला काम हो, चाहे जिला मुख्यालय से जुडें, एनएच, छोटी सड़क जुडें, इस काम में अपने को बहुत अच्छा योगदान मिलेगा।

(श्री बंशीधर)

नाबार्ड से आरआईडीएफ योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से 694 काम स्वीकृत किये गये हैं यह भी हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। केन्द्रीय सड़क निधि के लिए 15792 करोड़ रुपये की लागत से 56 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है। इनके अन्दर हमारी 952 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, प्रदेश के विकास के लिए सड़कें वरदान सिद्ध होगी। इनके अलावा जो सड़कें संकडी हैं, एक्सीडेंट होते थे, उनका सुदृढ़ीकरण, चौड़ाई करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यह सारा काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी की सोच के कारण हो रहा है।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की एक सोच थी कि गांव और ढ़ाणी तक सड़क कैसे पहुंचाएं, फण्ड कहां से आये। सारे फण्ड की व्यवस्था, एक छोटी सी सोच के अन्दर अरबो-खरबो की व्यवस्था हो गयी। पैट्रोल और डीजल पर सेस लगाना एक रुपया लीटर। एक रुपया अमाउण्ट छोटा सा दिख रहा है, आज उस एक रुपये के कारण गांव और ढ़ाणी में सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां दस-बीस वर्ष के अन्दर कोई सड़क आएगी। उन्होंने गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी तक सड़कें पहुंचायीं। इस वित्त वर्ष के अन्दर 471 करोड़ की लागत से 2181 किलोमीटर सड़कें बनाकर 828 ढाणियों/मजरों को जोड़ा गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले समय में, जो पाइप लाइन में हैं उनके लिए 1618 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक स्वीकृति हो गयी है, 1481 गांव, ढाणियों, मजरों को जोड़ा जाएगा, इससे हमारा चहुंमुखी विकास होगा। गांव में बैठने वाला आदमी पलायन नहीं करें, कि हमारे यहां कितनी गंदगी रहती है, हमारी क्या सुविधा है, लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की सोच के कारण आज हमारे हर गांव मुख्यालय पर शहरों की तरह.....

एक माननीय सदस्य: पढ़ा हुआ मान लिया।

श्री बंशीधर (खण्डेला): नहीं, कैसे पढ़ा हुआ मान लें, 1 हजार 782 ढाणियों को चौपाल में मुख्यालय से परे, 1544 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें गांवों के अन्दर गौरव पथ के रूप में इन्होंने बनायी हैं। सड़क ही नहीं, साथ-साथ नाली भी बनाई है। वह नाली, सड़कें पंचायतों द्वारा नहीं बनाकर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनायी गयी हैं इससे उसकी गुणवत्ता अच्छी है। पहले भी गांव के अन्दर पंचायत के द्वारा जो काम किया जाता था उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण आज वह सड़क जर्जर हो चुकी है लेकिन जो सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है वह अच्छी क्वालिटी की सड़क बनी है।

(श्री बंशीधर)

इसी तरह 2182 किलोमीटर लम्बाई की 608 करोड़ रुपये की 1009 मिसिंग लिंक्स बनायी गयी हैं। यह मिसिंग लिंक्स उस काम आ रहे हैं कि गांव और ढाणी के अन्दर जो काम, आने-जाने में असुविधा होती थी, मिसिंग लिंक्स से कम से कम दो पंचायतें या दो गांव, बहुत बड़े, अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं, सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे काम करने से हमारे दिन भी फिरेंगे और हमारी उन्नति भी होगी।

आदरणीय वसुन्धराजी की, हमारे आदरणीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी की सोच अच्छी थी, गांव में आज पानी कहीं मिलता नहीं है और मिलता है तो फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है। उसके कारण गांव के बच्चों को, बूढ़ों को, सबको गोडों में दर्द हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, उसके लिये 818 आर.ओ. प्लाण्ट लगाये गये हैं। गांव और ढाणियों में उसका फायदा मिल रहा है। गांव और ढाणियों में पहले सरकार ने बहुत सारे सिंगल फेस लगा दिये थे। उन सिंगल फेस के बिल देने की किसी की हिम्मत नहीं है, कोई देता नहीं है। या तो बिजली बोर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके कनेक्शन कट जाते हैं। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी की अच्छी सोच काम आयी कि सिंगल फेस सोलर के क्यों नहीं चलाये जाएं, जिससे कि बिजली के पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ढाणियों में, गांव के अन्दर सिंगल फेस आप लगाएंगे तो इसके लिये अभी शुरूआत में 1390 बोरिंग सौर ऊर्जा से चलेंगे। उसका रखरखाव कम्पनी का होगा। बिजली का बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सारी चीजें सोचते हुए पानी के लिये हमारे प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है।

मैं शिक्षा की बात करूं, 2015-16 में 1340 आदर्श विद्यालय खोले गये हैं। आदर्श विद्यालय का मतलब एक क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक के सारे विषय उसमें हों, ज्यादातर विषय उसमें हों, सारे अध्यापक और बच्चे, आस-पास के, उसी के अन्दर बैठकर पढ़ाई करेंगे। यह स्वाभाविक है, जिस स्कूल के अन्दर ज्यादा बच्चे होंगे, उसी अनुपात में वहां पर अध्यापक होंगे तो वहां पढ़ाई का एक माहौल बनेगा। माहौल बनने के बाद प्रधानाध्यापक की निगरानी में उनको काम करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस सरकार ने पहले गांव और ढाणी-ढाणी में एक-एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया। उसमें पांच बच्चे हैं या बीस

(श्री बंशीधर)

बच्चे हैं, 2 अध्यापक रहते हैं। कितना मंहगा काम था उसके लिये। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच से उन्होंने एक करके, ट्रांसपोर्ट वाउचर का किया, जिससे राइट टू एजुकेशन नियम का भी पालन हो जाए और उसके अन्दर बच्चों की पढ़ाई का एक अच्छा माहौल बनेगा।

टाइम हो गया है। बहुत सारे गड़बड़ हो रहे हैं। बहुत सारा बोलना था, लेकिन मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: आठ मिनट और शेष हैं। कोई बोलना चाहते हैं?

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.53 बजे, बुधवार, दिनांक 02 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में कारखानों के लाइसेंसों का समयबद्ध नवीनीकरण

8. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले विभिन्न श्रेणी के कारखानों के पंजीयन व लाइसेंस नवीनीकरण के लिये सरकार द्वारा समयबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कब? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत एक वर्ष में कारखानों के पंजीयन व लाइसेंस नवीनीकरण के कितने प्रकरण आये एवं कितने प्रकरणों का निस्तारण सरकार द्वारा निर्धारित समय पर कर दिया गया? श्रेणीवार एवं जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने प्रशासनिक आदेश दिनांक 12-05-2015 द्वारा कारखानों के पंजीयन व लाइसेंस नवीनीकरण के लिये समयबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था की है जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गत एक वर्ष में कारखानों के पंजीयन के 589 प्रकरण आये जिसमें से 247 आवेदन अपूर्ण पाये गये। शेष 342 पूर्ण आवेदनों में से 265 आवेदनों का निर्धारित समय में निस्तारण किया गया। लाइसेंस नवीनीकरण के 2356 प्रकरण आये जिसमें से 355 आवेदन अपूर्ण पाये गये। शेष 2001 पूर्ण आवेदनों में से 1081 आवेदनों का निर्धारित समय में निस्तारण किया गया। कारखानों की श्रेणीवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2015 का कोई प्रकरण शेष नहीं है। अपूर्ण आवेदनों पर कारखाना प्रबन्धकों द्वारा कार्यवाही की जाकर पुनः आवेदन किये जाने पर पंजीयन व लाइसेंस नवीनीकरण के प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत का अभियान

11. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में हैण्डपम्पों की मरम्मत के लिये प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अभियान के दौरान सभी खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत नहीं हो पाती है?

(3) क्या सरकार उक्त अभियान को पूरे वर्ष चलाये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हैण्डपम्पों की मरम्मत कार्य हेतु सम्पूर्ण राज्य में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाया जाता है। राज्य में वर्तमान में 39वां विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक चलाया जा रहा है। इस बाबत जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों की सूचना प्राप्त होने पर अभियान के अन्तर्गत उसे सतत प्रक्रिया के तहत सुधारने की कार्यवाही की जाती है। दिनांक 01.04.2015 से प्रगतिरत 39वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12.02.2016 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये 1,90,699 हैण्डपम्पों में से 1,89,197 (99.21 प्रतिशत) हैण्डपम्पों को एवं शहरी क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये 31,229 हैण्डपम्पों में से 30,992 (99.24 प्रतिशत) हैण्डपम्पों को सुधारा गया है तथा वर्तमान में यह अभियान प्रगतिरत है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति राज्य में विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान पूरे वर्ष ही चलाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन

12. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राष्ट्रीय उत्सव प्रदेश की राजधानी में ही आयोजित करने की परम्परा रही है? यदि हां, तो गत दो वर्षो में सरकार ने राष्ट्रीय उत्सव कहां-कहां आयोजित किये?

(2) गत दो वर्षो में उक्त राष्ट्रीय उत्सव प्रदेश की राजधानी के स्थान पर जिला मुख्यालय पर आयोजित करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय उत्सव निम्नांकित स्थानों पर आयोजित किये गये हैं-

क्र. सं.	राष्ट्रीय उत्सव	स्थान
1	26 जनवरी, 2014-गणतंत्र दिवस	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
2	15 अगस्त, 2014-स्वाधीनता दिवस	महाराणा भूपाल स्टेडियम, उदयपुर
3	26 जनवरी, 2015-गणतंत्र दिवस	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
4	15 अगस्त, 2015-स्वाधीनता दिवस	महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम, कोटा
5	26 जनवरी, 2016-गणतंत्र दिवस	डा. करणीसिंह स्टेडियम, बीकानेर

(2) मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 270/2013 द्वारा सुराज संकल्प 2013 को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृत करने के निर्णय से सुराज संकल्प के बिन्दु 23.19 के अनुसार "राज्य में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह सम्भाग एवं जिला स्तरों पर पुन: आयोजित किये जायेंगे जिससे वहां का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा।" की क्रियान्विति/पालना के क्रम में उक्त राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किये गये हैं।

प्रदेश में गैस कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन

13. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ता हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(2) प्रदेश में केरोसीन लेने वाले कितने राशन कार्ड उपभोक्ता हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें1

(3) प्रदेश में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में कितना-कितना केरोसीन का वितरण किया गया? जिलेवार/ माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ता को राशनकार्ड पर केरोसीन का वितरण नहीं किया जाता?

(5) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के कई जिलों में भामाशाह योजना में पंजीकृत परिवार एवं गैस कनेक्शनधारियों की संख्या में बहुत कम अन्तर होने के उपरान्त भी केरोसीन का उठाव बहुत अधिक पाया गया? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई? हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में राशन कार्ड से केरोसीन लेने वाले उपभोक्ता के पास गैस कनेक्शन नहीं होने का भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों?

(7) सरकार द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में कहां-कहां कितनी बार कैरोसीन के कोटे में कितनी-कितनी कमी एवं वृद्धि की गई व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल 8640516 गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्तमान में केरोसीन लेने वाले 10735151 राशनकार्डधारी उपभोक्ता हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में वितरित किये गये केरोसीन की जिलेवार माहवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य में बिना घरेलू गैस कनेक्शन राशनकार्डधारी उपभोक्ता को ही उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से केरोसीन का वितरण किया जाता है।

(5) राज्य में कुल राशनकार्डधारकों की संख्या में से राज्य स्तरीय

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त गैस कनेक्शनधारकों की संख्या कम करने के उपरान्त शेष राशनकार्डधारियों को 04 लीटर केरोसीन प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह के आधार पर जिलेवार केरोसीन का आबंटन किया जाता है।

(6) राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। डिजिटाइजेशन के अन्तर्गत राशनकार्ड पर एल.पी.जी. गैस कनेक्शन का डेटा भी अंकित किया जाता है।

(7) सरकार द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में केरोसीन के कोटे में की गई कमी एवं वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। यह कमी एवं वृद्धि राशनकार्डधारियों की संख्या एवं गैस कनेक्शनधारियों की संख्या के आधार पर की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं में सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

14. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम सहकारी समितियों का गठन हो चुका है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कई ग्राम सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम सहकारी समितियों के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गोदामों का शीघ्र निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में गठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। दो समितियां घिनौई व फतेहपुरबांसा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण नहीं हुआ है।

(3) जी हां। समितियों के पास भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् राज्य

(सहकारिता राज्य मंत्री)

सरकार के पास उपलब्ध वितीय संसाधनों अनुसार इन समितियों में गोदाम निर्माण करने पर विचार कर लिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में गठित ग्राम सेवा सकारी समितियों की सूची

क्र.सं.	नाम समिति
1	जैतपुरा
2	मोरीजा
3	चीथवाड़ी
4	सामोद
5	जयसिंहपुरा
6	कालाडेरा
7	घिनोई
8	मण्ढाभिण्डा
9	बागड़ों का बांस
10	लोहरवाडा
11	गोविन्दगढ़
12	मलिकपुर
13	सान्दरसर
14	आलीसर
15	हस्तेड़ा
16	आष्टीकलां
17	भूतेड़ा (माधो का बास)
18	नांगल गोविन्द (रणजीतपुरा)
19	गुढलिया
20	ढोढसर
21	सिंगोदखुर्द
22	धोबलाई
23	उदयपुरिया
24	फतेहपुरबासा (मात्र पंजीकृत)

अंग्रेजी बबूल के कोयले के परिवहन पर रोक हटाने की योजना

15. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अंग्रेजी बबूल का कोयला बनाने की छूट दी गई है? यदि हां, तो क्या उक्त बनाये गये कोयले के परिवहन पर रोक लगाई गई है? हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कोयले के परिवहन पर रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अंग्रेजी बबूल (प्रोसिफिस ज्यूलीफ्लोरा) का कोयला बनाने की छूट प्रदत्त है। नियमानुसार पारपत्र प्राप्त कर कोयला परिवहन किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। वन क्षेत्रों से अंग्रेजी बबूल की अवैध कटिंग एवं इसकी आड़ में प्रतिबन्धित प्रजातियों को काटने से बचाने के लिए पारपत्र से छूट प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

कोटा सम्भाग में संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र

16. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कोटा सम्भाग में एन.जी.ओ. एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं? यदि हां, तो जिलेवार किस-किस एन.जी.ओ. एवं शैक्षणिक संस्थाओं को योजनाऐं संचालित करने हेतु अधिकृत किया गया है?

(2) उक्त को अधिकृत करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं ये संस्थाएं कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों को किस-किस अनुदानित दर पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं? उक्त संस्थाओं के पते सहित पूर्ण विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा सम्भाग में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण की तीन योजनाएं क्रमशः रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

योजना (DDU-GKY) एवं नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) संचालित की जा रही हैं।

कोटा सम्भाग में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निगम द्वारा अधिकृत की गयी संस्थाओं की जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) निगम द्वारा संस्थाओं का चयन अभिरुचि पत्र (EOI) के माध्यम से किया जाता है। अभिरुचि पत्र में संस्थाओं के चयन हेतु पात्रता निर्धारित की जाती है एवं निर्धारित पात्रता वाली संस्थाओं को प्रेजेंटेशन हेतु निगम में आमंत्रित किया जाता है। प्रेजेंटेशन में चयनित संस्थाओं का सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात्, संस्थाओं से निगम का MOU हस्ताक्षरित होता है और तत्पश्चात योजना को मार्गदर्शिका के आधार पर संस्थाओं द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

एनजीओ एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जिलावार प्रशिक्षित किये गए एवं प्रशिक्षणरत युवाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुदानित दर निम्नानुसार है :-

1. रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP): इस योजना के अन्तर्गत रुपया 23/- प्रति युवा प्रति घंटा विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) में प्रशिक्षण हेतु एवं रुपया 20/- प्रति युवा प्रति घंटा अन्य सभी सेवा क्षेत्रों (Service Sectors) में। इसके अतिरिक्त रुपया 120/- आवासीय सुविधा हेतु प्रति युवा प्रतिदिन देय है।
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): तीन महीने के कोर्स हेतु रुपया 13669/- प्रति युवा, इसके अतिरिक्त रुपया 17000/- प्रति युवा आने-जाने का किराया, मुफ्त आवास, वेश भूषा, पद स्थापन समर्थन इत्यादि के मद में।

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)- इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के युवाओं हेतु रुपये 14/- प्रति युवा प्रति घंटा एवं रुपया 30/- प्रति युवा प्रति घंटा विशेष योग्यजन हेतु। इसके अतिरिक्त रुपया 120/- आवासीय सुविधा हेतु प्रति युवा प्रतिदिन देय है।

प्रशिक्षण केन्द्रों के पते सहित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई (टोंक) के बस स्टैण्ड का स्थानान्तरण

17. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में रोडवेज बस अड्डा शहर के मध्य व भीड़भाड़ वाले स्थान पर होने से आम जनता को भारी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बस अड्डे को निवाई शहर से बाहर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

निवाई बस स्टैण्ड निवाई शहर के वर्तमान मुख्य बाजार में स्थित है। निगम की बसों के कारण आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती है बल्कि निगम बसों से जनता को परिवहन की सुविधा मिलती है किन्तु बस स्टैण्ड निवाई पर सड़क के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं अवैध जीपों के संचालन से जनता को परेशानी होती है।

निवाई बस स्टैण्ड को परिवर्तन करने के प्रकरण की कार्यवाही नगर पालिका निवाई के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रदेश में मरु विकास बोर्ड का गठन

18. **श्री तरुण राय कागा** (चौहटन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा बाड़मेर व जैसलमेर जिले के लिये मरु विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोर्ड के गठन में सदस्यों का किस प्रकार मनोनयन किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में बाड़मेर, जैसलमेर के लिये मरु विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गयी थी। मरु विकास योजना लागू किये जाने का उद्देश्य कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस से मिलने वाले राजस्व अंश से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। मरु विकास बोर्ड के दिशा-निर्देश सक्षम स्तर पर अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) मरु विकास बोर्ड के गठन के दिशा-निर्देश अनुमोदित होने के प्रावधानानुसार सदस्यों के मनोनयन/नियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।

बांदीकुई में नवीन हैण्डपम्पों की स्थापना

19. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 2 वर्षों में नवीन हैण्डपम्प/एकल बिन्दु में लगवाने व पुराने हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु कोई बजट उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब व कितना-कितना व किस-किस स्थान के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में विगत दो वर्षों (दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक) की अवधि में 160 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण एवं इनकी स्थापना हेतु 4215-राज्य आयोजना मद (ग्रामीण) में राशि रुपये 160.05 लाख का बजट उपलब्ध कराया जाकर इसका पूर्ण व्यय किया जा चुका है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त अवधि में 262 नवीन एकल बिन्दुओं (सिंगल फेज नलकूप) के निर्माण एवं इनकी स्थापना हेतु 4215-राज्य आयोजना मद (ग्रामीण) में राशि रुपये 515.76 लाख का बजट उपलब्ध कराया जाकर इसका पूर्ण व्यय किया जा चुका है। वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में पुराने एवं मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को सुधारने हेतु 2215-संधारण मद में उक्त अवधि में कुल 11.08 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया। इस बजट आबंटन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 6.62 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 4.46 लाख, इस प्रकार सम्पूर्ण आबंटित राशि का व्यय किया जा चुका है। वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर में पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन

20. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेंशनधारियों की पेंशन बन्द किये जाने के प्रकरण सामने आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में कितने पेंशनधारियों की पेंशन किस-किस कारण से किस योजना में बन्द की गई? पेंशनधारियों की संख्या सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में भी पेंशनधारियों की पेंशन बन्द की गई है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण वर्तमान में हैं? बंद की गई पेंशनधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में बन्द की गई पेंशनधारियों की पेंशन पुनः शुरू करवाये जाने हेतु वार्षिक सत्यापन करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पेंशनधारियों की बन्द पेंशन को शुरू किये जाने हेतु मीटिंग आयोजित की जाती है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितनी बार मीटिंग का आयोजन किया गया व उक्त आयोजित मीटिंग में कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में कुछ पेंशनधारियों की पेंशन किये जाने के प्रकरण सामने आये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षो में पेंशनधारियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच किये जाने के दौरान नगर परिषद, अलवर की अनुशंषा पर 1727 पेंशनधारियों की पेंशन बन्द की गई है। योजनावार पेंशनधारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नही। सामाजिक एवं सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशनधारियों की पेंशन बन्द नहीं की गई है।

(4) वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन नहीं रोकी गई है। विभिन्न कारणों से वार्षिक भौतिक सत्यापन नही होने के फलस्वरूप सत्यापन हेतु समय-समय पर शिथिलता प्रदान की गई है। वर्तमान में पेंशनरों का

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वार्षिक भौतिक सत्यापन माह मार्च 2016 तक करवाये जाने की शिथिलता प्रदान की गई है।

(5) पेंशनधारियों की बन्द पेंशन को शुरू किये जाने हेतु कोई भी मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में नकली डीजल बनाने के कारखानों पर छापे की कार्यवाही

21. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में जयपुर शहर के आस-पास मिट्टी के तेल से नकली डीजल बनाने के कारखानों पर छापे मारे गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कारखानों में मिट्टी का तेल कहां से आया की जांच करवायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विगत एक वर्ष की अवधि में दिनांक 31.01.2016 को भूखण्ड संख्या जी-1-55, फेज द्वितीय, रीको औद्यौगिक क्षेत्र बगरू, तहसील सांगानेर पर पुलिस थाना बगरू एवं जिला रसद कार्यालय, जयपुर (द्वितीय) के प्रवर्तन दल द्वारा संयुक्त रूप से छापे की कार्यवाही की गई है।

(2) प्रकरण में मिट्टी के तेल की आपूर्ति के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस थाना बगरू द्वारा दिनांक 31.01.2016 को इस सम्बन्ध में एफ.आई.आर. संख्या 35/2016 दर्ज की गई है। पुलिस थाना, बगरू द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की फोटोप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना

22. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संजीव कुमार)

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहां-कहां कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है उक्त विधान सभा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं खोली गयी हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों की मांग को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में 45 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(3) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में जब्त वाहन

23. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों एवं खनन करने में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किये जाने के प्रावधान लागू हैं? यदि हां, तो कब से? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जब्त किये गये कुल कितने वाहन किस-किस जिले में किस-किस पुलिस थाना में कब से पड़े हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जब्तशुदा वाहनों के निस्तारण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 एवं संशोधित नियम 2012 के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10.04.2013 से अवैध खनन एवं गतिविधियों से प्रयुक्त वाहनों को जब्त किये जाने के प्रावधान लागू किये हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) इस बिन्दु की सूचना परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही होने से यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए जब्तशुदा वाहनों के निस्तारण की अलग से कोई कार्य योजना नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाल श्रम को रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन

24. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया? जिलेवार मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत दो वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए कोई सर्वे किया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे के उपरान्त प्रत्येक जिले में कितने-कितने बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला स्तर पर बाल श्रम रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षों में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) विगत वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए कराये गये सर्वे की सूचना एवं सर्वे में चिन्हित बाल श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी की जीर्ण-शीर्ण सड़कें

1. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें जीर्ण-शीर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ.-20 योजनान्तर्गत 4254 किमी. लम्बाई की क्षतिग्रस्त/जीर्ण-शीर्ण सड़कों के नवीनीकरण के लिये राशि रु. 847.08 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, जिनके अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष प्रगतिरत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

वर्ष 2015-16 में आर.आई.डी.एफ.-21 योजनान्तर्गत 2702 किमी. लम्बाई की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के लिये राशि रु. 417.87 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, जो वर्तमान में निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक आर.डब्ल्यू./एन.एच./12030/05/2014/पीएस-4/ आर.जे. दिनांक 05.10.2015 द्वारा सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत प्रदेश की स्टेट हाइवे एवं एम.डी.आर. सड़कों के सुदृढ़ीकरण/चौड़ाईकरण के 53 कार्यों के लिये राशि रु. 1433.27 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, जो वर्तमान में निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रांक आर.डब्ल्यू./एन.एच./12030/05/2014/पीएस-4/आर.जे. दिनांक 29.12.2015 द्वारा सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत 3 कार्यों के लिये राशि रु. 329.01 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, जो वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। प्रति परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

शेष क्षतिग्रस्त सडकों के नवीनीकरण या सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर के रूठी रानी महल को सड़क से जोड़ने की योजना

2. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विश्व प्रसिद्ध एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जयसमन्द झील की पाल पर रूठी रानी के महल व पहाड़ों पर स्थित महलों की महत्ता के मद्देनजर एवं पर्यटकों के लिए दोनों महलों को सड़क मार्ग से जोड़ने एवं रोप-वे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जयसमन्द झील के पास रूठी रानी महल व हवामहल के क्षेत्र वन जीव अभयारण्य के अन्तर्गत आते हैं। जयसमन्द झील की पाल तक पक्की सड़क बनी हुई है। रूठी रानी के महल से हवामहल को जोड़ने हेतु 2.5 किमी. लम्बाई में वन विभाग द्वारा वन पथ निर्मित किया हुआ है, जिस पर जीप आदि साधन से आया जाया जाता है।

रूठी रानी महल व हवामहल तक पाथवे निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के पत्रांक 31760-70 दिनांक 21.01.2016 द्वारा राशि रु. 5.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें वन विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त स्वीकृति के तहत वन विभाग द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है।

जयसमन्द झील की पाल से रूठी रानी व हवामहल तक रोप-वे बनाने की वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई के बस सेवा से वंचित गांव

3. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कौन से गांव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम/ग्रामीण बस सेवा से जुड़े हुये हैं तथा कौन-कौन से गांव वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा की वंचित ग्राम पंचायतों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में निगम/ग्रामीण बस सेवा से जुड़े हुये गांवों का विवरण परिशिष्ट "1" एवं वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं । परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल जोडा जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

4. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना कब शुरू की गयी? उक्त योजना के तहत पाली जिले को कितनी बसें आबंटित की गयीं एवं उक्त बसों का वर्तमान में किस-किस मार्ग पर संचालन किया जा रहा है? मार्गवार बसों के संचालन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ग्रामीण बस सेवा के तहत वर्तमान में किस-किस मार्ग पर बसों का संचालन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं, जो बस सेवा के आदेश होने के उपरान्त भी किसी भी बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों तथा गांवों में बस आपरेटरों को पाबंद कर बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री केसाराम चौधरी)

(4) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से प्राइवेट बसों को अच्छे मार्ग दिये गये हैं तथा उक्त मार्गों पर सरकारी बसें नहीं चलायी जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नागौर से खिवाडा, जोधपुर से मारवाड जंक्शन वाया जोजावर व काली घाटी से उदयपुर तक बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना वर्ष 2012 में शुरू की गई । उक्त योजना के तहत पाली जिले को 28 बसें आबंटित की गयीं। जिनमें से 13 वाहनें अन्य आगारों को स्थानान्तरण कर दी गई जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । पाली जिले को आबंटित में से शेष रही 15 वाहनों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जिन मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा का संचालन हो रहा है जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के समस्त ग्राम पंचायत हैडक्वाटर बस सेवा से जुडे हुए हैं।

(4) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा मार्गों का निर्धारण जनहित में किया जाता है तथा निर्धारित किये गये मार्गों पर निजी वाहन स्वामी या परिवहन निगम को नियमानुसार आवेदन पर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है ।

वर्तमान में जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन वाया सरदार समंद, सोजत 264 कि.मी. का एकीकृत मार्ग खुला हुआ है । नागौर से खिवाडा, जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन तथा जोजावर काली घाटी से उदयपुर सीधे मार्ग निर्धारित नहीं है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उक्त मार्ग निर्धारित किये जाकर आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकेंगे ।

नागौर से खिवाडा, जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन वाया जोजावर व काली घाटी से उदयपुर मार्ग पर निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल बस सेवा शुरू करने का कोई विचार नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी की गारन्टी अवधि की सड़कों की मरम्मत

5 श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गिर्राज सिंह)

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में किन-किन सड़क मार्गों की वैधता अवधि (गारन्टी पीरियड) समाप्त हो चुकी है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क मार्गों का पुनः मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जिन सड़कों का गारन्टी पीरियड समाप्त हो चुका है, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जिन सड़कों की गारण्टी अवधि समाप्त हो जाती है, उन सड़कों को विभाग की संधारण सूची (मेन्टीनेन्स लिस्ट) में शामिल कर राज्य सरकार के सड़क मरम्मत के विभिन्न मदों के तहत, उपलब्ध बजट एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर पेच मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य करवाकर रख-रखाव किया जाता है। इनमें से नवीनीकरण योग्य सड़कों का पुनः डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रोडवेज बस सेवा का निजीकरण

6. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रोडवेज बसों का संचालन प्रति ट्रिप निश्चित राशि पर निजी व्यक्तियों को देने की योजना प्रारम्भ की है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत रोडवेज बसों का संचालन भी मिनी बसों के समान किया जायेगा? यदि नहीं, तो निजी व्यक्ति को बसों का संचालन रोडवेज की साख के अनुसार करने हेतु किन शर्तों के अधीन बाध्य किया गया है?

(3) क्या सरकार द्वारा इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से सम्पूर्ण रोडवेज का निजीकरण कर नवीन भर्तियों को समाप्त किया जा रहा है। यदि हां, तो इस प्रकार संचालित बसों के विजिलेंस की क्या व्यवस्था है। विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । सरकार ने रोडवेज बसों का संचालन निजी व्यक्तियों को देने की कोई योजना प्रारम्भ नहीं की है रोडवेज के एकाधिकार वाले राज्य के 476 अधिसूचित मार्गों पर रोडवेज के साथ-साथ निजी वाहनों को भी संचालन अनुज्ञात किया जाकर जन सुविधा में वृद्धि की जा रही है ।

परिचालकों की कमी को देखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिहवन निगम द्वारा बस सारथी योजना बनाई गई है ।

(2) जी नहीं। अधिसूचित मार्गों पर निजी वाहनों के संचालन अनुज्ञात करने हेतु शर्तें परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

बस सारथी योजना संचालन/शर्तों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं । बस सारथी योजना की संचालन/शर्तों में विजिलेंस की व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है जो परिशिष्ट "2" में उल्लेखित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में ग्रामीण विकास हेतु स्वीकृत राशि

7. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्ष में विधान सभा क्षेत्र जालौर में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत किये गये कार्य समय पर पूर्ण कर लिये गये? यदि नहीं, तो स्वीकृत किये गये सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार शेष रहे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्ष में विधान सभा क्षेत्र जालौर में सांसद स्थानीय विकास क्षेत्र योजना मद में 21 कार्य राशि रुपये 123.35 लाख, गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना मद में 31 कार्य राशि रुपये 214.72 लाख, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद में 62 कार्य राशि रुपये

(पंचायती राज मंत्री)

429.60 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। योजनावार, कार्यवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सभी स्वीकृत कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाये हैं। सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति की सूचना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) सरकार शेष रहे सभी कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है कार्यों की पूर्णता की तिथि की सूचना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुसतकालय में रखा गया)

नरेगा योजना के तहत स्वीकृत राशि के उपयोग की कार्य योजना

8. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नरेगा योजना की धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार नरेगा योजना को अन्य विभागों के साथ सम्मिलित कर राज्य के निवासियों को स्थिर आजीविका प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्राप्त धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग कराना चाहती है, परन्तु महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है एवं इसमें धनराशि का व्यय रोजगार की मांग पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराए जाने हेतु इस विभाग एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से निर्देश जारी किये गये हैं। अभी तक जारी किये जा चुके निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दिशा-निर्देश

9. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दौरान कौन-कौन से कार्य स्वीकृत कराये जाने के प्रावधान हैं? योजना के दिशा-निर्देशों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत अब तक सरकार द्वारा कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कितने भामाशाहों द्वारा उक्त योजना में राशि दी गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत सीकर जिले में किस-किस ग्राम को किन-किन जनप्रतिनिधियों/भामाशाहों/एजेन्सियों द्वारा गोद लिया गया है तथा इनका इस योजना में अब तक क्या योगदान रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में मुख्यत: जलग्रहण विकास, जल संरक्षण एवं जल संग्रहण के कार्य स्वीकृत कराने जाने का प्रावधान है। योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 11 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण अंकित है।

योजना (मुख्यमंत्री जल स्वावलम्वन अभियान) के विस्तृत दिशा-निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उपरोक्त दिशा-निर्देश शासन सचिव पंचायती राज के आदेश क्रमांक एफ.21 (07)/निजभूस/मुमजस्वाअ/2015/198-630 दिनांक 30.10.2015 द्वारा जारी किये गये हैं।

(2) प्रदेश में योजनान्तर्गत (मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान) अब तक राज्य सरकार द्वारा कुल 356.09 करोड रुपये की राशि का बजट उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से कार्यों हेतु 337.591 करोड़ रुपये का बजट आबंटन पंचायत समितिवार किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा राज्य स्तर पर एवं जिलों को प्रशासनिक कार्यों, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार गतिविधियों एवं कार्यशालाओं को आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 18.50 करोड़ रुपये की राशि का बजट उपलब्ध कराया गया है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में अब तक 1234 भामाशाहों द्वारा 797.475 लाख रुपये

(पंचायती राज मंत्री)

की राशि इस योजना में प्राप्त की गई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है साथ ही इस योजना में राज्य स्तर पर भी 121.25 लाख रुपये की राशि पंजाब नेशनल बैंक में जमा की गई है।

(4) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत सीकर जिले के परिशिष्ट-5 अन्तर्गत संलग्न ग्रामों को विभिन्न संस्थाओं, भामाशाहों, एजेन्सियों के द्वारा प्रचार-प्रसार एवं पर्यवेक्षण हेतु गोद लिया गया है एवं निःशुल्क देखरेख की जा रही है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में परिशिष्ट-6 में अंकित ग्रामों को जिला परिषद सदस्यों द्वारा दिनांक 19.01.2016 को जिला परिषद साधारण सभा के निर्णयानुसार लोगों को अभियान से जोड़ने के उदेश्य से आबंटित किया गया है। जिला परिषद सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से जोड़ने एवं सहभागिता हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत मीडिया पर्सन्स द्वारा परिशिष्ट-7 में अंकित ब्लाक के चयनित समस्त ग्रामों को गोद लिया जाकर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में चयनित ग्रामों के आम लोगों की जनसहभागिता, प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर सम्भाग की ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि

10. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायतों में निर्धारित मास्टर प्लान के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के लिये जिला एवं प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार का निरीक्षण अंकेक्षण किया गया है? यदि हां, तो जयपुर सम्भाग में कब व किसके द्वारा? अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर सम्भाग में गत एक वर्ष में कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मास्टर प्लान (विलेज मास्टर प्लान) में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण पंचायत समिति/जिला परिषद/प्रदेश स्तर से

(पंचायती राज मंत्री)

किया गया है। अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक जिला परिषद/प्रदेश स्तर से किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। गत एक वर्ष में जयपुर सम्भाग की ग्राम पंचायतो को उक्त योजनान्तर्गत कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

परिशिष्ट–ए

क्र. सं.	जिला	अधिकारी का नाम	निरीक्षण दिनांक
1	अलवर	श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज	02.12.2015
2	सीकर	श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज	23.12.2015

प्रश्न संख्या-11

(स्थगित)

सणगारी ग्राम पंचायत (भीलवाड़ा) में पौधरोपण में अनियमितता

12. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सणगारी पंचायत समिति, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पौधरोपण व अन्य विकास कार्य स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृतियां जारी की गईं?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच होने पर वहां किसी भी तरह का विकास कार्य तथा पौधरोपण होने के प्रमाण नहीं मिलने के कारण जांच में दोषी पाये गये उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जांच रिपोर्ट और उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। हां यह सही है कि जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बंजर भूमि विकास परियोजना-11 अन्तर्गत ग्राम पंचायत संणगारी पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पौधारोपण व अन्य विकास कार्य स्वीकृत किये गये थे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल क्षेत्रफल 1650 हैक्टेयर है एवं इसमें से उपलब्ध क्षेत्रफल 1500 हैक्टेयर था। पंचवर्षीय योजना 2006-07 से 2010-11 की कार्यों की कुल राशि 76.005 लाख रुपये है।

स्वीकृत राशि का वर्षवार, कार्यवार एवं ग्रामवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उप निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निदेशालय जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ.4 (643)/निजभूस/जांच/2009/1174 दिनांक 10.08.2010 ने जांच कर रिपोर्ट (विस्तृत जांच प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र संलग्न परिशिष्ट-2) प्रेषित की थी उसमें निम्न सरपंच, अधिकारी एवं कर्मचारियों को रतनजोत का पौधारोपण विफल होने पर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

1. श्री लक्ष्मीनारायण, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा।
2. श्री पंकज शर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत बिलिया पं.स. शाहपुरा।
3. श्री ईशबुददीन, सचिव, ग्राम पंचायत संणगारी, पं.स. शाहपुरा।
4. तत्कालीन कृषि विज्ञानी (डब्ल्यू.डी.टी.) बंजर भूमि विकास परियोजना-11 पं.स. शाहपुरा।
5. श्रीमती मांगी देवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बिलिया, पं.स. शाहपुरा।
6. श्रीमती महावीरी देवी जाट, सरपंच, ग्राम पंचायत सणगारी, पं.स. शाहपुरा।

ग्राम पंचायत सणगारी के प्रकरण में क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री लक्ष्मीनारायण, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा), क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री ईशबुददीन, सचिव, ग्राम पंचायत सणगारी, पंचायत समिति शाहपुरा(भीलवाडा),क्रम संख्या 4 पर अंकित तत्कालीन कृषि विज्ञानी (डब्ल्यू.डी.टी.) बंजर भूमि विकास परियोजना 11

(पंचायती राज मंत्री)

पं.स. शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं क्रम संख्या 6 पर अंकित श्रीमती महावीरी देवी जाट, सरपंच, ग्राम पंचायत सणगारी,पं.स. शाहपुरा को उत्तरदायी माना गया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा के कार्यालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ.3(236)परावि/जांच/शाहपुरा (भील.)/10/187 दिनांक 17.01.2011(संलग्न परिशिष्ट-3) से श्रीमती महावीरी देवी जाट, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सणगारी,पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा) को पंचायती राज नियम-1996 के नियम 22(2) के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था जिसमे राज्य सरकार ने उक्त पत्र के द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा को उक्त सरपंच के विरुद्व लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा इस प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा के कार्यालय की पत्रावली के अनुसार सरपंच श्रीमती महावीरी देवी जाट,पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सणगारी, पंचायत समिति शाहपुरा के विरुद्व विभागीय जांच प्रकरण के तहत व्यक्तिगत सुनवाई चल रही है।

तत्कालीन कृषि विज्ञानी (डब्ल्यू.डी.टी.) बंजर भूमि विकास परियोजना-11 पं.स. शाहपुरा के क्रम में जांच रिपोर्ट मिलने पर यह ज्ञात हुआ है कि इनकी मानदेय सेवाएं परियोजना अवधि (वर्ष 2011 तक) समाप्त होने से स्वतः ही निरस्त हो गई थी व इनको पुन मानदेय पर नहीं लगाया गया है। ग्राम पंचायत सणगारी में कराये गये कार्यों के निष्फल व्यय के लिए उत्तरदायी तत्कालीन विकास अधिकारी शाहपुरा श्री लक्ष्मीनारायण एवं तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सणगारी श्री ईशबुददीन के विरुद्व कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। श्री ईशबुददीन सचिव का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है किन्तु श्री लक्ष्मीनारायण का स्पष्टीकरण आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण वर्तमान में पंचायतीराज विभाग में प्रक्रियाधीन है। (संलग्न परिशिष्ट-4)

(3) उक्त प्रकरण में उत्तरदायी व्यक्तियों में से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सणगारी के विरुद्व वर्तमान में पंचायती राज विभाग की विभागीय जांच कार्यवाही (संलग्न पत्र परिशिष्ट-5) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा सरपंच श्रीमती महावीरी जाट पूर्व सरपंच ग्राम

(पंचायती राज मंत्री)

पंचायत सणगारी पंचायत समिति शाहपुरा के विरुद्ध 8 फरवरी, 2011 से आज तक चल रही है, जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को पैरोकार नियुक्त कर रखा है तथा व्यक्तिगत सुनवाई अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा द्वारा की जा रही है।

तत्कालीन विकास अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सणगारी के विरुद्ध प्रकरण वर्तमान में पंचायती राज विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय के जर्जर ओवर हैड टैंक

13. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितने ओवर हैड टैंक कहां-कहां पर बने हुए हैं तथा उनमें से कितने जर्जर अवस्था में हैं एवं वर्तमान में कितने ओवर हैड टैंक स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त ओवर हैड टैंकों के स्थान पर दूसरे ओवर हैड टैंक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर भू-जल की जांच के उपरांत जनता को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के 13 ग्रामों की पेयजल योजनाओं अन्तर्गत निर्मित 14 उच्च जलाशयों से इन ग्रामों में सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा इनमें से कोई भी उच्च जलाशय वर्तमान में जर्जर अवस्था में नहीं है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त किसी भी ग्राम में नवीन उच्च जलाशय के निर्माण हेतु कोई स्वीकृति वर्तमान में जारी नहीं की गयी है ।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार समस्त उच्च जलाशय सही अवस्था में हैं तथा इनसे ग्रामों में सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी हां । सरकार द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मानक : 10500-2012 द्वारा निर्धारित पेयजल विशिष्टियों को आधार माना गया है । वांछित प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले की पंचायत समितियों का भू-जल दोहन के आधार पर वर्गीकरण

14. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भू-जल की दृष्टि से प्रदेश की कितनी पंचायत समितियां "सुरक्षित श्रेणी" में, कितनी "अति दोहित श्रेणी" में व कितनी संवेदनशील या अर्द्ध-संवेदनशील श्रेणी में हैं?

(2) प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के भू-जल दोहन की दृष्टि से श्रेणियों में वर्गीकरण करने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले की 16 पंचायत समितियों में से कौन-कौनसी पंचायत समिति भू-जल दोहन की दृष्टि से कौनसी श्रेणी में है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भू-जल दोहन के आधार पर समय-समय पर उक्त श्रेणियों में परिवर्तन होता रहता है? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) मार्च 2011 के भू-जल आंकलन रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 243 पंचायत समितियों में से 24 पं. स. सुरक्षित, 20 अर्ध संवेदनशील, 25 प. स. संवेदनशील एवं 172 पंचायत समितियां अतिदोहित श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। (तारानगर-चूरू तथा खाजूवाला-बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्र खारा होने के कारण भू-जल आंकलन नहीं किया गया) (परिशिष्ट-अ)।

(2) प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भू-जल आंकलन समिति 1997 (GEC 1997) के निर्देशानुसार किया जाता है । भू-जल विकास की दर को पूर्व में व्हाइट, ग्रे व डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता था जिसके तहत 85-100 प्रतिशत भू-जल विकास स्तर वाले क्षेत्र को डार्क जोन कहा जाता था ।

(भू-जल मंत्री)

वर्तमान में इस गाइड लाइन के आधार पर भू-जल विकास स्तर के प्रतिशत को दर्शाने के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

सुरक्षित (Safe) जहां भूजल विकास स्तर 70 से कम हो, अर्धसंवेदनशील (Semi Critical) जहां भू-जल विकास स्तर 70% से 90% हो, संवेदनशील (Critical) जहां भू- जल विकास स्तर 90% से 100% हो, एवं अति दोहित (Over-Exploited) जहां भू-जल विकास स्तर 100% से अधिक हो अर्थात भू-जल का दोहन भू-जल रिचार्ज से अधिक हो रहा हो ।

(3) सूची संलग्न है । (परिशिष्ट-ब)

(4) श्रेणियों का निर्धारण भू-जल दोहन के आधार पर प्रश्न संख्या-2 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मार्च 2009 की भू-जल आंकलन रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 239 पंचायत समितियों में से 31 पं.स. सुरक्षित, 16 पं.स. अर्द्धसंवेदनशील, 25 पं.स. सवेदनशील एवं 166 अतिदोहित श्रेणियों की तुलना में मार्च 2011 के भूजल आंकलन रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 243 पंचायत समितियों में से 24 पं.स. सुरक्षित, 20 पं.स. अर्द्धसंवेदनशील, 25 पं.स. संवेदनशील एवं 172 पं.स. अतिदोहित श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। (वर्ष 2009 में तारानगर-चूरू एवं वर्ष 2011 में तारानगर-चूरू तथा खाजूवाला-बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्र खारा होने के कारण भू-जल आंकलन नहीं किया गया)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों पर लगे जल संसाधनों का रखरखाव

15. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर लगे सूखे नलकूप, सिंगल फेज नलकूप, हैण्डपम्प एवं बोरिंग के रखरखाव का भुगतान सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब से एवं किस नियम व मानदण्ड से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत 3 वर्षों में कितने सूखे नलकूप, सिंगल फेज नलकूप, हैण्डपम्प एवं बोरिंग का कितना भुगतान सरकार द्वारा ठेकेदारों को किया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री धीरज गुर्जर)

(3) क्या सरकार अनावश्यक रूप से किये जा रहे उक्त अतिरिक्त व्यय को कम करने अथवा समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्रदेश में हो रही अल्पवृष्टि तथा भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में आ रही गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए भू-जल वैज्ञानिक द्वारा चयनित स्थान पर निजी ठेकेदारों द्वारा निर्मित नलकूप (पावर पम्प, हैण्डपम्प या सिंगल फेज) के असफल होने पर भुगतान के क्रम में नीति निर्धारण समिति की 183वीं बैठक दिनांक 05.03.2010 में निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

''चयनित स्थान पर निजी ठेकेदारों द्वारा निर्मित नलकूप (पावर पम्प, हैण्डपम्प या सिंगल फेज) के असफल होने पर ठेकेदार को केवल वेधन कार्य का भुगतान किया जावेगा। विभाग द्वारा पाइप उपलब्ध कराये जाने की अवस्था में ठेकेदार को नलकूप में प्रयुक्त किये गये पाइपों को यथासम्भव निकालने का प्रयास किया जायेगा व इन्हें निकालकर वापस विभाग को देना होगा। इस हेतु कोई भुगतान देय नहीं होगा । यदि केसिंग पाइप संवेदक द्वारा अपनी लागत पर लगाई गई है तो वह उन्हें निकालने हेतु पूर्ण स्वतंत्र होगा।''

नीति निर्धारण समिति के निर्णयों के सार संक्षेप की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(3) वर्तमान परिपेक्ष्य में किये गये अनुभव के आधार पर विभिन्न कारणों से भू-जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आ रही है । अतः विभाग द्वारा चिन्हित साइट पर संवेदक द्वारा खोदे गये नलकूप की सफलता व सस्टेनेबिलिटी की गारंटी लिया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि स्थान का चिन्हीकरण भू-जल वैज्ञानिक द्वारा विभाग की ओर से किया जाता है व नलकूप की गहराई व अन्य प्रक्रियाओं के तकनीकी पहलुओं का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इन परिस्थितियों में नलकूप में पानी नहीं आने या कम आने की दशा में संवेदक को उत्तरदायी मानते हुए भुगतान ना करना उचित प्रतीत नहीं होता ।

इस प्रकार उक्त प्रकार के कार्यों पर किया जा रहा व्यय अतिरिक्त व्यय की श्रेणी में नहीं आता है एवं इसके पुनर्निरीक्षण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फ्लोराइड से होने वाली बीमारियों की रोकथाम

16. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने के कारण बीमारियां फैल रही हैं? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फ्लोराइड से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के किए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । भारत सरकार की वैबसाइट समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार राज्य में मानक मात्रा से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले ग्राम/ढाणियों की संख्या दिनांक 01.04.2011 को 10724, दिनांक 01.04.2012 को 7130, दिनांक 01.04.2013 को 6876, दिनांक 01.04.2014 को 7670 एवं दिनांक 01.04.2015 को 7056 थी। इस प्रकार फ्लोराइड के आधिक्य की समस्या से प्रभावित ग्राम/ढाणियों की संख्या में गिरावट आयी है। विभिन्न वर्षों में जिलेवार फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित ग्राम/ढाणियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

भारतीय मानक-10500 के अनुसार पेयजल हेतु उपयोग में लिये जाने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक ही स्वीकार्य है। फ्लोराइड के आधिक्य से होने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(2) फ्लोराइड एवं अन्य अशुद्धि युक्त जल जनित बीमारियों से बचाने के अल्पकालिक उपायों के अन्तर्गत:-

1. माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2013-14 के दौरान 1000 आर.ओ. संयंत्र लगाने हेतु स्वीकृति जारी की जाकर 920 आर.ओ. संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा इनके विरुद्ध 820 आर.ओ. संयंत्र चालू स्थिति में हैं ।

2. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 2115 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की गई है जिसमें से 1066 आर.ओ. संयंत्र के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

3. उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 में फ्लोराइड प्रभावित हैबिटेशन्स में कुल 345 डि-फ्लोरिडेशन इकाइयां स्थापित करने का कार्य स्वीकृत किया गया है तथा इनके कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

दीर्घकालिक उपायों के तहत ठोस सतही जल स्रोतों से वृहद् पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की जाकर इनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है । इन वृहद् पेयजल परियोजनाओं से कुल 9775 ग्राम एवं 10803 ढाणियों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करना लक्षित है। इन परियोजनाओं से अब तक 640 ग्राम एवं 941 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में पानी के बिलों में सीवरेज/आधारभूत शुल्क की वसूली

17. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में उपभोक्ताओं से पानी के बिलों में सीवरेज और आधारभूत विकास के नाम पर शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हां, तो शुल्क वसूली का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शुल्क वसूली से अब तक दोनों मदों में कितनी राशि संकलित हुई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाना निर्धारित था? तथा अब तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के छह शहरों क्रमश: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर में पानी के बिलों में आधारभूत विकास (जल) सरचार्ज की राशि इनमें पेयजल एवं सीवरेज के कराये गये आधारभूत कार्यों के संचालन एवं संधारण व्यय को वित्तीय रूप से तार्किक बनाये रखने हेतु एशियन डवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त ऋण की शर्तों के अनुसार पानी के बिलों में सरचार्ज राशि जोड़कर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

राजस्थान राज पत्र दिनांक 12.09.1994 की अनुपालना में जल की दरों का 20 प्रतिशत सीवरेज टैक्स एवं 13 प्रतिशत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट चार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जा रही है जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में वर्णित प्रयोजन हेतु इस राशि का उपयोग किया जाना निर्धारित था। सीवरेज एवं आधारभूत विकास के पेटे उपभोक्ताओं से वसूल की गई राशि का उपयोग विभाग द्वारा सीधे ही नहीं किया जाकर इसे राजस्व मद में जमा कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा के खराब हैण्डपम्पों/ट्यूबवैलों की मरम्मत

18. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल के स्रोत (हैण्डपम्प एवं टयूबवैल) लम्बे समय से खराब हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए उक्त खराब हैण्डपम्पों एवं टयूबवैलों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भादरा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत स्थापित कुल 12 थ्री-फेज नलकूप एवं 237 हैण्डपम्पों में से समस्त थ्री-फेज नलकूप एवं 228 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के मरम्मत योग्य खराब शेष 9 हैण्डपम्पों (दिनांक 25.02.2016 की स्थिति के अनुसार) को प्रगतिरत 39वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत सुधारने का कार्य चरणबद्ध रूप से दिनांक 02.03.2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार मरम्मत योग्य खराब शेष 9 हैण्डपम्पों का सुधार कार्य चरणबद्ध रूप से दिनांक 02.03.2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र भादरा में मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	हैण्डपम्प का स्थान	खराब होने की दिनांक	ठीक होने की संभावित दिनांक
1	नेठराना	कुटिया में	17.2.2016	24.2.2016
2	3 एनटीआर	ढाणी रामेश्वरलाल	17.2.2016	24.2.2016
3	कणाउ	जोहड पर	19.2.2016	26.2.2016
4	छानीबडी	ग्राम चुलीकलां के रास्ते पर	19.2.2016	26.2.2016
5	भिरानी	ढाणी यासिन खां	20.2.2016	27.2.2016
6	4 जेजीडब्ल्यू	सुरेश कुमार	21.2.2016	28.2.2016
7	17 एनटीआर	पूनियों की ढाणी के पास	22.2.2016	29.2.2016
8	11 जीजीएम	गोगामेडी माईनर के पास	22.2.2016	29.2.2016
9	10 डीपीएन	नई आबादी 10 डीपीएन	23.2.2016	02.3.2016

प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लाभार्थी

19. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के मुखिया का बीमा करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्तमान में मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित को कितनी राशि दी जा रही है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में बी.पी.एल. परिवार के मुखिया को दुर्घटना

(श्री संदीप शर्मा)

में घायल (बिना अंग, भंग) होने पर भी सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी? वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक कितने बी.पी.एल. परिवार के मुखिया को दुर्घटना (बिना अंग, भंग) में घायल होने पर मुआवजा राशि दी गयी? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में बी.पी.एल. परिवार के मुखिया के अलावा उसके पूरे परिवार का बीमा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त योजना के तहत आवेदन करने वाले तीन से चार प्रतिशत बच्चों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजनांतर्गत बी.पी.एल./आस्था कार्ड परिवार के मुखिया, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य हो, का बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। पालिसी वर्ष के दौरान बीमित की साधारण मृत्यु की अवस्था में दावा राशि रु. 30000/- का भुगतान दावेदार/नामिनी के पक्ष में किया जाता है। यदि बीमित की मृत्यु दुर्घटनावश होती है, तो दावा राशि रु. 75000/- देय है। योजना के दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में बीपीएल/आस्था परिवार के मुखिया की दुर्घटना उपरांत शारीरिक अपंगता होने पर दुर्घटना हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75000/- एवं स्थायी आंशिक शारीरिक अपंगता होने पर 37500/- दुर्घटना हितलाभ राशि भुगतान करने का प्रावधान है। वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक 9 बी.पी.एल. परिवार के मुखिया को रु. 375000/- दुर्घटना हितलाभ दिया गया।

(3) सरकार द्वारा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत बीपीएल एवं आस्था परिवार के मुखिया के अलावा उसके पूरे परिवार का बीमा कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में परिवार के मुखिया का एक वर्ष के लिए बीमा कराया जाता है।

(4) जी नहीं। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुम्बई में राजस्थान हाउस के निर्माण पर व्यय राशि

20. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुंबई में सरकार द्वारा राजस्थान हाउस बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान हाउस निर्माण के लिए कुल कितने बजट का प्रावघान किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मुंबई में प्रस्तावित राजस्थान हाऊस के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो अब तक कितना निर्माण हुआ व इस पर कितना व्यय हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निर्माण कार्य अब कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन निर्माण की मूल स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(2) राजस्थान भवन के निर्माण के लिए कुल राशि रु. 45.80 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। प्रथम चरण के भवन के निर्माण के लिए 20.80 करोड़ एवं द्वितीय चरण के भवन के निर्माण हेतु राशि रु. 25.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया था।

(3) जी हां। राजस्थान भवन के प्रथम चरण के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय चरण के भवन में द्वितीय तल तक ढांचे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। इस कार्य पर अब तक कुल 3797.39 लाख रु. का व्यय हो चुका है।

(4) कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अल्प संख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

21. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं?

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाकर स्वाबलम्बी बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित है :-

1. बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य 8 जिलों के 10 ब्लाक्स में आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य।

2. साइबर ग्राम योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को डिजिटली साक्षर करना।

3. अल्पसंख्यक बालक-बालिकाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास की सुविधा स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से एवं एन.जी.ओ. के माध्यम से उपलब्ध कराना।

4. छात्रवृत्ति योजना।

5. अनुप्रति योजना।

6. कौशल विकास प्रशिक्षण।

7. मदरसा शिक्षा योजना।

8. टर्म लोन, शैक्षिक ऋण एवं लघु वित्त योजना।

(2) यह योजना अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

प्रश्न संख्या-22

(स्थगित)

प्रदेश में देवनारायण योजनान्तर्गत व्यय राशि

23. **श्री मान सिंह** (गंगापुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देवनारायण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पशुपालन व डेयरी पर कम राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना के तहत कुल कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मान सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि एसबीसी की ज्यादातर जातियां पशुपालन पर निर्भर होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत रोजगार परख पहल नहीं के बराबर की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एसबीसी के विकास हेतु चोपड़ा कमेटी की सिफारिशों के अतिरिक्त अलग से कोई कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। देवनारायण योजना में अब तक कुल व्यय 515.00 करोड़ का व्यय सम्बन्धित विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं/विकास कार्यों पर किया गया है। व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नही। देवनारायण योजनान्तर्गत रोजगार परख पहल हेतु शिक्षा एवं अन्य क्षेत्र में एसबीसी के विद्यार्थियों/व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित करवाया जा रहा है योजनाएं निम्न प्रकार हैं:-

1. विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
3. विशेष पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना
4. देवनारायण गुरुकुल योजना
5. देवनारायण आदर्श छात्रावास
6. देवनारायण आवासीय विद्यालय
7. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
8. देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना
9. देवनारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना
10. छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास बयाना
11. छात्रों हेतु महाविद्यालय नादौती
12. देवनारायण मोबाइल हास्पिटल
13. डेयरी प्लांट खेतड़ी जिला झुंझुनूं

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

14. आई.टी.आई केन्द्रों से प्रशिक्षण

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट–अ

देवनारायण योजनान्तर्गत विकास कार्यों एवं योजनाओं में वर्ष 2008-09 से 2015-16 (जनवरी 2016 तक) तक का व्यय

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना	व्यय राशि (राशि लाखों में)
1	स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	1. 20 नवीन प्रा.वि., 10 उप्रावि. से मावि., 16 मा.वि. से उ.मा.वि. में क्रमोन्नयन एवं विद्यालयों का संचालन व कक्षा कक्षों का निर्माण, कोचिंग कैम्प आदि कार्यक्रम	1694.85
		2. विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2640.22
		3. देवनारायण छात्रा साइकिल वितरण योजना	7.92
		4. देवनारायण गुरुकुल योजना	2387.54
2	तकनीकी शिक्षा विभाग	6 आईटीआई भवन निर्माण एवं संचालन क्रमांश बानसूर, सेपउ, सपोटरा, नादौती, झालरापाटन, खण्डार	2055.64
3	उच्च शिक्षा विभाग	1. छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास संचालन एवं निर्माण बयाना	187.91
		2. नादौती में छात्रों हेतु महाविद्यालय तक संचालन एवं निर्माण	574.22
		3. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	1867.51
4	सा.न्या.अ. विभाग	1. छात्रावास भ्वन निर्माण एवं संचालन, देवनारायण योजना संस्थापन व्यय एवं देवनारायण बोर्ड को सहायता	6910.46

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना	व्यय राशि (राशि लाखों में)
		2. वि.पि.व. वर्ग अनुप्रति योजना	70.32
		3. दे.ना. प्रतिभावान छात्र प्रो. योजना	5.31
		4. दे.ना. छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहा. यो.	3.21
		5. देवनारायण योजना प्रचार-प्रसार	110.00
		6. देवनारायण आवासीय विद्यालय	5620.25
		7. विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	19694.02
5	चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग	1. उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 207 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण 152 एवं संचालन	3321.16
		2. देवनारायण मोबाइल हास्पिटल का संचालन	465.00
6	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं आंगनबाडी भवन निर्माण 195	730.05
7	डेयरी विभाग	1. महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 650 प्राकृतिक गर्बाधान हेतु बैलों का वितरण 130 Bulk Milk कूलर की स्थापना 40	994.50
		2. खेतडी में 25000 किग्रा डेयरी प्लांट की स्थापना एवं संचालन	650.00
8	सैनिक कल्याण विभाग	मिनी सैनिक विश्राम गृह, सैनिक छात्रावास एवं पुर्नवास केन्द्र निर्माण	194.40
9	देवस्थान विभाग	मंदिर जीर्णोद्धार कार्य 2	50.00
10	पी.एच.ई.डी.	हैण्डपम्प स्थापना 1566	1254.03
		कुल योग	**51488.52**

जैसलमेर जिले में नवीन गैस वितरण केन्द्र खोलने की योजना

24. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जैसलमेर जिले में गैस वितरण योजना के तहत किन-किन स्थानों पर

(श्री छोटू सिंह)

गैस वितरण केन्द्र स्थापित हैं तथा कौन-कौन से स्थानों पर नये गैस वितरण केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जैसलमेर जिले में गैस वितरण योजना के तहत स्थापित गैस वितरण केन्द्रों की नामवार सूची निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम एवं स्थान
1	मैसर्स महेन्द्र गैस सर्विस, जैसलमेर शहर
2	मैसर्स इण्डेन गैस सर्विस, जैसलमेर शहर
3	मैसर्स पोकरण गैस एजेन्सी, पोकरण शहर
4	मैसर्स नाचना इण्डेन, नाचना
5	मैसर्स अमर एच.पी. गैस सर्विस, लाठी
6	मैसर्स मां अगर एच.पी. गैस सर्विस, सांकड़ा
7	मैसर्स श्री मासीजा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, फलसूण्ड
8	मैसर्स श्री रामदेव एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, रामदेवरा
9	मैसर्स सुरेश गैस एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, रामगढ़
10	मैसर्स सम भारत गैस ग्रामीण वितरक, सम

जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में आई.ओ.सी. का नया गैस वितरण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के पैट्रोल पम्पों में मिलावट की जांच

25. **श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 से अब तक किस-किस पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल एवं डीजल मापक यंत्रों की जांच की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में पैट्रोल एवं डीजल कम मापे जाने के साथ ही इनमें मिलावट किये जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में किस-किस पम्प के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई एवं उसकी जांच में क्या पाया

(श्री रतन लाल जनधारी)

गया? प्राप्त शिकायतों एवं जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उपरोक्त अवधि में किस-किस पैट्रोल पम्प के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त प्रदेश में पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल एवं डीजल मापक यंत्रों की जांच का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक पैट्रोल एवं डीजल कम मापने एवं मिलावट के सम्बन्ध में विभिन्न तेल कम्पनियों को आनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त जिलेवार पैट्रोल पम्पों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण

26. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में वर्तमान में कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं? उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008 से 2015 तक किन-किन अधिकारियों द्वारा उक्त दुकानों का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2008 से 2015 तक कोटा जिले में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किये गये एवं कितने सम्बद्ध के आदेश जारी किये गये तथा उक्त आदेश जारी करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्तमान में कुल 648 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। क्षेत्रवार संख्या सूची निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यरत उचित मूल्य दुकानों की संख्या
1	नगर निगम कोटा	310
2	नगरपालिका कैथून	7
3	नगरपालिका सांगोद	4
4	नगरपालिका रामगंजमण्डी	9
5	नगरपालिका इटावा	13
6	पंचायत समिति लाडपुरा	51
7	पंचायत समिति इटावा	61
8	पंचायत समिति सुल्तानपुर	71
9	पंचायत समिति सांगोद	47
10	पंचायत समिति खैराबाद	75
	योग	**648**

(2) कोटा जिले में वर्ष 2008 से 2015 तक जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, तहसीलदार, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उपभोक्ता सप्ताह/पखवाड़े के दौरान समय-समय पर निरीक्षण किये गये तथा निरीक्षण के दौरान प्राधिकार पत्रों की शर्तों का उल्लघंन/अनियमितता पाये जाने पर दोषी उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

(3) कोटा जिले में वर्ष 2008 से 2015 तक 147 उचित मूल्य दुकानों के लाइसेन्स निलम्बित किये गये तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के सुचारु वितरण कराने हेतु इन उचित मूल्य दुकानों को निकटतम उचित मूल्य दुकान के साथ सम्बद्ध (अटेचमेन्ट) किया गया।

प्रश्न संख्या-27

(स्थगित)

बारां जिले में नियम विरुद्ध पदोन्नति पर कार्यवाही

28. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में 15 वर्षों से अधिक समय से कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के किसी अधिकारी की पदोन्नति को नियम विरुद्ध मानते हुए आरोप पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार आरोपी अधिकारी को पदावनत कर वसूली करते हुए आपराधिक कृत्य के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां जिले में सहकारिता विभाग का कोई भी अधिकारी 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत नहीं है।

(2) बारां जिले के किसी भी अधिकारी की पदोन्नति को नियम विरुद्ध मानते हुए सहकारिता विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी नहीं किया है।

प्रदेश में सहकारी किसान कल्याण योजनान्तर्गत वितरित ऋण

29. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है? यदि हां, तो कब से एवं किसानों को वर्तमान में इस योजनान्तर्गत कितना ऋण कितने वर्षों के लिये, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर एवं किनके माध्यम से वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत किसानों को किन-किन उपकरणों एवं अन्य कार्यों पर ऋण दिया जायेगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत योजना की शुरूआत से 31 जनवरी, 2016 तक कितने किसानों को कितना-कितना ऋण, किन-किन संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश मे सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत माह अगस्त, 2015 से की गई है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज्य के किसानों को उनके द्वारा धारित कृषि भूमि की स्थानीय डीएलसी दर की 70 प्रतिशत सीमा तक सिंचित भूमि होने की स्थिति में अधिकतम 20.00 लाख एवं असिंचित भूमि के मामले में 10.00 लाख का सावधि ऋण अधिकतम 9 वर्ष की अवधि के लिए 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त पैक्स/लैम्पस के माध्यम से सिंचित भूमि के मामलों मे 1.00 लाख व असिंचित भूमि के होने पर 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है।

(2) योजनान्तर्गत किसानों को प्रमुखतः कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई साधनों, बागवानी विकास एवं डेयरी विकास, चारा संग्रहण हेतु ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य के अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं द्वारा इस योजना के अन्तर्गत योजना की शुरुआत से 31 जनवरी, 2016 तक कुल 2142 काश्तकारों को रुपये 55.04 करोड़ की राशि का ऋण वितरण किया गया है, जिसमें से राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 921 काश्तकारों को रुपये 42.77 करोड़ का ऋण एवं पैक्स/लैम्पस के माध्यम से 1221 काश्तकारों को रुपये 12.27 करोड़ का ऋण वितरण किया जाना शामिल है। जिलेवार वितरित ऋणों की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उमरडा (उदयपुर) औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण रोकने हेतु कार्य योजना

30. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उमरडा रीको एरिया में चल रही केमिकल फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण से क्षेत्र में नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी फैक्ट्रियों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूलसिंह मीणा)

(2) क्या उक्त फैक्ट्रियों से होने वाले वायु व जल प्रदूषण के कारण पूर्व में वर्षा ऋतु में भी बड़े-बड़े पेड़ सूख गये थे? यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये व फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कैमिकल फैक्ट्रियां लगने से पहले इस क्षेत्र का पानी पीने योग्य था व वर्तमान में क्षेत्र में इस पानी द्वारा फसल भी नहीं हो रही है? यदि हां, तो इस समस्या के निदान हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उमरडा में कार्यरत कैमिकल उद्योगों से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से नुकसान के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग के अधिनस्थ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में बारह खाद एवं अन्य कैमिकल उद्योग कार्यरत हैं। उद्योगों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन उद्योगों ने जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु व्यवस्था स्थापित कर रखी है। दस उद्योगों में शून्य (उच्छिष्ठ) निस्त्राव की स्थिति है एवं उच्छिष्ठ का पुन: चक्रण किया जाता है। इन दस उद्योगों में से एक उद्योग में वायु प्रदूषण का कोई स्रोत नहीं है एवं नौ उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के नियत्रंण एवं निवारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित की हुई है। शेष दो उद्योगों में वायु प्रदूषण अथवा जल प्रदूषण का कोई स्रोत नहीं है।

(2) उक्त उद्योगों द्वारा अपने परिसर में वृक्षारोपण किया हुआ है। इन वृक्षों एवं आसपास के वृक्षों के वायु व जल प्रदूषण से वर्षा ऋतु में भी सूखने की समस्या से सम्बन्धित अधिकारिक सूचना पर्यावरण विभाग के अधिनस्थ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में नहीं है। ग्राम उमरडा में कार्यरत इन उद्योगों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु व्यवस्था स्थापित की हुई है। क्षेत्र में स्थित बारह उद्योगों में से दो उद्योगों में औद्योगिक जल प्रदूषण का स्रोत ही नहीं है। दस उद्योग उत्पन्न जल उच्छिष्ठ को पुन: उत्पादन प्रकिया में चक्रित कर शून्य निस्त्राव पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कुल बारह में से तीन उद्योगों में वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है एवं शेष नौ उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संयंत्र एवं उचित ऊंचाई की

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

चिमनी स्थापित की हुई है। अत: वर्तमान में मण्डल द्वारा इन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। क्षेत्र में कार्यरत इन उद्योगों से उत्पन्न जल उच्छिष्ठ को पुन: उत्पादन प्रकिया में चक्रित कर उपयोग में लाया जाता है। मण्डल के द्वारा किए गए निरीक्षण में कैमिकल युक्त पानी/उच्छिष्ठ को जमीन में निस्त्रावित करना नहीं पाया गया है। अत: वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर सम्भाग में वानिकी कार्यों के बकाया का भुगतान

31. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में उदयपुर सम्भाग के जनजाति क्षेत्र में स्वीकृत प्लान्टेशन, खड्डे खुदाई, वृक्षारोपण आदि के कार्यों में कितने श्रमिकों को लगाकर किन-किन कार्यों को कराया गया? उक्त कार्यों पर नियोजित किये गये श्रमिकों में से कितने श्रमिकों का किन-किन जिलों में कितना-कितना मजदूरी का भुगतान बकाया है?

(2) क्या सरकार उक्त श्रमिकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में उदयपुर सम्भाग में वन विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं यथा राज्य योजना, केन्द्र परिवर्तित योजना, स्टेट केम्पा, राष्ट्रीय बेम्बू मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण योजना, आर.एफ.बी.पी. 2, मनरेगा, विशेष केन्द्रीय सहायता टी.ए.डी. तथा राष्ट्रीय औषधीय वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 18291 हैक्टेयर तथा वर्ष 2014-15 में 19942 हैक्टेयर में पौधारोपण कार्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों एवं इको डवलेपमेन्ट कमेटियों के माध्यम से कराये गये हैं। इन कार्यो पर वर्ष 2013-14 में 60.91 लाख एवं वर्ष 2014-15 में 52.766 लाख श्रमिक दिवस सृजित हुए हैं। राष्ट्रीय बेम्बू मिशन एवं विशेष केन्द्रीय सहायता टी.ए.डी. योजनाओं अन्तर्गत राशि प्राप्त नहीं होने से कराये गये कार्यो के निम्नानुसार भुगतान लम्बित हैं:-

(वन राज्य मंत्री)

क्र.सं	वन मण्डल	लम्बित दायित्व (लाखों में)	मद
1	उदयपुर	136.60	टी.ए.डी.
		41.07	राष्ट्रीय बेम्बू मिशन
2	उदयपुर (उत्तर)	23.75	टी.ए.डी.
		8.95	राष्ट्रीय बेम्बू मिशन
3	प्रतापगढ़	33.42	राष्ट्रीय बेम्बू मिशन
4	बांसवाड़ा	154.51	टी.ए.डी.
		42.60	राष्ट्रीय बेम्बू मिशन
5	डूंगरपुर	2.32	राष्ट्रीय बेम्बू मिशन

(2) जी हां। जनजाति विकास विभाग उदयपुर एवं उद्यान निदेशालय जयपुर को राशि आबंटन करने हेतु विभाग द्वारा निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है, परन्तु अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। राशि प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में पाइप लाइन से गैस वितरण की योजना

32. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में पाइप लाइन के जरिये गैस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस शहर में कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किस कम्पनी से कब पाइप लाइन से गैस उपलब्ध करवाने के लिए किन शर्तों पर अनुबंध अथवा एमओयू किया एवं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गैल के संयुक्त उद्यम में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कम्पनी का दिनांक 20.09.2013 को गठन कर कोटा शहर में पाइप लाइन के जरिये 199 घरेलू एवं 10 व्यवसायिक कनेक्शन दिये गये हैं। साथ ही महेसाणा-भटिण्डा पाइन लाइन के रूट में पड़ने वाले राज्य के 25 शहर/कस्बे जैसे कि आबू रोड, सिरोही, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,

(खान राज्य मंत्री)

चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, नसीराबाद (अजमेर), किशनगढ़, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, भिवाड़ी एवं अलवर में टेक्नोइकोनोमिक अध्ययन करने हेतु इण्डियन आयल कार्पोरेशन के साथ दिनांक 25.08.2015 को एमओयू हस्ताक्षर किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन के साथ दिनांक 25.08.2015 को तथा गैल इण्डिया लिमिटेड एवं जीएसपीएल इण्डिया पेट्रोनेट लिमिटेड के साथ दिनांक 09.09.2015 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। पाइप लाइन से गैस उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचूरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा गैल को हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर वाया कोटा पाइप लाइन से कोटा में शहर गैस वितरण टर्मिनल स्थापित करने तथा जीएसपीएल इण्डिया गैसनेट लिमिटेड एवं इण्डियन आयल कार्पोरेशन को संयुक्त उद्यम में महेसाणा-भटिण्डा वाया राजस्थान पाइप लाइन बिछाने हेतु अधिकृत किया गया है। इन एमओयू की शर्तें एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना

33. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त अलवर का पद भरतपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में भरतपुर जिले से उद्योगों व श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त श्रम आयुक्त के पद को वापस जिला अलवर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर को सम्भाग बनाये जाने के पश्चात वित (व्यय-3) विभाग की सहमति से दिनांक 31-05-2008 को संयुक्त श्रम आयुक्त का पद अलवर से भरतपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। विभाग में सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर संयुक्त श्रम आयुक्त का पद विद्यमान होने के

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

कारण भरतपुर में भी संयुक्त श्रम आयुक्त का पद किया जाना सम्भाग के अधीनस्थ जिला कार्यालयों के कार्यों की निगरानी व नियंत्रण के लिए आवश्यक था।

(2) जी हां। अलवर जिले में भरतपुर जिले से उद्योगों व श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। वर्तमान में विभाग में पदों के सैटअप के अनुसार संयुक्त श्रम आयुक्त का पद प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर स्थित है। अत: भरतपुर सम्भाग मुख्यालय होने के कारण वहां स्थित पद को अलवर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

34. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण एवं हितार्थ की कौन-कौनसी योजना संचालित हैं?

(2) उक्त योजनाओं में किस-किस प्रकार के श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है?

(3) दौसा जिले में किस-किस स्थान के कितने-कितने श्रमिकों को उक्त योजनाओं हेतु पंजीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में उक्त जिले के किस-किस स्थान के किस-किस श्रमिक को किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) किस-किस श्रमिक का किस-किस योजना में लाभान्वित होने का प्रकरण कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित है एवं अब किस-किस प्रकरण का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जायेगा?

(6) क्या यह सही है कि अनेकों श्रमिक कल्याण योजनाएं संचालित होने के बाद भी श्रमिक उक्त योजनाओं से जुडने से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अभियान चलाकर वंचित श्रमिकों को भी उक्त परियोजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा संचालित योजनाएं संलग्नक-"क" प्रस्तुत है।

(2) मण्डल की योजनाओं से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों व उनके आश्रितों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

(3) दौसा जिले में अब तक विभिन्न स्थानों के 9133 निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है। योजनाओं के लिए अलग से पंजीयन नहीं किया जाता है।

(4) विगत पांच वर्षों में दौसा जिले के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हिताधिकारियों का योजनावार विवरण संलग्नक-"ख" प्रस्तुत है।

(5) दौसा जिले में विभिन्न योजनाओं में लम्बित प्रकरणों का अवधिवार विवरण संलग्नक-"ग" प्रस्तुत है। लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा।

(6) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कार्य निरन्तर किया जा रहा है। समय-समय पर पंजीयन अभियान चलाकर भी पंजीयन किय जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)